खण्ड-468, अंक-4
सोमवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(3 मार्च, 2008 ई0)

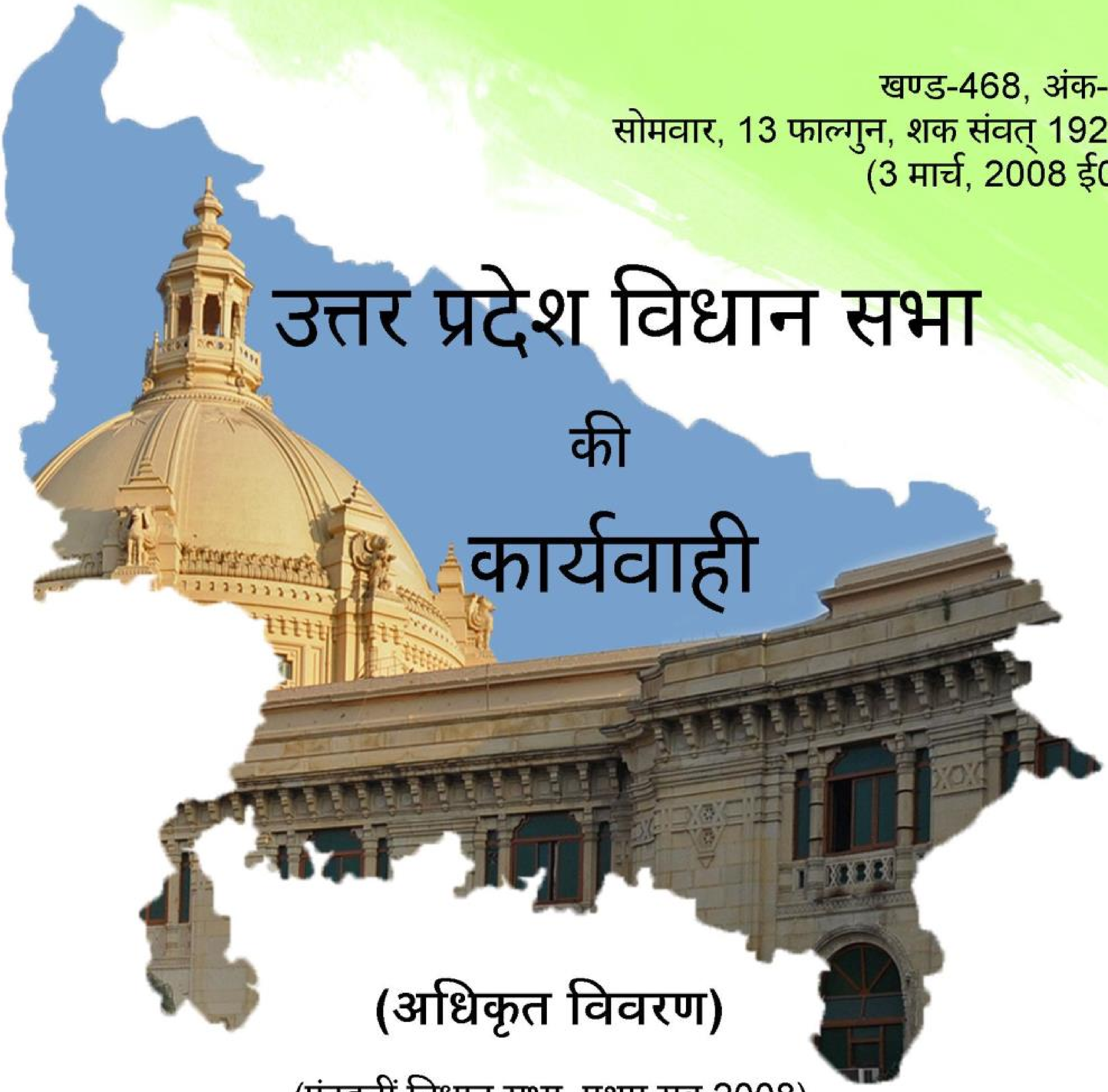

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	1
प्रश्नोत्तर	1-88
श्री कुबेर सिंह द्वारा विधायकों का अधिकार जानने के सम्बन्ध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	89-90
भारत की जूनियर क्रिकेट टीम को नियमावली के नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	90-91
श्री सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा आज की कार्य-सूची के नत्थी "ख" के प्रश्न सं0-3 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	91-92
लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बहाल किये जाने के विषय में संसद सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा विधान सभा के सामने दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	92-93
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	94-95
राजधानी लखनऊ को 'चेन स्नैचर' की विपत्ति से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
लखीमपुर खीरी की 20 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण, चौड़ीकरण एवं हाट मिक्स प्लान्ट से बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद सीतापुर में इलसिया बाल वनो का सौन्दर्यीकरण कराने एवं आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
प्रतापगढ़ के पट्टी निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	97
प्रधानाचार्य, जैन इन्टर कालेज खेकड़ा, जनपद बागपत द्वारा छात्र/छात्राओं से फीस के नाम पर लूट एवं अन्य अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद बदायूं में आवास विकास परिषद् द्वारा पावर आफ अटार्नी के माध्यम से क्रय की गयी सम्पत्तियों के हकदारों के हक में रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	98-99

विषय	पृष्ठ-संख्या
मे0 किसान एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम साहूपुर, जनपद सुल्तानपुर में बन्द पड़ी राइस मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद चन्दौसी के चन्दोसी कोयला मण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध म नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
जनपद बागपत के किशनपुर बिराल छपरौली वाया सूप मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाट मिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
मथुरा से गोवर्धन एवं मथुरा से सौंख जाने वाले मार्गों का उन्नीकरण एवं अगल-बगल नालों का निर्माण तथा यथासम्भव सड़कों का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	101
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने की जांच टी0 ए0 सी0 से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद-उन्नाव के भगवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत बजौरा पुल के दोनों ओर अप्रोच मार्ग स्वीकृत कर निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जिला चिकित्सालय, बांदा में सिटीस्केन की सुविधा कराने एवं सी0 एच0 सी0 जसपुरा, तिन्दवारी, पैलानी एवं चन्द्रवारा में रिक्त डाक्टरों/कर्मचारियों के पद भरने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	103
जनपद गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत 'नन्दगंज' स्थित लाई डिस्टलरी के व्यवसायिक बहिःस्राव से पर्यावरण को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	104-105
विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक मा0 उपाध्यक्ष के सभापतित्व वाली समितियों के संचालन हेतु कार्यवाहक सभापति बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	105-109
न्यायालयों में सरकारी वकीलों के स्थान पर अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर सत्र के दौरान सदन के बाहर की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न	109-111

विषय		पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के उपवेशनों को, कार्य-सूची से प्रश्नों को निरस्त/स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न		111-112
जनपद हाथरस में कस्बा मुरसान के निकट ग्राम नगला कंचना पर मथुरा-बरेली रेलवे क्रासिंग पर उपरगामी सेतु निर्माण हेतु श्री बनवारी सिंह सिकवार निवासी हाथरस आदि की हस्ताक्षरित याचिका ...	(उपस्थित की गई)	112
लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बहाल किये जाने के विषय में संसद सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा विधान सभा के सामने दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत दी गयी सूचना ...		112-116
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)		116-125
लोक निर्माण विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		125-129
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं		129-135
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-9 ऊर्जा विभाग ...	(स्वीकृत)	135-193
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-38 नागरिक उड्डयन विभाग ...	(स्वीकृत)	193-194
अनुदान सं0-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)...	(स्वीकृत)	194
अनुदान सं0-39 भाषा विभाग	(स्वीकृत)	194
अनुदान सं0-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग	(स्वीकृत)	195
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-86 सूचना विभाग ...	(स्वीकृत)	195-200
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) तथा अनुदान संख्या-36 चिकित्स विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(स्वीकृत)	200-242
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-44 पर्यटन विभाग ...	(स्वीकृत)	242-251

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	251-252
जनपद सिद्धार्थनगर व बस्ती के सीमावर्ती पुलिस चौकियों को संतकबीर नगर में किये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल कलाम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	252-253
जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीली, गोढ़ाल्ड एवं राठ में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत की गई 'वित्तीय अनियमितताओं' की जांच के सम्बन्ध में चौधरी घूराम लोधी की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	253
महिला कल्याण विभाग में क्राफ्ट प्रशिक्षकों की नियुक्ति आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से न करके एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	253
राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्राध्यापक के पद पर भर्ती हेतु अनुसूचित जाति के स्नातक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	253-255
जनपद कुशीनगर में खखार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	255-256
जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	257
जनपद मऊ स्थित टोंस नदी पर बने पुल का टोल टैक्स समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	258
जनपद बदायूं के सहसवान में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल यादव (डी0 पी0 यादव) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	258-259

विषय	पृष्ठ-संख्या
महिला कल्याण निगम द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	259-260
नत्थियां	261-275

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-329

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
अजय यादव, श्री — एटा
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री — महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री — लखीमपुर खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	[illegible]
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बांदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं

प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यशपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूं
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर,	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पंडित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा

विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुभाष, श्री	बलिया	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (नसीमुद्दीन सिद्दीकी) व सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री दीना नाथ कुशवाहा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री दीना नाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है, आप बैठ जायें। मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों की विधवाओं को पेंशन देने की मांग

*1-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सरकार राज्य विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों की विधवाओं को पेंशन देने पर निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सदन में बैठने वाले उन महान लोगों की विधवाओं के लिए एक सवाल किया था कि जो भूतपूर्व विधायक हो गये हैं उन विधवाओं की उत्तर प्रदेश में दशा अच्छी नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर आया है उससे यह लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से सदन के [x x x] कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

गरिमा शब्द न कहें।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, डा0 इकबाल का शेर है-"ए तायिरे लाहूती उस रिश्त से मौत अच्छी, जिस रिश्त से आती हो परवाज़-ए-कोताही।"

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमन्, मै। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह जो सवाल है यह पूरे सदन की गरिमा से सम्बन्धित है। जो भूतपूर्व सदस्य रहें हैं उनकी गरिमा का सवाल है, उस पर आप विचार कर लें कि आप उनकी विधवाओं की पेंशन दे देंगे। आप इसमें सर्वे करा लें, जो सदस्य रह चुके हैं, मंत्री के पद पर रह चुके हैं, बड़े-बड़े स्थानों पर बैठे हैं, उनकी विधवाओं की दशा क्या है। यह दलगत नीतियों से हटकर मामला है। आप हमारे संरक्षक है। इसमें आप सर्वदलीय बैठक बुला लें, हमारे बाकी के सदस्य भी इस पर सुझाव रखेंगे। हमें आशा है कि यह सवाल एक दिशा बनकर निकलेगा और बूढ़ी आत्माओं को जो नेताओं को तैयार करती हैं, विधायकों को, नेताओं को तैयार करने में उनकी पत्नियों का महती रोल होता है इस पर व्यवस्था दें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

विधुर लोगों पर भी विचार कर लिया जाय।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का जवाब इतना संवेदनहीन होगा यह नहीं समझता था। सरकार ने कहा कि हम कोई योजना नहीं बना रहे हैं। सरकार इसमें चिन्तित नहीं है। देश भर की सर्वोत्तम पत्रिकायें पूर्व ईमानदार विधायकों की दुर्दशा के बारे में पन्ने से पन्ने भर रही है। मेरी आपसे मांग है कि क्या सरकार गोखपुर में 67 के सोशलिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक है श्री रमापति, उनकी पत्नी शकुंतला देवी जिनके दो बेटे हैं-बृजेश और प्रेम कुमार, अपनी ईमानदारी के नाते श्री रमापति परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ गये है। बृजेश हाईस्कूल तक पढ़ा है और प्रेम कुमार को पढ़ा नहीं पाये हैं और वह निरक्षर हैं। उनके परिवार के पास न तो रोजगार गारन्टी योजना का जाब कार्ड मिला है, न अन्नपूर्णा योजना या बीपीएल योजना का लाभ मिल पाया है। एक सामान्य नागरिक को जो लाभ मिलना चाहिए वह भी उनके परिवार को नहीं मिल रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एक क्या रमापति जी के बारे में जांच कराकर यह सरकार महसूस करेगी कि उनके प्रति विशेष कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि जिसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने कार्यकाल में अपने सामान्य भत्ते के अलावा कुछ अर्जित नहीं करते हैं, उन परिवार का एक सुरक्षित भविष्य होना चाहिए। क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस विशेष दृष्टि से सरकार कोई योजना बताने पर विचार करेगी ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमने स्पष्ट उत्तर दिया है 'जी नहीं' तो जब 'जी नहीं' हो गया तो विषय कोई विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, अगर किसी अलग विधायक की बात है उनका कोई व्यक्तिगत मामला है तो लिखकर दे दें हम दिखवा लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। और यदि नहीं तो क्यों ? के उत्तर में इन्होंनें दिया है कि प्रदेश की वर्तमान

वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। मान्यवर, कितना वित्तीय भार पड़ेगा ? कितनी विधवायें इस स्थिति में हैं, असहाय स्थिति में, जिनको पेंशन दिये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। इस पर अध्ययन किये बिना और कदाचित इस पर अध्ययन हुआ होगा। सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट होगी, लेकिन श्रीमन् जहां बहुत बड़ी-बड़ी राशियों के लिए अनेकों योजनायें हैं उसमें एक ऐसे मानवीय प्रश्न पर, एक संवेदनशील प्रश्न पर क्या सरकार ने इस पर कोई अध्ययन कराया है और ऐसी विधवाओं की संख्या मालूम की है और कितना वित्तीय भार पड़ेगा जो मान्यवर, नहीं उठाया जा सकता है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और जब विचार नहीं किया जा रहा है तो मान्यदर, अभी इसकी प्रारम्भिक स्टेज है और जब प्रारम्भिक स्टेज है और विचार नहीं किया जाता तब तक उस पर पूरा जोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। तो अभी विचार ही नहीं किया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर तो दे दिया। मैं यही इनसे जानना चाहता हूं, प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उत्तर बगैर विचार किये दिया गया है। इस समस्या पर विचार करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में क्या कोई बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई न कोई छोटा-मोटा वित्तीय भार हो सकता है। श्रीमन् अनेक बार दलीय नेताओं की बैठक में और श्रीमन्, आपकी उपस्थिति में, आपका संरक्षण चाहूंगा, आपकी उपस्थिति में भी और श्रीमन्, जब आप इस भूमिका में नहीं थे, जब इस पीठ पर दूसरे माननीय अध्यक्ष जी थे, तब भी इस विषय पर विचार आया और हमेशा इस बात पर विचार आया है। एक अनुरोध मेरा है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसका सर्वेक्षण करवा लीजिए और सचमुच में कितना वित्तीय भार पड़ता है, इसको देख लें और अगर कोई असाधारण वित्तीय स्थिति हो तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगें, लेकिन अगर असाधारण वित्तीय स्थिति हो तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगें, लेकिन अगर असाधारण वित्तीय स्थिति नहीं हो, तो वैसी स्थिति में श्रीमन्, मैं अपनी ओर से यह बात कहना चाहता हूं कि सदन में आने वाले लोगों की दशा पिछले 10-15-20 सालों में भिन्न है मान्यवर। लेकिन ऐसे भी लोग है जो इन 15 सालों के पहले जब वेतन बहुत छोटा हुआ करता था, जब भत्ते बहुत कम हुआ करते थे और अन्य सुविधायें मान्यवर, बिल्कुल शून्य के बराबर थी, उस स्थिति में भी अनेक लोग चले गये हैं और उनकी विधवाओं की स्थिति इतनी दयनीय है मान्यवर, जिसका बयान करना सम्भव नही है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहूंगा और इस आलोक में, श्रीमन् मेरा प्रश्न है कि क्या नये सिरे से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसके मानवीय पहलू को देखते हुए, इस पर विचार करने की कृपा करेंगें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये सब के प्रश्न एक साथ आ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय संवेदनशील होते है। मानवीय आधर पर भी होते हैं। कुछ विषयों को मान्यवर, मात्र औपचारिकता के रूप में नहीं पूछा जाना चाहिए, उनकी व्यवहारिकता को भी देखा जाना चाहिए। आज फैमिली पेंशन का कान्सेप्ट मान्यवर, हर सेवा में धीरे-धीरे प्रवेश कर गया है। फैमिली पेंशन का कान्सेप्ट जब न रहा हो या पेंशन का कान्सेप्ट न रहा हो तब की बात फर्क है मान्यवर और आज फैमिली पेंशन लगभग हर सरकारी कर्मचारी को अब कुछ परिस्थितियों में मिलती है। मेरा कई बार का अनुभव है, बैठकों का, जहां तक मेरी जानकारी है इस दिशा में आपने भी प्रयास किया है और आपने ही इसकी पहल की थी, अध्यक्ष के रूप में। अभी बैठक जो हुई थी, माननीया मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थीं, उस बैठक में भी आपने पहल की थी और मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था, अगर न सुना हो तो मैं स्मरण दिला दूं कि और राज्यों में भी देख लिया जाये अगर और राज्यों में है तो यहां पर भी इस पर विचार कर लिया जाये। तो मान्यवर, नेता सदन कह चुकी हैं, आप कह चुके हैं, सदन में मैं नहीं समझता कि इस भावना से कोई सहमत नहीं होगा कि पति अगर है विधायक उसके न रहने पर पत्नी को, अगर पत्नी विधायक है तो उसके न रहने पर पति को, मान्यवर, फैमिली पेंशन उसके जीवन काल तक मिलना, इसको मान कर चलिये कि आवश्यक है। इस पर यह विचार नहीं हो सकता कि विचार करना आवश्यक है या नहीं है। प्रश्न सीधा सा यह है कि इसके लिए संसाधन कितना लगेगा और इसकी व्यवस्था कहां से की जाये ? तो मान्यवर, मैं सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में, आप स्वयं एक बैठक बुला लें या नेता विरोधी दलों की या और दलों के लोगों की बैठक बुलाकर इस पर गम्भीरता से विचार कर लें। यह गम्भीरता से विचार करने का प्रश्न है। यह सरकार का सिर्फ उत्तर देने का प्रश्न नहीं है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। इस पर विचार होना चाहिए। इसमें केवल विधवा शब्द ही प्रयोग हम न करें बहुत से पति विषम स्थिति में हैं। तो इसको या तो फैमिली पेंशन कह लें या स्पाउस पेंशन कह लें। इसमें यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितना संसाधन लगेगा और प्रदेशों में क्या इस तरह की व्यवस्था है। इसके अलावा क्या भारत की पार्लियामेंट ऐसी कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है और अगर वह कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। मान्यवर, आप एक सर्वदलीय बैठक भी इस सम्बन्ध में अपनी अध्यक्षता में बुलाने पर विचार कर लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमें इस बात को देखना पड़ता है कि अन्य जगहों पर इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, चूंकि लोकसभा से हम बहुत कुछ देखते हैं तो जो सूचना है अभी लोकसभा में भी इस तरह की कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं की गयी है। जब लोकसभा में नहीं है तो

उस दृष्टि से जवाब दे दिया है। बाकी मान्यवर, आप अपनी अध्यक्षता में बैठक बुलाना चाहें तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दलीय नेताओं की एक बैठक इस संदर्भ में बुला ली जाये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु उपाय

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जी हां, विगत 04 वर्षो का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :--

	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
वर्ष	संख्या	संख्या	संख्या
2004	18493	9946	13188
2005	18325	9956	12883
2006	19489	10851	13650
2007	20314	11307	15094

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए निम्न कार्यवाही की गयी:--

1-सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा कर सड़क दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान करते हुए कारणों कार्यो को दूर करने की कार्यवाही की गयी है तथा रोड पर डिवाईडर बनवाये गये तथा मार्गो को चौड़ा करवाया गया।

2-शहर क्षेत्र में यातायात संचालन की फिक्स्ड ड्यूटी के अतिरिक्त यातायात प्रबन्धन हेतु इन्टरसेप्टर को भी व्यवस्थापित किया गया है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की पिकेट ड्यूटी लगाई गयी है।

3-सड़क दुर्घटाओं की रोकथाम एवं घायलों की जीवन रक्षा हेतु जनपदों को 37 एम्बुलेंस व 19 क्रेन उपलब्ध कराये गये है।

4-यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु यातायात के उपनिरीक्षक/निरीक्षकों तथा थानाध्यक्षों को मौके पर जुर्माने का अधिकार प्रदान किया गया है।

5-नियमों के अनुपालनार्थ समय-समय पर प्रवर्तन सम्बन्धी विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की गयी है तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु एवं यातायात नियमों के अनुपालनार्थ सचल मोबाईल स्क्वायड बनाकर प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

6-प्रदेश में 2508 मेडेन्टरी साइन बोर्ड लगवाये गये जिसमें दुर्घटना बाहुल्य स्थलों की सूचना सम्बन्धी बोर्ड भी सम्मिलित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 248 एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था लागू की गयी है। वाहनों हेतु पार्किंग स्थल की व्यवस्था कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी है।

7-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात नियमों की जानकारी हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा की गयी है तथा इस हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं।

8-हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु हाईवे नं0-2 पर पड़ने वाले जनपदों के दोनों तरफ की 5-6 मील तक पड़ने वाली आबादी के लिए सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

9-सड़क दुर्घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस विभाग को देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1073 को ट्रैफिक हेल्पलाइन की स्थापना प्रत्येक जनपद के कन्ट्रोल रूम में कराई गयी है।

10-यातायात नियमों के प्रति बच्चों को बचपन से जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है।

11-भारी वाहनों के आवागमन हेतु बाई-पास की व्यवस्था कराई गयी है तथा भारी वाहनों को बाहर रोकने हेतु ट्रान्सपोर्ट नगर की व्यवस्था कराई गयी है।

12-सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ओवर लोडिंग को नियंत्रित करने हेतु समय-समय पर परिवहन विभाग के साथ अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, अपने उत्तर में सरकार ने भी माना है जो मैन कहा था कि लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जो आंकड़े दिये गये है। 2004, 2005, 2006 तथा 2007 के इसमें दुर्घटनाओं की संख्या में, मृतकों की संख्या में और घायलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से उत्तर के पैरा 6 में यह बताया गया है कि प्रदेश में 2508 मेडेन्टरी साइन बोर्ड लगवाये गये जिनमें दुर्घटना बाहुल्य स्थलों की सूचना सम्बन्धी बोर्ड भी सम्मिलित हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों की सूची तो आपने चस्पा कर दी है। क्या आपने इन स्थलों के आस-पास कोई ट्रामा सेंटर खोला है ताकि आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो जाय तो उसके जीवन को बचाने के लिये तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये। क्या आपने ऐसी व्यवस्था की है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ट्रामा सेन्टर तो सब जगह नहीं हैं लेकिन मान्यवर, पुलिस को इसके लिए 37 एम्बुलेंस मुहैय्या करायी गयी हैं जिसके आधार पर वह इस तरह से घायल व्यक्तियों को जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचा सकें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं संवदेनशील हैं, आप विचार करें कि यह एम्बुलेंस रख देने से क्या उनके जीवन की रक्षा में कोई ऐसा उपाय आ रहा है कि जब तक उनको कलेक्ट करेंगें और जहां अस्पताल है वहां ले जायेंगे तब तक तो हो सकता है वह आदमी कालकवलित हो जाय। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्यों नहीं सरकार इस पर विचार कर रही है कि जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों को आपने चिन्हित कर लिया है और उसके सम्बन्ध में बोर्ड भी लगा दिया है तो उसके आसपास आगे आपने कहा है कि हमने ऐसे हाइवेज और राज्यमार्गो के 5-6 कि0मी0 के दायरे में हमने लोगों को जागरूक किया है तो जागरूक करना एक पहलू है और दुर्घटना हो जाने के बाद उनकी जीवन रक्षा के लिए उपाय करना दूसरा उपाय है तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो चिन्हत स्थल है उनके आसपास आप ट्रामा सेन्टर क्यों नहीं खोल रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो दुर्घटना विशेषरूप से हाईवे पर होती है, जो बढ़ी हैं लेकिन मान्यवर, अब हर जगह ट्रामा सेन्टर का संचालन व्यवस्थित ढ़ंग से करना सम्भव नहीं होता है इसलिए बड़े-बड़े शहरों में ही ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था की जा रही है। विशेष रूप से सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और जौनपुर में ट्रामा सेन्टर, ट्रामा एण्ड मास्क कैजुएलटी ट्रामा एवं प्रबन्धन योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके साथ ही साथ इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो पर त्वरित गति से रोगी वाहन उपलब्ध रहेंगे जो दुर्घटना स्थिति में मरीजों को तुरन्त उपयुक्त केन्द्रों पर पहुंचायेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जिन जिलों का जिक्र किया है उसमें वाराणसी सहित अन्य जिलों में कब तक ट्रामा सेन्टर या उससे सम्बन्धित जो भी उनकी कार्ययोजना है वह कब तक लागू हो जायेगी, कब तक खोल देंगे ? क्या आपका लक्ष्य है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसी वित्तीय वर्ष में व्यवस्था की जा रही है।

विरोधी नेता दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने शहरों का बता दिया कि शहरों में जहां-जहां हुआ, ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था होगी, आगे नहीं होगी कहीं भी। दुर्घटना तो सबसे ज्यादा देहात में होती है,

कहीं होती है सड़क पर तो मैं समझता हूं कि वह गांव ही होगा। शहर में तो चल जायेगा तो क्या देहात में जहां मेडिकल कालेज हैं वहां व्यवस्था करायेगे ट्रामा सेन्टर की और जो स्वीकृत है उन्हें क्या वहां आपने चालू करा दिया है कहीं देहात के मेडिकल कालेज में ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, देहात का मेडिकल कालेज है कहीं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, देहात का मेडिकल कालेज अभी तो एक ही संचालित है सैफई में, और वहां पर सामान्य रूप से इमरजेंसी की दृष्टि से सारी व्यवस्था है। मान्यवर, जैसे-जैसे उसकी जरूरत महसूस होती जाती है उस ढंग से धीरे-धीरे सभी जो मेडिकल कालेज हैं उसमें हम विकास कर रहे हैं और हमारा यह प्लान है कि सभी प्रदेश के जो भी मेडिकल कालेज हैं उसमें धीरे-धीरे करके हम ट्रामा सेन्टर स्थापित करेंगे। लेकिन यह चरणबद्ध ढंग से होगा, आज इस स्थिति में किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, नाम ही ले लिया सैफई का और किया नहीं और भी देहात में हैं जालौन में है, कन्नौज में भी है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्था की गयी थी अब आप धीरे कहे, अगर स्वीकृत है सैफई में तो फिर क्या दिक्कत है खरीदने में, धन भी था सब कुछ था फिर क्या दिक्कत हुई खरीदने में और चालू करने में ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सभी जगह जो व्यवस्था है वह एक दिन में तो कोई चालू हो नहीं सकता उसके लिए जो व्यवस्था है उसके अनुसार कार्यवाही होगी। अब हम ट्रामा सेन्टर के बारे में कि सैफई में क्या है, शाम को बजट है उस समय पूछ लीजिएगा मैं बता दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, ट्रामा सेन्टर के बारे में अगर स्वीकृत है और धन भी था तो क्या तो क्या वजह है कि ट्रामा सेन्टर चालू नहीं हुआ ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में अब आज ही उस विभाग का बजट है। चूंकि यह दुर्घटना से सम्बन्धित मामले हैं उस पर हमने जो कार्यवाही की है उसका हमने उल्लेख किया। अब अगर इसके साथ-साथ अन्य मेडिकल कालेजों के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष जानना चाहते हैं। इस समय उसके बारे में, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। जिस समय विभाग का बजट आयेगा, आज ही है, उस समय मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक अनुरोध मेरा है। बाकी लोगों की बात पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो भी करते हैं,

कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन पीठ जब कोई बात कह रही हो तो उसको काटकर या पीठ की कोई बात न सुनने देने का जो नया रिवाज श्रीमन् संसदीय कार्य मंत्री जी शुरू कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा तो मैनें कुछ नहीं किया, मैं तो पीठ का सबसे ज्यादा आदर करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने जवाब में बताया कि बिन्दु नं0-2 में शहर क्षेत्र में यातायात संचालन की फिक्स ड्यूटी के अतिरिक्त यातायात प्रबन्धन हेतु इंस्पेक्टर की, इंट्रासेप्टर की व्यवस्था की गयी है। शहर में इस प्रकार की दुर्घटनायें न होने पायें, इसलिये फिक्स जोन बनाया जाता है जिसमें नौ ट्रैफिक जोन बनाकर एक निश्चित समय में शहर के अन्दर भारी वाहन प्रवेश न कर पायें, इसके नियम बनाये जाते है। प्रातःकाल 6 बजे से 9 बजे तक या जैसा जिस शहर में नियम हो, बहुधा यह देखा गया है कि जो इस नो ट्रैफिक जोन पर पोस्टेड पुलिसकर्मी होते हैं, वह आर्थिक आधारों पर भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की छूट देते हैं और जब भारी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं इसलिये एक्सीडेंट होने पर शहरी नागरिकों की मौत होती है। यह पुलिसकर्मियों की आर्थिक और आपराधिक लापरवाही के नाते [illegible] है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि महानगरों में नो ट्रैफिक जोन में किस समय यातायात प्रतिबंधित होता है अगर पुलिसकर्मी आपराधिक लापरवाही [illegible] से भारी वाहनों को आने देते हैं और उस कारण एक्सीडेंट होती है और मौत हो [illegible] तो क्या सरकार ऐसे पुलिसकर्मियों, [illegible]यात निरीक्षकों, या क्षेत्राधिकारी यातायात पर आपराधिक लापरवाही की धारा के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज करने का प्राविधान करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नो ट्रैफिक जोन में जो अलग से परमीशन देने की व्यवस्था है उसमें एस0पी0 यातायात या सी0ओ0 यातायात से नीचे के अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। मान्यवर, इस तरह की कोई घटना यदि संज्ञान में आती है और किसी अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है आपने कह दिया कि यदि कोई घटना संज्ञान में आती है तो कार्यवाही की जायेगी। मै यह पूछ रहा हूं, कि क्या कोई घटना संज्ञान मे आती है तो ऐसे पुलिसकर्मियो पर अपराधिक लापरवाही के मुकदमें दर्ज होगें कि नहीं। कार्यवाही और आपराधिक लापरवाही के मुकदमें, दोनों में अन्तर है। घटनायें तो भरी हुयी हैं, गोरखपुर में तीन घटनायें हुयीं, इसी सदन में चर्चा हुयी है। मोहद्दीपुर में तीन मौतें हुई हैं इसी नो ट्रैफिक जोन में गाडियों के घुसने के नाते। मैं यह जानना चाहता हूं, आप गोरखपुर की घटना को छोड़ दीजिये कि सैद्धान्तिक आधार पर क्या ऐसे लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो आर्थिक आधार पर वाहनों

को आने देते हैं, आप आपराधिक लापरवाही के अन्तर्गत धारा में मुकदमे दर्ज करने का प्राविधान करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जी, उसमें तो बता दिये हैं, अब आधार तो आप अपने से बनावें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हो क्या रहा है कि यह पैसा लेते हैं और आने देते हैं। चूंकि कोई कार्यवाही नहीं होती इसलिये कोई रोक नहीं लगती। अगर कोई कार्यवाही होगी तो इस पर रोक लगेगी। मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही है नहीं, प्रभावी कार्यवाही पुलिस ऐक्ट में भी नहीं है। सिवाय इसके कि उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाय। उनको आफिस में बैठा दिया जाय। जब तक इनके ऊपर सही कार्यवाही नहीं होगी, आपराधिक लापरवाही के मुकदमें दर्ज नहीं होगें तब तक आर्थिक आधारों पर यह भ्रष्टाचार रूकेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव सही है लेकिन कहा तो है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मा0 अध्यक्ष जी, दिल्ली के आसपास जो नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र आता है वहां पर पिछले कई सालों में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ी है और वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बहुत बढ़ी है। यह जो नेशनल कैपिटल रीजन है लालकिले से 100 किलोमीटर के आसपास का चारों तरफ का क्षेत्र पड़ता है। अभी आप एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, यह कागजों में बात सही है कि आपके पास एम्बुलेंस होंगे। लेकिन सभी माननीय सदस्य जानते हैं और किसी ने भी इन एम्बुलेंसों को कभी भी किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, चाहे वह बीमार हो, चाहे उनकी डेथ हो गई हो लाते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। सब लोग अपने-अपने साधन से आते हैं, बहुत सारी ऐसी दुघर्टनाएं देखी जाती हैं कि सड़क पर आदमी मरा पड़ा है। उसको कई-कई घण्टे तक पूछने वाला कोई नहीं है, पुलिस की जिप्सी निकल जाती है लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो नेशनल कैपिटल रीजन में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ी हैं तो क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन में दुर्घटनाओं का औसत क्या है और उसको रोकने की कोई विशेष व्यवस्था करायेंगे या कोई और सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सिरोही जी, आप एक जोन की बात कर रहे हैं तो मा0 मंत्री जी कहां से उसकी सूचना मंगायेंगे।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान लखनऊ की घटना की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे आलमबाग में बारहबिरवा चौराहे से हवाई अड्डे तक सुरक्षा के नाम पर सभी

दुकानें सील कर दी गई हैं। मान्यवर, पूरी बात सुन लें संरक्षण चाहता हूं। यहां पर कोई गाड़ी रोड पर खड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन रात 9.30 बजे से पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में ट्रकें सरोजनी नगर थाने के अन्तर्गत खड़ी होती थीं। लेकिन वर्तमान में वह ट्रके लाइन से यहां बारहबिरवा चौराहे से पहले एक लाइन लगती है, फिर उसके बगल में पैरलर दूसरी लाइन लगती है, फिर उसके बगल में तीसरी लाइन लगती है। रोड पर मोटर सायकिल तक निकलने का मान्यवर, रास्ता नहीं बचता है। जब मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से सम्पर्क करता हूं तो वह आदेश करते हैं कि कल से नहीं खड़ी होंगी, मान्यवर, एक दिन के लिए तो आदेश चलता है, एक दिन नहीं खड़ी होंगी लेकिन दूसरे दिन फिर वहीं से खड़ी होती हैं। मान्यवर, रात दस बजे के बाद पूरा यातायात अवरुद्ध हो जाता है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह शहर के अन्दर यातायात की समस्या को देखते हुए क्या थाना सरोजनी नगर में नो-इंट्री के पहले वाहनों को खड़ी करने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी एक नो-इंट्री का मामला है, इसको जरूर दिखवा लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एम्बुलेन्स की व्यवस्था 30-35 जिलों में की गई है, लेकिन अभी कहीं भी एम्बुलेंस दिखायी नहीं देती है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सड़कों पर हाई-वे पर जो खराब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उनसे होती हैं। मा0 मंत्री जी अपने रिकार्ड में देख लीजियेगा सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सड़कों पर खड़े वाहनों से होती हैं। क्योंकि आमने-सामने की लाइट में रोड पर खड़ी गाड़ियां दिखाई नहीं देती हैं और उसमें पीछे से आती हुई तेज गति की गाड़ियां सीधे वाहनों से टकरा जाती हैं। क्या मा0 मंत्री जी हाई-वे पर कोई क्रेन सिस्टम लागू करेंगे जिससे कि घण्टे दो घण्टे से सड़कों पर खड़े वाहनों को हटा दिया जाय ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्पष्ट निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को, यातायात पुलिस अधीक्षक या यातायात निरीक्षकों को दिये गये हैं और मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया उसके लिए एम्बुलेन्स और साथ ही साथ क्रेन भी उपलब्ध कराया गया है। ऐसी जगहों पर कोई वाहन खड़ा होता है तो थानाध्यक्ष स्तर तक को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यातायात नियमों का पालन करें, जहां वाहन नहीं खड़े होने चाहिए वहां वाहन न खड़े हों।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे नं0-2 जो दिल्ली-आगरा हाई-वे है। उत्तर प्रदेश के बार्डर से लेकर आगरा तक प्रमुख चौराहों पर रोज होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्देश देंगे। इस रोड पर रोज हजारों ट्रकें और बसें पास होती हैं और ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं। मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है, क्या मा0 मंत्री जी मथुरा और आगरा जनपद में गुजरने वाले इलाके में ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कोई आश्वासन देंगे ? ट्रैफिक सिग्नल प्रमुख चौराहों पर नहीं है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं और वहां पर ट्रामा सेन्टर की भी आवश्यकता है। प्राइवेट ट्रामा सेन्टर वाले इतना पैसा वसूलते हैं कि आम आदमी उसका वहन नहीं कर सकता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मथुरा में 2 और आगरा में 2 ट्रामा सेण्टर नेशनल हाई-वे पर खोला जायेगा और ट्रैफिक सिग्नल लगवाया जायेगा ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा इसमें मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ट्रामा सेन्टर के बारे में मा0 मंत्री जी ने उत्तर में कहा ही है कि विचार कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल से रहित चौराहों का जहां तक सवाल है तो वहां सिपाही रहता है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, सिपाही काम नहीं करते हैं, वह वसूली में लगे रहते हैं। इस मामले में आपका संरक्षण चाहूंगा कि यदि ट्रैफिक सिग्नल होता है तो यातायात स्वतः संचालित होती रहती है, रेड लाइट होने पर ट्रैफिक स्वतः रुक जाती है और ग्रीन लाइट होने पर ट्रैफिक चलती है। इसलिए वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लग जायेंगे तो एक्सीडेंट में कमी होगी। मैं चाहूंगा कि इसमें मा0 मंत्री जी आश्वासन दें कि नेशनल हाई-वे नं0-2 के मथुरा और आगरा जनपद के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सरकार द्वारा लगवायी जायेगी क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से रोज बड़ी जबरदस्त दुर्घटनायें होती हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य ने पूरा उत्तर नहीं पढ़ा, अगर उत्तर पढ़े होते तो इसमें पूरी सावधानी बरती गयी है और दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है वहां के लिए स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय मंत्री जी के उत्तर से हटकर एक बात कहना चाहता हूं कि गोरखपुर से सोनौली जाने वाली जो अन्तर्राष्ट्रीय सड़कें हैं, मैसड़ा का पुल टूटने के कारण महराजगंज जनपद में 5 कि0मी0 सड़क भी सुरक्षित और सही मायने में नहीं पायेंगे। सड़कें इतनी खराब हैं कि 100 टन वजनी वाहन भी नहीं चल सकते लेकिन वहां पर 200-200 टन वजन की ट्रकें चल रही हैं, सड़कें

टूट गयी है। हम लोगों ने यह तय किया है कि सोनौली में सत्याग्रह करके जो वाहन इधर आते हैं उनको वहीं जाम कर देंगे। महराजगंज में नहीं आने देंगे, इससे शासन के लिए भी दिक्कत होगी और हमारे लिए भी। हम चाहते हैं कि ट्रकें नेपाल से सोनौली सीधे निकल जाएं महराजगंज जनपद की सीमा को टच न करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ओझा जी का कहना है कि नेपाल से ट्रकें आती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, रूट चेंज करने की बात कही है, इसको देख लीजिए।

श्री राज किशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में बस्ती जनपद से फैजाबाद के बीच में एक हरैया सी0एच0सी0 है वहां पर एक दर्दनाक घटना हुई दो दलित परिवार के नौजवान जिसमें एक की उम्र 21 साल की थी और दूसरे की 22 साल की वह मिट्टी में दबकर मर गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरैया सेन्टर पर न ही एम्बुलेन्स है और न ही वहां पर ट्रामा सेन्टर है उन नौजवानों को बस्ती ले जाया जा रहा था जहां रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। यह दलित परिवार के नौजवान थे और मुख्य मंत्री जी स्वयं दलित परिवार की हैं उनके परिवार को सरकार की तरफ से किसी तरह की सहायता नहीं दी जा रही है अगर हरैया में एम्बुलेन्स होती या ट्रामा सेन्टर होता तो यह घटना नहीं होती क्या सरकार हरैया में एम्बुलेन्स उपलब्ध करायेगी और हरैया में ट्रामा सेन्टर खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह ट्रामा सेन्टर आ गया है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में नगर निगमों, नगर पंचायत आदि के पार्षदों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की नीति

*2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों, नगर पंचायत आदि के पार्षदों को मासिक वेतन, भत्ता एवं टेलीफोन की सुविधा आदि प्रदान करने की कोई नीति शासन बना रहा है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मेरा प्रश्न मासिक वेतन, भत्ता के सम्बन्ध में है। आज ईमानदार ढंग से काम करने के लिए उनको वेतन और भत्ते मिलना चाहिए। माननीय नगर विकास मंत्री जी विद्वान अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मान्यवर, 74वां संशोधन हो चुका है और इस 74वें

संशोधन में नगरीय निकायों को [illegible] संविधान की 12वीं अनुसूची है उसके बिन्दु हैं। उस पर उनको स्वायत्ता प्रदान की गई है इसमें 18 बिन्दु हैं इनमें पहला बिन्दु है कि नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत नगरीय योजना भी है दूसरे भूमि उपयोग का विनियमन तीसरे में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना है और चौथे में सड़कें और पुल हैं यह सब आय के साधन हैं नगरीय निकायों को उनके सम्बन्ध में कोई [illegible] का अधिकार है। यह [illegible] विधान मण्डल की अनुमति पर होना है। क्या हम उनको 12वीं अनुसूची में यह अधिकार देते हैं। इसको उनको दिलाने का कष्ट करें, विचार करने का कष्ट करें।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, अनुग्रह नारायण जी ने जो बात रखी है मैंने अवगत करा दिया है कि जहां तक नगर निगम और नगर पंचायत का प्रश्न है इन परिस्थितियों में फिलहाल मासिक वेतन तथा भत्ता देने की सुविधा अनुमन्य नहीं की गई है। भविष्य में अगर 74वें संशोधन में इस तरह का कोई प्राविधान आयेगा तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मेरा मंत्री जी से अनुरोध है आपकी सरकार ने नहीं किया है इसके पहले की सरकारों ने किया है। नगर विकास नगर पंचायत क्षेत्र में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, मल्टीनेशनल टेलीफोन या टेलीविजन, टेली-कम्युनीकेशन कम्पनियां जो अपने केबिल बिछा रही हैं वह एक पैसा भी नगर निगमों को नहीं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से एक शासनादेश जारी हो गया है पिछली सरकारों ने किया था उसने मुक्त कर दिया। आज नगरीय क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र में कोई अपनी एक गुमटी भी लगाता है तो उससे टैक्स वसूल लिया जाता है लेकिन लाखों लाख कि0मी0 पूरे प्रदेश में इन कम्पनियों द्वारा जो केबिल बिछाए जाते हैं चाहे टेलीकम्युनिकेशन की हों या टेलीविजन की उनसे इनको एक पैसा भी वसूल करने का अधिकार नहीं है क्या इस जी0ओ0 को समाप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि उनसे यह टैक्स वसूल कर सकें।

श्री नकुल दुबे-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है उससे इसका कोई लेना-देना नहीं है। इसको दिखवा लेंगे और कुछ प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

नगर निगमों की और नगर पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी जब सारे अधिकार हम लोग अपने पास रखेंगे।

***3-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-**

[विस्तीर्णता, अस्पष्टता एवं गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

शहरी क्षेत्रों में विधायक कोटे के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक कोटे के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को शहरी क्षेत्र में लगाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो शहरी क्षेत्रों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की कोई पृथक व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्तमान में मा0 विधायकों को आवंटित हैण्डपम्प, मा0 विधायक से सूची प्राप्त होने तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय से ऋण प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त होने पर लगाये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या-4 और प्रश्न सं0-5 पुकारे जाने पर मा0 सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना और मा0 हुकुम सिंह उपस्थित नहीं थे)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न संख्या-5 पर मा0 सदस्य नहीं हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मेरी इसमें रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, रुचि वाले बाद में लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हां, यह ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी सदन में हम लोग यह विषय लेकर आये थे कि शहरी विधायकों को चाहे वह किसी भी दल के हों, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर 250 हैण्डपम्प लगते हैं, वैसे ही शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर भी लगाये जायें। मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत भी चर्चा की गई, आपने निर्देश भी दिये थे, सरकार ने कहा भी था, आपने मंत्री जी को एक पत्र भी भिजवाया लेकिन इस सबके बावजूद आज सरकार कह रही है कि कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, तो जो हम लोगों ने सदन में इस विषय पर चर्चा की और आपने निर्देश भी दिया लेकिन ठीक उस निर्देश के विपरीत मंत्री जी का कथन है कि कोई ऐसी योजना नहीं है। मान्यवर, इसमें बसपा के भी मा0 विधायक होंगे, केवल भाजपा के ही नहीं हैं। ग्रामीण विकास विभाग हैण्डपम्प दे रहा है लेकिन शहरी विकास विभाग नहीं दे रहा है तो इस प्रकार से आपके

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-19 के उपरान्त तारांकित प्रश्न संख्या-4 लिया गया।

आदेशों की अवहेलना करके यह कहा जा रहा है जो उचित नहीं है, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, जो भी 26 शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, किसी भी शहरी क्षेत्र के विधायक को नहीं मिले हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को मिल रहे हैं, वैसे ही शहरी क्षेत्र के विधायकों को भी मिलने चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि बाया नगर निगम जाइये, तो यह कोई बात नहीं हुई। जब निर्देश हो गया तब नकारात्मक जवाब का कोई औचित्य नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि रिवाल्विंग फण्ड से करेंगे, इसमें जो नगरीय क्षेत्र के 26 विधायक हैं, यह तय हुआ था और इस प्रकार नगर विकास विभाग को आपको सूचना भी देनी थी, लेकिन यहां बड़ा फर्क नजर आ रहा है। आप उसका संज्ञान लेते हुए आग्रह करते हुए कि जो निर्णय लिया गया, उसका अनुपालन हो और नगरीय क्षेत्रों में धन है तो ग्रामीण क्षेत्रों को मिले और नगरीय क्षेत्रों को न मिले तो यह उचित नहीं है। कृपया इस संदर्भ में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बुलाकर अपने स्तर पर कोई विचार कर लें। मान्यवर, आपको याद होगा कि इस पर निर्णय हुआ और सिर्फ इसमें समय की बात थी कि इतने दिन में सूचना दी जाएगी। अगर आप चाहें इसके सम्बन्ध में अपने कक्ष में बैठक बुला लीजिए।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि चूंकि ग्राम्य विकास और नगर विकास दोनों का हमारा सवाल था। मान्यवर, जो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प दिये गये हैं उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है वह 50 प्रतिशत तक कर दी गयी है। चूंकि नगरों में यह दिया जाएगा तो आज नहीं तो कल वहां भी यह समस्या आयेगी तो यह जो कहा जा रहा है कि 50 प्रतिशत आरक्षित कर दिया जाये। तो मेरा कहना है कि कुल जब 23 प्रतिशत दलित वर्ग के लिए आरक्षित है तो उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा तो बाकी के लोग 50 प्रतिशत में कैसे आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो अलग बात है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, अकेले दलित के लिए 50 प्रतिशत कर दिया गया है तो बाकी 50 प्रतिशत में सबको कैसे होगा। मान्यवर, अगर नगर विकास मंत्री जी नगरीय क्षेत्रों में हैण्डपम्प देंगे और अगर उसमें भी वही व्यवस्था कर दें कि 50 प्रतिशत दलितों को और बाकी 50 प्रतिशत में बाकी सबको तो यह कैसे करेंगे ? मान्यवर, उसमें जो 27 प्रतिशत आरक्षण होता है वह भी दलित वर्ग को दे दिया गया था तो बाकी के लोगों के लिए क्या करेंगे। मान्यवर, जब आप व्यवस्था करेंगे तो साथ ही इस पर भी आपकी व्यवस्था हो जाये ?

श्री अध्यक्ष-

जब घोषणा होगी तब होगी, तब तक का इंतजार करिये।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मात्र 26 विधायक हैं शहरी क्षेत्रों के। उस पर विचार हो रहा है। मान्यवर, हर विधायक के क्षेत्र में टाउन एरिया और नगरपालिका होते हैं तो इनमें भी हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं तो मेरा कहना है कि अगर कोई पालिसी बना रहे हैं तो नगरपालिका और टाउन एरिया क्षेत्र का भी उसमें आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी दलीय नेताओं और ग्राम्य विकास और नगर विकास के अधिकारियों की हमारे कक्ष में बैठक बुला लें।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, आप बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

सभी दलीय नेताओं, नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हमारे कक्ष में ही बैठक बुला लें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आज ही बैठक बुलाइये। शहरों के लोग भी पानी पीते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज कब सत्र के बाद। ठीक है, चलिये सत्र के बाद बैठक बुला ली जाये।

प्रदेश में वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना

*5-श्री हुकुम सिंह (अनुपस्थित)-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुये वाहनों की संख्या के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा अनेकों संक्रामक रोग फैल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त प्रदूषण को रोकने/नियंत्रित करने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

(1) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों जैसे कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, गजरौला आदि में परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण कराया जा रहा है। जिसके आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन प्रमुख शहरों में परिवेशीय वायु गुणता के प्रमुख प्रचालक टोस निलम्बित कण (एस0पी0एम0) तथा रैसीपरेबिल टोस

निलम्बित कण (आर0एस0पी0एम0) की मात्रा वर्ष 2007 हेतु औसतमान निर्धारित मानकों से अधिक है, जबकि सल्फरडाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइड का औसतमान मानकों के अनुरूप है।

(2) प्रदेश के महानगरों लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में वाहनों से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना बनायी गयी है जिसके प्रमुख बिन्दु क्रमशः सी0एन0जी0 ईंधन पर आधारित वाहनों का संचालन लो सल्फर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति 2-टी आयल की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध, आटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था, पुराने व्यावसायिक वाहनों के शहर सीमा में संचालित होने पर रोक लगाया जाना, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं फ्लाई ओवर इत्यादि का निर्माण कराया जाना प्रमुख है।

इस कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में अप्रैल, 2006 से सी0एन0जी0 गैस की आपूर्ति प्रारम्भ हो चुकी है तथा आटो एवं फोर व्हीलर छोटे वाहनों में सी0एन0जी0 गैस भरने की सुविधा उपलब्ध है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के अन्तर्गत इन शहरों में सी0एन0जी0 बसों का संचालन भी प्रारम्भ हो चुका है। उक्त के अतिरिक्त लो सल्फर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति तथा 2-टी आयल की खुली बिक्री को प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(3) लागू नहीं।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की प्रश्न संख्या-5 पर रुचि है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया इसमें इन्होंने केवल चिन्ता की है तीन शहरों की लखनऊ, कानपुर और आगरा की। इसमें वाहनों से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना बनायी है। इस कार्य योजना के अनुरूप इन तीन जगहों पर सी0एन0जी0 गैस से वाहन यहां पर चलायेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विधान सभा के अन्दर हर जिले से हर जगह से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और उन-उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण है। इस बात को आप कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है या नहीं है, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पायेगा कि सर्वव्यापी है प्रदूषण सर्वव्यापी है और उस सर्वव्यापी प्रदूषण को दूर करने के लिए आपने चिन्ता की है, केवल सी0एन0जी0 सप्लाई के वाहन को चलाने के लिए। किसी साधन का आपने कोई उत्तर नहीं दिया है कि मैं इस तरह से कराऊंगा। मेरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी इन तीन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में जहां वायु प्रदूषण है, उस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या योजना है ? दूसरा मेरा यह सवाल है कि आपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि वर्ष 2007 हेतु औसतन निर्धारित मानकों से अधिक है, जबकि सल्फरडाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइड का औसतमान मानकों के अनुरूप है तो मेरा प्रश्न

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की रुचि पर लिया गया।

यह है कि जो वायु प्रदूषण में आवेषक तत्व हैं, उन तत्वों को नष्ट करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा तरीका अपनायेंगे ? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल सरकार ने सड़क बनायी, पहले एक लेन की फिर दो लेन की सड़कें बनायीं और जिस कांट्रेक्टर से सड़क बनवायी उससे एग्रीमेन्ट कराया कि पांच वर्ष तक सड़क की देखभाल करेंगे और सड़क के किनारे वृक्ष लगवायेंगे और उन वृक्षों को, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जब वृक्ष तैयार हो जायें पांच साल के अन्दर जब वह पूरा आकार ग्रहण कर लें, इसका भी एग्रीमेन्ट किया। तो मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी नगर निगम विभाग के अन्तर्गत लखनऊ में जितनी सड़कें हैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा कि वह ग्रीन बैल्ट है, एक पौधा नहीं है, मैं पूछना चाहूंगा कि लखनऊ के अन्दर जो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं पेड़ काटे गये जो वायु प्रदूषण दूर करते थे। आपकी कोई योजना है या जो सड़क बनवा रहे हैं, तो उत्तराखण्ड सरकार की तरीके से आप भी उन कान्ट्रेक्टर्स को जो सड़क बनाते हैं उनसे यह एग्रीमेन्ट करेंगे कि पांच साल तक सड़क, सड़क की बात मैं नहीं करता कि सड़क को मेनटेन करेंगे बल्कि जो वृक्ष लगायेंगे किनारे-किनारे उन वृक्षों की पांच साल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जो नगर निगम के अन्तर्गत या जो सड़क चौड़ी कर रहे हैं और रास्ते में कोई पेड़ आ गया तो उसे उखाड़ दे रहे हैं तो सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं कि वहां पर आप ठेकेदारों के माध्यम से किनारे-किनारे पेड़ लगवायेंगे और पांच साल तक उनकी रखवाली करायेंगे ? क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था पर आप विचार करेंगे ? ताकि प्रदूषण रुके।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि जब पेड़ लगवाने लगते हैं तब भी इनको आपत्ति हो जाती है कहते हैं कि क्यों पेड़ लगवा रहे हैं और जहां तक वृक्षों का प्रश्न है। यह शायद अभी शनिवार को माननीय वन मंत्री जी ने बताया, गिनीज बुक आफ रिकार्ड में नाम भी आ गया है और जहां तक शहरी क्षेत्र में वृक्षों के लगाये जाने का प्रश्न है चूंकि कई पेड़ों के बारे में हम लोगों ने सर्वे करा लिया है और जानकारी मिली है कि ये-ये पेड़ कार्बन डाई आक्साईड और नाईट्रोजन आक्साइड को आब्जर्व करने की काफी क्षमता रखते हैं लिहाजा इन पेड़ों को भी काफी संख्या में हमारे माननीय वन मंत्री जी आपके शहरी क्षेत्रों में भी लगवा रहे हैं, जगह-जगह आप देख भी रहे हैं कि वन विभाग की बड़ी-बड़ी जालियां आपको शहर में दिखाई पड़ रही हैं और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह जो प्रदूषण शब्द है वास्तव में सामान्य जन के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हम सभी लोग इस मुद्दे पर गम्भीर नहीं हुए तो आने वाले समय में यह हमारे लिये काफी भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, जैसे अभी माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता जाहिर की कि आपने खाली लखनऊ, कानपुर के बारे में बात किया तो मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि समस्त जनपद जितने भी उत्तर

प्रदेश के जनपद हैं जहां भी वायु प्रदूषण हो रहा है, पहले मानक तो यह देखा जा रहा है कि किन-किन शहरों में वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सन् 2007 में जहां-जहां सी0एन0जी0 गैस सप्लाई हो गई है जहां-जहां पर वाहन सी0एन0जी0 गैस के चलने लगे हैं, काफी प्रदूषण में कमी आई है। अभी बरेली जनपद में भी सी0एन0जी0 की सप्लाई शुरू हो गई है, वहां भी प्रदूषण में गिरावट आ रही है। माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सी0एन0जी0 के अलावा भी जो भी जिन भी जिलों में चूंकि वाहन के बारे में यह सब निर्णय केन्द्र सरकार के द्वारा लिये जाने है जैसे यूरो-3 के वाहन आपके कानपुर में चलने लगे हैं, यूरो-3 के वाहन आपके आगरा में चलने लगे हैं, लखनऊ में यूरो-2 चल रहा है। इन वाहनों के चलने से आज हमारे सामने जो सड़कों की बात आ रही है कि सड़कों के चौड़ीकरण तो आप लखनऊ शहर में भी माननीय श्रीवास्तव जी देख रहे होंगे कि कितनी तीव्रगति से हम सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अन्य शहरों में भी क्योंकि अगर वाहन तीव्रगति से चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण में कमी आयेगी और हमारा जनजीवन भी इन बीमारियों से बचेगा।

*6-श्री राम बिशुन आजाद-

[3सरे मंगलवार के तारा0 प्र0 सं0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश सचिवालय में वेतनमान 4500-7000 संवर्ग के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण

*7-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सचिवालय में वेतनमान 4500-7000 में कौन-कौन से संवर्ग के कर्मी कार्यरत हैं ? क्या सरकार समीक्षा अधिकारियों की भांति उक्त समस्त कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रदेश सचिवालय में वेतनमान 4500-7000 में सहायक समीक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखाकार कार्यरत हैं।

जिन पदों की समकक्षता केन्द्र में उपलब्ध पदों से पायी गयी है उन्हीं पदों पर केन्द्र के समान वेतनमान अनुमन्य कराया गया है। इसी के तहत समीक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय के सहायक पद के समान वेतनमान अनुमन्य कराया गया है। समीक्षा अधिकारियों की भांति वेतनमान रु0 4500-7000 के समस्त कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण का औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड का निर्धारण

*8-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम के चयन के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? जिन गांवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम है

परन्तु भौतिक सुविधाओं से गांव वाले वंचित हैं, क्या उन गांवों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन गांवों के विकास की सरकार की अन्य क्या योजनायें हैं ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतनलाल अहिरवार)-

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना में डा0 अम्बेडकर ग्रामों के चयन में अब ग्राम सभाओं को विकास की इकाई के रूप में चयन किया जाता है।

इस योजना में ग्राम सभाओं के चयन का मापदण्ड विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 2001 की जनसंख्या है। वर्ष 2007-08 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आबादी क्रम के हिसाब से 03 बड़ी तथा 02 छोटी ग्रामसभायें चयनित की जायेगी। तदोपरान्त वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से हर वर्ष आबादी क्रम के हिसाब से 05 बड़ी तथा 05 छोटी ग्राम सभायें चयनित की जायेंगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विशम्भर निषाद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 8 में हमारी रुचि है और अभी समय भी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो 1989 में अम्बेडकर ग्राम योजना चालू की गयी थी। जो अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये थे, समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित किये गये थे या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये ग्राम चयनित किये गये थे, उन गांवों में क्या कार्य हो रहे हैं। क्या सरकार तेजी से वहां पर विकास के कार्य सुनिश्चित करायेगी ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

मान्यवर, जो समग्र ग्राम चयनित किये गये थे उनमें पूर्ववर्ती सरकार ने ग्राम लिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस योजना पर जिस पद्धति से कार्य करा रही है वह मैंने आपके सामने उत्तर के रूप में रखा है। इसमें प्रश्न यह भी किया गया था कि जिन गांवों में अनुसूचित जाति की संख्या कम है परन्तु भौतिक सुविधाओं से गांव वाले वंचित हैं, क्या उन गांवों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा ? मान्यवर, हमारा जो उत्तर है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब माननीया मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने यह संकल्प लिया है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से हर वर्ष आबादी क्रम के

तारांकित प्रश्न संख्या-8 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की रुचि पर लिया गया।

हिसाब से 5 बड़ी तथा 5 छोटी ग्राम सभायें चयनित की जायेंगी। उनको लिया जायेगा। तो उनमें अनुसूचित जाति की संख्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चालू है। जो अम्बेडकर ग्राम पिछली बार चयनित किये गये थे उनमें विकास के काम अधूरे पड़े हैं। इसी तरह से समग्र ग्रामों की स्थिति है जो चयनित किये गये थे वह अधूरे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जो नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्राम चयनित किये गये थे उनमें विकास अधूरा पड़ा है। क्या सरकार ने इन योजनाओं को बन्द कर दिया है या चालू कर रखा है। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप देख लें यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं प्रतीत होता है। जो प्रश्न है उससे सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न माननीय सदस्य पूछें उसका जवाब दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय निषाद जी, जो गांव चयनित किये गये हैं जिस वित्तीय वर्ष में चयनित किये गये होंगे उस वर्ष उनका बजट गया होगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि क्या उन पर कार्य बन्द कर दिया गया है या क्या योजना समाप्त कर दी गयी है। यह जो नक्सल प्रभावित ग्रामों के विकास की योजना थी या समग्र विकास योजना थी वह बन्द कर दी गयी है।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी विकास नियोजन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

कल मेरा बजट है, मैं सबके बारे में बताऊंगा।

*9-डा0 राधा माहन दास अग्रवाल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*10-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[4थे बुधवार के ता0 प्र0 सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में मीट पैकिंग प्लान्टों को लाइसेन्स दिया जाना

*11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (अनुपस्थित)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम क्षेत्र में कितने मीट पैकिंग प्लान्टों को लाइसेंस दिया गया है ? क्या इन मीट पैकिंग प्लान्टों को पशु काटने का भी लाइसेंस प्राप्त है ? यदि हां, तो कितने पशु रोजाना काटने का लाइसेंस है ? क्या यह सत्य है कि इन प्लान्टों में अवैध रूप से पशु काटे जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या रोक लगायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में किसी को भी मीट पैकिंग प्लान्टों का लाइसेंस नहीं दिया गया है।

जी नहीं।

नगर निगम क्षेत्र में किसी को भी मीट पैकिंग एवं पशुबध का लाइसेंस नहीं दिया गया है। नगर निगम मात्र अपने क्षेत्र में दुकानदारों को मीट बेचने का ही लाइसेंस देता है। इसके अतिरिक्त किसी को पशुबध या मीट पैकिंग का लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

इलाहाबाद में माघ मेले के अवसर पर संगम में गंगाजल को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु कार्य योजना

*12-श्री मदन भैया (अनुपस्थित)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में आगामी माघ मेला को दृष्टिगत रखते हुये संगम में गंगाजल को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

माघ मेले के अवसर पर गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त रखने के सभी प्रयास किये जाते है।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाता है ताकि मलजल के शोधन की कार्यवाही समुचित रूप से होती रहे। प्रदूषणकारी/रंगीन उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों को औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित/रंगीन उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग परिसर से बाहर न किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त गंगा नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के भी उपाय किये जाते है।

प्रश्न नहीं उठता।

*13-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[4थे बुधवार के ता0 प्र0 सं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*14-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[3रे शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति

*15-श्री आरिफ अनवर हाशमी (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? क्या सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो वर्तमान में कितने चिकित्सकों

की कमी है ? क्या सरकार सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रदेश में कुल 2113 आयुर्वेदिक चिकित्सालय है।

जी नहीं।

कुल 506 पद रिक्त है।

जी हां।

प्रश्नगत पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं। लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा लोक सभा की भांति प्रदेश में बजट समितियों का गठन

*16-चौ0 रवीन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लोक सभा की भांति उ0 प्र0 में भी बजट समितियों का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मेरा तारांकित प्रश्न संख्या-15 है, मैं आवश्यक कार्य से उस समय चला गया था अब सदन में हूं प्रश्नकाल का समय भी है आप कृपया उसको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

जब पुकारा गया तब आप नहीं थे अब प्रश्न संख्या-16 ले लिया है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, रुचि है।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले विधान सभा सत्र के दौरान मैंने बजटरी कमेटी के विषय में प्रश्न रखा था और आपकी पीठ से ही ¯ह निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई जायेगी और बजटरी कमेटी के औचित्य के विषय में चर्चा करके उसके बाद यह मामला विचाराधीन है इस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, मैं सीधे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-16 मा0 सदस्य श्री उदयभान करवरिया की रुचि पर लिया गया।

पूछना चाहता हूं कि क्या सर्वदलीय बैठक बजटरी कमेटी के सम्बन्ध में बुलायी गयी ? नम्बर दो, यदि वह कमेटी बुलायी गयी, सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी तो उस पर क्या निर्णय हुआ, यह कमेटी बुलाई कब गयी सर्वदलीय बैठक तीसरा वित्तीय भार प्रदेश पर बजटरी कमेटी के बनाये जाने पर कितना व्यय भार आ रहा है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें लगभग एक करोड़ 17 लाख 18 हजार रुपये के व्यय भार आने की सम्भावना है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसमें मेरा सीधा सा यह प्रश्न था कि आपने सीधे यह कहा था कि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी और सर्वदलीय बैठक बुला करके बजटरी कमेटी पर विचार किया जायेगा। तो यह सर्वदलीय बैठक किस तारीख में बुलाई गयी और उस पर क्या विचार हुआ, मैं सीधे यह जानना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि आप स्वयं अवगत हैं यह सदन में यह विषय बहुत पहले आया था और उस समय माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक कमेटी गठित की गयी थी और उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट पर विचार होने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि यह उचित नहीं है, यहां पर सम्भव नहीं है और उसके तीन कारण बताये गये थे।

1-प्रत्येक दिशा में केन्द्र की नकल करना आवश्यक नहीं है। केन्द्र की प्राथमिकतायें प्रदेश से भिन्न हैं प्रदेश में सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करना चाहते हैं भले ही सबका समाधान न हो पाये परन्तु उनको संतोष रहा है कि उन्होंने अपनी बात सदन में उठाई है। समितियों के गठन के बाद सदस्यगण इस अवसर से वंचित रह जायेंगे।

2-प्रदेश में बजट तैयार करने की प्रक्रिया भी केन्द्र से बिल्कुल भिन्न है। यह सम्भव ही नहीं है कि विभागों को दिशा-निर्देश मंत्री या मंत्रि-परिषद् के बजाय सदन की समिति द्वारा दिया जाये। समिति की बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति द्वारा की जायेगी। माननीय मंत्री बैठक में उपस्थित भी नहीं रहेंगे। विचार-विमर्श केवल अधिकारियों के साथ होगा। यह समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

3-महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में इन समितियों का गठन किया गया था। कुछ ही समय के पश्चात वहां इसे व्यवहारिक न मानकर समाप्त कर दी गयी।

मान्यवर, उपर्युक्त इन तीनों कारणों से उसी समय यह निर्णय ले लिया गया था कि बजटरी समिति गठित करना उचित नहीं है। इसलिए इसे पूरी तरह से इसको अस्वीकृत कर दिया गया। मान्यवर, यह मेरे पास पूरा है कि किस समय अस्वीकृत किया गया था और आज हम भी

उससे सहमत है। इसलिए इस पर मैंने यह उत्तर दिया है कि अब इस तरह से कोई गठन की प्रक्रिया नहीं है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर सर्वदलीय बैठक बहुत पहले बुलायी गयी, मैं बहुत पहले पर नहीं जाना चाहता मैं पिछले सत्र की बात पर आ रहा हूं। पिछले सत्र में आपके द्वारा यह कहा गया था माननीय मंत्री जी से यह कहा गया था कि आप पुनः सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए तब बजटरी कमेटी के विषय में निर्णय लिया जाय। मैं पहले कब बैठक हुई, कब नहीं हुई उस पर नहीं जाना चाहता मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके दिशा-निर्देश के बाद पिछले सत्र से लेकर के आज तक के बीच किस तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी और किस तारीख में इसका निर्णय लिया गया ?

मान्यवर, आपने दिशा-निर्देश दिये थे और आपके दिशा-निर्देश के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गयी सीधे यह कह दिया गया कि वित्तीय भार एक करोड़ 17 लाख रुपये आयेगा। मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े बजट में एक करोड़ सत्तरह लाख रुपया ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। अगर इसका औचित्य माननीय मंत्री जी को नहीं लगता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम बजट सत्र के दौरान बैठे हैं। आपकी पीठ से दिशा-निर्देश देने के बावजूद भी आज तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गयी यह खेद का विषय है। इसमें आपको माननीय मंत्री जी कहना चाहिए कि पहले की बात को छोड़कर इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर पुनर्विचार कर लिया जाय। बजटरी कमेटी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए आवश्यक है। मान्यवर, मैं सीधे यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख में सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी, सीधा प्रश्न मेरा यह है ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो पहले ही बता दिया गया कि इन बिन्दुओं पर बजटरी कमेटी बनाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को इन्दिरा आवास आवंटन

*17-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को इन्द्रा आवास आवंटन में 15 प्रतिशत आरक्षण लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2007-2008 में देने पर सरकार विचार कर निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित है, जिसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र को लिया गया है। शहरी क्षेत्र आच्छादित नहीं है।

श्री आलोक कुमार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इन्दिरा आवास योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्दिरा आवास योजना में नगरीय क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिये भी व्यवस्था की जायेगी ? क्या कोई ऐसी नीति बनायेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का है और यह पूरी योजना ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। शहर से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

प्रदेश में शौर्य पदक से सम्मानित डिप्टी जेलरों को आउट आफ टर्न प्रमोशन

*18-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शौर्य पदक से सम्मानित डिप्टी जेलरों को जेलर के पद पर एवं जेलर से जेल अधीक्षक के पद पर आउट आफ टर्न प्रमोशन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में शौर्य पदक से सम्मानित डिप्टी जेलरों को जेलर पद पर एवं जेलर से जेल अधीक्षक के पद पर आउट आफ टर्न प्रमोशन दिये जाने का वर्तमान में सेवा नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने डिप्टी जेलरों और जेलरों को स्वर्ण पदक मिले हैं ? क्या सरकार भविष्य में भी डिप्टी जेलरों और जेलरों को प्रमोशन देने पर विचार करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, सन् 2000 में स्वर्गीय रमाकांत तिवारी अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ को और मान्यवर वैसे नौ लोगों को मिले हैं लेकिन सेवा नियमावली में आउट आफ टर्न देने का प्राविधान नहीं है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

इस सम्बन्ध में क्या सरकार की कोई आगामी योजना है क्या सरकार इस पर विचार करने का कष्ट करेगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेवा नियमावली में क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि सरकार अपेक्षित समझे और अगर औचित्यपूर्ण पाया जाए तो ऐसा कोई संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो शौर्य पदक से सम्मानित असाधारण स्थितियों में यह करने के लिए नियमावली में कोई संशोधन करने पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैंने बता दिया कि सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। सेवा नियमावली में प्राविधान होते रहते हैं लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या शौर्य कार्यक्रम दिखाने वाले लोगों के लिए इस प्राविधान को सम्मिलित किये जाने और तद्नुसार अपनी नियमावली पर संशोधन किए जाने पर सरकार विचार करेगी। अगर विचार नहीं करेगी तो भी आप बता दें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

इस पर अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू किया जाना

*19-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रदेश में लागू की जा रही है ? क्या सरकार प्रदेश के नहरी तंत्र (राजवाहा, माइनर, गूल) के कार्यों को इस योजना में आच्छादित/सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी हां। चरणबद्ध तरीके से तृतीय चरण में प्रदेश के 31 जनपदों में 01-04-2008 से लागू होगी। शेष 39 जनपदों में पूर्व से चल रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं लेकिन जो नहरी तंत्र की बात आई उस सम्बन्ध में मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि पूरे सूबे में बहुत से बरसाती नाले और नदियां हैं उनकी जल ग्रहण की क्षमता खत्म हो चुकी है। क्या इस योजना के अन्तर्गत जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृष्णा नदी है, हिंडन नदी है आगरा की खारी नदी है, हमारे हाथरस से गुजरने वाली

करवल नदी है उसकी गहरे तक खुदाई कराके चेक डेम बनाकर के किनारे पर सघन वृक्षारोपण करके, सुझाव भी दे रहा हूं जो हमारी जमीन पर अतिक्रमण होता जा रहा है वह रुक जाएगा और दूसरा जल ग्रहण क्षमता की क्षमता बढ़ा देंगे तो जो समस्या भू-गर्भ जल स्तर गिरने की समस्या है वह सुधर जाएगी। क्या इस पर भी नरेगा के अन्तर्गत कोई कार्ययोजना बनाई गई है या बनाई जाएगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना है उसके अन्दर प्रास्पेक्टिव प्लान बनाने का जो दायित्व है वह जिला कार्यक्रम समन्वयक क्षेत्र कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायतों के ऊपर है। अधिनियम में भी प्राविधान है, मुख्यालय पर निर्देश दे दिये गये हैं माननीय सदस्य का सुझाव उपयोगी है सरकार ने निर्देश दिए थे कि जो नहरी तंत्र हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाएं। इस सन्दर्भ में निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

डा0 अनिल चौधरी-

सुझाव यह था कि बरसाती नाले या छोटी-छोटी नदिया हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए।

श्री दद्दू प्रसाद-

अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ जगह नहरी क्षेत्रों में जहां पिछले 10-15 सालों से पानी नहीं आया है, वहां पर अधिकतर नहर और रजबहे खत्म कर दिये गये हैं किसानों ने काट लिया है तो आप इस नरेगा योजना के तहत उन क्षेत्रों की नहरों को पुनः स्थापित करने के लिए निर्देश करने का कष्ट करेंगे ? कुछ जगह जहां भट्ठे की जमीन है उन्होंने नहरों के किनारे तक 10-10, 15-15 फीट मिट्टी उठा ली है, इसलिए जब कभी पानी आता है तो उनमें कटान होती रहती है क्या आप इनको नरेगा के अन्तर्गत स्थापित करने का काम करेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं अवगत करा रहा हूं कि जिला कार्यक्रम समन्वय सिंचाई विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके जो उनसे रिपोर्ट आती है तो उसमें व्यवस्था है, नरेगा से काम कराये जाने की। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्यों के ऊपर अब तक नरेगा से 17 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। मा0 सदस्य के क्षेत्र की जो समस्या है जिले की जो समस्या है जिले में कोई व्यवधान है यदि योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है, वह हमें अवगत करा देंगे तो मैं करवाने का काम करूंगा।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-19 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में मानक के अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना

*20-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सा सुविधा मानक के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू कराये जाने हेतु शासन की क्या कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में चिकित्सा सुविधा मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानक के अनुसार उपलब्ध है।

मेडिकल कालेज, झांसी में 14 विशिष्टताओं में 54 सीटों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित हैं इनमें से 04 विशिष्टताओं की 16 सीटें एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त हैं तथा शेष 10 विशिष्टताओं की 38 सीटों की मान्यता एम0सी0आई0 में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के कारण लम्बित है।

चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को वर्ष 2005-06 में अधियाचन भेजा गया था। लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुति के आधार पर प्रवक्ता के 10 पद भरे जा चुके हैं। आचार्य, सह-आचार्य के 09 पद तथा प्रवक्ता के 44 पद कुल 53 पद अभी भी रिक्त हैं। इन पदों को भरे जाने तथा एम0सी0आई0 मानक के अनुसार मेडिकल कालेज, झांसी में आचार्य के 5 तथा प्रवक्ता के 11 अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बमनजोत मुख्यालय का नाम विकास खण्ड गौरा किया जाना

1-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बमनजोत विकास खण्ड मुख्यालय ग्राम गौरा बुजर्ग में स्थित है किन्तु इस विकास खण्ड का नाम गौरा गांव से चार कि0मी0 दूरी पर स्थित ग्राम बमनजोत के नाम पर है ? क्या सरकार ब्लाक मुख्यालय का नाम विकास खण्ड गौरा करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

विकास खण्ड बमनजोत मुख्यालय का नाम विकास खण्ड गौरा किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में आई0टी0 कालेज के गेट से सामने रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की मांग

2-श्री अशोक कंसल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में आई0टी0 कालेज से निशातगंज जाने वाली रोड पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आई0टी0 कालेज के गेट से सामने रोड पर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है। नगर निगम लखनऊ द्वारा स्पीड ब्रेकर बनवाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री अशोक कंसल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव के लोनी ड्रेन में चर्म इकाइयों का दूषित जल एवं कचरा प्रवाहित होने से उत्पन्न समस्या का निराकरण

4-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पर्यावरण मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद-उन्नाव के लोनी ड्रेन में, चर्म इकाइयों का दूषित जल एवं कचरा प्रवाहित किया जाता है जिससे इस ड्रेन के किनारे बसने वाले ग्राम-चांदपुर, दुवा नमौली, सिंघाखेड़ा मिश्री खेड़ा, अड़ेरूवा, कडौरा, जंगेथा, पड़से खुर्द व अन्य सैकड़ों ग्रामों के पशु एवं ग्रामीण अपंग हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

(अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जनपद, उन्नाव में लोनी ड्रेन के किनारे बसने वाले ग्राम-चांदपुर, दुवा नमौली, सिंघाखेड़ा, मिश्री खेड़ा अडेरूवा, कडौरा, जंगेथा पड़से खुर्द व अन्य सैकड़ों ग्रामों के पशु एवं ग्रामीण अपंग होने की सूचना सही नहीं है।

(ब) लागू नहीं।

(स) जनपद, उन्नाव में लोनी ड्रेन में चमड़ा उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किया जाता है। चमड़ा उद्योगों के उत्पादन प्रक्रिया से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु संयुक्त परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण प्रोजेक्ट स्थापित है। ग्राम-चांदपुर, दुवा नमौली, सिंघाखेड़ा, मिश्री खेड़ा, अडेरूवा, कडौरा, जंगेथा पड़से खुर्द व अन्य सैकड़ों ग्रामों के पशु एवं ग्रामीणों के अपंग होने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने पत्र संख्या वि0स0प्र0/प्रश्न संख्या-04/07-08 दिनांक

5-11-07 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीणों के अपंग होने का कोई केस पंजीकृत नहीं है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव द्वारा भी अपने पत्रांक विधान सभा 2007/08 दिनांक 15-2-08 के माध्यम से सूचित किया है कि निरीक्षण के समय दूषित जल के कारण ग्रामीणों के पशुओं के अपंग होने का कोई केस नहीं पाया गया है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम सरौसी से अर्जुनामऊ तक स्वीकृत पक्की सड़क का निर्माण मानक के विपरीत करवाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

5-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम सरौसी से अर्जुनामऊ तक स्वीकृत पक्की सड़क का निर्माण ग्राम नदौहा तक ही किया गया है जिसका भौतिक सत्यापन/निरीक्षण भी माह जून, 2007 में किया गया था ? यदि हां, तो मानक के विपरीत व चयनित स्थान के अतिरिक्त सड़क बनाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही करते हुए क्या सरकार अर्जुनामऊ तक सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी नहीं।

ग्राम सरौती से मोहम्मदपुर तक स्वीकृत मार्ग का निर्माण ग्राम नदौहा के आगे मोहम्मदपुर तक किया गया है।

जी हां।

सड़क का निर्माण चयनित स्थान पर ही कराया गया है। सड़क निर्माण की जांच टास्क फोर्स द्वारा कराया गया। टास्क फोर्स से प्राप्त जांचाख्या का परीक्षण कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। ग्राम सिरौती से अर्जुनामऊ तक स्वीकृत अन्य मार्ग पर अनुबन्ध के अनुसार कार्य 21-6-08 तक पूर्ण किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत कुल पशु वध स्थलों का विवरण

6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत कुल पशु वध स्थलों का विवरण क्या है ? पशु वध हेतु कितने लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं तथा नगर निगम को इनसे कितनी आय प्राप्त होती है ? पशु वध से निकलने वाले मल मूत्र, मांस, खून, कचरे आदि अपशिष्टों के निस्तारण हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कार्यरत मात्र एक पशुवधशाला मुहल्ला-खूनीपुर में स्थित है। जिसमें छोटे जानवरों (बकरों/भेड़) का वध होता है।

पशुवध हेतु वर्ष 2007-08 के लिये कुल 68 लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं। नगर निगम को इनसे लाइसेन्स के मद में 340/-रुपये तथा स्लाटरिंग के मद में लगभग रु0 9000/-वार्षिक आय होती है।

पशुवध से निकलने वाले अपशिष्टों के निस्तारण हेतु 02 सफाई श्रमिक एवं एक भिस्ती की धुलाई हेतु तैनात है जो प्रतिदिन वधशाला के सफाई/धुलाई के उपरान्त बचे हुए अवशेषों को निस्तारण स्थल पर अन्तिम रूप से निस्तारित करते हैं।

जनपद उरई के आटा थाना क्षेत्र के भदरेखी गांव के किसान की जमीन को बंधक कराकर फर्जी ऋण प्राप्त करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

7-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद उरई के आटा थाना क्षेत्र के भदरेखी गांव के एक किसान की जमीन को बाबई की बैंक में बंधक कराकर उसके नाम से लगभग दो लाख रुपये का फर्जी ऋण प्राप्त कर लिया गया जिसे चुकता किये जाने की नोटिस मिलने पर जमुना दास अहिरवार पुत्र दसई द्वारा रस्सी का फंदा डालकर दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 को आत्महत्या कर ली गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुःखद घटना की प्राथमिकी दर्ज कर फर्जी कार्यवाही द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेगी व मृतक के परिजनों को आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां। ग्राम भदरेखी थाना-आटा जनपद-जालौन के श्री जमुनादास अहिरवार पुत्र दसई नि0-ग्राम भदरेखी के नाम से मु0 रु0 1,80,000/-जनपद-जालौन के इलाहाबाद बैंक की शाखा बाबई से फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत कराने तथा उपरोक्त जमुनादास द्वारा दिनांक 29/30-12-2007 को रात्रि में गले में साफी से फंदा डालकर आत्महत्या कर लेने का प्रकरण प्रकाश में आया है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना-चुर्खी, जनपद जालौन में मु0अ0सं0-1/08 धारा-420/467/468/306 भा0दं0वि0 व 3 (I) 10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का अभियोग दिनांक 02-01-2008 को मृतक जमुनादास की पत्नी श्रीमती रजुलिया द्वारा अभियुक्त शेर सिंह आदि चार व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। नामजद अभियुक्त शेर सिंह बैंक प्रबन्धक, बाबई व वीरेन्द्र सिंह पुत्र बृजलाल नि0-रिछारा, थाना-चुर्खी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेर सिंह, शाखा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया है। मृतक के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

मृतक के परिजनों को रेडक्रास संस्था से मु0 रु0 15,000/-तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मु0 रु0 20,000/-की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा गोरखपुर नगर निगम को दिये गये अनुदान द्वारा गोरखपुर में लाल डिग्गी पार्क के जीर्णोद्धार कार्यों को पूर्ण कराये जाने व उसके गुणवत्ता की जांच

8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 11 सितम्बर, 2005 को गोरखपुर नगर निगम को रुपये 140.50 लाख के दिये गये ब्याज रहित अनुदान के द्वारा गोरखपुर में लाल डिग्गी पार्क के जीर्णोद्धार कार्यों को शीघ्र पूरा कराये जाने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सन्दर्भ में क्या शासन ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री नकुल दुबे-

लाल डिग्गी पार्क के सौन्दर्यीकरण/सुधार हेतु शासन द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को रु0 140.53 लाख शासनादेश संख्या-यू0ओ0 360/नौ-9-06-30 नियम दिनांक 11-9-2006 द्वारा रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक मानक के अनुसार कराये जा रहे हैं।

जनपद सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ के पेपर मिलों व चीनी मिलों का दूषित पानी कृष्णा /हिन्डन नदी में डाले जाने से उत्पन्न समस्या की रोकथाम

9-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के पेपर मिलों व चीनी मिलों का दूषित पानी कृष्णा/हिन्डन नदी में डाले जाने से नदियों का पानी विषैला होने के कारण जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद के पशु व नागरिक प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी रोक हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

हिण्डन एवं कृष्णा नदी में क्षेत्र की पेपर एवं चीनी इकाइयों का उत्प्रवाह शुद्धिकरण के उपरान्त निस्तारित होता है। इसके अतिरिक्त हिण्डन नदी में सहारनपुर, गाजियाबाद का घरेलू जल मल आंशिक शुद्धिकरण के उपरान्त निस्तारित होता है।

जी हां।

हिण्डन एवं कृष्णा नदी के क्षेत्र में स्थिति समस्त चीनी एवं एग्रो आधारित पेपर उद्योगों में प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाये गये चार्टर ऑन कारपोरेट रिस्पान्सिबिलिटी के प्राविधानों का अनुपालन कराया जाता है।

हिण्डन नदी के क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर नगर एवं मेरठ क्षेत्र की कुल 05 चीनी इकाइयां एवं 03 पेपर उद्योग (02 एग्रो आधारित एवं 01 वेस्ट पेपर आधारित) हैं। समस्त चीनी एवं पेपर उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त 01 एग्रो आधारित उद्योग में

केमिकल रिकवरी संयंत्र स्थापित है तथा शेष 01 एग्रो आधारित पेपर में लिगनिन रिकवरी संयंत्र स्थापित है।

कृष्णा नदी के क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ क्षेत्र की कुल 04 चीनी इकाइयां एवं 03 एग्रो आधारित पेपर उद्योग है। समस्त चीनी एवं पेपर उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त समस्त एग्रो आधारित उद्योग में लिगनिन रिकवरी संयंत्र स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

खाता आयुर्वेद यूनानी निर्माणशाला, लखनऊ के कर्मियों का वेतन बैंक से श्रम विभाग द्वारा निकाले जाने का मामला

10-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद बैंक, टुरियागंज, लखनऊ से खाता आयुर्वेद यूनानी निर्माणशाला लखनऊ के कर्मियों का वेतन संख्या-127 से धनराशि 72127/-रु0 वर्ष 2007 में श्रम विभाग द्वारा निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त धनराशि की व्यवस्था विभाग द्वारा करके प्रभावित कर्मियों को तत्काल वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वसूली अधिकारी/कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर द्वारा ई0एस0आई0 अंशदान की वसूली हेतु रु0 72,129/की धनराशि वेतन खाता संख्या 127 से दिनांक 5-3-2007 को आहरित कर ली गयी है।

लागू कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-1-98 से दिनांक 3-2-2007 तक श्रमिक/कर्मचारी अंशदान जमा न होने के कारण वसूली अधिकारी/कर्मचारी राज्य बीमा निगम कानपुर द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के वेतन खाता से धनराशि आहरित की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री लालजी यादव-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के टिकैतराय सचिवालय कालोनी में पानी की समस्या

12-श्री संजय कपूर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के टिकैतराय सचिवालय कालोनी फेज-3 में विगत सितम्बर, 2007 से दोपहर में पानी की सप्लाई बन्द कर दी गयी है जिससे कालोनी के निवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः दोपहर में पानी की सप्लाई चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, परन्तु प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल जलापूर्ति किये जाने से पानी की किल्लत नहीं है।

टिकैतराय सचिवालय कालोनी फेज-3 में 1500 किलोलीटर क्षमता के ओवर हेड टैंक को प्रतिदिन 03 नलकूपों से भरा जाता है, जिसमें से दो नलकूपों का डिस्चार्ज काफी कम हो जाने के कारण दोपहर को जलापूर्ति नहीं हो रही है। इन नलकूपों की रिबोरिंग होने के उपरान्त पुनः दोपहर की जलापूर्ति की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-124/07 की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्रवाई

13-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-124/07 की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराये जाने हेतु मा0 राज्य मंत्री पर्यटन का पत्र 240/वी0आई0पी0/रा0मं0 स्वतंत्र प्रभार, पर्यटन/2007, दिनांक 18-7-07 प्रमुख सचिव/सचिव (रे0) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की आख्या के दृष्टिगत मु0अ0सं0-124/07 की विवेचना किसी अन्य एजेन्सी को सौंपे जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत पट्टी के मार्गों, विद्युत व्यवस्था, नाला निर्माण एवं सड़कों के नवीनीकरण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-3/404190, दिनांक 8-10-2007 जो नगर पंचायत पट्टी के मार्गों, विद्युत व्यवस्था, नाला निर्माण एवं सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र 1634/एल0बी0सी0-07, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के क्रम में प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्तमान में नागर स्थानीय निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत भी प्रश्नगत निकाय चयनित नहीं है। अतएव धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ रोड स्थित पशु वधशाला के आसपास अवैध रूप से चर्बी एवं हड्डी पकाने की भट्ठियां बन्द कराने की मांग

15-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ रोड स्थित पशु वधशाला के आस-पास चर्बी एवं हड्डी पकाने की भट्ठियां चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इनका लाइसेन्स नगर निगम द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष में कितने समय के लिये एवं किस ठेकेदार को ? यदि नहीं, तो क्या भट्ठियां अवैध रूप से चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें बन्द कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

नगर निगम, मेरठ के अन्तर्गत अवैध रूप से चलाई जा रही भट्ठियों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा वैधानिक कार्यवाही हेतु लिसाड़ी गेट थाने में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण रूल्स 1983 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

मेरठ स्थित पशुवधशाला की अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट व उस पर कृत कार्यवाही

16-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम के महापौर द्वारा मेरठ स्थित पशु वधशाला की अनियमितताओं की जांच हेतु पार्षदों की 5 सदस्यीय समिति वर्ष 2007 में बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा महापौर को कोई रिपोर्ट दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मेरठ नगर निगम के महापौर द्वारा नगर निगम के स्वामित्व वाली हापुड़ रोड स्थित पशु वधशाला की अनियमितताओं की जांच हेतु 04 पार्षदों व 01 नगर स्वास्थ्य अधिकारी कुल 05 सदस्यीय समिति वर्ष 2007 में बनायी गयी थी।

जी हां।

समिति द्वारा की गयी जांच में नगर निगम, मेरठ की हापुड़ स्थित पशु वधशाला में विगत चार माह से आय मद में लगभग तेरह करोड़ रुपये से अधिक की नगर निगम, मेरठ को राजस्व हानि पहुंचाने, नगर निगम के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई सार्थक प्रयास न करने, अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध भू-माफिया के रूप में कोई एफ0आई0आर दर्ज न कराने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-10174/06 में पारित आदेश दिनांक 07-12-2006 का उल्लंघन करने आदि अनियमितताओं के लिये नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को उत्तरदायी पाया गया है।

यद्यपि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-95 के अन्तर्गत समिति बनाने का अधिकार सदन को है और मा0 महापौर को स्वतंत्र रूप से कोई समिति बनाने का अधिकार नहीं है, फिर भी मा0 महापौर द्वारा हापुड़ रोड स्थित नगर निगम, मेरठ की पशु वधशाला में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित पार्षदों की समिति की जांच रिपोर्ट को मण्डलायुक्त, मेरठ को नियमानुसार जांच कर आख्या शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधान मंत्री, भारत सरकार की मेरठ के ककरखेड़ा क्षेत्र में सरधना चौराहे पर प्रतिमा लगाने सम्बन्धी पत्र

17-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-165754/2007, दिनांक 25-7-2007 जो कंकरखेड़ा क्षेत्र में सरधना चौराहे पर माननीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधान मंत्री, भारत सरकार की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव संस्कृति को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मा0 चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-सीएम-279/चार-07-34(एस)/07 दिनांक 30 अगस्त, 2007 द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ से संस्तुति आख्या मांगी गयी थी जो अप्राप्त है। वॉछित संस्तुति आख्या हेतु दिनांक 31-01-2008 को पुनः स्मरण पत्र भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

18-श्री लालजी यादव-

[4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 के नगर निकायों में कर्मचारियों की भर्ती में पूर्व से कार्यरत संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी अनु0 जाति के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की योजना

19-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के नगर निकायों में विभिन्न पदों पर संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि उ0 प्र0 के नगर निकायों में बैकलाग की भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त पदों पर भर्ती में पूर्व से कार्यरत संविदा एवं दैनिक भोगी अनु0 जाति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दिये जाने की कोई योजना है ?

श्री नकुल दुबे-

जी, हां।

जी, हां।

जी, नहीं।

जनपद मेरठ के नगर पालिका परिषद् सरधना में करोड़ों रुपये के घोटाले में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

20-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2007 जो नगर पालिका परिषद् सरधना जनपद मेरठ में करोड़ों रुपये के घोटाले में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांच आख्या 56/एस0टी0स0/2007 पर जांच रिपोर्ट दि0 22-8-07 के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नकुल दुबे-

जी, नहीं। अपितु मा0 सदस्य विधान सभा का तद्विषयक पत्र दि0 28-9-2007 प्राप्त हुआ है।

जिला स्तर पर श्री राजपाल, पत्रकार पूर्व सभासद, नगर पालिका परिषद् सरधना के शिकायती-पत्र दि0 13-6-2007 व 22-6-2007 प्राप्त हुए थे। जिसमें नगर पालिका परिषद्, सरधना के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई थी उन शिकायती पत्रों की जांच जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा उपजिलाधिकारी सरधना से कराई गई। उपजिलाधिकारी, सरधना की जांच आख्या दि0 22-8-2007 में पायी गई अनियमितताओं के लिए श्री रविन्द्र कुमार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, सरधना को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की

संस्तुति जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-1135/एल0बी0सी0/21-2007-08/जांच सरधना/दिनांक 23-10-2007 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ से की गई थी। तदक्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के आदेश सं0-2/4707/183/अ0अ0/03, दिनांक 17-12-2007 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सरधना जनपद मेरठ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त एक निर्माण कार्य का संशोधित आगणन/निविदा धनराशि से अधिक किये गये कार्य का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को न किये जाने के आदेश अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ द्वारा दि0 02-11-07 को नगर पालिका परिषद्, सरधना को दे दिये गये हैं।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र अयोध्या में समग्र विकास योजना हेतु चयनित ग्रामों का विकास

21-श्री लल्लू सिंह-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अयोध्या जनपद फैजाबाद में वर्ष 2007-08 में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया गया ? क्या चयनित समस्त ग्रामों का सम्पूर्ण विकास कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विकास कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब राजस्व ग्रामों के स्थान पर ग्राम सभाओं को विकास की इकाई के रूप मे चयनित किये जाने की व्यवस्था है। विधान सभा क्षेत्र अयोध्या जनपद फैजाबाद में वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 05 ग्राम सभाओं का चयन किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-जलालुद्दीननगर (जलालुद्दीनगर उपरहार, जलालुद्दीननगर मांझा)

2-मड़ना उपरहार (मड़ना उपरहार, गड़ना मांझा)

3-पहाड़गंज

4-जगदीशपुर (अरवल)

5-रहीमपुर दुगवा

जी नहीं।

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में चयनित ग्राम सभाओं में संचालित विकास कार्यों/कार्यक्रमों को मार्च, 2008 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

नगरपालिका फैजाबाद एवं अयोध्या में मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति

22-श्री लल्लू सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के नगर पालिकाओं में एक नगर पालिका में जनसंख्या के आधार पर कितने सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाने का मानक निर्धारित है ? क्या नगर पालिका फैजाबाद एवं अयोध्या में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नगरपालिका फैजाबाद एवं अयोध्या में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ मैनुअल-1932 के अनुसार एक नगर पालिका में 10,000 की जनसंख्या पर 28 कर्मचारी रखे जाने का प्राविधान है।

जी नहीं। नगरपालिका परिषद् फैजाबाद में 301 तथा नगरपालिका परिषद्, अयोध्या में 113 कर्मचारी कार्यरत हैं।

नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये नयी नियुक्तियां न कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संविदा पर/निजीकरण के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र अयोध्या के विकास खण्ड पूरा में हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

23-श्री लल्लू सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अयोध्या जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड पूरा में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प 31-12-07 को पम्प खराब पड़े हैं ? इन खराब हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प रि-बोर एवं कितने मरम्मत कराने योग्य हैं ? क्या सरकार इन खराब हैण्डपम्पों को समयबद्ध सीमा में ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

दिनांक 31-12-2007 तक जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड पूरा में 80 हैण्डपम्प खराब थे।

56 हैण्डपम्प रिबोर तथा 24 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य हैं।

जी हां।

हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा। मरम्मत योग्य 24 हैण्डपम्प ग्राम पंचायत द्वारा ठीक कराये जा रहे हैं।

उ0 प्र0 के नगरों में जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने की योजना

24-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के किन-किन नगरों में जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में सीवर लाइन बिछाने की योजना है और उनका बजट क्रमशः कितना-कितना है ?

श्री नकुल दुबे-

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में उ0 प्र0 के कानपुर, लखनऊ एवं आगरा नगरों में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2007-08 में उक्त कार्यक्रम की योजनाओं का वित्तीय विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ में)

शहर का नाम	कुल लागत	केन्द्रांश 50 प्रतिशत के विरुद्ध प्राप्त	राज्यांश 20 प्रतिशत के विरुद्ध प्राप्त	योग
1-लखनऊ	236.23	29.5287	11.8115	41.3402
2-कानपुर	190.8800	9.5411	--	--
3-आगरा	21.6200	2.7025	1.0810	3.7835

कानपुर सीवरेज योजना के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि स्वीकृत।

25-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राज्य सरकार द्वारा व्यक्तियों को गनर की सुविधा प्रदान किया जाना

26-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में फरवरी/मार्च, 2007 में दाखिल हलफनामा के अनुसार कितने व्यक्तियों को गनर की सुविधा तथा कितनों को एक्स/वाई/जेड आदि श्रेणी की सुविधा दी गयी है ? क्या सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

कु0 मायावती-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में फरवरी/मार्च, 2007 में व्यक्तियों को गनर की सुविधा एवं श्रेणी सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद कार्यालय परिसर में जीर्ण-शीर्ण पड़े कर्मचारी आवास की मरम्मत

27-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद कार्यालय परिसर में कर्मचारी आवास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन आवासों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां। आवासों की मरम्मत का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शहीद मेजर अमित राठी की प्रतिमा लगाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

28-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या 23-7-2007 कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0 को0/एम0-165526/2007 जो शहीद मेजर अमित राठी की प्रतिमा लगाने के विषय में है, प्रमुख सचिव, संस्कृति को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती

जी हां।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत शहीदों की मूर्तियां स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई नीति/नियमावली नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र अयोध्या जनपद, फैजाबाद के विकास खण्ड मया में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

29-श्री लल्लू सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अयोध्या जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब हैं तथा इनमें से कितने रि-बोर एवं मरम्मत कराने योग्य हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को समयबद्ध तरीके से ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-फैजाबाद के विकास खण्ड-मया में कुल 56 हैण्डपम्प खराब हैं। इनमें से कुल 39 हैण्डपम्प रिबोर योग्य एवं 17 हैण्डपम्प मरम्मत कराने योग्य है।

जी हां।

धनराशि की उपलब्धता के अनुसार स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य किया जायेगा।

मरम्मत योग्य 17 हैण्डपम्प ग्राम पंचायत द्वारा ठीक कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर स्थित बन्द पड़े तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने की नीति

30-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर स्थित तारामण्डल बन्द पड़ा है यदि हां, तो क्यों ? क्या तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ कराये जाने हेतु शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

तारामण्डल के वातानुकूलित प्लान्ट में आयी तकनीकी खराबी के कारण दिनांक 26-04-06 से तारामण्डल का संचालन बन्द हो गया है।

जी हां।

तारामण्डल के पुनर्संचालन के सम्बन्ध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11-03-2008 को आहूत की गयी है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पुनर्संचालन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विपरीत गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सुमेर सागर पोखरे को पाटने का मामला

31-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सुमेर सागर पोखरे को पाट दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, गोरखपुर के क्षेत्र में स्थित सुमेर सागर पोखरा नगर निगम, गोरखपुर की सम्पत्ति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चयनित मार्गों का नवनिर्माण, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये कौन से मार्ग नवनिर्माण एवं चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु चयनित किये गये हैं और उसका आधार क्या है ? उक्त चयनित मार्गों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र हेतु वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 के लिये मार्ग निर्माण के प्रस्ताव बनाये जाने हेतु भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2006-2007 के लिये स्वीकृत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत कौन से मार्गों पर अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है ? उक्त स्वीकृत मार्गों का कार्य कब तक शुरू करके पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा हेतु वर्ष 2006-07 में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायक निधि से गरीबों के शौचालय निर्माण के लिए गरीबों को अंशदान देने की योजना

34-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायक निधि से गरीबों के शौचालय निर्माण के लिये गरीबों को अंशदान देने की योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत प्रकरण नीति विषयक है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से गरीबों को शौचालय निर्माण के लिए अंशदान देने की योजना पर सम्यक विचारोपरान्त औचित्य पाये जाने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के विकास खण्ड डोभी चन्दवक के ग्राम कछबन्ध को अम्बेडकर ग्राम घोषित किया जाना

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के विकास खण्ड डोभी चन्दवक के ग्राम कछवन्ध को क्या अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव को अनुमन्य समस्त सुविधाएं कब तक पूर्ण उपलब्ध करा दी जाएंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अम्बेडकर ग्रामों के चयन हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत न आने के कारण जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के विकास खण्ड डोभी चन्दवक के ग्राम कछबन्ध को डा0 अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन नहीं किया गया है।

प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 2007-08 में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 2008 जनवरी माह तक था और इस संदर्भ में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? क्या मा0 मंत्री जी इस योजना की प्रगति के लिये कोई कार्य योजना बनायेंगे ? यदि हां तो क्या तथा इसको कब से लागू करेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में माह जनवरी, 2008 तक 2846 कि0मी0 सड़कों के निर्माण द्वारा 1154 बसावटों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो वार्षिक लक्ष्य का क्रमशः 52.92 प्रतिशत तथा 45.50 प्रतिशत है। जनवरी माह तक 2250.61 कि0मी0 सड़कों के निर्माण तथा उक्त निर्माण द्वारा 1118 बसावटों को सर्वऋतु मार्गों से जोड़े जाने का कार्य किया जा चुका है।

जी हां।

योजना की प्रगति में सुधार लाये जाने हेतु कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है :-

1-प्रत्येक जनपद/कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई वार सड़क निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न चरणों की प्रगति हेतु साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारण तथा उसके सापेक्ष क्रियान्वयन किया जाना।

2-योजना की नियमित समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर तथा साप्ताहिक समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर पर निर्धारित। जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा साप्ताहिक तथा मण्डलायुक्तों द्वारा पाक्षिक रूप से योजना का अनुश्रवण किया जाना।

3-कार्य पूर्ण करने में अपेक्षित रुचि प्रदर्शित न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार उचित दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना।

4-केन्द्रीकृत निविदा आमंत्रण तथा निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन की केन्द्रीकृत व्यवस्था का कार्य सम्पादन में शीघ्रता के दृष्टिकोण से कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जाना।

6-कार्यदायी संस्थाओं की सीमित संख्याओं के कारण प्रगति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अन्य संस्थाओं को अनुबन्धित करने का निर्णय लिया जाना।

उक्त समस्त निर्णयों का वर्तमान में अनुपालन किया जा रहा है।

प्रदेश में पूर्व विधायकों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीति

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व विधायकों की सुरक्षा के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्व विधायकों को 10 प्रतिशत धन लेकर एक गनर देने का प्राविधान किया गया था ? क्या उक्त प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मा0 मुख्य मंत्री जी प्रदेश के पूर्व विधायकों को जनहित में 10 प्रतिशत धन लेकर सुरक्षा हेतु एक-एक गनर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

शासनादेश संख्या-1773/6-पु-2-2001-700(1)/2001, दिनांक 25-4-2001 सपठित शासनादेश संख्या-1174/6-पु-2-2007-700(1)/2001 दिनांक 30-7-2007 में निहित प्राविधान के अनुसार पूर्व विधायकों को जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर 10 प्रतिशत निजी व्यय पर एक सुरक्षाकर्मी दिये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं। विशिष्ट जीवनभय पाये जाने पर उक्तानुसार सुरक्षा प्रदत्त करायी जाती है।

जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा प्रदत्त करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में सिविल लाइन्स स्थित प्रेक्षागृह का निर्माण

38-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के सिविल लाइन्स स्थित प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत प्रेक्षागृह की भूमि पर मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण कार्य बाधित है। मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश वेकेट होने के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में शस्त्र लाइसेन्स हेतु निर्धारित नयी प्रक्रिया की जानकारी

39-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में शस्त्र लाइसेन्स हेतु कोई नयी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो जनपद उन्नाव में शस्त्र लाइसेन्स हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्रों पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शस्त्र लाइसेन्सों को स्वीकृति करने का कार्य आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 1962 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है जो कि एक केन्द्रीय प्राविधान है। इसमें किसी संशोधन/परिवर्तन की कार्यवाही करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

जनपद उन्नाव में पुलिस प्रशासन द्वारा शस्त्र सत्यापन के नाम पर उत्पीड़न

40-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद उन्नाव में वर्तमान में पुलिस प्रशासन द्वारा शस्त्र सत्यापन के नाम पर की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायवती-

शस्त्र सत्यापन की कार्यवाही मात्र लाइसेन्सी शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु की जा रही है, इसमें किसी का भी उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास की स्वीकृति

41-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगाँव जनपद मैनपुरी में वर्ष 2007 में 1 जून से 1 सितम्बर तक अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये ? इनका विवरण क्या है ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2007 में 01 जून से 01 सितम्बर की अवधि में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत कोई इन्दिरा आवास स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[दिनांक 27-2-2008 के अता0प्र0सं0-52 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ में बुलाकी अड्डा से बावली पुलिस चौकी तक मोहान रोड पर अतिक्रमण हटाने की मांग

43-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बुलाकी अड्डा से बावली पुलिस चौकी तक मोहान रोड के दोनों तरफ फुटपाथों पर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। आंशिक रूप में।

जी हां।

उक्त अतिक्रमण को अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[दिनांक 27-2-2008 के अता0प्र0सं0-53 द्वारा उत्तरित]

45-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री जोखू लाल यादव, श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी व श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आतंकवादी संगठन सिमी पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही

46-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार सिमी नामक आतंकवादी संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

किसी संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2007 में पुलिस भर्ती सम्बन्धित प्रकरण पर आई0पी0एस0 व अन्य अधिकारियों का निलम्बन

47-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2007 में कितने आई0पी0एस0 व अन्य अधिकारियों को, पुलिस भर्ती से सम्बन्धित प्रकरण में निलम्बित किया है और उनको कब बहाल किया गया है ? क्या सरकार सम्पूर्ण स्थिति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

पुलिस भर्ती से सम्बन्धित प्रकरण में वर्ष 2007 में कुल 25 आई0पी0एस0 अधिकारियों तथा रेडियो शाखा के कुल 03 अधिकारियों को निलम्बित किया गया। सभी आई0पी0एस0 अधिकारियों को दिनांक 24-11-2007 को तथा रेडियो शाखा से सभी अधिकारियों को दिनांक 29-11-2007 को बहाल किया गया।

उक्त अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सम्पूर्ण स्थिति का विवरण* संलग्न है। इन अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधिक कृत्य के प्रकरणों को सी0बी0आई0 विवेचना हेतु भारत सरकार नई दिल्ली को सन्दर्भित किया गया है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 261-266 पर)

सरकार द्वारा पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 शास्त्री जी के आवास को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करके डिग्री कालेज, खोलने की मांग

48-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वाराणसी के राम नगर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के आवास को वर्तमान स्वरूप में संरक्षित करने तथा बगल के मकान को स्मारक बनाने, उनके नाम पर पक्का घाट का निर्माण कराने तथा शास्त्री डिग्री कालेज खोलने की 15 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी थी और उसके सापेक्ष धनराशि भी अवमुक्त की गयी थी, लेकिन उक्त दिशा में कोई भी कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि स्व0 शास्त्री जी का आवास धीरे-धीरे खण्डहर में तब्दील होता जा रहा है ? क्या सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 शास्त्री जी के आवास को राष्ट्रीय

स्मारक के रूप में विकसित करने, डिग्री कालेज खोलने तथा पक्का घाट के निर्माण कराने की दिशा में पूर्व योजनानुसार अथवा नयी योजना बनाकर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, शास्त्री डिग्री कालेज खोलने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए योजना बनायी गयी थी जिसके सापेक्ष कतिपय मदों में कतिपय धनराशि स्वीकृत हुई थी जिसके अन्तर्गत कुछ कार्य कराया गया है।

अत्यधिक पुराना भवन/निर्माण होने के कारण आंशिक भाग, शासन द्वारा योजना बनाने के पूर्व से ही जर्जर स्थिति में है।

''राष्ट्रीय स्मारक'' भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। डिग्री कालेज खोला जाना पूर्व योजना में सम्मिलित नहीं है। शास्त्री जी के नाम पर वरुणा तट, कचहरी के निकट पक्के घाट का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा रामनगर में नदी के किनारे पक्के घाट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत बालू भराई एवं नाली का डाइवर्जन कार्य, नाला बनाने का कार्य, टो वाल का निर्माण एवं मढ़ी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा आई0एस0आई0 एजेन्टों की देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्यवाही

49-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 में लखनऊ में कितने आई0एस0आई0 एजेन्ट पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार आई0एस0आई0 एजेन्टों की देशद्रोही गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2007 में लखनऊ में कोई आई0एस0आई0 एजेन्ट गिरफ्तार नहीं हुआ है बल्कि आई0एस0आई0 द्वारा पोषित आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी के 08, मुजाहिदीन-इस्लाम-अल-हिन्द के 02 व जैश-ए-मोहम्मद के 03 (कुल 13) आतंकवादी गिरफ्तार किये गये हैं। जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

आई0एस0आई0 एजेन्टों की देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम हेतु शासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में शासनादेश दिनांक 16-11-2007 जारी करके प्रदेश के 38 जनपदों में पूर्व से स्थापित 39 विशेष कोष्ठ इकाईयों को पुनर्संगठित कर उनके स्थान पर 17 विशेष कोष्ठ इकाइयां स्थापित की गयी हैं।

अभिसूचना विभाग की इकाईयों द्वारा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी दृष्टि रखी जा रही है तथा आतंकवादियों की विध्वंसात्मक/राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की योजनाओं की अधिसूचना प्राप्त होने पर तत्काल सभी सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है। विशेष कोष्ठ के अतिरिक्त अभिसूचना संकलन हेतु 13 नेपाल बार्डर (एन0बी0) इकाई स्थापित हैं।

संवेदनशील जनपदों में आई0एस0आई0 गतिविधियों की रोकथाम हेतु मण्डल स्तर पर षटमासिक गोष्ठी आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें मण्डलायुक्त/जोनल पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। जनपदीय स्तर की त्रैमासिक गोष्ठी में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों, संगठित अपराधिक गैगों एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध स्पेशल टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा फोर्स द्वारा भी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 16-11-2007 के शासनादेश द्वारा एक आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन भी किया गया है, साथ ही पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रमशः वाराणसी तथा मेरठ में पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की दो नई इकाइयां भी स्थापित की गयी है।

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा की निगरानी हेतु सशस्त्र सीमा बल की नियुक्ति की गयी है। उक्त सीमा पर इसकी 111 चौकियां स्थापित हैं तथा यह भारत नेपाल सीमा पर लीड इण्टेलीजेन्स एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। सशस्त्र सीमा बल को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 15 कि0मी0 क्षेत्र के भीतर तलाशी, अभिग्रहण तथा गिरफ्तारी के अधिकार भी राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम तथा आवंटित धनराशि

50-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कितने ग्राम समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयन किये गये एवं किन-किन समग्र ग्रामों को कितनी-कितनी धनराशि नाली एवं खड़न्जा हेतु ग्राम निधि में भेजी गयी ? क्या सरकार कराये गये कार्यों को भौतिक सत्यापन एवं उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2003-04 में 10 एवं वर्ष 2004-05 में 11 ग्राम समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं। उक्त चयनित ग्रामों में नाली एवं खड़न्जा हेतु ग्राम्य निधि में भेजी गयी धनराशि का विवरण संलग्न है।

कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था निर्धारित है। उक्त के सम्बन्ध में कोई शिकायत न होने के कारण उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 267 पर)

आलमबाग स्थित जनपद-लखनऊ की प्लानेट बीटी नामक संस्था द्वारा बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर की जा रही अनियमितता की जांच

51-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ की प्लानेट बाटी नामक एक संस्था जो कि इन्द्रा नगर गोयल अस्पताल के पास आलमबाग में केनरा बैंक के बगल में चल रही है, बेरोजगारों से 9 हजार रु0 लेकर नौकरी दिलाने की गारन्टी देता है परन्तु बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इस संस्था के संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद लखनऊ की प्लानेट बीटी नामक संस्था जो केनरा बैंक आलमबाग थाना मानकनगर लखनऊ में स्थित है। कम्पनी के डायरेक्टर श्री प्रवीण मिश्रा पुत्र श्री परशुराम मिश्रा निवासी 11/285 से पूछताछ करने पर बताया गया कि प्लानेट बीटी कम्पनी की फ्रेन्चाइजी है। इसी फ्रेन्चाइजी के अन्तर्गत इन्दिरा नगर व आलमबाग की ब्रांच खोली गयी है और यहां पर अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स 03 माह का एवं काल सेन्टर हेतु ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी क्रमशः 2550/- व 7000/- हजार रुपये फीस ली जाती है। आलमबाग में उक्त कार्यालय 04 माह पूर्व खुला है।

उक्त कम्पनी में प्रवीण मिश्रा के अतिरिक्त रिषभ नंदा पुत्र प्रवीण कुमार, निवासी-रामबिला 555ग/59 चाणक्यपुरी, बाराबिरवा व श्रीमती निर्मला मिश्रा पुत्री परशुराम मिश्रा निवासी एम0आई0जी 49 सेक्टर-जी अलीगंज भी पार्टनर हैं। उक्त कम्पनी प्लानेट बीटी के बारे में कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है। भविष्य में यदि कोई अनियमितता पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

52-श्री जोखू लाल यादव-

[दिनांक 20-2-2008 के अता0प्र0सं0-100 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद में दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये कब्जे को बेदखल करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

53-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद में दबंग व्यक्तियों द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल करने विषयक श्रीमती ऊषा देवी के प्रार्थना-पत्र पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्रांक-14348/एम0एस0/एम0आई0एस0सी0/07 दिनांक 6-12-2007 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या भुक्तभोगी को भूमि का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

ग्राम समाज की इस विवादित जमीन के सम्बन्ध में बोर्ड आफ रेवन्यू में मुकदमा चल रहा है। विवादित भूमि पर आवेदिका का कब्जा नहीं है। दोनों पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए थाना-माल में धारा 107/116 तथा 116(3) जा0फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है। बोर्ड आफ रेवन्यू लखनऊ के समक्ष विचाराधीन वाद के लम्बित रहने के कारण आवेदिका को कब्जा दिलाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ नगर के ठाकुरगंज स्थित मोहल्ला सरफराजगंज में मस्जिद जिन्नातों वाली तथा उससे मिले हुए कब्रिस्तान के सामने पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था किया जाना

54-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के ठाकुरगंज स्थित मोहल्ला सरफराजगंज में मस्जिद जिन्नातों वाली तथा उससे मिले हुये कब्रिस्तान के सामने कई खम्भे ऐसे हैं जिनमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कब्रिस्तान में आने वाले शवों को दफनाने में रात्रि में दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मस्जिद एवं कब्रिस्तान के सामने वाले सभी खम्भों में स्ट्रीट लाइट (मरकरी) की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सन्दर्भित स्थल पर दो पोल रिक्त थे, जिनमें से एक पोल पर 250 वाट सोडियम फिटिंग एवं एक पोल पर 40 वाट ट्यूब फिटिंग लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार संदर्भित स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त मरकरी लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में ठाकुरगंज मो0 सरफराजगंज में हरदोई रोड डैडी कूल से जिन्नातों की मस्जिद तक निर्मित सड़क के निर्माण की जांच

55-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में ठाकुरगंज मो0 सरफराजगंज, में हरदोई रोड डैडी कूल से जिन्नातों की मस्जिद तक जो सड़क अभी हाल में ही निर्मित की गई है, उसमें मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, पुराने लगे हुये खड़न्जा और उसकी पुरानी ईंटों से नाली की निर्माण कराकर मात्र एक इंच डामर डलवा कर कार्य समाप्त करा दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच टी0ए0सी0 से कराकर सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान रोककर पुनः मानक के अनुरूप निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

कार्य मानकों के अनुरूप कराया गया है, स्थल पर पहले से बिछे खड़न्जे को उखाड़ कर उसे फ्लैट सोलिंग के रूप में प्रयोग में लाये जाने का प्राविधान आगणन में पहले से ही कर लिया गया था तथा जो पुरानी ईंट उपयोग में लाई गई है उनकी कटौती का भी प्राविधान निर्धारित मानक में रखा गया था। निर्मित की गई सड़क के ऊपर डामरीकरण हेतु मात्र 02 सेमी0 (पौन इंच) मोटाई में प्रीपिक्सिंग किये जाने का मानक निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार ही स्थल पर निर्माण कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में अपूर्ण नालों का निर्माण पूर्ण करने की कार्ययोजना

56-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कौन-कौन से नालों का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? उक्त नालों का निर्माण पूर्ण कराने की कोई कार्य योजना निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर महानगर में थवई पुल पर नाले का चौड़ीकरण तथा सुमेर सागर के पास नाले का निर्माण कार्य अपूर्ण है।

वर्षा काल से पूर्व उक्त नालों का निर्माण कार्य जल निगम द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नर्सें, वार्ड ब्वायज, फार्मेसिस्ट, लैब-टैक्नीशियन तथा सफाई कर्मी की नियुक्ति का मानक व उसके सापेक्ष कार्यरत कर्मियों की संख्या

57-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नर्सें, वार्ड ब्यावज फार्मेसिस्ट, लैब-टैक्नीशियन तथा सफाई कर्मी नियुक्त करने के क्या मानक हैं तथा प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में मानक के सापेक्ष कितने-कितने कर्मी कार्यरत हैं ? पैराचिकित्सक कर्मियों की कमी दूर करने की दृष्टि से शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ?

कु0 मायावती-

एम0सी0आई0 द्वारा प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नर्सें, वार्ड ब्वायज, फार्मेसिस्ट, लैब टैक्नीशियन तथा सफाई कर्मी की नियुक्ति हेतु निम्न मानक निर्धारित किये हैं :-

पदनाम	पदों की संख्या	मानक
1-नर्सिंग सुपरीटेन्डेण्ट	01	अधिकतम 150 बेड के लिये
2-डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेण्ट	01	-तदैव-
3-असिस्टेंट नर्सिंग सुपरीटेन्डेण्ट	02	-तदैव- (प्रत्येक अतिरिक्त 50 बेड हेतु एक और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरीटेन्डेण्ट होना चाहिये।)

इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेजों में निम्नांकित वार्डों हेतु स्टाफ नर्स/सिस्टर के रखे जाने के मानक हैं :-

	स्टाफ नर्स	सिस्टर
मेडिकल वार्ड	1.3	1.25
सर्जिकल वार्ड	1.3	1.25
आर्थोपेडिक्स वार्ड	1.3	1.25
गायनोक्लोजी वार्ड	1.3	1.25
मैटरनिटी वार्ड	1.3	1.25
पीडियाट्रिक वार्ड	1.3	1.25
वार्ड व्वाय	अस्पताल की आवश्यकतानुसार	
फार्मासिस्ट	-तदैव-	
लैब टेक्नीशियन	-तदैव-	
सफाई कर्मी	-तदैव-	

राजकीय मेडिकल कालेजों में 386 स्टाफ नर्से, 293 वार्डव्वाय, 86 फार्मासिस्ट, 191 लैब टेक्नीशियन तथा 302 सफाईकर्मी कार्यरत हैं।

एम0सी0आई0 मानक के अनुसार पैरा चिकित्सक कर्मियों की कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु आन्दोलन में घायलों की जांच हेतु गठित आयोग की रिपोर्ट

58-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के अधिवक्ताओं द्वारा आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु किये जा रहे आन्दोलन के समय दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को हुये लाठी चार्ज में सैकड़ों अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी घायल हुये थे, जिसकी जांच हेतु जस्टिस गिरधर मालवीय आयोग का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी ? यदि नहीं, तो आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का निश्चित समय इंगित किया जाना सम्भव नहीं है।

59-डा0 धर्मपाल सिंह-

[4थे बुद्धवार के अता0प्र0सं0-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुसमरा को थाने के सृजन हेतु उच्चीकरण किया जाना

60-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुसमरा को उच्चीकृत कर थाने के सृजन हेतु वर्ष 2005 व 2006 में 17.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, यदि हां, तो क्या उक्त पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुसमरा को उच्चीकृत करने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्य को पूर्ण किया जाना

61-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में 31 दिसम्बर, 2007 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सभी विकास कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में 31 दिसम्बर, 2007 तक चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से मात्र 10 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग को छोड़कर योजना के अन्य सभी कार्य/कार्यक्रम पूर्ण कराये जा चुके हैं। अवशेष ग्रामों में सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

कराये गये कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत न होने के कारण जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ब्लाक पलिया व ब्लाक निघासन के ग्रामों में मार्गों का निर्माण कार्य

62-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जनपद में ब्लाक पलिया के ग्राम नौगवां से भगवन्तनगर मार्ग तथा ब्लाक निघासन के ग्राम दुभा से मुंशीगढ़ तक का मार्ग हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तर्गत कितना धन स्वीकृत किया

गया था, तथा उक्त सड़क का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पलिया में नौगवां से भगवन्त नगर तक का मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है। विकास खण्ड निघासन में ग्राम दुबहा से मुंशीगढ़ तक मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत हुआ है। जिसकी स्वीकृति लागत रु0 138.22 लाख है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त कार्य की निविदा पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के पक्ष में दिनांक 26-2-08 को अनापत्ति प्रदान किये जाने के आधार पर अनुबन्ध का गठन कराकर एक वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्य के लिये 06 निविदायें आमंत्रित करने पर भी कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम पलिया के ग्राम त्रिलोकपुर में पेयजल आपूर्ति की मांग

63-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जनपद के अन्तर्गत ग्राम पलिया के ग्राम त्रिलोकपुर में लगायी जा रही पेयजल की टंकी के अधूरे निर्माण के कारण ग्राम वासियों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो पेयजल की आपूर्ति कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत पेयजल योजना के शेष कार्य को वर्ष 2008-09 में पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति किये जाने का लक्ष्य है।

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में पेयजल संकट दूर करने हेतु टिकैत राय एल0डी0ए0 कालोनी सहादतगंज व राजाजीपुरम् लखनऊ में नये नलकूप लगाने की व्यवस्था

64-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में पेयजल संकट को दूर करने हेतु टिकैत राय एल0डी0ए0 कालोनी, फेज-1, समराही रोड सहादतगंज, सेक्टर-13 राजाजीपुरम्, लखनऊ में नये नलकूप के लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 38861.00 लाख में अन्य कार्यों के अतिरिक्त 40 नग नये एवं 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना की लागत रु0 38861.00 लाख में अपना अंश 50 प्रतिशत अर्थात रु0 19430.50 लाख के विरुद्ध 25 प्रतिशत अर्थात् रु0 4857.63 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है जिसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रु0 19430.52 लाख अवमुक्त कर दी गई है।

योजना के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ की 30 प्रतिशत अंशदान अपनी निधि से देना था परन्तु निगम द्वारा राज्य सरकार से ऋण हेतु अनुरोध किया गया है जिसके अनुसार ऋण की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये नियमित रूप से सफाई करने की कार्य योजना

65-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की गोमती नदी जो प्रदूषण के कारण नाले का स्वरूप ले रही है, की नियमित रूप से सफाई करने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र ही कोई कार्य योजना बनाकर कार्यान्वित की जायेंगी ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गोमती ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत योजनायें निर्माणाधीन है। प्रथम चरण में 6 नालों का इन्टरसेप्सन एवं डाइवर्जन कार्य तथा दौलतगंज में 42 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्मित किया गया है। द्वितीय चरण में 19 नालों का इन्टरसेप्सन एवं डाइवर्जन कार्य तथा 375 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य प्रस्तावित हैं। जिनमें अधिकांश कार्य निर्माणाधीन हैं। लखनऊ शहर को सीवर व्यवस्था से आच्छादित करने व सीवर के ट्रीटमेंट के कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। नदी की सफाई की कोई पृथक योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को चिकित्सा विधा के रूप में मान्यता दिया जाना

66-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को प्रदेश में चिकित्सा विधा के रूप में मान्यता देने के सन्दर्भ में क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महानगर गोरखपुर में जल-जमाव के निराकरण की नीति

67-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में वर्षा के दौरान जल-जमाव के निराकरण हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र के जल-जमाव निराकरण हेतु उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं और नालों का निर्माण कार्य उक्त योजना से कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समग्र विकास हेतु पैकेज स्वीकृत करने का प्रस्ताव

68-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007-08 में किन-किन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान की मांग की गयी है ? इसके सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा कितना धन अवमुक्त किया गया है ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2007-08 में प्रदेश के समग्र विकास हेतु पैकेज स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। इन प्रस्तावों में विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अभी तक प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के सापेक्ष कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

आगरा महानगर में सुचारु रूप से जलापूर्ति न होने के बावजूद जल संस्थान द्वारा जल मूल्य व जलकर वसूला जाना

69-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में जल-संस्थान द्वारा पूरे शहर में सुचारू जलापूर्ति न होने तथा ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी की लाइन पूर्ण रूप से गल चुकी हैं और जलापूर्ति बन्द होने के बावजूद जल संस्थान द्वारा जल मूल्य एवं जल कर दोनों ही वसूल किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सुचारू जल आपूर्ति होने पर ही जल मूल्य एवं जल कर लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

आगरा महानगर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पाइप लाइन पूर्ण रूप से गल चुकी है जिससे वहां की जलापूर्ति बन्द हो। कुछ क्षेत्र ऊंचाई पर होने के कारण पानी कम दबाव पर पहुंचता है, वहां कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा नई पाइप लाइन डालने एवं उनके "इण्टर कनेक्शन" का कार्य किया जा रहा है।

जहां कम दबाव पर पानी पहुंच रहा है उन क्षेत्रों में आंशिक वसूली की जा रही है। जहां पर पाइप लाइन नहीं है, वहां वसूली हेतु बिल नहीं भेजे जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सीतापुर रोड, फैजुल्लागंज वार्ड (प्रथम) में पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि

70-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजुल्लागंज वार्ड (प्रथम) मोहल्ला भरत नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ में पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण हेतु जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? प्रदेश सरकार द्वारा टंकी के निर्माण हेतु कब तक धन अवमुक्त कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना अनुमानित लागत रु0 38861.00 लाख के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा अपने अंश का 25 प्रतिशत रु0 4857.63 लाख एवं प्रदेश सरकार द्वारा समतुल्य राज्यांश रु0 1943.052 लाख अवमुक्त किया गया है। स्वीकृत योजना में भरत नगर पेयजल हेतु रु0 423.51 लाख सम्मिलित है।

योजना के अन्तर्गत नगर निगम को 30 प्रतिशत अंशदान अपने निधि से देना था परन्तु निगम द्वारा राज्य सरकार से ऋण हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके अनुसार ऋण की व्यवस्था की जा रही है। जल निगम द्वारा उच्च जलाशय की निविदा स्वीकृत कर दी गई है। स्वायल टेस्टिंग कार्य किया जा चुका है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में आडीटोरियम का निर्माण

71-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में पाँच हजार क्षमता का आडीटोरियम बनाये जाने हेतु प्रस्ताव जुलाई, 2006 से नियोजन विभाग में लम्बित पड़ा है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति नियोजन विभाग से दिलाते हुए आडीटोरियम बनवाये जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में फायर स्टेशन की स्थापना

72-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील मिश्रिख में फायर स्टेशन खोलने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो तत्काल फायर स्टेशन की स्थापना करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत स्थल पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0 में रिक्त उप निदेशक (यूनानी) के पद को उत्तराखण्ड भेजने का औचित्य

73-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के 3सरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-9 की सूचना एकत्र कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त सूचना पटल पर रखकर तत्सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश में 31-3-91 से रिक्त उप निदेशक (यूनानी) के एकमात्र पद को उत्तराखण्ड प्रेषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय में उप निदेशक (आयुर्वेद) के तीन स्वीकृत पद होने के बावजूद उप निदेशक (यूनानी) के एकमात्र स्वीकृत पद को ही उत्तराखण्ड स्थानान्तरित करने का औचित्य क्या है ? क्या उप निदेशक (यूनानी) का पद पुनः सृजित कर यूनानी चिकित्सा निदेशालय में तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

उक्त प्रश्न से सम्बन्धित एकत्रित सूचना निम्नवत् है :-

शासनादेश संख्या-1760 सेक-9/पांच-309/89, दिनांक 4 जून, 1996 द्वारा उ0प्र0 में पृथक एवं स्वतंत्र यूनानी सेवा निदेशालय की स्थापना के लिये निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0 से प्रस्ताव मांगा गया था। सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में पृथक एवं स्वतंत्र यूनानी सेवा निदेशालय जनहित में न खोलने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार शासन के पत्र संख्या-867एम/71-2-2002-309/89, दिनांक 4 अक्टूबर, 2002 द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0 को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उप निदेशक (यूनानी) का पद उत्तराखण्ड स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उ0प्र0 में उप निदेशक (यूनानी) का पद सृजित/विद्यमान है।

कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा बी0यू0एम0एस0 चतुर्थ वर्ष का रिजल्ट में पूर्णांक के आधार पर मेरिट लिस्ट में असमानता सम्बन्धी प्रकरण की जांच

74-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की चयन प्रक्रिया में कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा उत्तीर्ण बी0यू0एम0एस0 चतुर्थ वर्ष का पूर्णांक 500 था ? यदि हां, तो क्या डा0 औबेदुर्रहमान का चयन, चतुर्थ वर्ष के पूर्णांक 800 के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 142 पर होने पर कारण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या इस त्रुटि को सुधार कर पूर्णांक 500 के आधार पर मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रकरण में जांच करने के आदेश दिये गये हैं। जांच आख्या के निष्कर्ष के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

75-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद की नगर पंचायत फतेहाबाद में विकास कार्य की प्रगति की जानकारी

76-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद की नगर पंचायत फतेहाबाद जो कांशीराम नगर विकास योजना के लिये चयनित है, में विकास कार्य कब से शुरू हो जायेगा ? इसका बजट कितना है ? यहां, पेयजल की उपलब्धता के लिये सरकार क्या कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित नगर पंचायत फतेहाबाद में चालू वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा दो सड़कों का निर्माण कार्य जनवरी 2008 से शुरू करा दिया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य विभागों द्वारा अपने से सम्बन्धित कार्य कराये जा रहे हैं।

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में नगर पंचायत फतेहाबाद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 4943.35 लाख की योजना बनाई गई है।

योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत फतेहाबाद में पेयजल हेतु जल निगम द्वारा रुपये 240.00 लाख की विस्तृत कार्य योजना पानी की लाइन डालने एवं टंकी बनाने हेतु की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आगरा में सीवरेज ट्रीटमेन्ट व सीवेज की व्यवस्था

77-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट व सीवेज पम्पिंग स्टेशन कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या ये पूरे आगरा के लिये पर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार के नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यमुना कार्य योजना द्वितीय चरण में पूरे नगर की सीवरेज व सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान, फिजीबिलिटी स्टडी व डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है जिस पर यमुना कार्य योजना तृतीय चरण के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वित्त पोषण होना सम्भावित है।

इसके अतिरिक्त जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा नगर के पश्चिमी व उत्तरी जोन हेतु एक योजना अनुमानित लागत रु0 2162.00 लाख की भारत सरकार से अनुमोदित है जिसके अन्तर्गत 69 कि0मी0 की ब्रांच सीवर लाइन बिछाई जानी प्रस्तावित है।

जल संस्थान आगरा द्वारा पाइप लाइन द्वारा पानी की आपूर्ति मानक के अनुरूप कराया जाना

78-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान आगरा द्वारा शहर में पाइप लाइन द्वारा दिया जाने वाला पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से मानकों के अनुरूप नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप पानी की आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। जल संस्थान, आगरा द्वारा दिया जाने वाला पानी स्वास्थ्य के दृष्टि से स्टेट हेल्थ इन्स्टीट्यूट उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कर्मियों को नगदीकरण की सुविधा दिये जाने की मांग

79-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 से पुलिस कर्मियों का नकदीकरण रुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगदीकरण देने की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

पुलिस कर्मियों को राज्य कर्मचारियों की भांति ही नगदीकरण की सुविधा अनुमन्य थी जिसे शासन द्वारा विचारोपरान्त आस्थगित किया गया है। अतः केवल पुलिस विभाग के सन्दर्भ में उक्त व्यवस्था को प्रभावी किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ को मैट्रो सिटी घोषित किये जाने पर उसके अनुसार सुविधा प्रदान किया जाना

80-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ को मैट्रो सिटी घोषित किया गया है ? यदि हां, तो मैट्रो सिटी के अनुसार मिलने वाली सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मेरठ को अधिसूचना दिनांक 30-11-2066 द्वारा मेरठ महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है।

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1958 की धारा-67 क के अन्तर्गत मेट्रोपालिटन प्लानिंग कमेटी गठित किये जाने एवं इससे सम्बन्धित उ0 प्र0 महानगर योजना समिति (प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का क्रियान्वयन) नियमावली, 2008 को प्रख्यापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें विकास योजनायें बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के विषय में उल्लेख है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर पालिका के अन्तर्गत वजीरगंज से अन्टा चौराहा तक मार्ग का पुनर्निमाण

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाला वजीरगंज से अन्टा चौराहा तक 2.5 कि0मी0 तक का मार्ग जो सर्वाधिक जीर्ण-शीर्ण हालत में है, तथा इस पर आवागमन अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक है के पुनर्निर्माण की कोई सीमा निर्धारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगरपालिका परिषद्, शाहजहांपुर की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण प्रश्नगत मार्ग का पुनर्निमाण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने एवं धन की उपलब्धता पर उक्त मार्ग का पुनर्निमाण यथाशीघ्र कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शहीद भगत सिंह विद्या मन्दिर स्कूल के सामने स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण पर व्यय की गयी धनराशि सम्बन्धी जानकारी

82-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन सं0 1/843 से 1/850 एवं 1/818 से 1/823 के सामने विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ (शहीद भगत सिंह विद्या मन्दिर स्कूल, डिगडिगा लखनऊ के सामने) स्थित पार्क को विकसित करने सौन्दर्यीकरण आदि के नाम पर विगत 5 वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार इस पार्क के विकास हेतु विगत 5 वर्ष में कराये गये कार्यों का उच्च स्तरीय भौतिक सत्यापन एवं जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोमतीनगर योजना अन्तर्गत विशाल खण्ड स्थित पार्क का रख-रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विशाल खण्ड के अन्तर्गत समस्त पार्कों का हस्तान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम लखनऊ को नहीं किया गया है। इसलिये नगर निगम, लखनऊ द्वारा कोई भी धनराशि पार्कों पर व्यय नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में उदयगंज रोड पर हैदर कैनाल के किनारे व सेन्ट एग्निस स्कूल की दीवार से सटे अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

83-श्री मदन भैया-

वर्ष 2007 के तृतीय सत्र के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-148 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के उदयगंज रोड पर हैदर कैनाल के किनारे व सेन्ट एग्निस स्कूल की दीवार से सटे अतिक्रमण को कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उदयगंज रोड पर हैदर कैनाल के किनारे से अतिक्रमण हटाने हेतु अगली तिथि 28-2-2008 निश्चित की गयी है। सेन्ट एग्निस स्कूल की दीवार से सटे अतिक्रमणों को दिनांक 13-12-2007 व 24-1-2008 को हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बर्खास्त व निष्कासित किये गये पुलिस कर्मी

84-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुलिस कर्मियों को वर्ष 2007 में सेवा से बर्खास्त व निष्कासित किया गया है ? क्या सरकार निष्कासित पुलिस कर्मियों को पुनः सेवा में लिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्ष 2007 में पुलिस/पी0ए0सी0/रेडियो के कुल 17859 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गयी है।

जी नहीं।

वर्ष 2005 तथा 2006 में आरक्षी ना0पु0/आरक्षी पी0ए0सी0 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के कतिपय पदों पर की गयी भर्तियों में बड़े व्यापक स्तर पर गम्भीर अनियमिततायें किये जाने तथा इनके कूटरचित, दूषित एवं विधिशून्य होने के कारण शासन द्वारा उक्त भर्ती बोर्डों द्वारा आरक्षी के पद पर किये गये सम्पूर्ण चयन को निरस्त किया गया है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में बाहरी कर्मचारियों को सम्बद्ध किये जाने पर रोक

85-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में बाहरी कर्मचारियों को विभिन्न अनुभागों में सम्बद्ध किये जाने पर रोक है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में सचिवालय के अतिरिक्त बाहरी विभागों के लोगों को अनधिकृत रूप से या मौखिक रूप से सम्बद्ध किया गया है तथा उनका सचिवालय प्रवेश-पत्र भी

बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0 प्र0 शासन के आदेश दि0 21-7-2007 द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्ष को सम्बद्धीकरण निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तद्नुक्रम में सचिवालय प्रशासन अनु0-1(अधि0) के पत्र सं0-3825(1)/बीस-1-ई-2007-603(12)/90, दि0 6-8-2007 द्वारा मुख्य स्वागत अधिकारी, उ0 प्र0 सचिवालय को सम्बद्ध बाहरी कार्मिकों के प्रवेश पत्रों को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में भोगांव, करहल किशनी में फायर स्टेशन की स्थापना

86-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में भोगांव, करहल किशनी में वर्ष 2004 व 2005 में फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु 132.00 (लाख) रुपया स्वीकृत किया गया था जो वर्तमान में पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो उक्त फायर स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

87-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[विस्तीर्णता/गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

अम्बेडकर ग्रामों के चयन की नीति

88-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में अम्बेडकर ग्रामों के चयन हेतु क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या इस चयन में विधान मण्डल दल के सदस्यों को भी सुझाव हेतु रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब राजस्व ग्रामों के स्थान पर

ग्रामसभाओं को विकास की इकाई के रूप में चयनित किये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ग्रामसभाएं चरणबद्ध एवं समयबद्ध रूप से पांच चरणों में संतृप्त की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में योजना का प्रथम चरण जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 तक रखा गया है। इस चरण हेतु विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर आबादी कम के हिसाब से 03 बड़ी तथा 02 छोटी जनसंख्या वाली ग्रामसभाओं के चयन की प्रक्रिया निर्धारित है।

जी नहीं।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं के चयन का आधार वर्ष 2001 की जनसंख्या हैं अतएव ग्राम सभाओं के चयन में अब मा0 विधान मण्डल दल के सदस्यों के सुझाव आवश्यक नहीं है।

उ0 प्र0 पुलिस में हेड कांस्टेबिल व उपनिरीक्षक पर प्रोन्नत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

89-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में 14 वर्ष की सर्विस के उपरान्त हेड कांस्टेबिल तथा 24 वर्ष के उपरान्त उपनिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या जिन हेड कांस्टेबिलों को उप निरीक्षक का प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है उनसे अभी भी हेड कांस्टेबिलों की सेवायें ली जा रही हैं और उन्हें उप निरीक्षक का कोर्स भी नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

उ0 प्र0 पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत कर्मियों को 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान तथा 24 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण किये जाने पर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है। उक्त प्रोन्नति वेतनमान के साथ ही उक्त पदधारकों की प्रोन्नति हेतु क्रमशः मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एवं उप निरीक्षक (विशेष श्रेणी) के अधिसंख्य पद सृजित किये गये हैं। किन्तु वास्तविक रूप से सम्बन्धित कर्मियों की पदोन्नति नहीं होती है। अतः उनके द्वारा अपने मूल पद आरक्षी/मुख्य आरक्षी के पद का कार्य किया जाता है। चूंकि सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की वास्तवित रूप से पदोन्नति नहीं होती है। अतः उन्हें उप निरीक्षक का कोर्स कराया जाना अथवा अन्य लाभ प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं है।

उ0 प्र0 पुलिस में ए0पी0 एवं सी0पी0 ग्रेड की व्यवस्था

90-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में ए0पी0 एवं सी0पी0 ग्रेड की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे समाप्त कर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों की तरह प्रत्येक कांस्टेबिल को 5-5 वर्ष के लिये ए0पी0, सी0पी0 ट्रैफिक, जी0आर0पी0, ट्रेड टैक्स में जगह देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

पुलिस विभाग में सशस्त्र पुलिस से नागरिक पुलिस तथा नागरिक पुलिस से सशस्त्र पुलिस में स्थानान्तरण की व्यवस्था है। नागरिक पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस बल से यातायात पुलिस तथा रेलवे पुलिस में स्थानान्तरण की व्यवस्था है, जबकि व्यापार कर में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती की व्यवस्था है।

वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिनेमाओं के अश्लील पोस्टर लगाये जाने की रोक

91-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक शहर में सिनेमाओं के अश्लील पोस्टर लगे होने से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन अश्लील फिल्मी पोस्टरों पर रोक लगाने हेतु कोई सख्त नियम बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। शहर में सिनेमाओं के अश्लील पोस्टर लगे होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में सार्वजनिक पार्कों का सुदृढ़ीकरण एवं सुन्दरीकरण हेतु कार्य योजना

92-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में कितने सार्वजनिक पार्क हैं जिनकी बाउन्ड्री नहीं बनी है तथा वे पेड़ पौधों एवं रख-रखाव के अभाव में कूड़ा घर में परिवर्तित हो चुके हैं ? क्या सरकार द्वारा इनके सुदृढ़ीकरण एवं सुन्दरीकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कानपुर नगर निगम में 340 सार्वजनिक पार्क हैं, जिसमें 106 विकसित, 74 अर्द्धविकसित तथा 160 अविकसित पार्क हैं जिनमें 19 पार्कों की बाउन्ड्री न होने के कारण इन पार्कों में पेड़ पौधे नहीं लगाये जा सके। कोई भी पार्क कूड़ा घर में परिवर्तित नहीं है।

चन्द्रशेखर आजाद जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर चन्द्र शेखर आजाद के नाम से जी-ब्लाक, किदवई नगर में एक पार्क चिन्हित कर उसके सुन्दरीकरण की योजना बनायी जा चुकी है जिसका आगणन तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

मा0 काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित चार वार्डों में तीन पार्कों की सुन्दरीकरण की योजना तैयार कर ली गयी है।

वर्तमान में शहर में पार्कों के सही ढंग से रख-रखाव एवं सुन्दरीकरण के लिये निजी संस्थाओं/समितियों के द्वारा अब तक कुल 33 पार्कों के रख-रखाव हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार की पर्यटन नीति

93-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्या कोई पर्यटन नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो किन-किन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है तथा उनको विकसित करने की क्या योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

जी हां।

पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए तथा प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन नीति 1998 घोषणा की गयी थी जिसके अन्तर्गत पर्यटन विकास के लिए विभिन्न परिपथों को चिन्हित किया गया है, इसके अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जो पर्यटन सेक्टर में आवंटित धनराशि पर निर्भर करता है।

पर्यटन नीति में उल्लिखित परिपथों के आधार पर तथा डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन विकास की योजनायें तैयार की जा रही हैं जिन्हें धन की उपलब्धता के आधार पर ही स्वीकृत किया जा सकता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

धार्मिक स्थल गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद को विकसित करने की योजना

94-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद में स्थित धार्मिक व पौराणिक स्थल गंगा किनारे बसा है जहां पर हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं ? यदि हां, तो उक्त धार्मिक स्थल को विकसित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

जी हां

केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट के पर्यटन विकास की योजना रु0 457.90 लाख की लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट पर बैरिकेटिंग लगाने की योजना

95-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु बैरिकेटिंग लगाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे ब्रजघाट पर सुरक्षा हेतु बैरिकेटिंग लगाने की पर्यटन विभाग की कोई योजना नहीं है और न ही बैरिकेटिंग लगाने का कार्य पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में स्थित बुद्धेश्वर मन्दिर के परिसर में स्थित प्राचीन जलाशय (कुण्ड) सीताकुण्ड के सौन्दर्यीकरण की योजना

96-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में स्थित बुद्धेश्वर मन्दिर के परिसर में स्थित प्राचीन जलाशय (कुण्ड) सीता कुण्ड के सौन्दर्यीकरण की पूर्व नियोजित योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

बुद्धेश्वर मन्दिर के परिसर के पास स्थित जलाशय के सौन्दर्यीकरण हेतु योजना में तालाब के किनारों की पिचिंग व घाट के निर्माण के प्रथम चरण हेतु धनांक रु0 10,04,821.00 की निविदा लखनऊ नगर निगम के सदन की बैठक दिनांक 10-01-08 में स्वीकृत की गयी है जिसके क्रम में स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर इस तालाब के सौन्दर्यीकरण की योजना को विभिन्न चरणों में अन्तिम रूप दिये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में दूध की अवैध डेरियां तथा कृत्रिम दूध की बिक्री रोकने की कार्यवाही की मांग

97-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में दूध की चल रही अवैध डेरियों को हटाने के लिए तथा बाजार में कृत्रिम दूध की बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में

वर्तमान सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में अब तक लखनऊ में कितनी दूध की अवैध डेरियां तथा कृत्रिम दूध के मामले पकड़े गये और उन्हें हटाया गया ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। नगर निगम सीमा से समस्त दूध डेयरियों को हटाने की कार्यवाही की गयी। कृत्रिम दूध के विक्रय को रोकने के अन्तर्गत वृहत रूप से चारबाग स्टेशन के विभिन्न स्थलों पर छापे मारे गये जिसमें 22 दूध के नमूने लिये गये एवं शहर के अन्य स्थलों से 06 नमूने लिये गये।

पुनर्स्थापित 110 दूध डेयरियों को हटाने की कार्यवाही की गयी। दूध के 28 नमूने लिये गये जिसकी जांच जन विश्लेषक द्वारा की गयी.जिसमें 03 नमूनों में फैट कम पाया गया। कृत्रिम दूध विक्रय का प्रकरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

लखनऊ में तीसरा जल-कल बनाये जाने की मांग

98-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में तीसरा जल-कल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो तीसरा जल-कल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

तृतीय जल-कल का कार्य भारत सरकार के जे0ए0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण भाग-1 में स्वीकृत हो चुकी है। योजना की कुल लागत 38861.00 लाख रु0 है जिसमें तृतीय जलकल की धनराशि रु0 17293.05 लाख शामिल है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना की लागत रु0 38861.00 लाख में अपना अंश 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 19430.50 लाख के विरुद्ध 25 प्रतिशत अर्थात् रु0 4857.63 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है जिसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रु0 1943.052 लाख अवमुक्त कर दी गयी है।

योजना के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ को 30 प्रतिशत अंशदान अपनी निधि से देना था परन्तु निगम द्वारा राज्य सरकार से ऋण हेतु अनुरोध किया गया है जिसके अनुसार ऋण की व्यवस्था की जा रही है।

तृतीय जलकल का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार मार्च, 2011 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अलीगंज स्थित क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत

99-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर एल, अलीगंज लखनऊ में मकान नं0 एल-5/130 से मकान नं0 एल-5/150 तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर सड़क सुधार हेतु आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता तथा स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरों में नालों की सफाई तथा नाले का पानी नदियों में गिरने से रोकने की योजना

100-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरों में नालों की सफाई तथा नालों का पानी नदियों में नहीं गिरे क्या सरकार इसके लिए कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगरों में नालों की सफ़ाई हेतु कोई पृथक से कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है किन्तु सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर नालों की सफाई का कार्य कराया जाता है।

नालों का पानी नदियों में गिरने से रोकने के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में गंगा, यमुना एवं गोमती नदियों के तट पर स्थित 23 नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त गंगा नदी में नालों के माध्यम से प्रवाहित हो रहे मलजल के शुद्धिकरण हेतु 'आपरेशन निर्मल गंगा' परियोजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नागरिकों से गृह कर वसूलने की सम्पूर्ण व्यवस्था को पुनरीक्षित किया जाना

101-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नागरिकों से गृह कर वसूल करने के बदले में सरकार उन्हें क्या-क्या सुविधायें देती हैं ? क्या मा0 मंत्री जी गृह कर की सम्पूर्ण व्यवस्था को पुनरीक्षित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नागरिकों से सामान्य कर (गृहकर) वसूल किया जाता है तथा नगर के निवासियों को निकायों द्वारा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इन बुनियादी सुविधाओं के अन्तर्गत सड़क, सीवर,नाली, पेयजल, पथ प्रकाश एवं सफाई/कूड़ा निस्तारण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती हैं।

गृह कर की व्यवस्था को पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में तारामण्डल का निर्माण

102-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन नगरों में तारामण्डल बने हैं ? क्या यह सही है कि कानपुर महानगर अब तक इससे वंचित है, जबकि तारामण्डल निर्माण हेतु गौतमबुद्धा पार्क, इन्द्रानगर, कानपुर में सुव्यवस्थित, विकसित स्थल उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थल पर तारामण्डल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल मन्नान-

प्रदेश में लखनऊ एवं गोरखपुर नगरों में एक-एक तारामण्डल स्थापित है। जनपद रामपुर में एक तारामण्डल निर्माणधीन है।

जी हां।

वर्तमान में कानपुर महानगर में तारामण्डल का निर्माण कराने की कोई विभागीय योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर नगर निगम में नियमित कर्मचारियों की संख्या मानक के अनुरूप किये जाने की व्यवस्था

103-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम में नियमित कर्मचारियों की संख्या 3150 है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित मानक तथा कानपुर नगर की जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या 8400 होनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप नये पद सृजित करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कानपुर नगर निगम में नियमित सफाई कर्मचारियों की वर्तमान में संख्या-3200 है जबकि सफाई कर्मचारियों के 5856 पद सृजित हैं।

कानपुर नगर निगम द्वारा 2249 संविदा सफाई कर्मचारियों को रखने हेतु गठित चयन समिति द्वारा 1645 कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है जिसमें से 1465 संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी ज्वाइनिंग देकर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 106 कर्मचारी जो पूर्व से कार्य करते चले आ रहे हैं उनसे भी कार्य लिया जा रहा है। इस प्रकार 3200 स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त 1961 संविदा सफाई कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

शासनादेश संख्या-4140/9-1-05-66 सा/ओ0आई0टी0सी0, दिनांक 26-08-2005 के अनुसार नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सफाई कर्मचारियों को संविदा के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में पेयजल संकट की समस्या निवारण हेतु हैण्ड पम्प लगाने की कार्य योजना

104-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे एवं जलस्तर घटने के कारण कानपुर नगर में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु शीघ्र नई बोरिंग करके हैण्डपम्प लगाने की कार्ययोजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिसई सलोन में गेहूं में मिले कीटनाशक से बच्चों की मौत की घटना

105श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिसई सलोन में जनवरी, 2008 के दूसरे सप्ताह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित गेहूं में मिले कीटनाशक को चीनी समझकर खा लेने के कारण चार बच्चों की मौत हो गई थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की जांच कराकर परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिये जाने एवं उक्त घटना की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद-बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिसई सलोन में दिनांक 11-1-2008 को अचानक चार बच्चों की मौत हो गयी थी। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी कस्बा रिसिया, थाना रिसिया, बहराइच के विरुद्ध वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक रिसिया, बहराइच के तहरीर पर मु0अ0सं0-25/08 धारा 272/273/304 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट थाना रिसिया पर दिनांक 12-1-08 को पंजीकृत करके क्षेत्राधिकारी रिसिया को विवेचना सुपुर्द की गयी है तथा अभियुक्त राजेन्द्र कुमार जैन को दिनांक 13-1-08 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा अवगत कराया गया है कि मृतक बच्चों का विसरा संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0 प्र0 लखनऊ तथा खाद्य पदार्थ नमूने राजकीय जनविश्लेषक, उ0 प्र0 लखनऊ को जांच हेतु दिनांक 14-1-08 को भेजा गया है। मामले में

मजिस्ट्रीयल जांच भी प्रचलित है; प्रश्नगत घटना दैवीय आपदा से सम्बन्धित न होने के कारण मृतक के परिजनों को कोई सहायता नहीं दी गयी है। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है परन्तु उक्त प्रस्ताव में मृत्यु का कारण अज्ञात बताया गया है। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली में जघन्य हत्याओं/अपराधों/दुर्घटनाओं/नाव डूबने/सांप काटने आदि में निर्धन परिवार के कमाऊ संदस्य मृत्यु पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। प्रकरण उक्त श्रेणी अन्तर्गत न आने के कारण सहायता का औचित्य नहीं पाया गया है।

नकली सीमेन्ट बेचने का कारोबार रोकने हेतु कार्य योजना

106-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में नकली सीमेंट बनाने एवं बेचने से विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? क्या यह सही है कि लखनऊ के मड़ियांव पुलिस ने 11 जनवरी, 2008 में एक नकली सीमेंट कारोबार का भण्डाफोड़ किया गया तथा वाराणसी सहित अन्य कई जिलों में भी इस प्रकार का कारोबार चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

यह सही है कि दिनांक 11-3-2008 को नकली सीमेन्ट पकड़े जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग अपराध संख्या 22/08 धारा 420, 472, 48.., भा0दं0वि0 व 103/104 ट्रेड मार्क अधिनियम व 3/7 ई0सी0 एक्ट (आवश्यक वस्तु अधिनियम) पंजीकृत होकर मामला विवेचनाधीन है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक सीमेन्ट के फुटकर विक्रेताओं की बैठक कर सचेत कर दिया गया है। जनपद वाराणसी में नकली सीमेन्ट बनाने व बेचने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नकली सीमेन्ट बनाने तथा मिलावट के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश से सूचनाएं प्राप्त की गयीं, प्रदेश में नकली सीमेन्ट बनाने की फैक्ट्री व नकली सीमेंट विक्रेताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है। अब तक 10 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं जिसमें 61 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। 1-वे इलाके चिन्हित किये जायं जहां पर सीमेन्ट की फैक्ट्रियां हैं। 2-वे व्यक्ति जो इसमें लिप्त हैं उन्हें चिन्हित किया जाय। 3-इस सम्बन्ध में निरन्तर गोपनीय सूचनाएं एकत्रित की जाय। 4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मासिक समीक्षा गोष्ठी में इसका अनुश्रवण भी करें।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को रोजगार कार्ड उपलब्ध कराया जाना

107-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों के ग्राम पंचायतों में श्रमिकों का पंजीकरण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन्हें रोजगार कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत चयनित 39 जनपदों में जनवरी, 2008 तक 7134998 श्रमिक परिवारों का पंजीकरण कराया जा चुका है।

जी हां। जनवरी, 2008 तक 7[illegible]654 श्रमिक परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष परिवारों को पंजीकरण के पश्चात् निर्धारित समय सीमा 15 दिन में जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने में हुए अपव्यय की जांच

108-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में वर्ष 2002 से 2007 तक की अवधि में स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने में हुए अपव्यय से सम्बन्धित कोई जांच शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

आयुक्त, ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय के निर्देश के क्रम में नामित जांच टीम द्वारा जांच की गई तथा जांच टीम के निर्देशन में जनपद गोण्डा के टास्क फोर्स अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई। जांच में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

नगरपालिका के कर्मचारियों को उनके निजी भवन पर भवन कर सीवर कर एवं जलकर में छूट दिये जाने का लाभ

109-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में महापालिका की सामान्य बैठक दिनांक 20-6-1992 में नगरपालिका के कर्मचारियों को उनके निजी भवन जिसमें स्वयं निवासित हैं, पर भवन कर सीवर कर एवं जल कर से छूट दिये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त प्रस्ताव से कार्यान्वयन हेतु उप नगर अधिकारी (समिति) नगर महापालिका लखनऊ के पत्र संख्या-156/सामान्य विभाग/93, दिनांक 26-5-1993 को सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं महाप्रबन्धक जल संस्थान को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या यह लाभ सभी जल संस्थान के कर्मचारियों को भी मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

उक्त प्रस्ताव नगर निगम लखनऊ द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पारित किया गया था, न कि जल संस्थान के कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

मेरठ नगर निगम की अधिकारिता में स्थित पशु वधशाला बन्द किया जाना

110-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ नगर निगम की अधिकारिता में स्थित पशु वध शाला से सम्पूर्ण मेरठ महानगर में प्रदूषण फैल रहा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तत्काल जल एवं विद्युत संयोजन कटवाकर पशुवध शाला बन्द करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 29-02-2005 द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत पशुवधशाला, नगर निगम, मेरठ के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को नये सिरे से बनवाने का सुझाव

111-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या निर्वाचन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नये तरीके से लागू हो जाने के उपरान्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को नये सिरे से बनवाने हेतु सुझाव देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्वाचन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम हेत भारती)-

जी नहीं।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में तैयार कराई जाती हैं। निर्वाचक नामावलियों के विषय में संसद द्वारा बनाये गये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आयोग इसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है।

लखनऊ में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने की कार्य योजना

112-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु क्या सरकार अलग से कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद लखनऊ के सीमावर्ती स्थानों पर बैरियर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रभावी चेकिंग की जाती है। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु रात्रि गश्त व पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु आवासीय कालोनियों में, सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा बैठकें करते हुए उनकी स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली जाती है। थानों में अलग से सी0आई0ओ0 नियुक्त किये गये हैं जो सादे वस्त्रों में रहकर अपराधिक सूचनाओं को संकलित करते हैं। गम्भीर अपराधों में प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद खीरी के ग्राम-बड़ागांव बड़ेहरा से वजीरपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

113-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0खं0 नकहा के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव बड़ेहरा से ग्राम वजीर पुरवा तक सम्पर्क मार्ग पर लगभग 1 कि0मी0 खड़ंजा नहीं लगा है जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बड़ागांव बड़ेहरा से वजीरपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत शारदा नगर मुख्य मार्ग (खम्भार खेड़ चीनी मिल के पास) से ग्राम वजीरपुरवा तक पक्की सड़क पूर्व से ही बनी हुई है एवं ग्राम बड़ागांव वजीरपुरवा तक कच्चा सम्पर्क मार्ग बना है। इस पर लगभग 1.50 कि0मी0 खड़न्जा लगना शेष है।

ग्राम बड़ागांव से वजीरपुरवा तक अवशेष खड़न्जा कार्य का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति में अनियमितताएं

114-श्री विश्वनाथ-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 में उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रयोगशाला सहायक के आठ पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था जिसमें आवेदन

भेजने की समय-सीमा 35 दिन रखी गई थी परन्तु विज्ञापन के दो दिन बाद, विज्ञापन की समय-सीमा घटाकर 6 दिन कर दी गई जिसमें दो दिन द्वितीय शनिवार एवं रविवार की छुट्टी थी यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त विज्ञापन में 8 पदों के सापेक्ष 24 पदों पर नियुक्तियां की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमित नियुक्तियों की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

1-जी नहीं। आवेदन-पत्र प्राप्त करने की समय-सीमा 07 दिन निर्धारित की गयी थी, परन्तु समाचार पत्र में दिनांक 06-06-1996 को प्रकाशक की त्रुटिवश 11-07-1996 को छप गया था। जिसे प्रकाशक द्वारा दिनांक 08-06-1996 में प्रकाशित शुद्धिपत्र द्वारा सही करके दिनांक 12-06-1996 प्रकाशित किया गया।

2-शासनादेश संख्या 3102/55-95-102पर्या/90 दिनांक 27-2-1996 द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण योजना को क्रियान्वयन हेतु बोर्ड को सौंपा गया। प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत अन्य पदों के साथ-साथ 15 पद प्रयोगशाला सहायक के भी सृजित थे परन्तु इन पदों की स्वीकृति की अवधि दिनांक 29 फरवरी, 1996 तक ही थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-203/5-96-102पर्या/90 दिनांक 28 जून, 1996 द्वारा इन पदों की निरन्तरता की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप विश्व बैंक से वित्त पोषित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण योजना के त्वरित क्रियान्वयन की दृष्टि से आमंत्रित आवेदन पत्रों के सापेक्ष 24 पदों पर नियुक्तियां की गई।

3-अनियमित नियुक्तियां नहीं की गई।

4-वर्ष, 1996 में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर समस्त नियुक्तियां उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा-नियमावली, 1995 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की गई।

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा लखनऊ में "कार्कस यूटिलाइलेशन" प्लान्ट बनाने की योजना का समाप्त किया जाना

115-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा लखनऊ में "कार्कस यूटिलाइजेशन" प्लान्ट बनाने की योजना समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो इस योजना में लखनऊ नगर निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में जो धन आवंटित किया गया था उस धन का उपयोग कहां किया गया ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

क्षेत्रीय निवासियों के विरोध के फलस्वरूप निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

कार्कस यूटिलाइजेशन प्लान्ट के भवन निर्माण कार्य हेतु रु0 39.55 लाख की धनराशि नगर निगम की आय श्रोतों से गठित अवस्थापना विकास निधि मद से स्वीकृत की गयी थी। उक्त

स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल, भवन के आरसीसी फैम्ड स्ट्रक्चर के पिलीन्थ लेविल तक का कार्य एवं एप्रोच खड़ंजा मार्ग निर्माण का कार्य किया गया है, जिसमें रु0 8.79 लाख का उपयोग हुआ है। अवशेष धनराशि नगर निगम के उक्त निधि के मद में उपलब्ध है। शासन से उक्त कार्य हेतु कोई धनराशि नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूचित जाति के बस्तियों में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया वजीरगंज एवं नवाबगंज में हैन्डपम्प लगवाया जाना

116-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया वजीरगंज एवं नवाबगंज में वर्ष 2005 से अगस्त, 2007 तक कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अनुसूचित जाति के बस्तियों में लगाये गये तथा अब तक कितनी अनुसूचित बस्तियां इस लाभ से वंचित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं एवं कितने खराब हैं ? क्या सरकार सर्वे करवाकर खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवाने हेतु धन का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड-छपिया, वजीरगंज एवं नवाबगंज में क्रमशः 39 नग, 29 नग एवं 28 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन अनुसूचित जाति की बस्तियों में वर्ष 2005 से अगस्त 2007 तक कराया गया है। सम्बन्धित विकास खण्डों में कोई भी अनुसूचित बस्ती मानक के अनुसार इस लाभ से वंचित नहीं है।

सभी हैन्डपम्प चालू हालत में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम में व्याप्त अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

117-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम में व्याप्त अनियमितताओं की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-3 नं0-437066 दिनांक 6-12-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी, गोरखपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण

118-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन सूचना अधिकारी गोरखपुर नगर निगम ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पत्रांक मेमो/सा0प्र0/2007-08, दिनांक 28-9-2007 द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 117 (6) बी के तहत कराये गये कार्यों की सूची दी है ? यदि हां, तो सन्दर्भित वर्षों में किन-किन अधिकारियों द्वारा कितने लागत के कार्य स्वीकृत किये गये ? क्या शासन इन स्वीकृतियों की वैधानिकता तथा नियमों एवं अधिकारों के दुरुपयोग के सन्दर्भ में इन स्वीकृतियों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण संलग्न है।

अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्य कराया गया है। धनराशि दुरुपयोग की शिकायत नहीं है। जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(संलग्नक के लिये देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 268-273 पर)

अधिशाषी अभियन्ता 16वीं, शाखा (जल निगम) यांत्रिक शाखा, बांदा को भेजे गये हैण्ड पम्प न लगाये जाने में सम्बन्धी शिकायत पत्र पर कृत कार्यवाही

119-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाइप लाइन मरम्मत, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने व प्लेटफार्म बनाने में विभाग द्वारा की गई धांधली तथा 10% अंशदान जमा होने के बावजूद भी अभी तक हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र, दिनांक 15-07-2007 अधिशाषी अभियन्ता 16वीं, शाखा (जल निगम) यांत्रिक शाखा, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्यानुसार, अधिशाषी अभियन्ता 16वीं शाखा (जल निगम) यांत्रिक शाखा, बादा को मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र दिनांक 15-7-07 प्राप्त हुआ था, जिसमें जनपद बांदा में वर्ष 2002 से अब तक पाइप लाइन, हैण्ड पम्प व रिबोर हैण्डपम्पों तथा तिन्दवारी ग्राम सभा क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा नये हैण्डपम्प लगाने हेतु 10% जमा की गयी धनराशि आदि के विवरण सहित सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा मात्र की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कराये गये कार्यों का सत्यापन

120-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा द्वारा वर्ष 2006-07 में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थावार कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गई तथा उक्त अवधि में किये गये व्यय का विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्ण कराये गये कार्यों का सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2006-07 में कार्यदायी संस्थाओं को मु0 160.356 लाख रु0 अवमुक्त किये गये। गत वर्ष के अवशेष धनराशि मु0 234.59 ला0 रु0 को मिला कर कुल उपलब्ध मु0 394.955 लाख रु0 के सापेक्ष मु0 376.792 लाख रु0 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2006-07 में व्यय किये गये।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में होमगार्ड्स के जवानों को पूरे माह का वेतन दिया जाना

121-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में होमगार्ड्स के जवानों से पूरे महीने कार्य लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार होमगाडर्स् के जवानों को पूरे महीने कार्य देकर पूरे महीने का वेतन दिलाने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री वेदराम भाटी)-

जी नहीं।

प्रदेश में कुल 1,17,009 होमगार्ड्स स्वयं सेवक नामित हैं, जिसमें से वर्तमान समय में इस संख्या के सापेक्ष प्रतिमाह 50,335 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों आवश्यकतानुसार चक्रानुक्रम के आधार पर ड्यूटी पर लगाया जाता है और उनसे पूरे महीने का कार्य लिया जाता है।

जी नहीं।

स्वयं सेवकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, अपितु उन्हें ड्यूटी पर उपस्थित होने की दशा में रु0 100/- प्रति होमगार्ड्स, प्रति दिवस की दर से ड्यूटी भत्ते की राशि प्राप्त होती है।

संगठन का स्वरूप स्वयं सेवी है, अतः लगातार समस्त होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को तैनात नहीं किया जा सकता है, अपितु आवश्यकता एवं मांग के अन्तर्गत ही उन्हें नियुक्त किया जाता है।

122-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

123-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[दिनांक 28-2-2008 के अता0प्र0सं0-70 द्वारा उत्तरित]

आगरा क्षेत्र को प्रस्तावित कॉमन वेल्थ गेम्स में होटल निर्माण, गेस्ट-हाउस निर्माण, पर्यटन से सम्बन्धित मनोरंजन के साधन पर सब्सिडी तथा सेल-टैक्स में पूर्ण छूट से वंचित रखा जाना

124-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010 में प्रस्तावित कॉमन वेल्थ गेम्स के लिये नेशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में आगरा को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर होटल निर्माण, गेस्ट हाउस निर्माण, पर्यटन से सम्बन्धित मनोरंजन के साधन पर सब्सिडी तथा सेल टैक्स में पूर्ण छूट मिलेगी ? क्या आगरा क्षेत्र को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रान्त में व्यापार कर प्रणाली के स्थान पर वैट प्रणाली लागू हो गयी है। इस व्यवस्था में कर आधारित छूट (टैक्स इन्सेन्टिव) देने की नीति नहीं है। अतः वर्ष 2010 में प्रस्तावित कामन वेल्थ गेम्स के लिए इन क्षेत्रों में होटल निर्माण, गेस्ट हाउस निर्माण पर सेल्स टैक्स छूट का प्रस्ताव नहीं है। पर्यटन से सम्बन्धित मनोरंजन के साधन पर सब्सिडी अथवा कर में छूट सम्बन्धी सुविधा दिये जाने का भी प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध हटाने की मांग

125-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों की प्राइवेट प्रैक्टिस विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-37 (3) में चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों की प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त अधिनियम की

धारा-37 (3) में यह प्राविधानित है कि "किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को ऐसे विस्तार तक कि सिवाय यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।"

प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में उक्त स्थिति यथावत है।

तम्बाकू व उससे जुड़े हुए अन्य उत्पादों का वैट के कारण कम दर पर बाजार में बिक्री का मामला

126-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैट का कानून लागू होने के कारण तम्बाकू एवं उससे जुड़े हुए अन्य उत्पादों के करों में विसंगति होने के कारण यह उत्पादन मूल्य से कम कीमत पर बाजार में बिक रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में वैट की दर कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश में दिनांक 01-01-08 से वैट अध्यादेश लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत तम्बाकू एवं उससे जुड़े अन्य उत्पादों पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार समीपवर्ती अन्य प्रान्तों में भी तम्बाकू एवं उससे जुड़े अन्य उत्पादों पर कर की दर 12.5 प्रतिशत ही रखी गयी है। इस कारण प्रदेश में तम्बाकू एवं उसे जुड़े अन्य उत्पादों पर कर की दरों में विसंगति नहीं है। जहां तक उत्पादन मूल्य से कम मूल्य पर तम्बाकू एवं उससे जुड़े अन्य उत्पादों की बाजार में बिक्री का प्रश्न है, इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

निकटवर्ती प्रदशों में भी तम्बाकू एवं उससे जुड़े अन्य उत्पादों पर कर की दर 12.5 प्रतिशत ही है अतः वैट के अन्तर्गत तम्बाकू एवं उससे जुड़े अन्य उत्पादों पर कर की दर कम करने का औचित्य नहीं है।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो को पुनः चालू किया जाना

127-श्री लल्लू सिंह-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वैट लागू होने के कारण उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो बन्द चल रहे हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो को पूर्व की भांति करों में छूट प्रदान करते हुए पुनः चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-252/ग्यारह-7-(23)/83-उ0प्र0 अध्या0-37-2008-आदेश-(4)-2008, दिनांक 01 फरवरी, 2008 द्वारा उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम तथा कैन्टीन स्टोर्स विभाग को कर से छूट प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास क्षेत्र बांकेगंज, बिजुआ, फूलबेहड़, नकहा, लखीमपुर खीरी की क्षेत्र पंचायत समितियों द्वारा कराये गये विकास कार्य का विवरण

128-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास क्षेत्र बांकेगंज, बिजुआ, फूलबेहड़, नकहा, लखीमपुर की क्षेत्र पंचायत समितियों द्वारा वर्ष 2006-07 में कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार कराये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गई धनराशि की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज, बिजुआ, फूलबेहड़, नकहा, लखीमपुर की क्षेत्र पंचायत समितियों द्वारा वर्ष 2006-07 में कुल 124 कार्य कराये गये हैं, जिन पर रु0 305.294 लाख व्यय किया गया है। कार्यों की सूची संलग्न है।†

जी हां। कराये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गयी धनराशि की सूची विधान सभा पटल कार्यालय में 20 प्रतियों में रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोहल्ला सरफराजगंज (ठाकुरगंज) के निकट स्थानीय दबंग व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा

129-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के मोहल्ला सरफराजगंज (ठाकुरगंज) में जिन्नातों वाली मस्जिद के निकट उत्तर दक्खिन की ओर शिया समुदाय की घनी आबादी में सुन्नी समुदाय के पुराने कब्रिस्तान को मस्जिद की ओर से जाने वाले 10-12 फुट चौड़े मार्ग पर स्थानीय दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि के अन्दर कई फुट घुसकर दीवार का निर्माण करके मार्ग पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनाधिकृत रूप से निर्मित की गई दीवार को गिरवाकर मार्ग को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कथित 10-12 फुट चौड़े मार्ग पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

130-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत ग्राम भैरोपुर,

---

नोट :-† छापी नहीं गई।

नरवारी, उमापुर, रमगढ़ा, बेसार, वारीखुर्द, धनेपुर, चिल्लावां, एवं फेज-4 से मरियमपुर, बसौली, बरचौली, गोहानी, बनबीरपुर, भीखमपुर, लौली पुख्ताखाम, सरायसागर, सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक मार्ग के लेपित सतह, पटरियों, पुलियों के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या प्रत्येक मार्ग का स्थलीय सत्यापन कराते हुए निर्माण कार्य गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

निर्मित मार्गों पर लेपित सतह व पटरी कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। निविदा की शर्तों के अनुसार 05 वर्षों तक सड़कों के अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाता है। तद्नुसार उक्त मार्गों के रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन समस्त मार्गों का स्थलीय सत्यापन एवं उनकी गुणवत्ता की जांच भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नामित क्रमशः नेशनल क्वालिटी मानीटर्स एवं स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा नियमित रूप से की जाती है। विश्व बैंक पोषित प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता की जांच विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित मैं0 रमैक इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा वाह्य तकनीकी परीक्षक के रूप में स्वतंत्र रूप से की जाती है। इसके अरिक्ति समय-समय पर अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा भी क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से कार्यों का स्थलीय सत्यापन व उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है।

व्यवस्था की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ के ब्लाक में तालाब की खुदाई में अनियमितता

131-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर के ब्लाक हंसायन व सिकन्दराराऊ में तालाबों की खुदाई की जांच में पाई गई अनियमितता के दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर के ब्लाक हसायन में तालाब की खुदाई से सम्बन्धित कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

विकास खण्ड-सिकन्दराराऊ के ग्राम बिलार (पहाड़पुर) में तालाब की खुदाई की जांच मण्डलीय प्राविधिक परीक्षक आगरा मण्डल द्वारा की गई। जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री कुबेर सिंह स0वि0 सभा द्वारा विधायकों का अधिकार जानने के सम्बन्ध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस सदन की जो कार्यसूची है, डेली उसमें लिखा जाता है विशेषाधिकारों का हनन, (हंसी) कृपया आप लोग हंसे नहीं। मेरा सहयोग करें, बहुत गम्भीर प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

आप एजेण्डा की मद संख्या-4 पढ़िये।

श्री कुबेर सिंह-

नियमावली के नियम-11 में सब इसी के बारे में भरा गया है और इसमें नियम 63 से लेकर 69 तक नियम कानून बनाये गये हैं। हमें आज तक यह जानकारी नहीं है कि अपने विधायकों का विशेषाधिकार हनन तो तब होगा जब हमारे अधिकार क्या हैं, यह हमको पता हो। (हंसी) आप लोग शान्त रहें। विषय यह खड़ा है कि एस0डी0एम0 जब कहीं चेकिंग पर निकलता है तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल मिल जायें तो तत्काल सस्पेंड कर देता है। एस0पी0 निकलता है तो एस0ओ0 पर तत्काल कार्यवाही करता है। अगर हम कहीं अपनी आंखों से देखें तो गलत काम हो रहा है हमारे सामने और हम वहीं काम कर सकते हैं जो आम जनता कर सकती है कि शिकायत कर देंगे, उसकी जांच होगी। तो हममें और आम जनता में अन्तर क्या है। (हंसी)

अभी मेरे बिन्दु और हैं। आप लोग हंसिये मत। मैं कम बोलता हूं। इसलिये आप लोग थोड़ा धैर्य बनाये रखें मैं जरा हकपका जाता हूं, लेकिन आपसे निवदेन करता हूं मैं यह चाहता हूं कि या तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि इस तरह का कोई साहित्य है, यदि है तो वह हम तक पहुंचा नहीं है। तो वह उपलब्ध करा दिया जाय। व्यवस्था हम यह चाहते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में ? यदि कोई गलत काम हो रहा है तो क्या उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं बिना जांच के। इस पर मैं और लोगों का सहयोग चाहूंगा, इस पर चर्चा हो जाय, यह नियमित हो जाय। अगर नहीं है ऐसा तो व्यवस्थित हो जाय।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं कुबेर सिंह जी को सहयोग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कुबेर सिंह जी, तिवारी जी के बगल में जगह खाली है, वहां बैठ जाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप यहां आ जायें, यहां के लायक हैं। बहुतों से तो बहुत अच्छे हैं। धीरे-धीरे जिस तरह से यह आगे बढ़ रहे हैं, कुछ दिन में धोनी की जगह यही रहेंगे वहां पर और कोई नहीं रहेगा। मान्यवर, या तो आने वाले दिनों में मैं कुबेर सिह बन जाऊंगा या कुबेर सिंह प्रमोद तिवारी बन जायेंगे। यह तो बड़ा मुश्किल होगा, भगवान मेरी रक्षा करे। लेकिन मैं बहुत इनसे प्रभावित हूं जो विशेषाधिकार की बात इन्होंने कही है, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और मेरा जो औचित्य का प्रश्न आज लगा है, आपने देखा होगा इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मान्यवर, समिति नहीं है, उपाध्यक्ष ही उस कमेटी का अध्यक्ष होता है। जो कुबेर सिंह ने कहा है मैं अपने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मा0 कुबेर सिह जी का समर्थन करूंगा।

भारत की जूनियर क्रिकेट टीम को नियमावली के नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी मैं एक दूसरी व्यवस्था के लिये खड़ा हुआ हूं, मान्यवर, नियम-110 देख लें। मान्यवर, कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को कोई एतराज होगा। कल हमारी जूनियर क्रिकेट टीम पूरे विश्व में चैम्पियन बनी है। आपके स्तर से और मा0 नेता विरोधी दल यहां मौजूद हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का भी योगदान रहा है तो अगर उत्तर प्रदेश की ओर से जूनियर क्रिकेट टीम को बधाई का संदेश चला जाय तो मैं समझता हूं कि मान्यवर, यह राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा प्रश्न है और एक बहुत ही उचित कदम होगा कि हम अपने नौजवानों को बधाई दे दें। अगर कोई आपत्ति न हो तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और मा0 नेता विरोधी दल हैं, यह अधिकार इन्हीं दोनों का है, अगर बधाई दे दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अन्यथा कम से कम मैं तो अपनी ओर से बधाई देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मा0 प्रमोद तिवारी जी ने खिलाड़ियों के सम्बन्ध में और भारत की जीत के सम्बन्ध में यहां बात रखी। यह तो गर्व है हमें हमारी टीम पर, जो चैम्पियन बन करके आज सामने खड़ी है। तो मान्यवर, बधाई तो दे ही दें लेकिन यह और अच्छा हो कि सदन की ओर से प्रस्ताव रखा जाय उनको बधाई दी जाए इसके अलावा यदि सरकार कुछ और कर सकती हो तो करे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यही उचित होगा, मान्यवर, बधाई का प्रस्ताव हो जायेगा।

*श्री कुबेर सिंह-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न दब गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, जब बात चल रही है तो बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी जो जूनियर टीम है, उसने जो विश्व चैम्पियन का खिताब जीता है, मैं सदन की ओर से उनको बधाई का प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन उनको बधाई देता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बधाई प्रस्ताव, जो क्रिकेट की जूनियर टीम द्वारा विश्व चैम्पियन का खिताब जीतने के लिये सदन में रखा गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यदि उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिये कोई पारितोषिक दे सके तो उस पर भी विचार कर लें।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आ रहा है अभी नियम-300 में है आपका।

श्री प्रमोद तिवारी-

[× × ×]

*श्री सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, आज नत्थी "ख" में मेरा प्रश्न सं0-3 पर है। इसमें निरस्त करने का कारण दिया गया है, विस्तीर्णता, अस्पष्टता एवं गोपनीयता। तो मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना प्रश्न पढ़ना चाहता हूं कि कितना विस्तारित मेरा प्रश्न है जो विस्तीर्ण हो गया, कितना अस्पष्ट मेरा प्रश्न है जो अस्पष्ट मान लिया गया और गोपनीयता इसमें सरकार की क्या है जो भंग हो रही है। मेरा प्रश्न है कि क्या मा0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 21 जून, 2007 तक प्रदेश में कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले लम्बित हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने व्यवस्था उठायी कि हमारा प्रश्न इन-इन बिन्दुओं पर क्यों निरस्त हो गया। इसके बाद आप प्रश्न पूछना शुरू कर दिये।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ नहीं रहा हूं बल्कि पढ़ करके सुना रहा हूं। इससे तो भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देने का काम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह हमारा निर्णय है कि हम प्रश्न स्वीकार करें कि न करें। इसमें अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मेरे कक्ष में आयें मैं बात कर लूंगा।

लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बहाल किये जाने के विषय में संसद सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा विधान सभा के सामने दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, एक असाधारण स्थिति है इसलिये आपके संज्ञान में लाना अनिवार्य है। संसद सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद जी जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब स्थिति में है वह आज धरने पर बैठने के लिये बाध्य हुए हैं। लोकतंत्र सेनानी जो बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं वह हमारी विधान सभा के सम्मुख धरने पर बैठे हैं। माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने इसकी सूचना नियम-56 में दी है, बाकी सूचनाओं का जो क्रम है उसे उसी क्रम में लिया जाए, लेकिन एक ऐसी गम्भीर स्थिति है कि लोकतंत्र सेनानी स्वयं की हिफाजत के लिये, धरने पर बैठे हैं, जिनके संघर्षों के फलस्वरूप आज इस सदन में हम बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिये संघर्ष किया था, जेल गये थे और कई लोगों की मृत्यु भी जेल में हो गयी थी। हम सभी लोग उनका सम्मान करने के लिये बैठे हुए हैं। उनके सम्मान का एक कार्यक्रम हुआ था, उनके लिये जो व्यवस्था की गयी थी, राजनैतिक विद्वेष के कारण सरकार ने उसे बंद कर दिया है और इस सरकार के लगभग 10 महीने बीतने के बाद वह लोकतंत्र सेनानी धरने पर बैठने के लिये बाध्य हुए हैं। मैं अपनी दूसरी कोई बात नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे गम्भीर कोई बात नहीं होगी। नोटिस की बात नियमानुसार आती है और उसे आप देखते हैं। लेकिन यह ऐसी विषम स्थिति है, वहीं से होकर आ रहे हैं। आज लोकतंत्र सेनानियों की जो स्थिति है, सदन की सारी कार्यवाही रोककर सबसे पहले इस विषय को सुन लिया जाए इससे महत्वपूर्ण और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता। मा0 अध्यक्ष जी, क्रम बदलने का अधिकार आपका है, इस नियमावली में अग्रेता बदल सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं, एजेण्डे पर जो मद दी गयी है उसमें उस मद को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिये लोकतंत्र सेनानियों के सवाल को सबसे पहले सुनलें बाकी लोगों पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर जो हुआ उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उसको क्रम पर सुनियेगा। लेकिन लोकतंत्र के सेनानियों से महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं है इसलिये सदन की सारी कार्यवाही बाद में लीजिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, अम्बिका चौधरी जी ने जो सवाल उठाया है, वह इसलिये महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं हैं। वे लोकतंत्र सेनानी हैं और हम जानते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिये इनके साथ-साथ इनके परिवार के लोग भी जेल गये हैं। हमने इनके सम्मान में 1 हजार रुपया प्रतिमाह दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है और वहां पर वह 6 हजार रुपया महीना दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई दल का सवाल नहीं है। लोकतंत्र की बहाली हुई थी, उन्होंने बहुत जोखिम उठाया था, बहुत से लोग हैं जिनके परिवार में मोत होने के बाद भी जेल से नहीं छूट पाये थे, राम सागर मिश्र जैसे नेता का जेल में ही निधन हो गया था। स्व0 श्री सी0 बी0 गुप्ता जी ने उनकी बड़ी मदद की थी, जबकि दूसरे दल के थे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, वह एक खतरनाक समय था। दिल्ली सरकार के एटार्नी जनरल निरंजन देव ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कहा था कि यदि इमरजेंसी का कोई विरोध करता है तो उसको शूट कर दिया जाए और यह कोई हत्या का अपराध नहीं होगा। उस समय जोखिम उठाने वाले ये लोकतंत्र सेनानी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, सरकार से और पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर आप निर्णय लें और लोकतंत्र सेनानियों का जो मानदेय था उसको दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष नियम 301 की कुछ सदस्यों की सूचनाएं हैं उसके बाद 2 सूचनाएं 300 की हैं उसके बाद नियम-56 की सूचनाएं आ रही हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने एक अनुरोध किया है। आप यह बता दें सरकार की ओर से कि उनको मानदेय कब से बहाल कर रहे हैं। जो मानदेय लोकतंत्र सेनानियों को दिया जाने वाला था वह आप देंगे यह कह दें या कह दें कि नहीं देंगे यह एक वाक्य की बात है। उनको जितना मानदेय देना है वह देंगे या यह कह दें कि यह मानदेय लोकतंत्र के सेनानियों को इसलिये नहीं देंगे क्योंकि मुलायम सिंह सरकार ने इसे दिया था इसलिये नहीं देंगे। एक वाक्य की बात है। सरकार का दृष्टिकोण आ जाय। संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार का दृष्टिकोण बता दें। अगर स्वीकार कर लेंगे तो हमें फिर कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम 300, 301 हो जाय इसमें 15-20 मिनट का समय लगेगा उसके बाद नियम-56 है उसमें इस पर आप विचार रखेंगे उसमें सरकार का भी पक्ष आ जाएगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री आर0 के0 चौधरी	राजधानी लखनऊ को "चेन स्नैचर" की गिरफ्त से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।
2	श्री बाला प्रसाद अवस्थी	लखीमपुर खीरी की 20 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण, चौड़ीकरण एवं हाट मिक्स प्लान्ट से बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3	डा0 हरगोविन्द भार्गव	जनपद सीतापुर में इलसिया बाल वनोद्यान का सौन्दर्यीकरण कराने एवं आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में।
4	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	प्रतापगढ़ के पट्टी निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।
5	चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी	प्रधानाचार्य, जैन इण्टर कालेज खेकड़ा, जनपद बागपत द्वारा छात्र/छात्राओं से फीस के नाम पर लूट एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	जनपद बदायूं में आवास-विकास परिषद् द्वारा पावर आफ अटार्नी के माध्यम से क्रय की गयी सम्पत्तियों के हकदारों के हक में रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती कृष्णा राज	लखीमपुर खीरी में पिछड़ा विकास निधि एवं अल्प संख्यक विकास निधि का विधान सभावार समान वितरण करने के सम्बन्ध में। (अनुपस्थित हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
8	श्री अनूप सण्डा	मे0 किसान एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम साहूपुर, जनपद सुल्तानपुर में बन्द पड़ी राइस मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री राम किशुन	जनपद चन्दौली के चन्दासी कोयला मण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	डा0 अजय तोमर	जनपद बागपत के किशनपुर बिराल छपरौली वाया सूप मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ ही हाट मिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
11	श्री प्रदीप माथुर	मथुरा से गोवर्धन एवं मथुरा से सौंरव जाने वाले मार्गों का उच्चीकरण एवं अगल-बगल नालों का निर्माण तथा यथा सम्भव सड़कों का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में।
12	श्री राम बिशुन आजाद	गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने की जांच टी0ए0सी0 से कराने के सम्बन्ध में।
13	श्री कृपा शंकर सिंह	उन्नाव के भगवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत बजौरा पुल के दोनों ओर अप्रोच मार्ग स्वीकृत कर निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
14	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	जिला चिकित्सालय बांदा में सिटीस्केन की सुविधा कराने एवं सी0एच0सी0 जसपुरा, तिन्दवारी, पैलानी एवं चन्दवारा में रिक्त डाक्टरों/कर्मचारियों के पद भरने के सम्बन्ध में।
15	डा0 राजकुमार सिंह	गाजीपुर के जमानिया क्षेत्रान्तर्गत नन्दगंज स्थित लार्ड डिस्टलरी के व्यवसायिक बहिःस्राव से पर्यावरण को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों का नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयीं :--

1-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, 2-डा0 आर0 ए0 उस्मानी, 3-श्री आलोक कुमार शाक्य।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

राजधानी लखनऊ को "चेन स्नैचर" की गिरफ्त से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

[महोदय, राजधानी लखनऊ में चेन स्नैचरों की भरमार से महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। राजधानी पुलिस चेन स्नैचरों पर अंकुश लगाने में नाकाम है। चेन लुटेरों की संख्या बढ़ी है। चेन लूटने की घटनायें चरम सीमा पर हैं। राजधानी की खुफियातंत्र और पुलिस गस्त फेल है। डी0सी0आर0बी0 डिस्ट्रिक क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि राजधानी पुलिस सुस्त है परन्तु चेन स्नेचर चुस्त हैं। दिनांक 27-2-2008 को राजधानी लखनऊ, अलीगंज के अलकापुरी कालोनी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बेटी शालिनी से बदमाशों नेसरेआम लूटपाट किया। इसी दिन शहर के अन्य थानों के अन्तर्गत महिलाओं से लूटपाट की अनेक घटनायें घटीं। राजधानी में बदमाश गिरोह बनाकर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें कर रहे हैं। महिलाओं से सरेआम चेन लूटने वाले बदमाशों के आतंक से राजधानी निवासी व्याकुल हैं। स्थिति गम्भीर है। विषय लोक महत्व का और अविलम्बनीय है।

अतः राजधानी लखनऊ को 'चेन स्नैचरों' से मुक्त कराने हेतु सरकार का ध्यान एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए आकृष्ट करने की कृपा करें।]

लखीमपुर खीरी की 20 कि0 मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण चौड़ीकरण एवं हाट मिक्स प्लान्ट से बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि लखीमपुर, बहराइच, आसाम मार्ग से खमरिया ऐरा गन्ना मिल होते हुए वाया नौरंगपुर व रामपुर ईसानगर से हसनपुर कटौबी व दुर्गापुर पड़री तक लेपन स्तर की 20 कि0मी0 पुरानी सड़क ध्वस्त हो गयी है करीब एक लाख से ज्यादा आवादी वाले 20 ग्रामों को जोड़ती मुख्य सड़क से शुगर मिल तक गन्ना किसानों को 30 कि0 मी0 चक्कर लगाकर जाना पड़ता है उपरोक्त सड़क विधानसभा धौरहरा जनपद खीरी की मुख्य सड़क है लाखों किसानों की गम्भीर समस्या में सड़क का चौड़ी करण व हाट मिक्स प्लान्ट से बनाये जाने की मांग करता हूं लाखों किसानों की भावनाओं को दृष्टिगत रखकर वक्तव्य कराने की कृपा करें।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर में इलासिया बाल वनोद्यान का सौन्दर्यीकरण कराने एवं आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री डा0 हरगोविन्द मार्गव-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में मात्र एक इलासिया बाल वनोद्यान है। पूरे जनपद में बच्चों के लिए मात्र एक ही पार्क होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण हैं पिछले वित्तीय वर्ष में इसके विकास व साज-सज्जा के लिए काफी धन दिया गया लेकिन उस पैसे का उपयोग जिला-वन अधिकारी सीतापुर द्वारा अपने निजी खर्चों को पूरा करने में किया गया जिससे बाल उद्यान में कोई भी विकास का कार्य नही हो सका। पार्क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। मैं बच्चों की तरफ से आवंटित धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच व पार्क के सौन्दर्यीकरण की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, कृपया विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित मार्ग अरैला-सारंडीह-रामगंज नहर मार्ग जिसकी दूरी लगभग 12 कि0मी0 तथा ढकवा से इब्राहीमपुर घाट, जो अन्तर्जनपदीय मार्ग है की वर्तमान स्थिति संचालन योग्य नहीं है। मरम्मत के अभाव में गत सप्ताह कई गम्भीर मार्ग दुर्घटनायें हो चुकी हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय मार्ग उतरौला-इलाहाबाद का भाग चिलबिला से दुर्गापुर जो जनपद प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर की भौगोलिक सीमा में पड़ता है की भी स्थिति अत्यन्त गम्भीर है और संचालन एवं यातायात बाधित हो गया है जिससे गम्भीर जन समस्या उत्पन्न हो गयी। विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत पुल जो मोलनापुर विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पड़ता है धन अवमुक्त होने के बाद भी आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ जिससे कई हजार लोगों का आवागमन बाधित है। साथ ही ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर देवसरा के उपलब्ध मार्ग जिनका नवीनीकरण विशेष मरम्मत न होने से प्रत्येक दिन जनाक्रोश का सामना जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है जिसके निराकरण हेतु शासन को तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिए।

विषय तात्कालिक है एवं जनहित से जुड़ा हुआ है। अतः नियम-301 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रधानाचार्य, जैन इण्टर कालेज खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा छात्र/छात्राओं से फीस के नाम पर लूट एवं अन्य अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बागपत उक्त स्कूल में खेल के मैदान को शादी के लिए 2100/- प्रतिदिन के दर से किराये पर दिया जाता है अब उसमें बिना अनुमति के डिग्री कालेज का निर्माण कराया जा रहा है, जुलाई में नये प्रवेश कक्षा 6 8 तक 100 रुपये, कक्षा 9-12 तक 200/- प्रति छात्र वसूल किया जाता है प्राइमरी विभाग में प्रति छात्र 25-50 तक लिया जाता है तथा व्यक्तिगत छात्रों से 200 रुपये प्रति छात्र लिया जाता है प्रत्येक पुराने छात्र से जुलाई में 100 रु0 अतिरिक्त, चरित्र प्रमाण-पत्र 5 रु0 प्रतिछात्र, जनरेटर के नाम पर 60 रु0 प्रति छात्र बोर्ड कार्यालय में कक्षा 10 के तीस छात्रों के रजिस्ट्रेशन नहीं भेजे के कारण 30 रु0 छात्र पूरे वर्ष खेल का कोई भी आयोजन नहीं किया जाता है फर्जी बिल मिठाई के चिपकाये जाते हैं प्रतिवर्ष प्रयोगतात्मक परीक्षा के नाम पर हजारों रु0 वसूल किये जाते हैं मगर रसीद नहीं दी जाती है इस सम्बन्ध में अभिवावकों द्वारा अनेकों शिकायतें जिलाधिकारी से की लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जिससे विनय कुमार जैन के हसौले बुलन्द हो रहे हैं इसके भ्रष्टाचार के मामले में स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों ने भी प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किये गये हैं इसके बावजूद भी कोई भी कार्यवाही उक्त के विरुद्ध नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार को कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद बदायूं में आवास विकास परिषद् द्वारा पावर आफ अटार्नी के माध्यम से क्रय की गयी सम्पत्तियों के हकदारों के हक में रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[मान्यवर, जनपद बदायूं में आवास विकास कालोनी के निवासियों को शासनादेश संख्या क0नि0 5-412/11-2003-312(286)/2002 दिनांक 23-1-2003 के अनुसार आवास विकास परिषद् उ0 प्र0 में वास्तविक काबिजदार/हकदार जिन्होंने पावर आफ अटार्नी के माध्यम से सम्पत्ति क्रय की है के हक में सीधे रजिस्ट्री करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया था। इस सन्दर्भ में आवास विकास परिषद् द्वारा कार्यवाही करते हुए 2000/-रु0 प्रति प्रार्थना-पत्र प्रोसेसिंग फीस जमा कराई गई थी। जिसके अनुरूप प्रार्थीगणों ने फीस जमा किया था परन्तु अभी तक प्रार्थीगणों के हक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में सम्पत्ति हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण मेरे क्षेत्र के प्रार्थीगणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पावर आफ अटार्नी के माध्यम से क्रय की गयी सम्पत्तियों के हकदारों के हकमें रजिस्ट्री कराने हेतु शासनादेश जारी करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मे0 किसान एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम साहूपुर, जनपद सुल्तानपुर में बन्द पड़ी राइस मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप सण्डा-

[सुल्तानपुर जनपद की पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हुए दो महिला उद्यमियों का उत्पीड़न किये जाने व सैकड़ों किसानों को आर्थिक संकट में डालने के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मे0 किसान एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम साहूपुर, पो0 हनुमानगंज, तहसील लम्भुआ, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर एक राइस मिल है जिसमें श्रीमती बिन्दु सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह व श्रीमती एरम हैदर पत्नी श्री हैदर हुसैन साझेदार हैं। इन दोनों महिला उद्यमियों ने लाखों रुपये की लागत से लगभग एक वर्ष पूर्व इस राइस मिल की स्थापना की, मिल सुचारु रूप से चलने लगी तथा मिल में क्षेत्रीय किसानों का लगभग 15 लाख रुपये से ज्यादा का धान लेवी चावल हेतु मिल में पड़ा हुआ है। दिनांक 31-12-07 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम चरन एस0 ओ0 जी0 प्रभारी श्री अशोक तिवारी सहित कई थानों की पुलिस व कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने राइस मिल में ताला डाल दिया और यह धमकी देकर चले गये कि अगर राइस मिल दोबारा चलाई गई तो गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लगभग 2 माह से राइस मिल बन्द पड़ी है जिससे किसानों का धान खराब हो रहा है तथा वे श्रीमती बिन्दू सिंह तथा श्रीमती एरम हैदर पर अपने धान की वापसी या उसके भुगतान का दबाव बना रहे हैं। इससे उक्त दोनों महिलायें मानसिक अवसाद की दशा में हैं तथा श्रीमती एरम हैदर का डाक्टर द्वारा अवसाद का इलाज भी किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से उनका मनोबल क्षीण हुआ है।

प्रशासन की इस कार्यवाही से जहां एक तरफ दो महिला उद्यमियों का उत्पीड़न हुआ है तथा दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। दोनों महिला उद्यमियों द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को मिल खोलने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र भी दिया है जिसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है किसान हित तथा न्याय हित में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बन्द राइस मिल को तत्काल प्रारम्भ कराया जाना अति आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के चन्दासी कोयला मण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला मण्डी चन्दासी है। जहां पर छत्तीसगढ़अ, मध्य प्रदेश से कोयला ट्रकों व ट्रेनों से बड़ी मात्रा में आकर यहां पर चन्दासी कोयला मण्डी में अनलोड (उतारा जाता है) तथा फिर यहां से इसी कोयले को व्यापारियों द्वारा देश-प्रदेश के अन्य कोनों में लोड कराकर भेजा जाता है। बड़े पैमाने पर यहां कोयले का कारोबार होता है। यहां पर कोयला लेकर आने वाले ट्रकों एवं जाने वाले ट्रकों को ठहराव के लिये कई बाईपास सड़कों का निर्माण कराया गया था। जिससे जी0टी0 रोड जाम न हो सके। विगत कई वर्षों से कोयला मण्डी चन्दासी की सड़कें जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गयी हैं सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके चलते कोयला मण्डी में आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। ट्रकों का जी0टी0 रोड पर लम्बा काफिला लग जाता है। इस मण्डी में बड़े पैमाने पर कोयला उतारने और लादने का काम मजदूर करते हैं और उनकी संख्या हजारों में है सड़कें क्षतिग्रस्त होने से जाम लग जाता है। नागरिकों को वाराणसी और मुगलसराय आने जाने में काफी असुविधा होती है कोयला मण्डी में स्थित सड़कें जो जर्जर और क्षतिग्रस्त हैं का सुदृढ़ीकरण करा दिया जाय। जो जाम आदि समस्याओं से निजात मिल जायेगा। नागरिकों को आने जाने की असुविधायें भी जो जाम के चलते होती हैं उसका भी हल हो जायेगा। यह जनहित का मामला है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चन्दासी कोयला मण्डी में स्थित जर्जर क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त विभिन्न सड़कों को तत्काल सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के किशनपुर बिराल छपरौली वाया सूप मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाट मिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[जनपद बागपत के मुख्य मार्ग किशनपुर बिराल छपरौली वाया सूप मार्ग बहुत ही जर्जर है मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हैं मार्ग के दोनों ओर खड़ंजा व मिट्टी पूर्णतया टूट चुकी है। मार्ग की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं इस मार्ग का यातायात का घनत्व बहुत अधिक है इस मार्ग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश गढ़ा हुआ माना गया।

पर चीनी मिल मलकपुर, किनौनी, बागपत दौराला को गन्ने से भरे ट्रक, ट्राली, भैसा बुग्गी के साथ दैनिक के वाहनों के रूप में सैकड़ों स्कूल की बसें/कार, निजी वाहन यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के कारण इस मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुए हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कराना अति आवश्यक है। यह मार्ग जनपद बागपत के मुख्य उपनगर बड़ौत को होते हुए जिला मुख्यालय जाने का एकमात्र मार्ग है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद बागपत के किशनपुर बिराल छपरौली वाया सूप मार्ग को सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।]

मथुरा से गोवर्धन एवं मथुरा से सौंख जाने वाले मार्गों का उच्चीकरण एवं अगल-बगल नालों का निर्माण तथा यथासम्भव सड़कों का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप माथुर-

[मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र एक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है, वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। गोवर्धन श्री गिरिराज जी का महत्व है एवं उनकी परिक्रमा हेतु लाखों लोग आते हैं। ऐसे ही सौख कस्बा पुरातत्व महत्व का स्थान है।

मथुरा से गोवर्धन एवं मथुरा से सौख जाने वाले दोनों मार्ग मथुरा शहर से सटे हुए हैं एवं दोनों का प्रारम्भ (1) एन0एच0-2 मंडी चौराहा, सौरव रोड एवं (2) एन0एच0-2 गोवर्धन चौराहा, गोवर्धन रोड से होता है। एन0एच0-2 से लगे एवं शहर से सटे होने के कारण उक्त मार्गों के दोनों और विगत 15-20 वर्षों में 35-40 कालोनियां बन चुकी हैं। यहीं पर मथुरा की मुख्य अनाज मंडी एवं फल-सब्जी मंडी भी स्थित है।

इन नवविकसित कालोनियों की घनी आबादी एवं श्रद्धालु पर्यटकों के अलावा नियमित ट्रैफिक के दबाव के कारण दोनों मार्ग अपने प्रारम्भिक एक कि0मी0 क्षेत्र तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो चुके हैं एंव कालोनियों के गन्दे पानी के निकास की कोई व्यवस्था न होने के कारण जल भराव व गंदगी की समस्या भी बनी रहती है इससे क्षेत्रीय नागरिकों के साथ बाहर से आये श्रद्धालुगण जो वर्ष भर गोवर्धन की परिक्रमा लगाने हेतु आते रहते हैं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से मथुरा की छवि धूमिल हो रही है एवं भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले विश्वभर के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है।

अतः दोनों मार्गों पर अगल-बगल नालों का निर्माण कराया जाना, मार्गों को उच्चीकृत करके बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 कराने एवं यथासंभव चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।]

*** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने की जांच टी0 ए0 सी0 से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के क्षेत्र पंचायत छपिया में वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत मार्गों पर कार्य कराया जाना था, लो0नि0 गोण्डा द्वारा सहायक अभियन्ता एवं अभियन्ताओं के लापरवाही से मार्गों पर निर्माण कार्य जो कराया गया है उसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। अभी मार्ग एक वर्ष भी नहीं हुए हैं। स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। जगह-जगह पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों के टेण्डर होने के काफी समय बाद तक न तो वाण्ड गठित किया जाता है और न ही समय से अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाता है। मेरे द्वारा सम्बन्धित अभियन्ताओं को क्षेत्र में हो रहे अनियमित कार्यों के विषय में अवगत कराया गया, परन्तु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि सनवरषा (संगवा) चटकनवा, बगदर ग्रन्ट मार्ग का निर्माण कार्य एवं झिलाही वजीरगंज मार्ग का उच्चीकरण का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं थी, के सम्बन्ध में मेरे द्वारा शासन को अवगत कराया गया, जिला मुख्यालय पर टी0ए0सी0 जांच की टीम आयी और अभियन्ताओं के साथ बैठकर कागजी खाना पुरी करके बिना स्थलीय परीक्षण करके चले गये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए टी0ए0सी0 जांच एवं दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-उन्नाव के भगवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत बजौरा पुल के दोनों ओर अप्रोच मार्ग स्वीकृत कर निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृपा शंकर सिंह-

[भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के बिहार-सरेनी मार्ग पर ग्राम बजौरा के सामने लोन नदी के ऊपर विगत 10 वर्ष पूर्व एक पुल का निर्माण कराया गया था किन्तु उसके दोनों ओर मिट्टी की भराई कराकर अप्रोच मार्ग इतने लम्बे समय के बाद भी नहीं बनवाया जा सका जिसके कारण करोड़ों की लगात से बनवाये गये सड़क एवं पुल अर्थहीन प्रमाणित हो रहे हैं। आवागमन अप्रोच मार्ग न बनने के कारण पूरी तरह से बाधित है। पैदल यात्री के अलावा अन्य कोई वाहन सड़क से नहीं गुजरते हैं। दर्जनों ग्रामों की जनता इसके कारण प्रभावित है। जनहित को ध्यान में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रखकर बजौरा पुल के दोनों ओर अप्रोच मार्ग स्वीकृत करके निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवयक है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उक्त प्रश्न माननीय सदन के समक्ष उठाये जाने की अनुज्ञा देने की कृपा करें।]

जिला चिकित्सालय, बांदा में सिटीस्केन की सुविधा कराने एवं सी0 एच0 सी0 जसपुरा, तिन्दवारी, पैलानी एवं चन्द्रवारा में रिक्त डाक्टरों/कर्मचारियों के पद भरने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, निवेदन है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में सिटी स्कैन की सुविधा न होने के कारण प्रति माह दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिये सिटी स्कैन की सुविधा कराना जरूरी है तथा जसपुरा, तिन्दवारी सी0एच0सी0 में कोई महिला डाक्टर एवं अन्य कर्मचारी न होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है। इसलिये डाक्टरों की पूर्ति कराया जाना आवश्यक है तथा पी0एच0सी0 चन्दवारा, पैलानी में डाक्टरों की कमी है जिसको पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। जसपुरा में एक्सरे मशीन है लेकिन कर्मचारी नहीं है।

अतः लोक महत्व के विषय पर उपरोक्त विषय पर माननीय मंत्री जी से कार्यवाही कराने की कृपा करें।]

जनपद गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत 'नन्दगंज' स्थित लार्ड डिस्टलरी के व्यवसायिक बहिःस्राव से पर्यावरण को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राजकुमार सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-जमानियां, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत नन्दगंज स्थित लॉर्ड डिस्टलरी के व्यवसायिक बहिःस्राव से पर्यावरण को व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचायी जा रही है। सह नाला नन्दगंज से रेवसा-कुसुम्हीं कला-आकुशपुर-धितुआ-आमादपुर है। यह नाला नन्दगंज से रेवसा-कुसुम्हीं कलां-आकुशपुर-धितुआ-अमादपुर-सकरा-हुसैनपुर-जंजीरपुर-कुर्था पवहारी बाबा का आश्रम के आवासीय क्षेत्रों से होकर लगभग 15 किमी0 की दूरी तय करके पत्थर घाट पर गंगा नदी में मिलता है। इस नाले से गंगा नदी का जल प्रदूषित होने के साथ ही नाले से फैलने वाली दुर्गन्ध से वायु प्रदूषण द्वारा नाले के मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पशु-पक्षी नाले का प्रदूषित पानी पीने से गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होते हैं परिणामतः बहुतायत की मृत्यु हो जाती है। डिस्टलरी द्वारा व्यवसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु निर्धारित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रक्रियाओं का उल्लंघन एवं अनदेखी की जा रही है। इसके द्वारा प्रवाहित प्रदूषित जल कृषि एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उचित कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता है।

कृपया लोक-महत्व के उक्त विषय को सदन में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक माननीय सदस्य नहीं आये हैं, जो उसमें प्रतीक्षा सूची से ले ली जाय। मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब ने भी कहा है। आप तो स्वीकृति मान लिये हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

ठीक है, मैं कल फिर दे दूंगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3 मार्च, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का चुनाव न होने तक जिन समितियों में मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा सभापति होते हैं उनमें या तो माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वयं को अथवा अन्य समितियों के मा0 सभापतियों को अतिरिक्त प्रभार देकर या ऐसी समितियों के माननीय सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को समिति के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अशोक कंसल तथा श्री मदन भैया की विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन तक मा0 उपाध्यक्ष के सभापतित्व वाली समितियों के संचालन हेतु तदर्थ रूप से कार्यवाहक सभापति बनाये जाने के सम्बन्ध में है। इन दोनों सूचनाओं को सुना जायेगा और दो सूचनाएं जो नहीं सुनी जायेंगी। सूचना देने वाले सदस्यों के नाम हैं पहली श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय तक में सरकारी वकीलों के स्थान पर अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा विधान सभा के सत्र के दौरान सदन के बाहर आश्वासन दिये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की अनौचित्य पूर्ण तरीके से विधान सभा के उपवेशन की कार्यसूची से प्रश्नों को निरस्त/स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी को पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे श्रीमन् हमने जो अनुरोध किया था, पुनः अनुरोध करना चाहते हैं।

विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक मा0 उपाध्यक्ष के सभापतित्व वाली समितियों के संचालन हेतु कार्यवाहक सभापति बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सारांश में मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, दो परिस्थितियां हैं। प्रत्येक दिन 11 बजे से 12 बजकर 20 मिनट तक प्रश्नकाल होता है। उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जो प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित किये जाते हैं और विशेषकर वह विपक्ष के होते हैं और किसी भी दल के होते हैं। दूसरी एक समिति और होती है मान्यवर, जिसका जिक्र हमारे साथी कुबेर सिंह जी ने किया है, विशेषाधिकार समिति। इन दोनों ही समितियों के सभापति आज इन समितियों के पास नहीं हैं और इसी तरह से याचिका समिति भी है। मान्यवर, यह तीनों समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोजाना याचिकाएं प्रस्तुत होती हैं। मान्यवर, नियम क्या है अध्याय-16 का 200 पर कृपया एक बार अनुश्रवण करने की कृपा करें। 'प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर, मैं जो जिक्र कर रहा हूं मान्यवर, यह 13 मई के आस-पास का जिक्र है। मान्यवर, मई, 2007 में जो हो जाना चाहिए था। प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हों, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी। स्थिति बहुत स्पष्ट है मान्यवर, यह हो जाना चाहिए था मई, 2007 में आज हो गई है। मान्यवर, मार्च, 2008 में इसलिये इस प्रश्न को उठा रहा हूं कि आपने कृपा करके संसदीय कार्य मंत्री, नेता विपक्ष और सभी दलों की राय से सारी समितियों का गठन हो गया लेकिन मान्यवर, एक वैधानिक और संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। यह महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है और इसके पदेन अध्यक्ष स्वयं माननीय उपाध्यक्ष महोदय होते हैं। चूंकि मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष का पद रिक्त है इसलिये यह समितियां होते हुए भी, बहुत से हमारे सत्तारूढ़ दल के और विपक्ष के माननीय सदस्य इसमें नामित हैं। यह समितियां तो हैं मान्यवर,। इनका जन्म तो हुआ है लेकिन यह कार्य नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि जब इनके पास अध्यक्ष नहीं हैं तो यह पूरी तरह से हैडलैस आरगनाइजेशन हैं, सिरविहीन प्राणी हैं मान्यवर।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज यह संवैधानिक स्थिति में मैं सुझाव देना चाहता हूं और अगर मेरा सुझाव आप स्वीकार कर लें तो इस संवैधानिक कष्ट से सदन को निजात मिल सकती है। मेरे पास कल लाइब्रेरी बन्द थी, मैं पढ़ नहीं सका मान्यवर। इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो इसे रिजर्व कर लें मैं आपको और उपलब्ध करा दूंगा, मुझे दो तीन घंटे का समय चाहिए मान्यवर, इस संदर्भ में। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया 201 देख लें उसमें भी मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं प्रत्येक समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा। परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हो तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे।' इसी में मान्यवर दो में आपके अधिकार के बारे में दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति होगी तो आप क्या करेंगे। मान्यवर, 201(2) में है कि-'यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे।' तो इसमें लिखा है कि 'अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे' ऐसी परिस्थिति में जहां सभापति का स्थान रिक्त है वहां आपको अधिकार है। आप मनोनीत कर सकते हैं अध्यक्ष, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, जब तक नियमित न हो जाए। मेरा कहना है कि इन समितियों का कार्य होना आवश्यक है। उपाध्यक्ष का चुनाव या तो तत्काल आप करा लें। किन्हीं कारणों से अगर विलम्ब हो रहा हो तो मेरा पहला सुझाव इसमें यह है कि संवैधानिक रूप से विचार कर लें कोई व्यवस्था देने के पहले इसको आप दिखवा लें। जो उपाध्यक्ष के अधिकार हैं उसे आप स्वयं ले लें और इन समितियों के सभापति आप स्वयं हो जाएं यह समितियां कम से कम कार्य तो करें। दूसरा इसमें आप वैकल्पिक व्यवस्थाकर सकते हैं कि जो समितियां हैं इसमें जो वरिष्ठतम सदस्य हों उनको आप सभापति बना दें समितियां तो कम से कम कार्य करें। तीसरा एक सुझाव है कि जो अन्य समितियां हैं उनके जो सभापति हैं इनको अतिरिक्त प्रभार दे दें यह करें। लेकिन यह मृत प्राय पड़ी जो तीन समितियां हैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति है इनको जीवन दान दीजिए यह कार्य तो करें। यह समितियां होते हुए भी सदस्य नामित होते हुए भी यह समितियां कार्य नहीं कर पा रही हैं संवैधानिक प्रश्न है इसमें आप व्यवस्था देने के पूर्व आप देख लें, बहुत से प्रदेशों में ऐसी स्थितियां आयी हैं उसको आप देख लें मैं स्वयं आपको साहित्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं कल परसों, नरसों आप इस पर अपना निर्णय सुना देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा कहना है कि जैसे याचिका समिति या और समितियां हैं इनको अपने संगठन का मुखिया मिल जाए ताकि यह अपना कार्य करना शुरू कर दें। क्योंकि प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, विशेषाधिकार समिति है, याचिका समिति हमारे बड़े महत्वपूर्ण संगठन हैं इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कंसल जी आपका भी इसी सम्बन्ध में है।

*श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि सदन का गठन हुए लगभग 10 माह होने जा रहे हैं। अभी तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। न ही अभी तक इस पद को भरने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है। उपाध्यक्ष का पद न होने से आपको भी कठिनाई होती है। पूरा समय सदन में रहना पड़ता है और अन्य जो समितियां हैं उनके सभापति जहां उपाध्यक्ष होते हैं उसमें कार्य नहीं हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे सदन के अधिकारों से सम्बन्धित यह मामला है मैं इसमें अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष के निर्वाचन में कोई गम्भीर स्थिति हो, कि मा0 उपाध्यक्ष के निर्वाचन से अगर सरकार चलने में खतरा पैदा हो रहा हो तो इस सदन को संचालित करने में कोई असाधारण स्थिति पैदा हो जाए, तब तो विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर गम्भीर कठिनाई सरकार के सम्मुख न हो तो जो प्राविधान संविधान और हमारी नियमावली में हैं उसमें विकल्प लिखे हुए हैं तो किसी पतली गली में जाने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष का चुनाव न कराने में क्या मजबूरी है अगर कोई मजबूरी है तो उसको सदन के सामने आना चाहिए और अगर मजबूरी है तो पूरा सदन उस पर विचार करेगा। सरकार को कठिनाई में डालकर यदि उपाध्यक्ष का चुनाव हो तो यह ठीक नहीं है लेकिन यदि ऐसे ही अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, नियमावली के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि निर्देश दे रहे हैं कि इसलिये उपाध्यक्ष न बनाया जाए तब तो बहुत गम्भीर हो जायेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि सीधे-सीधे उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा आपकी पीठ से होनी चाहिए। इसमें किसी दूसरे विकल्प पर विचार किया जाना कदापि उचित नहीं होगा। जब आप अपनी व्यवस्था दें तो आप इस पर जरूर विचार करें और मैं पुनः अनुरोध करूंगा, यही एक सवाल नहीं है कि चार समितियां, पुस्तकालय समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति का कार्य नहीं हो रहा है, मान्यवर, उपाध्यक्ष होता है तो प्रश्न का जवाब सही है या नहीं है, अतिरिक्त भार आप पर भी है लेकिन यदि आप सभी लेना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष का काम लेना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन और किसी विकल्प पर जाने के पहले उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाये यदि यह सम्भव नहीं है तो आम जनता तो जाने की संविधान के प्राविधानों के तहत सरकार को यह करने में कितनी कठिनाई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने सबसे पहली बात कही कि उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाए यदि न हो तो अन्य विकल्प हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह नियमावली और उससे ऊपर सदन की व्यवस्था का प्रश्न है और यह प्रश्न सीधे-सीधे आपसे जुड़ा है और इसीलिए मैं समझता हूं, तिवारी जी ने, अम्बिका जी ने और मैं भी जो कह रहा हूं एक अपने सुझाव के रूप में कह रहा हूं। जैसे हम लोग और मामले आपत्ति के रूप में उठाते हैं, उस तरह नहीं उठा रहे हैं लेकिन इससे एक बात और हमें लगती है कि न चुनाव कराने का औचित्य सदन नहीं जान पा रहा है। प्रमोद तिवारी जी ने जो सुझाव दिया, उन सुझावों में से यदि कोई भी सुझाव स्वीकार होता है तब भी जनता जानना चाहेगी कि यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ? तो एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और वह कहीं न कहीं आप से जुड़ रहा है, पीछे से भी यदि कुछ ऐसा होता है तो उसमें शासन की नीति और मंशा उससे काफी जुड़ी रहती है लेकिन मान्यवर, हम लोगों ने देखा है कि आप जिस तरह से उदारतापूर्वक, सहृदयता से और निष्पक्षता से सदन को चला रहे है, यह वर्षों बाद एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इस सदन की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने का कार्य आप कर रहे हैं। इसलिए यदि आप सब अधिकार ले लें तो आपके ऊपर एकाधिकार का आरोप लगेगा, बिना कारण बताये यदि चुनाव नहीं हो रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं निष्पक्षता पर उंगली उठेगी। इसलिए 5 साल तक तो उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं टाला जा सकता है। शासन की यदि कोई अदृश्य मंशा है तो भी 5 साल तक नहीं टाल सकते हैं। यह प्रश्न यदि आपसे नहीं जुड़ा रहता तो पहले सत्र में ही या दूसरे सत्र में हंगामे का रूप ले लेता। जिस प्रकार आप मर्यादा का ध्यान रखते हैं, उससे ज्यादा हम लोग भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं।

मान्यवर, आपके साथ चर्चा भी हुई, संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे, हम लोग आश्वस्त होकर उठते थे कि कोई न कोई तिथि इसके लिये निर्धारित हो जायेगी लेकिन सत्र के कुछ ही दिन अब बाकी हैं, इसलिये इस पीठ की मर्यादा, सदन की मर्यादा और संवैधानिक व्यवस्था पर किसी प्रकार का शासन का वर्चस्व नहीं है, इस सदन के अधिकार पर शासन की मंशा हावी नहीं हो रही है, यह सिद्ध करने के लिये, यह प्रमाणित करने के लिये और पूरे सदन का विश्वास बना रहे, इसलिये जरूरी है मान्यवर, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके निश्चित रूप से इसका चुनाव करायें। मान्यवर, आज जिसको भी चाहें बना दें। वह तो बहुमत से बनेगा। बहुमत सत्ता के पास है और वह सत्ता जो परम्परागत व्यवस्था है उसके विरुद्ध जाकर कोई आरोप नहीं लेना चाहती और वह आपके ऊपर डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। मैं समझ रहा हूं कि वर्षों बाद एक अच्छी परम्परा सौहार्द्र की बन रही है और निश्चित रूप से इसका चुनाव करा दें। मान्यवर, अब इसको टालना आपकी और आपकी कुर्सी के लिये उचित नहीं होगा। इतना मेरा आग्रह है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, सम्पूर्ण सदन यह चाहता है। करीब एक साल पूरा हो गया और उपाध्यक्ष का चुनाव न हो पाया। अभी आपने निर्णय लिया लोक लेखा समिति का वह भी पूर्ण हो गया। इसी तरह से आप सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष का चुनाव इसी सत्र में करा दें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसमें नियमों में सम्पूर्ण अधिकार आपका है। माननीय तिवारी जी ने जो विषय उठाया है समिति के सम्बन्ध में उसमें भी आपको सभापति नियुक्त करने का अधिकार है या जो अभी चुनाव का प्रकरण आया है उसमें भी आपका अधिकार है। उसमें आपको ही निर्णय लेने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अभी इसमें निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पिछली बार भी यह प्रश्न उठा था और आपने निर्णय सुरक्षित किया था लेकिन फिर दोबारा निर्णय सुरक्षित किया गया है तो कम से कम उस निर्णय को तो हमारे सामने रख दीजिए।

न्यायालयों में सरकारी वकीलों के स्थान पर अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर सत्र के दौरान सदन के बाहर की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दो सूचनाएं मिली हैं, श्रीवास्तव जी उसमें आप हमेशा लगाते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जी इस पर कैसे औचित्य का विषय बनता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो बात अखबारों में आयी है और जिसका उन्होंने भी उल्लेख किया है। जो श्रीवास्तव जी की सूचना है उसमें आप कुछ सुन लें।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसी सदन में नियम 56 में 27 तारीख को सूचना दी थी कि गृह सचिव की बैठक में यह टिप्पणी की गयी कि अधिवक्ता अभियोजना की कमजोरी होता है, विवेचना नहीं कर पाता है और पर्यवेक्षण में अभाव है। इसलिये अधिवक्तओं को अपर न्यायाधीश के पद से लेकर उच्च न्यायालय के पद पर जहां अधिवक्ता नियुक्त हैं उनको हटाकर उनकी जगह वहां पर ए0पी0ओ0 को रखा जाये। मान्यवर, अधिवक्ता समाज जिनसे यह सरकार परामर्श लेती है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाधिवक्ता बनाती है उस अधिवक्ता समाज की योग्यता पर यह आरोप लगाया जाये कि उसकी योग्यता कम हो गयी। बड़ा दुखद विषय है कि सरकार ने, मंत्री जी ने सदन में कोई उत्तर नहीं दिया और यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन चल रहा है और सदन के बाहर गृह सचिव, चैम्बर साहब बयान दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि इस पर विचार किया जाये और यह आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी है और उस टिप्पणी को निकाल दिया जाये। मान्यवर, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। सदन चल रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बयान दे देते कि इस पर विचार चल रहा है, अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गयी है तो उसे निकाल दिया जायेगा लेकिन यह कार्य किया सदन से बाहर। सदन चलते हुए अनेक जो नोटिसें एम0एल0ए0 दिये हैं उन पर भी कोई आश्वासन न देकर, उन पर कोई टिप्पणी न देकर एक अधिकारी बोल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यह नियम के अन्तर्गत आता है। इसको गम्भीरता से लें। कई ऐसे निर्णय हुए हैं, सदन में माननीय मंत्री जी नहीं बोलते हैं लेकिन अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिये अधिकारी बाहर बाहर बोलते हैं। इसी तरह से बी0टी0सी0 शिक्षकों की बात है। अधिकारियों को सदन से बाहर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो सदन में दिया है उस पर बोलें। जिस संदर्भ में आपने लगाया है उसी पर बोलें। आप समाप्त करें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय श्रीवास्तव जी, अधिवक्ता हैं और नियमों के अच्छे जानकार हैं। मान्यवर, अगर कोई साधारण मेम्बर जो नियम कानून कम पढ़ा है वह इस बात को उठाता तो लगता कि नियमों को तोड़ा गया है। यह नियम-300 की परिधि में नहीं आता है। इसका कहीं दूर-दूर तक तात्पर्य नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को अवगत कराना चाहूंगा कि जो टिप्पणी आयी थी, शासन अपने स्तर की मांग करता है। अभियोजन निदेशालय से टिप्पणी मंगायी गयी, जो टिप्पणी आयी थी, उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थीं इसमें विचार करके, यह उसकी प्रक्रिया है, प्रशासनिक निर्णय है, तो एक चिट्ठी भेजी गयी महानिदेशक अभियोजन को। मैं पढ़कर सुना रहा हूं। कृपया अभियोजन निदेशालय के पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 07 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता संशोधन अधिनियम, 2005 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु कतिपय बिन्दुओं पर अभियोजन निदेशालय से प्रस्ताव/आख्या शासन को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के साथ संलग्न विवरण में पेज संख्या तीन के बिन्दु संख्या-2 में अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में यह वर्णित किया गया कि अभियोजन निदेशालय के उक्त पत्र के वर्णित उक्त कथन पर अधिवक्ता संवर्ग द्वारा आपत्ति की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय के उक्त पत्र में वर्णित उक्त कथन तथा इस प्रकार के अन्य कथनों को विलोपित करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन

को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि इस प्रकार चूक किस स्तर पर हुई है कृपया कृत कार्यवाही से आज ही अवगत कराने का कष्ट करें। यह प्रमुख सचिव, गृह ने पत्र लिखा महानिदेशक, अभियोजन को। मान्यवर, यह प्रशासनिक टिप्पणी आयी थी, एक सुझाव निदेशालय से आया था, उस टिप्पणी में महसूस किया कि जो अधिवक्ताओं के बारे में किया गया वह गलत है और इसके आधार पर कहा गया। मान्यवर, इसका सदन से कोई तात्पर्य नहीं है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे अग्राह्य कर चुका हूं। माननीय ओम प्रकाश जी बात स्पष्ट हो गयी है। उसको स्वीकार किया है लोगों ने, उसमें कुछ टिप्पणी है, कुछ अंश है उसको निकाल दिया जाय। खत्म हो गया।

विधान सभा के उपवेशनों की कार्यसूची से प्रश्नों को निरस्त/स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न सीधे सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है। मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न स्वीकार करना या निरस्त करना हमारा अधिकार है। मैं उसको करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह सही है आपका अधिकार है। लेकिन जिसका अधिकार है वह तो नियमों से काम करें। एक प्रश्न हम लोगों ने लगाया। सरकार से यह पूछा कि क्या वह किसी अध्ययन दल का गठन करेगा या नहीं। अब इस सवाल का जवाब होगा हां या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों की जांच हो तब तो आये। यह प्रश्न है अनौचित्य पूर्ण तरीके से विधान सभा के उपवेशन की कार्यसूची से प्रश्नों को निरस्त/स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है। इसको स्वीकार करने का निर्णय तो मैं लेता हूं, अब इसमें कौन सा नियम-300 का सवाल है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में मेरे पास आकर के उसके सम्बन्ध में हमसे बात कर लीजिएगा।

रही बात ओझा जी की, तो उन्होंने आज कोई नियम-56 में सूचना नहीं दी है, यह तो नेता प्रतिपक्ष जी को अधिकार है, उन्होंने प्रस्ताव ला दिया इस तरह का कि हमारे इस तरह के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी सुन लें। इसलिए मैंने इसे सुनने का निर्णय लिया, अन्यथा कोई नियम-56 में सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, हम आपके आभारी हैं कि नियम-56 में सूचना न होने के बावजूद भी आपने इसे सुनने के लिए लिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अम्बिका चौधरी जी, एक मिनट, क्रम टूटेगा नहीं, हम उसको बना रहे हैं। एक याचिका डा0 अनिल चौधरी जी प्रस्तुत कर दें, उसके बाद कार्य-स्थगन आ जा रहा है।

जनपद हाथरस में कस्बा मुरसान के निकट ग्राम नगला कंचना पर मथुरा-बरेली रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु श्री बनवारी सिंह सिकरवार निवासी हाथरस आदि की हस्ताक्षरित याचिका

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं जनपद हाथरस में कस्बा मुरसान के निकट ग्राम नगला कंचना पर मथुरा-बरेली रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने विषयक श्री बनवारी सिंह सिकरवार तथा इंजीनियर वीरभानु सिंह निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बहाल किये जाने के विषय में संसद सदस्य, श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा विधान सभा के सामने दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत दी गई सूचना

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन के बाहर लोकतंत्र सेनानी धरने पर बैठे हुए हैं और उस धरने में मान्यवर, अनेक पूर्व विधायक और अभी वर्तमान सांसद सलेमपुर भी बैठे हुए हैं हरिकेवल प्रसाद जी। हरिकेवल प्रसाद जी इस सदन के भी सदस्य रहे हैं, संसद के सदस्य कई बार रहे हैं और श्रीमन् उनके बैठने का अकेले मामला नहीं है। जिन स्थितियों में इस देश में इमरजेन्सी लगाई गई है उस इमरजेन्सी में जितनी कठिनाइयों को लोगों ने झेला उसके बाद भी जब उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मान के लिए कभी कुछ नहीं किया गया, जब पिछली सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जब श्रीमन् उन दूसरी आजादी के सेनानियों का, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके मानदेय की घोषणा की, उनका अभिनन्दन किया और मुझे स्मरण है मैं आज नाम लूं तो ठीक नहीं लगेगा, कि आज सत्ता में बैठे हुए अनेक लोग उस समारोह में मौजूद थे, मुझे स्मरण नहीं आप श्रीमन् स्वयं उसमें पहुंच पाये थे या नहीं पहुंच पाये थे, लेकिन उनके अभिनन्दन और सम्मान में विधान सभा की ओर से भी मान्यवर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज वह अपना मानदेय बहाल किये जाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, इससे शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती है। श्रीमन् एक तरफ जहां मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसने बाद में शुरू किया उत्तर प्रदेश को देख कर के अनुकरण किया और वहां उन्होंने छः हजार रुपया कर दिया है पिछली सरकार यह उनका मानदेय जहां बढ़ाने वाली थी, वहां आते ही, श्रीमन् एक जो इस सरकार की कार्यप्रणाली में बात आई है कि जितने भी लोक कल्याण के फैसले उस सरकार ने किये थे उन सभी फैसलों को बदल देना है, मान्यवर, अनेक फैसले बदले गये आज हम उनकी बात नहीं करना चाहते। आपने कन्या विद्याधन रोक दिया, बेरोजगारी भत्ता रोक दिया, जो भर्तियां हुई थीं उनको निरस्त कर दिया, कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया, राजनेताओं के खिलाफ मुकदमें दर्ज करा दिये इस सदन में जो समाजवादी पार्टी के नेता सदस्य हैं मान्यवर, उनके विरुद्ध रोज मुकदमें दाखिल किये जाने का सिलसिला जारी, हम उन सारी बातों को छोड़ कर के आज एक बात कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के साथ आज जो यह सरकार कर रही है और उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, इससे अधिक शर्मनाक कोई स्थिति नहीं हो सकती है मान्यवर, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे अधिक अविलम्बनीय कुछ नहीं है, इससे अधिक लोकमहत्व का कुछ नहीं है और इससे अधिक सुनिश्चित भी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। इसलिए श्रीमन् आज आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। सदन के सभी नियमों को निलम्बित कर दें श्रीमन्, अब तो आपने कार्यस्थगन के क्रम में इसको ले लिया है, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव था, इसलिए मैंने इसको लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के चलते आपने इसको सुन लिया। श्रीमन्, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने नेता प्रतिपक्ष के हस्तक्षेप की मान्यता को स्वीकार करते हुए, आपने इसको सुनने का काम किया। लेकिन अब मान्यवर आप पीठ से निर्देशित करें या यह सरकार स्वयं कहे, अभी उठकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह दें कि सरकार ने निर्णय लिया है कि इन लोकतंत्र के सेनानियों के सामने हम जायेंगे और घोषणा कर देंगे कि उनका जो बकाया है वह आज शाम तक दे दिये जाने के आदेश जारी हो जायेंगे।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है। मान्यवर देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है विशेष रूप से लोकतंत्र के नाम पर, उस व्यवस्था को जो समाप्त कर दिया गया था, इन सेनानियों ने उसके लिये संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी थी और लोकतंत्र को स्थापित करने में अत्यन्त कष्ट झेले हैं। मान्यवर, इस संघर्ष में सामान्य जनता के लोग थे कोई बहुत धनाढ्य लोग नहीं थे। समाज के मध्यम वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित थे। मान्यवर, उसमें दो दलों से जुड़े हुए लोग थे, इन दलों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। यह लोग एक ऐसे महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में उस इमरजेन्सी का विरोध कर रहे थे जो व्यक्ति किसी दल विशेष से नहीं जुड़ा था। वह आम जनता का एक आन्दोलन था एक संघर्ष था। उसमें निश्चित रूप से सामान्य जनता के लोग जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों को बस का पास और 500 रु0 या 1000 रु0 पेंशन दी जाये तो यह मांग सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी आर्थिक क्षति का कार्य नहीं थी। इन लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये जो संघर्ष किया वह महान था। मान्यवर, उन्हें इस तरह से कोई पुरस्कृत नहीं किया गया बल्कि जो उनका उस कार्य में योगदान था वह एक सहायता के रूप में वह उन्हें दी गयी थी। पुरस्कृत तो उन्हें जनता ने खुद ही किया। मैं समझता हूं कि इस पर दलीय आधार से ऊपर उठकर, एक लोक महत्व का विषय बनाकर, जन हित का सबसे बड़ा विषय मानकर विचार किया जाय। मैं आभारी हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इसे उठाया। आपका भी आभारी हूं अध्यक्ष महोदय कि आपने स्वयं इसको स्वीकार करने का काम किया। मान्यवर, इधर बैठे हुए बहुत से लोगों ने उस संघर्ष में भाग लिया था। बहुत से लोगों ने पेंशन नहीं ली थी। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करके इस प्रश्न पर एक सुनिश्चित आश्वासन सदन में देना चाहिये कि वे इसको लागू करने पर विचार करेंगे और आश्वासन ऐसा हो जिसमें कि सदन को विश्वास हो जाये कि यह व्यवस्था पुनर्स्थापित की जायेगी। मान्वयर, इसे किसी दल का कार्यक्रम मानकर विचार करेंगे तो गलती करेंगे। मैं समझता हूं कि जनहित में यह कदम था। उस समय बहुत से लोगों ने उससे सहमति व्यक्त नहीं की थी उसके पीछे उनके राजनीतिक कारण हो सकते हैं अपने दलीय कारण हो सकते हैं। लेकिन आज यह विषय कोई दलीय विषय नहीं है। इसमें सभी दलों के लोग जेलों में गये थे। मैंने तो उसमें पेंशन नहीं ली थी। फार्म नहीं भरा था। यह मानकर कि यह उन लोगों के लिये था जो उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। मान्यवर, हमारी संयुक्त खेती थी मेरा एक हिस्सा सोलह में था। पूरे एक साल तक हम 16 लोगों को उसमें खेती करने से मना कर दिया गया था। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना जो उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी वह लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह श्रेय उन लोगों को जाता है। यह योगदान उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को दलीय प्रश्न नहीं मानकर व्यापक हित का प्रश्न मानकर उनको जो पेंशन आदि की सुविधा दी गयी थी वह पुनः बहाल करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस पर कहा, आपने कहा, कुछ प्रश्न मान्यवर तात्कालिक राजनीतिक कारणों से लिये जाते हैं। मान्यवर, मध्य प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश सिंह जी की पार्टी की सरकार कोई आज से नहीं रही है बहुत दिनों से है उसे तब नहीं लागू किया। आज जब वहां पर चुनाव नजदीक आ गये हैं, तब इसे लागू किया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भी 1977 में उस इमरजेंसी के बाद पहली सरकार बनी उन्हीं लोगों की जो लोग उसमें प्रतिबन्धित थे लेकिन लागू नहीं किया। मान्यवर, 1984 में अवसर मिला, 1991 में अवसर मिला, 1993 में अवसर मिला, 2003 में अवसर मिला, 2003, 2004, 2005 तक लागू नहीं हुआ तब चुनाव नजदीक आया तब लागू किया गया और उसमें भी लिखा जो नियमावली बनी मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। इस नियमावली में लिखा गया यह नियमावली एक अप्रैल, 2006 से लागू होगी। यह योजना दिनांक 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च, 2007 तक के लिए लागू की जायेगी। इस नियमावली में है। आगे चिन्ता सता रही है, अगर इतनी ही चिन्ता थी तो मान्यवर, तो माननीय ओम प्रकाश सिंह जी आपको बार-बार अवसर मिला और उसके बाद भी आपने लागू नहीं किया था। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जब पांचवें वर्ष में आई तब इसलिए कि शायद इसका कुछ लाभ दिखाई पड़ जाय। केवल राजनीतिक परिपेक्ष्य में अगर कोई निर्णय होता है तो निश्चित रूप से उसका कोई महत्व नहीं होता है। मैंने स्वयं यह नियमावली पढ़ी है इसके बाद भी मान्यवर, यह कार्यस्थगन का कोई प्रश्न नहीं बनता। कार्यस्थगन में दिया भी नहीं गया और धरना प्रदर्शन कार्यस्थगन का विषय भी नहीं होता। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं नियमावली कहां से ले आये इस तरह का कुछ था ही नहीं। 5000 रुपये महीने की मैंने घोषणा किया था जनसभाओं में पता नही कहां से नियमावली बना ली गयी। अभी चुनाव हुए तब मैने 5000 रुपये की घोषणा की है कि स्वतंत्रता सेनानियों को 5000 रूपया महीना दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का रूख तो बहुत उदासीन है और लोकतंत्र के प्रति आस्था है भी नहीं। देख रहे है कि लोकतांत्रिक परम्पराओं का कितना निर्वहन किया जाता है। इस सरकार के खिलाफ हम बहिष्कार करते है सदन का। क्योंकि यह तो बहुत ही अशोभनीय है।

(श्री मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया।)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन करता हूँ।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यो के साथ सदन का बर्हिगमन कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं, यह नियम 56 में नहीं आता है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 मार्च, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 01 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कूल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं चित्रकूट जनपदों में बालू का उत्खनन कार्य मशीनों से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की 02 मार्च, 2008 को जनपद मिर्जापुर में संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन में पड़ी भीषण डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की जनपद फतेहपुर में दिनांक 29 फरवरी, 2008 को दलित मां-बेटी की हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ0 सी0 बी0 मधेसिया के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री राम किशुन की प्रदेश के खेती योग्य भूमि में बढ़ रही पारथेनियम घास के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद श्रावस्ती के थाना इकौना अन्तर्गत सुकईराम की हुई हत्या के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई :-

1-श्री सोबरन सिंह यादव, 2-श्री लालजी यादव, 3-श्री महेन्द्र कुमार सिंह ''झीन बाबू'' 4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, 5-श्री सुरेश्वर सिंह, 6-श्री प्रदीप माथुर, 7-डा0 धर्मपाल सिंह, 8-श्री अनूप कुमार गुप्ता, 9-श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री राम सेवक, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अशोक सिंह, श्री शिव बालक पासी, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री संजय कपूर, श्री विनोद चतुर्वेदी।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मेरी सूचना की गम्भीरता और महत्व को देखते हुये इसे नं0 एक पर लगाया गया था, उसका क्रम कैसे बदल गया ?

श्री अध्यक्ष-

हम तो आपको हमेशा नं0 एक पर ही रखते हैं, आज दो पर हो गया है।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा और वृन्दावन में प्रवेश कर लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

उसके सम्बन्ध में तो आपसे वार्ता हो गयी है कि आप कल संशोधन देंगे तो हम ले लेंगे।

(श्री सुरेश्वर सिंह के खड़े होने पर)

सुरेश्वर सिंह जी, आप हमसे बाद में मिल लीजियेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 127 गांव के गरीब, भूमिहीन मजदूर, बालू उत्खनन और मछली मारकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मान्यवर, आज वहां स्थिति यह है कि बालू के ठेकेदार इन गांवों में, जहां उनको ठेके का पट्टा मिला हुआ है, वह पट्टे से अतिरिक्त उत्खनन कार्य कर रहे हैं, और इससे हजारों-हजार परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। यमुना का दक्षिणी भाग जो बुन्देलखण्ड का क्षेत्र लगता है, वहां पर वैसे ही पानी नहीं है और यमुना नदी में जहां पर पानी है जिससे इन गरीबों को कोई रोजगार मिल सकता था या शासन ने शासनादेश जारी करके दिया है वहां पर बड़े भूमाफिया और बालू माफिया लोग मशीनों से काम कर रहे हैं मान्यवर, मशीनों से काम करने पर प्रतिबंध है शासनादेश संख्या-6706/77-5-2000-8(2004)/95 दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 इसके अनुसार मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली, 1963 नियम 3 के उपनियम 1 में यह कहा गया है कि नीलामी प्रणाली द्वारा नदी तल में उपलब्ध उप खनिजों के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है कि खनन पट्टेदारों द्वारा मशीनों से अनियंत्रित खनन कार्य कर नदियों के प्रवाह को प्रभावित किया गया है। जिसके कारण नदियों के तटबन्धों को क्षति पहुंची है तथा किनारों पर जलभराव की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह भी अनुभव रहा है कि नीलामी ठेकेदारों द्वारा मशीनों से खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप परम्परागत रूप से खनन कार्य में लगे समुदायों, श्रमिकों को रोजगार के अवसरों में भी कमी आ रही है और मान्यवर, इसी के बिन्दु 5 पर, मशीनो के उपयोग को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिबंधित किया जाना, नदी तल में बालू, मौरंग खनन के पट्टा क्षेत्रों में मशीनों के उपयोग को वर्जित किये जाने वाली शर्त खनन् पट्टा अभिलेखों में सम्मिलित की जाय। मान्यवर, यह कानून है और इसके बावजूद प्रशासन, शासन, ठेकेदार और माफियाओं की मिलीभगत से वहां पर उत्खनन कार्य चल रहा है। हजारों-हजार मजदूर इसके खिलाफ एकत्रित हैं, संगठित हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और जब वह मीटिगें करते हैं तो उनके ऊपर गोलाबारी की जाती है।

मान्यवर, आप भी इलाहाबाद में थे इसी 22 फरवरी को उसी दिन कौशाम्बी की तरफ से चित्रकूट में मीटिंग कर रहे हजारों मजदूरों पर सैकड़ों राउण्ड गोलियां चलाई गयीं, उन बेचारों ने किसी तरह जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। फिर इसी तरह 28 फरवरी को कौशाम्बी के पिपरहा घाट पर हजारों मजदूर, महिलायें और बच्चे इकट्ठा थे, अपनी बात करने के लिये, कि प्रदेश में कानून के राज की बात की जा रही है तो प्रदेश में कानून का राज लागू किया जाय तो वहां पर भी ठेकेदारों ने गोलियां चलाई और औधन गांव का महेन्द्र निषाद गोली से घायल हुआ और भी लोग घायल हुये और मान्यवर, मरता क्या न करता, भूख से मरने के बजाय लोगों ने तय किया कि हम लोग भी कुछ करेंगे और सारी की सारी भीड़ ने वहां पर जे0 सी0 बी0 मशीन, पोकलैण्ड मशीन सहित 11 मशीनों को आग लगा दी और उन लोगों ने अपनी आत्मरक्षा में अपने लाठी डंडे हथियार उठाये। मान्यवर, निर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वांस सो, सार भस्म हुई जाय। आज मान्यवर, यह स्थिति है कि हजारों-हजार गरीब लोग जो मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं भूखमरी बदहाली में जी रहे हैं। बुन्देलखण्ड में पानी की समस्या पर हम बात करते हैं। बगल में नदी है, उसमें पानी है लेकिन मान्यवर, शासन का पानी मर गया है कि वह अपने कानून को गरीबों के लिये लागू नहीं करा पा रहा है और गरीब मारे जा रहे है। हम कहीं सोनभद्र की बात करते हैं, चन्दौली की बात करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भुखमरी से सब लोग आत्महत्या ही करेंगे, वह कुछ और भी सोंच सकते हैं। उस समय शासन और प्रशासन बहुत खराब स्थिति में आ जायेगा और उसमें सभी असुरक्षित होंगे। आज सब लोग सुरक्षा के लिये चिंतित है और सरकारी सुरक्षा चाहते हैं। आखिर यह स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है, यह बहुत गम्भीर सवाल है हम चाहते हैं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक करके आप चर्चा करा लें। और सरकार तत्काल मशीनो के प्रयोग को बन्द कराये और जो अवैध रूप के खनन से भारी राजस्व की क्षति हो रही है, इसको रोका जाय और जिन लोगों ने निर्दोष लोगो पर गोलियां चलायी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सूचना दी है, उस सूचना के सम्बन्ध में मान्यवर, अवगत कराना है कि जहां तक 25 तारीख का सवाल है, 25 तारीख को कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई क्योंकि उस दिन खनन कार्य बन्द था जहां तक कौशाम्बी का सवाल है, कौशाम्बी में 22 तारीख को कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। 27 तारीख को समय करीब 7.00 बजे प्रातः तील्हापुर घाट

पर पिपरहटा घाट थाना सरायकिल एवं सेमरी घाट थाना लालापुर जनपद इलाहाबाद, यमुना नदी के उत्तर दक्षिण स्थिति पर 1500 से लेकर 2000 लोग एकत्र हो करके, जो बालू के ठेकेदार थे, उनकी जो वहां पर मशीनें थीं ओर जो उनके छप्पर थे उसमें आग लगाने लगे तथा मारपीट करने लगे। और जिसके विरोध में ठेकेदार के लोगों ने भी इकट्ठा हो करके फायरिंग किया, उस फायरिंग में श्री मुन्नू ग्राम ऊधम, थाना पिपरी के बायें पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सरायकिल में मुकदमा अपराध सं0-62/08 धारा-147, 148, 149 तथा धारा-307 भारतीय दण्ड विधान बनाम गिरीश पासी, रामचन्द्र पासी निवासी ग्राम तील्हापुर आदि लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया इसी तरह से जो तोड़फोड़ हुई थी उसके सम्बन्ध में दूसरे पक्ष की ओर से भी रिपोर्ट लिखायी गयी और उस रिपोर्ट के आधार पर भी थाना-पिपरी ने मुकदमा अपराध सं0-43/08 धारा-147, 307 और 504 का मुकदमा भी पंजीकृत किया, जिसकी विवेचना हो रही है। जहां तक पट्टे के सम्बन्ध में बात है तो उसमें जो सामान्य विद्यमान नियम हैं, उन नियमों के तहत बालू खनन कार्य में मशीनों के प्रयोग पर साधारण रूप से प्रतिबन्ध नहीं हैं परन्तु मान्यवर, शासन ने इस बात को महसूस करते हुये कि जिससे पर्यावरण संरक्षण नदी की मुख्य धारा या नैसर्गिक रूप से ऐसी परिस्थिति न पैदा हो, जिससे कि नदी के स्वरूप में छेड़छाड़ किया जाय, इसलिये एक शासनादेश 16-10-2004 में जारी किया गया। उसके प्रस्तर-13 में जो प्रावधान है, उसमें है पर्यावरण संरक्षण एवं नदी के प्राकृतिक स्वरूप में छेड़छाड़ न करने हेतु खनन पट्टाभिलेख में अतिरिक्त शर्त सम्मिलित किया जाना कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित प्रबन्ध करने एवं नदी की प्राकृतिक धारा से छेड़छाड़ न करने के लिये पट्टाधारक को बाध्य बनाने के लिये खनन पट्टाभिलेख में अतिरिक्त शर्त सम्मिलित की जायेगी। खनन कार्य में मशीनों का प्रयोग किये जाने पर यदि पर्यावरण नदी की प्राकृतिक धारा एवं किनारों को कोई क्षति पहुंचती हो या क्षति पहुंचाने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में निदेशक, भूतत्व एवं खनिज या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा मशीनों के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया जा सकेगा जो पट्टाधारक को मान्य एवं बाध्यकारी होगा। मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के आधार पर मान्यवर, जहां तक घटना हुई, उसकी रिपोर्ट अंकित की गई और इसके साथ ही साथ शासनादेश के सम्बन्ध में कि उसका कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसके सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिक्रम उत्तर प्रदेश द्वारा जांच करा ली जायेगी ओर उनकी जो रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी, वह की जायेगी। मान्यवर, जहां तक नियम-56 का सवाल है इसमें इसलिये नहीं आता कि यह लोक महत्व का नहीं है, अविलम्बनीय नहीं है, एक जगह पर कुछ लोगों के बीच के आपस के झगड़े की बात है, उसमें नियमो के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी, की जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। माननीय संसदीयकार्यमंत्री जी बड़े विद्वान मंत्री हैं और उनको लोकमहत्व के विषय में विस्तृत ज्ञान भी है। अभी मैंने बताया कि 30 दिसम्बर,

2006 को जो शासनादेश जारी किया गया है उसके बिन्दु-5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मशीनों के उपयोग को प्रतिबन्धित किया जाना, नदी तल के बालू/मैरंग के खनन पट्टा क्षेत्रों में मशीनों के उपयोग को वर्जित किये जानी वाली शर्तों खनन पट्टा विलेखों में सम्मिलित की जाय। मान्यवर, शर्त इसलिये सम्मिलित की जाती है कि इस शर्त का पालन हो इसलिये इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता। दूसरी बात, अविलम्बनीय इसलिये है कि डेढ़-दो हजार लोग कुछ होते ही नहीं हैं। इतनी बड़ी आबादी में, 127 गांवों में जहां ये मजदूर रहते हैं, ठेकेदारों के साथ पुलिस गांव-गांव में घूम रही है और उनके बच्चों, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वे लोग घर छोड़कर भागे हुये हैं। मान्यवर, कानून का राज कहना और स्थापित करना बड़ी मुश्किल बात है। चूंकि यह सरकार कानून के राज की बात करती है, इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन गरीबों पर हो रहे उत्पीड़न को बंद कराईये नहीं तो इस तरह की घोषणायें मत करिये। चूंकि इनकी मंशा नहीं है कि गरीबों का हित हो इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री अनुग्रह नारायण सिंह को व मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आने एक व्यापक लोक-महत्व के विषय की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, अपने नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा प्रदान करना यह राज्य सरकार का दायित्व है। मैंने जो घटना का उल्लेख किया है यह सही है कि बस से भी लोग यात्रा करते हैं उसमें स्कोर्ट की व्यवस्था नहीं रहती है लेकिन ट्रेनों में स्कोर्ट की व्यवस्था है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें यात्रा कर रहे लोगों के जानमाल की हिफाजत वह करें। लेकिन जिस घटना का मैंने उल्लेख किया है यह 2 मार्च की है, संघमित्रा एक्सप्रेस अपने गंतव्य से चली और मिर्जापुर क्षेत्र में पहुंची। वहां पर सशस्त्र आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने ट्रेनों में लूटपाट करना शुरू कर दिया। जो यात्री थे, उनके पास लाखों रुपये लूट लिये, महिलाओं के जेवर भी लूट लिये जो सामान भरे हुये अटैची वगैरह थे, उसको भी उन्होंने लूट लिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आपस में बातचीत बंद करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

यात्रियों के पास जो नकदी थी उसको भी लूट लिया, महिलाओं के पास जेवर और गहने थे उसको भी लूट लिया और अटैची मे सामान लेकर चल रहे थे उसको भी लूट लिया। यह कहा

जाता है कि सभी यात्रियों को आतंकित करने की दृष्टि से उन्होंने मारा पीटा भी और घायल भी कर दिया। एक आतंक का माहौल वहां पैदा कर दिया ताकि कोई बोल न सके। उन सारे लोगों के हाथों में शस्त्र थे और सबसे मुख्य पहले यह है कि यह घटना तो बहुत दुखद है ही लेकिन उससे भी ज्यादा दुख का विषय यह है कि जो जी0 आर0 पी0 के जवान उस ट्रेन में एस्कार्ट करके चल रहे थे उन्होंने जब देखा कि 10-12 की संख्या में सशस्त्र लोग ट्रेन में प्रवेश करके ऐसा करने लगे तो वह वहां से दुबक लिये और दूसरे कोच में चले गये। यह अत्यंत दुखद पहलू है। यह जो घटनायें लगातार ट्रेनों में हो रही हैं यही नहीं ऐसी भी घटनायें हुई हैं जहां यात्रा कर रही महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा चुकी है आये दिन समाचार पत्रों में इस तरह की घटनायें आती रहती हैं। जो लोग बम्बई या दूसरी जगहों में जीविकोपार्जन के लिये जाते हैं और वह जीविकोपार्जन के बाद अपने कमाये हुये धन समान को लेकर लौटते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा में तमाम लोग जहर खुरानी का शिकार होकर वह सब कुछ जो वह लाते हैं वह तो लूटा ही बैठते हैं साथ जहर खुरानियों द्वारा जो उनको डोज दी जाती है उसके परिणाम स्वरूप कई बार वह अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं । इसका अनुभव मुझे है। मेरे घर के बगल का एक व्यक्ति इस तरह की घटना का शिकार हो गया और कालान्तर में दवा उसके काम न आई और वह दिवंगत हो गया। यह व्यापक लोकहित का मामला है। संसदीय कार्यमंत्री जी कहेंगे कि यह इस नियम में नहीं आता। मान्यवर, राज्य सरकार का यह प्रथम दायित्व है कि अपने नागरिकों की चाहे वह सड़क पर हों, घरों में हों, बसों में हों या ट्रेनों में हों उनके जान-माल की हिफाजत वह करें। उनको वह सुरक्षा प्रदान कर उनको यह भरोसा दिलायें कि आपके जानमाल की जिम्मेदारी हमारे पुलिस प्रशासन की है सरकार की है आप निर्भय होकर रह सकते हैं और जीवन जी सकते हैं अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह जनता का विषय है इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये। सरकार उत्तर देगी तो कहेगी कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन यह एक सुनिश्चित घटना है दो मार्च की घटना है अविलम्बनीय इसलिये है कि लोगों के व्यापक जान-माल और हिफाजत से जुड़ा हुआ विषय है इससे अविलम्बनीय दूसरा विषय नहीं हो सकता है। इसे आपने नियम 311 से नियम 56 में परिवर्तित कर दिया यह कार्यस्थगन की सारी शर्तें पूरी करता है। मैं चाहता हूं कि इसको आप ग्राह्य करेंगे और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक घटना का सवाल है दिनांक 1/2 की रात को मिर्जापुर से जब ट्रेन चली तो रास्ते में सशस्त्र बदमाशों ने यात्रियों से लूटपाट कर डिगहिया घाट मांडा में चैनपुलिंग करके भाग रहे थे कि थाना मांडा के थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी ने तत्काल कांबिंग करके अभियुक्तों की तलाश में पुलिस फोर्स द्वारा घेराबन्दी के फलस्वरूप इन बदमाशों में तीन बदमाशों को प्रातः मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शेष बदमाश भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से सामान बरामद किया गया तथा इस सम्बन्ध में मांडा, इलाहाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया

गया है। पुलिस टीम गठित करके शेष बदमाशों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के लिये दबिश दी जा रही हैं। जहां तक ट्रेनों की सुरक्षा के लिये भी पुलिस महानिरीक्षक को लगाया गया है और कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही साथ इस घटना के समय ट्रेन में जो जी0 आर0 पी0 का स्टाफ नियुक्त था। जी0 आर0 पी0 मुगलसराय के कांस्टेबिल श्री प्रेमराज और कांस्टेबिल राम कुमार मिश्रा को कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इस तरह की कार्यवाही की गई है और सरकार पूरी तरह से जागरूक है, सचेत है, सम्वेदनशील है। यह हमारी प्राथमिकता में है। जहां तक नियम-56 का सवाल है, इसको आप स्वयं देखेंगे कि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये अग्राह्य की जाती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ वर्तमान में व्यवस्था है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि रोज रोज की घटनाओं को देखते हुये यह वर्तमान की व्यवस्था बहुत कम है, अपर्याप्त साबित हो रही है और बावजूद इसके रोज घटनायें घटित हो रही हैं। इस व्यवस्था को रिव्यू कराकर और कोई बेहतर व्यवस्था लागू करने का सरकार प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेल के अन्दर रोज इस तरह की घटनाओं का सिलसिला सुनने को मिलता है। इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इसमें और सतर्कता बरती जाय ताकि और घटनायें इस तरह की न होने पायें। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री आर0 के0 चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत आपने मेरी सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, एक हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की है। 29 फरवरी को एक दलित परिवार की मां-बेटी किसी सामंत के खेत से गुजर रही थी। वहां खेत में चने की फसल तैयार थी। उनका मन चना खाने का हुआ तो उन्होंने खेत से 2/4 चने के पेड़ उखाड़ लिये इस पर उस सामंती किसान ने उन मां-बेटी को इतना पीटा कि वो दलित परिवार की मां बेटी की मौत हो गई। मान्यवर, इस तरह की हृदय विदारक घटना से गलत संदेश जा रहा है इसलिये मैंने इसको नियम-56 में दिया है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर जवाब देंगे कि यह नियम-56 की परिधि में नहीं आती है, मुजरिम पकड़ लिये गये

हैं। मान्यवर, यह गलत संदेश देने वाली घटना है। देश को आजाद हुये 60 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक दलितों को जमीन नहीं दे पायें हैं जिससे कि उनके अपने खेत हो जायं और वो अपने खाने के लिये प्याज, आलू, सरसों, लहसुन, चना मटर बो सके। मान्यवर, सबका मन होता है जब किसी खेत से कोई आदमी गुजरता है, तैयार फसल होती है। चोरी की नीयत नहीं, हड़पने की नीयत नहीं, एक आध पेड़ उखाड़कर चना मटर खाने का मन होता है। मान्यवर, उस गांव में दलितों के पास न जमीन है, न खेत है न खलिहान है, सारे गरीब हैं। उन्हें कभी जमीन आवंटित भी नहीं हुई। उस गांव के सामन्ती इस कद्र ईर्ष्या रखते हैं कि उनके खेत से 2/4 पेड़ कोई दलित उखाड़ ले, यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं यदि कोई दलित उनके खेत की मेड़ के किनारे से गुजरता है तो बुरा मानते हैं। मान्यवर, आजादी के 60 साल के बाद भी दलित समाज को आज अच्छी जिन्दगी नहीं मिल पाई हैं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार कभी कभी किसानों के हित के लिये कुछ सोचती है लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो मजबूर हैं, जिनके पास खेत हैं न कोई और साधन हैं। सरकार के पास कहेगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर को मजदूर बने रहने की योजना है एक सरकार ने 100 दिन मजदूर बने रहने की गारन्टी दी है लेकिन वे कब तक उसके सहारे चलेंगे। आज जो बकरा, बकरी, सुअर, गाय पालने के लिये, सिलाई, कढ़ाई की मशीन खरीदने के लिये, कर्ज लेकर किसी तरह से पेट पालता है, उसका क्या होगा। उनको यदि सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं दिया जायेगा तो वो कैसे जियेगा। मान्यवर, मैं नियम-56 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय जिससे कोई हल निकल सके। आये दिन सामन्त किसान किसी न किसी दलित को पीटते हैं। लोगों को मारते हैं पीटते हैं यह घटनायें थम नहीं रही है। यह थम सके ऐसी व्यवस्था कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हितों का हमेशा संरक्षण करने वाली सरकार है। मान्यवर, सामान्य रूप से केवल दलित वर्ग ही नहीं बल्कि प्रदेश के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, के विचार को लेकर हमारा संकल्प है कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अपने संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश का यही कारण है कि विशेष रूप से दलित वर्ग के साथ-साथ सभी वर्गों का विश्वास बहुजन समाज पार्टी के साथ बढ़ा है। मान्यवर, जहां तक इस घटना का सवाल है इस घटना में जो फतेहपुर से पुलिस अधीक्षक की सूचना के अनुसार -

पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 29-2-2008 को समय 18.30 बजे वादी सुखलाल (चौकीदार) द्वारा सूचना दी गयी कि उसके गांव के झल्लू उर्फ रविशंकर शुक्ला पुत्र गिरेजा शंकर शुक्ला जिसके अवैध सम्बन्ध गाँव की श्रीमती आशा पुत्री ननकऊ पत्नी अवधेश रैदास से थे, कि दिनांक 29-2-2008 को श्रीमती आशा व उसकी मां श्रीमती पत्नी ननकऊ गांव के

सोमदत्त शुक्ला के खेत में चने के फसल की कटाई कर रही थी, कि सायं झल्लू खेत में जाकर श्रीमती आशा के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा कि श्रीमती ने बचाव हेतु लिये हसिया से झल्लू के सिर में चोट मार दिया, जिसकी सूचना पाकर झल्लू का भाई लुख्खर उर्फ शिवशंकर शुक्ला पुत्र गिरिजा शंकर शुक्ल ने आकर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर करके श्रीमती आशा एवं उसकी मां को गोली मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। घायल झल्लू को उसके परिवारीजन उपचार हेतु सदर अस्पताल फतेहपुर ले गये, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर के लिये रिफर कर दिया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम चौकीदार सुखलाल द्वारा मु0 अ0 सं0-35/08 धारा 376/511/302 भादवि 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट बनाम झल्लर व लुख्खर शुक्ल उपरोक्त पंजीकृत कराया गया। शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया।

उक्त अभियोग में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी हैं।

मान्यवर, दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है इस पर कार्यवाही की जा चुकी है। यह नियम-56 में नहीं आता है। प्रभावी कार्यवाही इसमें की जा चुकी है। इस बात को भी मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि उनको दलितों के प्रति चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी को इनसे कहीं बहुत ज्यादा दलित समाज की चिन्ता है। इनको न्याय मिले, इनके न्याय स्वाभिमान और सम्मान के लिये हर स्तर पर कार्यवाही की जा रही है इसका नतीजा है, शनिवार को इस सदन में इस बात को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक गांव में सफाईकर्मियों की नियुक्ति के लिये, एक लाख सफाई कर्मियों को नियुक्त करने के लिये कहा गया था, उनको भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले इसके लिये व्यवस्था करने का काम किया गया। आरक्षण को पूरा करने का अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिये विशेष अभियान चल रहा है इसमें कार्यवाही की जा रही है पूरी तरह से सर्वजन समाज के साथ-साथ अनुसूचित जाति के स्वाभिमान और सम्मान के लिये पूरी तरह से हमारी सरकार संकल्पबद्ध है उनके हितों को संरक्षण देने का यह सरकार काम कर रही है।

श्री आर0 के0 चौधरी-

दलित समाज के लिये, कभी आपकी सरकार दलित हितैषी हुआ करती थी, दलितों का संरक्षण करती थी लेकिन अब निश्चित तौर पर अपना एजेण्डा, अपना रुख, अपना नजरिया बदल दिया है, अब उसका मोड़ सर्वजन समाज की तरफ हो गया है, हमे कोई एतराज नहीं है लेकिन मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश में इस तरह की घटना घटी है, आशा देवी, 20 साल, सुखिया, 40 साल, उस समय खेत में मौत के घाट उतार दी गयी, जब खेत से चना उखाड़ लिया था। इस पर उन्हें जान से मार दिया गया मान्यवर, यह सरकार दलित विरोधी है, अपने रुख से हट गयी है, मैं निश्चित तौर पर सरकार के इस रवैये के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री आर0 के0 चौधरी, सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 आर0 के0 चौधरी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना, नियम-56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

लोक निर्माण विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, विधान सभा का यह बजट सत्र चल रहा है और कई बार आपकी पीठ से यह निर्देश दिये गये है, उन निर्देशों की रोज-रोज अवहेलना हो रही है। इस सरकार के सबसे शक्तिशाली मंत्री समझे जाते हैं, मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी और उनके भी अधिकारियों का आलम यह है कि जब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं इसके 3 मिनट पहले तक, मैंने अभी-अभी फिर काउण्टर से पूछा। कल लोक निर्माण विभाग का बजट रखा जाना है, और अभी तक उसका साहित्य नहीं आया है। श्रीमन्, आपने निर्देश दिये कि 72 घंटे पहले दे दिया जाय, हर सवाल पर सरकार पलट कर ऐसे ही जवाब दे देती है और वह चुपचाप बैठ जाते हैं। कर ही नहीं सकते, दूसरा कुछ, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे अधिक दुखद और शर्मनाक बात नहीं होगी कि आप अपने विभाग का बजट साहित्य तक नहीं दें और इस बात की अपेक्षा करें कि बजट पर ठीक से चर्चा हो सके। अधिकारियों पर अगर नियंत्रण नहीं है, मान्यवर, तो यह सरकार के लिये अफसोस की बात है, हम यह सुनना चाहते हैं कि अब तक विलम्ब से आने के लिये जो जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गयी, इस सूचना को अगर मंत्री जी आधे घण्टे में उपलब्ध करा देंगे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे।

आबकारी, लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मा0 चौधरी साहब ने ...

(श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और श्री अम्बिका चौधरी, अपनी बात कहने का साथ-साथ प्रयास करते रहे-व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट, 'दिखवा लेता हूं, नहीं', माननीय अध्यक्ष जी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 चौधरी साहब, मेरी बात तो सुनिये, मैंने पहले आपकी बात सुन ली। अब मेरी बात सुनिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक सेकेण्ड सुन लीजिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पहले मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, सुन लीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, पहले मेरी बात सुनिये। मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनिये। चौधरी साहब मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, बैठिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह हाउस चल रहा है, शर्म और गैर शर्म, यह कोई बात करने का तरीका है ?

(दोनों सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि आप कार्यवाही क्या करेंगे, आपके डांटने से मैं बैठने वाला नहीं हूं। तीन दिन पहले साहित्य मिलना चाहिये था, नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, आप यह सुनिश्चित करा लीजिये कि पटल पर आया है कि नहीं आया है ? यदि पटल पर नहीं आया है तो दिखवा लीजिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं दिखवा लेता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप दिखवा क्या लेंगे ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

दिखवा लेते हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आपने पहले भी कहा था कि दो कौड़ी के लोग, और आज आप शर्म, बेशर्म की बात कर रहे हैं। आप जो कहेंगे हम सजा तो नहीं दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार कोई आलोचना नहीं देख सकती है, अपनी परफारमेंस रिपोर्ट देने की हैसियत ही नहीं है, आप क्या दिखवा लेंगे, आपके इशारे पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अध्यक्ष जी, मैं कभी भी असंसदीय शब्द नहीं बोलता हूं, मेरी आपसे विनती है, इनको ज्ञान सिखा दीजिये, यहां अगर इनको लिहाज है, अपने कक्ष में बुला करके। यह असंसदीय भाषा का प्रयोग गलत है, गलत है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कोई भी असंसदीय शब्द हो तो उसको निकलवा दें। मान्यवर, मैं संसदीय परम्पराओं के लिये इनसे सीखने नहीं आया हूं। मान्यवर, एक भी शब्द अगर मेरा गलत है तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन यदि अपने विभाग की आलोचना से बचने के लिये मंत्रिगण, बजट साहित्य न पहुंचे, इसलिये ऐसा कह रहे हैं, यह मेरा आरोप है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं दिखवाऊंगा, जो भी सत्यता होगी यदि उन्होंने लापरवाही बरती है तो मैं नियमों के अनुकूल उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान के मध्य)

लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस टोन और इस भाषा में कृपया इस सदन में आप बात न करें। अन्यथा हम भी जवाब दे सकते हैं और अगर हम जवाब देंगे तो यह कान बंद कर लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो जवाब देना है वह हम देने के लिये तैयार हैं। अभी तक बजट साहित्य नहीं आया। लोक निर्माण मंत्री जी निर्देश दिये हैं कि बजट साहित्य न दिया जाये ताकि उस पर चर्चा न कर सकें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लापरवाही करने वाले के विरुद्ध जो कर सकते हैं वह हम करेंगे लेकिन शर्म-गैरशर्म की बात नहीं होनी चाहिये। यह कौन सी भाषा है। हम अगर उचित बात न मानें तो कहें आपके माध्यम से। मान्यवर, मैंने कहा कि मैंने उनकी बात को संज्ञान में ले लिया है। हम अभी दिखवाते हैं और 10 मिनट में दिखवाता हूं। मैं फिर कहता हूं कि हम यह भाषा सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। और यह ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उनकी प्रसन्नता के लिये यहां वाक्य कहने नहीं आया हूं और मेरा एक भी शब्द असंसदीय नहीं है। और शर्म और बेशर्म असंसदीय शब्द नहीं है। श्रीमन् दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब और माननीय सिद्दीकी साहब आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या करेंगे ? मेरी हत्या करवा दीजियेगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

यह सवाल कहां से आया ?

श्री अम्बिका चौधरी-

धमकी मत दीजिये। सदन में मैं अपनी बात कहने आया हूं। धमकी से डरने नहीं आया हूं। जो चाहे कर लीजिये हम तैयार हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कहीं से कोई धमकी नहीं दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो चाहे करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह बात कहां से आ गयी। चौधरी साहब, सिद्दीकी साहब, आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर कोई गलती हुई है तो यहां हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा लेकिन धमकी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने एक व्यवस्था मांगी थी मंत्री जी उस व्यवस्था पर बोल रहे थे। अब इस बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि मैं इसको दिखवाता हूं। इतना ही कहना था कि चौधरी साहब उठ गये। मैंने कहा कि यदि किसी ने लापरवाही की है तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे यह तो नियमों के हिसाब से होगा। लेकिन यह बात कि वह हमारे मुंह में शब्द डालें तो हम वही शब्द निकालें तो यह बात ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी मंशा न किसी पर आक्षेप लगाने की है और न किसी बात को अन्यथा लिये जाने की है। मैं स्वयं आदर करता हूं। कोई त्रुटि अगर किसी भी तौर हुयी है तो मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं। आप तो बहुत बड़े हैं किसी छोटे सदस्य से भी त्रुटि के लिये क्षमा मांगने के लिये तैयार हूं। मुझे संकोच नहीं है। कभी कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम धमकी सहन करने नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह धमकी के लिये सदन नहीं है।

(व्यवधान)

मा0 सदस्य, ओ0 पी0 सिंह जी आप बैठ जायें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब हो गया। कृपया बैठ जायें।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने जिस प्रकार से साहित्य न वितरित किये जाने पर बहस की थी, मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि जो विषय मैं लेने जा रहा हूं, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें भी आप वहीं रुचि दिखायें। मान्यवर, संविधान में देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार और सुरक्षित आबद्ध संचरण का अधिकार है जीने के अधिकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जीविका के आधार पर मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। हर नागरिक का यह अधिकार होता है कि वह जहां रहता है उसके अलावा जहां उसे यह लगता है कि बेहतर जीवन जी सकता है, व्यवसाय करने के लिये जिले से बाहर जाना पड़ता है, तो वह व्यवसाय कर सकता है इस प्रकार का अधिकार हो। इस प्रकार के अधिकार की बात वह करते हैं जो विशेष रूप से स्वर्ण व्यवसाय और चिकित्सक लोग होते हैं। मैं गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं। मान्यवर, गोरखपुर से बड़हलगंज, कोड़ीराम, जगदीशपुर, पिपराइचपुर, पिपराइच, कप्तानगंज, सहजनवां, कुशीनगर, देवरिया, फाजिलनगर, टी0 पी0 गंज, महराजगंज, नौतनवां और खलीलाबाद आदि इन जगहों पर सैकड़ों चिकित्सक लोग निकल करके उन क्षेत्रों में जाते हैं। यह घटना एक ऐसी चिकित्सक की है जो अपने गोरखपुर जनपद से देवरिया के नागरिकों को सेवा के लिये जाता है। परसों रात 8.30 बजे वे

लौट रहे थे। उनके साथ तीन लोग, दो एमआर, एक ड्राइवर था। साढ़े आठ बजे मोती राम अड्डे के पास एक बुलेरो गाड़ी रुकती है और इनकी गाड़ी को रोक कर, अपनी गाड़ी छोड़ दी और उनकी गाड़ी पांच लोग बैठ जाते हैं, जो मोतीराम अड्डा गोरखपुर होते हुये कसया होते हुये सोनपुर होते हुये हाजीपुर तक चले। हाजीपुर जाकर इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और जो तीन लोग थे उनको छोड़ दिया। और डा0 मधेसिया, जो पूर्वांचल के सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं उनको लेकर यह गाड़ी हाजीपुर से बगाहा की ओर चलती है। मान्यवर, सैंतालीस घंटे हो चुके हैं अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मैंने यह प्रश्न इसलिये लगाया है कि अगर इसी तरह से चिकित्सक अपने क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करेंगे और स्वर्ण व्यवसाय के लोग असुरक्षित महसूस करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं वहां औद्योगीकरण नहीं हुआ। बहुत बड़े-बड़े उद्योगपतियों का अपहरण हुआ है। जुगुल जालान जैसे उद्योग पतियों का जिन्होंने बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज दी थीं पूर्वी उत्तर प्रदेश को। अगर इस प्रकार से, माननीय संसदीय कार्यमंत्री स्वयं इस बात को अभी कुछ दिनों पहले कहें हैं, औद्योगिकीकरण के बारे में कि अवस्थापना की सबसे बड़ी सुविधा कानून व्यवस्था है। अब एक प्रश्न है आपके सामने, अगर अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि एक चिकित्सक अपने चार मित्रों के साथ गाड़ी से उतरे, हाईवे से गुजरे उसका अपहरण किया जाये, गोरखपुर, कुशीनगर होते हुये उसको बिहार ले जाया जाये, एक गाड़ी में नौ-नौ आदमी बैठे हों, न जाने कितने थाने पड़े हों किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने उसकी जांच नहीं की और वह बहुत तेजी से बिहार निकल कर चले गये। अध्यक्ष महोदय, यह सम्पूर्ण व्यवस्था एक चिकित्सक की सुरक्षा की, एक सामान्य व्यापारी की सुरक्षा की, एक सामान्य नागरिक की सुरक्षा की और जो थाने सुरक्षा देते हैं रात को, उनकी कार्यगुजारी को, अध्यक्ष महोदय आई0 एम0 ए0, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन ने आज गोरखपुर में हड़ताल की है, आज वह गोलघर पर बैठे हैं, अपने एक सहयोगी मित्र को वापस सुरक्षित लाने के लिये। मैं धरना छोड़कर इसलिये आया क्योंकि मुझे लगा अगर सदन में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सरकार अगर गम्भीरता से नहीं लेगी, वह लोग बिहार ले गये हैं, अगर प्रदेश की मुखिया बिहार के लोगों से बातचीत करके पूरे संसाधन इकट्ठे करके उन डाक्टर को सुरक्षित लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो शायद उनके साथ कोई अनहोनी हो जाये। दो साल पहले इसी गोरखपुर से एक डाक्टर के0 के0 मिश्रा का अपहरण हुआ। सोनबसा से उठा कर ले गये और उस समय प्राथमिक रूप से लापरवाही की गई और अन्त में उन्हें लाखों फिरौती दे कर वापस आना पड़ा। डा0 मधेशिया से भी जो हम लोगों की सूचना है डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। अगर इस प्रकार से फिरौतियां मांगी जायेंगी इस प्रकार से डा0 अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, रात को 11 बजे, 12 बजे हमें डाक्टरों की जरुरत होती है, डाक्टर अगर अपने घरों से निकलना बंद करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय आप समझ सकते हैं यह

नियम-56 के अन्तर्गत एक सुस्पष्ट, सुनिश्चित, अविलम्बनीय विषय है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ वह कहेंगे, हमसे कम से कम यह आश्वासन गोरखपुर के नागरिकों को मिलना चाहिये कि जिन भी लोगों ने इस सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया उनके ऊपर कार्यवाही होगी। डा0 मधेशिया वापस लाये जायेंगे और जिन भी अपराधियों ने उनका अपहरण किया है, वह कितने भी बड़े अपराधी क्यों न हों, उन्हें कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जायेगा। मैं यही आश्वासन, यही बयान माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से सुनना चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह घटना गोरखपुर, देवरिया की है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, दो मिनट के लिये डा0 पी0 के0 राय जी भी डाक्टर वाले प्रकरण पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले मैं बता दूं कि क्या हुआ है ? वैसे तो मान्यवर, इस पर आप चर्चा तो करा नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

इसलिये मान्यवर, हमने जो कार्यवाही की है, वह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डा0 पी0 के0 राय जी पहले आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उक्त सूचना प्राप्ति पर थाना चौरी-चौरा पर मुकदमा अपराध संख्या-218/08, धारा-364 भारतीय दण्ड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत कर लिया गया है और श्री मधेशिया के सकुशल बरामदगी एवं घटना में संलिप्त रहे अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु श्री एस0 पी0 उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के नेतृत्व में तीन टीमें बनाकर अपहृत डाक्टर एवं अपराधियों के बिहार में मिलने के सम्भावित स्थानों पर रवाना कर दी गई हैं। घटना के अनावरण हेतु अपहृत व्यक्ति के परिवारजनों से भी निरन्तर सम्पर्क बना कर कार्यवाही जारी है। मान्यवर, सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है और उसके आधार पर जो भी कार्यवाही सम्भव हो रही है प्रयास किया जा रहा है कि उनकी बरामदगी सकुशल की जा सके और उसके लिये पूरी तरह ये यह सरकार सजग है मान्यवर।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी कल रात को हुई मैं नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं वहां स्वयं नहीं था। डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती की बात मान्यवर कही गई है। इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि उस परिवार को यह अहसास दिलाया जाये कि डाक्टर की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिये परदे के पीछे से कुछ मैनेजमेण्ट किया जाये। मान्यवर, उस अपहृत डाक्टर को वापस लाया जाय। हम लोग डाक्टर की सुरक्षा चाहते हैं। दूसरी ओर यदि इस प्रकार से अपराधी तत्वों के आगे झुकेंगे तो स्वाभाविक है कि उन अपराधी तत्वों को प्रश्रय मिलेगा।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, अभी कुछ वर्षों पहले हमारे यहां डा0 जे0 पी0 सिंह साहब की हत्या हो गयी उन्होंने धन देने से मना कर दिया था। अभी डा0 के0 के0 मिश्रा जो हार्ट के डाक्टर थे उनका अपहरण हो गया। मान्यवर, डा0 मधेशिया साहब कसया कुशीनगर के हैं और मनोचिकित्सक हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि इसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी है। आपने टीम रवाना कर दी है। लेकिन मान्यवर, जब तक इसमें एस0टी0एफ0 को नहीं लगायेंगे तब तक कठिनाई होगी। मान्यवर, आज बिहार में सबसे बड़ा कोई उद्योग है तो वह है अपहरण का उद्योग है। यह इलाका बिहार का सीमावर्ती इलाका है जो भी जगह बतायी जा रही है और हमारे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको गम्भीरता से लेकर के इसमें एस0टी0एफ0 को लगवायें और उस डाक्टर की जान को बचाने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह तो उसमें शामिल रहती है। मान्यवर, जो भी इसमें आवश्यक होगा, वह पूरा प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसमें डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 पी0 के0 राय तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। श्री राम किशुन जी की अगली सूचना है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज महत्वपूर्ण बजट है।

*श्री राम किशुन-

मान्यवर, विदेशों से गेहूं जो मंगाया जाता है उस बीज के साथ ऐसी चीजें आ रही हैं जिसमें प्रदेश के किसान काफी परेशान हो रहे हैं। मान्यवर, मैक्सिको से गेहूं के बीज में पारथेनियम घास आ रही है। कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं वह खेतों में तेजी से उग रही है। खेतों की मेड़ों पर, जहां ऊंची जमीन है, जहां पर गेहूं की बुवाई होती है वहां पर यह घास तेजी से फैल रही है। और इस घास के सम्पर्क में आने से आदमियों को बहुत सी गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जैसे दमा के लोग मरीज हो रहे हैं, टीबी के रोग फैल रहे हैं, चर्म रोग फैल रहा है। यह घास

जानवर भी नहीं छूते हैं। लेकिन यह चारे के साथ मिलकर उन्हें मिल रही है तो उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। इस घास के कारण से आज प्रति एकड़ किसानों की फसल की उपज भी घट रही है। मान्यवर, पूर्वांचल के भागों में जहां पर ऊंची जमीन है जहां पानी के संसाधन कम हैं यह घास बड़ी तेजी से फैल रही है। इसके किसी कारगर उपाय के लिये सरकार गम्भीर नहीं है। परसों कृषि मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया था उसमें भी उन्होंने इसके निदान का कोई जिक्र नहीं किया था। इसकी रोकथाम के लिये कोई दवा भी नहीं है। इस तरह से जो विदेशों से गेहूं मंगवाया जा रहा है विदेशों से सामान आ रहा है उसमें यह सब चीजें शामिल होकर आ रही है। मान्यवर, यह कृषि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समस्या है। मान्यवर, कहीं ऐसी साजिश तो नहीं है कि हमारे यहां की उपजाऊ जमीन को नष्ट करने के लिये जो बीज और खाद्यान्न आदि वहां से मंगवाये जाते हैं उसमें ऐसा कोई जहरीला पदार्थ भेजा जा रहा हो। जिससे यहां की पैदावार और यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़े। यह एक प्रश्न ऐसा है जो किसानों से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा कराने की इसलिये मांग करता हूं कि यह प्रदेश और देश के किसानों से जुड़ा प्रश्न है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की एक टीम बनायी जानी चाहिये जो यह पड़ताल करे कि यह घास क्यों और कैसे आ गयी है। मान्यवर, इसको अगर नहीं रोका गया तो गेहूं की पैदावार घटेगी। इससे किसानों में आज रोष उत्पन्न हो रहा है। जो मजदूर खेतों में काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग पर बल देता हूं। खेतों में किसान मजदूर काम कर रहा है, नहरों में काम कर रहा है, सड़क के किनारे काम कर रहा है उसको सास लेने में दिक्कत होने लगी है अगर वह आधे घंटे एक घंटे उसके बीच में काम करे तो उसके दम घुटने लगते हैं इतनी खतरनाक पार्थेनियम घास है इसको नष्ट करें बगैर इस समस्या का हल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से नियम 56 के माध्यम से सरकार से और पूरे सदन से चाहता हूं कि सारे कार्यों को रोककर इस पर चर्चा करायें। यह कृषि प्रधान देश है, खेती पर हम सबसे ज्यादा निर्भर हैं। अगर इस पर हमने गम्भीरता से विचार नहीं किया और इस पर हमने गम्भीरता से निर्णय नहीं लिया तो निश्चित तौर से हमारे किसानों की क्षति होगी उनके जानमाल की क्षति होगी और पशुओं का नुकसान होगा।

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जताई है स्वयं उन्होंने ही कहा है कि यह राष्ट्रीय समस्या है। वास्तव में यह राष्ट्रीय समस्या है इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की अभी तक नीति बनी है जहां तक बीमारी का सवाल है बीमारी भी निश्चित रूप से इससे होती है लेकिन इसके उपचार के लिये पैराक्वाट ग्लाईफोसेट और डिसोडियम यह दवाईयां हैं उसके जुलाई अगस्त में जाइगोग्रामा या वाइकोलोराटा यह दोनों दवाई हमारे नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय में इसकी रिसर्च हुई है वहां यह पूरी मात्रा में उपलब्ध भी है। इस पर वैसे भी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि सड़कों के किनारे यह जो खेत होते हैं यह इस तरह की जो

जमीनें होती हैं उनमें पैदा हो जाती हैं तो इसके लिये यह पूरा प्रबन्ध कर रहे हैं और हमारा यह निश्चित रूप से पूरी दवाई उपलब्ध कराकर हम जुलाई अगस्त में, क्योंकि यह पत्तों पर झलती है जुलाई अगस्त में और जुलाई अगस्त में यह पत्तों पर ढल जाय तो यह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो अब की हम जुलाई अगस्त में अभियान के रूप में चलाने के लिये हमारे विभाग ने तय कर लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय राम किशुन जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, अध्यक्ष जी मैं ग्राह्यता पर बताना चाहता हूं कि सुखई राम, थाना इकौना, श्रावस्ती की हत्या कर दी गयी और उसकी अभी तक एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी। उनका परिवार जिलाधिकारी, एस0पी0, मुख्य मंत्री, गृहमंत्री सबको दरख्वास्त दे चुका है तब आपके संज्ञान में यह प्रकरण लाया गया है। इसमें एफआईआर लिखा दी जाय और कार्यवाही की जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनको पूरी जानकारी नहीं है इसमें एफआईआर भी लिखाई गयी है मुकदमा अपराध संख्या 879/07 अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड विधान बनाम अज्ञात दर्ज किया गया है। विवेचना से श्री नकछेद निवासी लक्खाराम पुरवा थाना विशेश्वरगंज बहराइच, श्री बदलू पुत्र राम खिलावन निवासी दिनामगढ़ थाना इकौना श्रावस्ती एवं श्री गुड्डू पुत्र राजितराम निवासी दिनामगढ़ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती का नाम प्रकाश में आया है जिसमें से श्री बबलू को दिनांक 13-2-08 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, पता नहीं कहां से यह निषाद जी, मान्यवर, जिस तरह से असत्य ढंग से बुन्देलखण्ड में हम कार्यवाही जो कर रहे हैं उसको नकारने का काम करते हैं उसी तरह से इस तरह की घटनायें ले आते हैं। मान्यवर, इनको पता नहीं क्या हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

(श्री सुरेश्वर सिंह और श्री महेन्द्र कुमार सिंह "झीनबाबू" द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर)

आपकी सूचना में कुछ त्रुटि थी कल आप कह लीजियेगा। कल आपकी सूचना ले ली जायेगी और झीन बाबू भूख से मरने वालों का रोजाना इस सदन में मामला उठ रहा है कि भूख से लोग मर रहे हैं।

[समय 2 बजकर 20 मिनट पर]

(श्री सुरेश्वर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने जो नोटिस लगाया था, शलाका के आधार पर रह गयी। आप फिर दे दीजियेगा, आ जायेगी। अब आज रहने दीजिये।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-9-ऊर्जा विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों का चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,89,30,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग का बजट रखने से पहले उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कु0 मायावती जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस सम्मानित सदन में तीसरी बार मुझे ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण और विशाल विभाग का बजट प्रस्तुत करने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 1996 में मैं बहन कु0 मायावती जी के आशीर्वाद से इस सदन में आया था और उधर भी बैठने का मौका मिला और इधर भी बैठने का मौका मिला। तमाम चर्चायें इस बीच ऊर्जा विभाग के ऊपर होती रहीं। कई बार यह प्रश्न आये कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी निष्ठा, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफारमर बिना रिश्वत के नहीं बदले जाते और ट्यूबवेल भी आसानी से नहीं लगाये जाते, गांवों में भी बिजली कम आ रही है और शहरों में भी बिजली कम आ रही है, यह तमाम बातें मैं इस सदन में पिछले 11 साल से देख रहा हूं। एक घटना मेरे गांव की है, जब मैं बी0ए0 में पढ़ता था, तो 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफारमर जल गया था तो उसे बदलने के लिये गांव में चन्दा हुआ, एक परिवार ने चंदा नहीं दिया तो गांव में फौजदारी हो गयी। तो यह बात ऊर्जा विभाग के अन्दर, यह कोढ़ किसने पैदा किया, यह कैन्सर जैसी भयानक बीमारी किसने लगाई, यह आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं। 1947 में मान्यवर, देश आजाद हुआ था, 1947 से लेकर अब तक साठ वर्ष होते हैं इन साठ वर्षों में मान्यवर, 57 साल राज किया है हमारे भाइयों ने। हमारे समाजवादी पार्टी के भाइयों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाइयों ने और बहुत लम्बे समय तक कांग्रेस के साथियों ने राज किया जिसमें लोकदल के साथी भी हमारे शामिल रहे। मान्यवर, इन 57 सालों में किसने क्या किया, कितने पावर हाउस लगाये, किसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया यह माननीय अध्यक्ष जी, मैं सारे सदन के सामने रखना चाहता हूं। मुझे याद है कि अनपरा सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना थी। अनपरा बी, माननीय प्रमोद तिवारी जी यहां पर नहीं हैं, और नेता प्रतिपक्ष बैठे हुये थे, वह बहुत लम्बे समय से इस सदन के सदस्य हैं और तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं आज दुर्भाग्य

की बात है कि माननीय हुकुम सिंह जी भी नहीं हैं, वह भी काफी दिनों तक ऊर्जा मंत्री रहे हैं और लालजी टण्डन जी काफी चर्चा किया करते थे अनपरा सी को लेकर के। आज वह भी यहां पर नहीं है यदि होते तो वह मेरी बातों का जवाब देते। तो मुझे अच्छा लगता।

(बीच में किसी सदस्य द्वारा नरेश अग्रवाल कहे जाने पर)

नरेश जी, मेरी बातों का जवाब नहीं दे पायेंगे। क्योंकि नरेश जी ने क्या किया है, सारा सदन जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, इसलिये नरेश ही हमारी बातों का जवाब नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, 1989 में अनपरा बी लगा था और अनपरा बी लगने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक अगर किसी सरकार ने पावर हाउस लगाने का काम किया है तो वह किया है केवल बहन कु0 मायावती जी ने, वह मैं आपको बताऊंगा। अनपरा-सी के बारे में बताऊं जो 1996 में यह परियोजना लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। यह कोरिया की कम्पनी है, मेसर्स हुंडई कारपोरेशन लिमिटेड, उसके साथ अगस्त, 1996 में एम0ओ0यू0 किया गया और उसके बाद कोई निर्णय अनपरा-सी लगाने के लिए नहीं लिया गया। मुझे याद है 2002 में जब बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे ऊर्जा विभाग का दायित्व सौंपा तो मैं और मेरे अधिकारी उस समय जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा थे, प्रबन्ध निदेशक कारपोरेशन थे, मैं चार बार जे0बी0आई0सी0 जो जापान की एक वित्तीय संस्था है, उससे लोन के लिए चार बार जापान के राजदूत से मिला। और हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री कुमारी बहन मायावती जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से तीन बार मिली अनपरा-सी को लगाने के लिए। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि अनपरा-सी के लिए लोन लेने में भारत सरकार के वित्तमंत्रालय में उत्तर प्रदेश का पांचवा नम्बर था। मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया वह प्रधानमंत्री जी से मिलीं, वित्तमंत्री, भारत सरकार से मिलीं, उस समय के तत्कालीन ऊर्जामंत्री, भारत सरकार से मैं तीन-चार बार मिला। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश को पहले नम्बर पर जे0बी0आई0सी0 से लोन लेने के लिए ले आये। मान्यवर, यह परियोजना फाइनल होने को थी, 25-08-2003 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। यह परियोजना पूरी तरह से फाइनल होने जा रही थी, 19 नवम्बर, 2003 को मान्यवर, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के अधिकारी, हमारे निगम के अधिकारी और जे0बी0आई0सी0 के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किये, एक अनुबन्ध किया। अगर उस समय यह परियोजना लग गई होती तो आज जो हाहाकार पूरे प्रदेश में जो मच रहा है कि बिजली नहीं है, वह न मचता। 5 घंटे, 6 घंटे, 14 घंटे बिजली मिल रही है यह जो समस्या है, अगर उस समय 2003 में यह परियोजना लग गई होती तो 2006 के अन्त तक हमें इस परियोजना से एक हजार मेगावाट बिजली मिलने लग जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने जो सामने बैठे हैं, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह जवाब देंगे। यह जवाब नहीं दे पायेंगे, इसलिए नहीं दे पायेंगे क्योंकि इन्होंने जे0बी0आई0सी0 से लोन न ले करके इन्होंने अपने जेब के उद्योगपतियों को खुश करने के लिए इस परियोजना को घुमा दिया। वह तो इन्होंने उनको दे दिया होता लेकिन भारत सरकार की एक नीति बनी कि ग्लोबल टेण्डर किये जायेंगे, ग्लोबल टेण्डर वह होते है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टेण्डर होते हैं, उस टेण्डर में इनको टेण्डर

नहीं मिला, उसके बाद भी मान्यवर, चार महीने तक इसको लटकाये रखा। मैं आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं इस प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने प्रदेश के हित को सर्वोपरि माना। तमाम पदाधिकारियों ने अभियन्ताओं ने विरोध किया, हमने उनको मनाया, उनको समझाया, उनसे टेबिल पर बैठ करके बात की और बताया कि प्रदेश का हित सर्वोपरि है। इस समय प्रदेश में ऊर्जा की बहुत बड़ी समस्या है, उसको पूरा कराने के लिए 27-10-2007 को अनपरा-सी के लिए बहन कुमारी मायावती जी के प्रयासों से जमीन उपलब्ध करायी गयी। जिसका काम आज शुरू हो गया है। लेकिन यह काम आज 14-15 सालों के बाद हुआ है, यह काम बहुत पहले हो गया होता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह मैं पूछना चाहता हूं। जवाब लेने की बात थी, टण्डन जी नहीं हैं, ओम प्रकाश जी भी चले गये हैं इन्होंने पावर हाउस नहीं लगाया। क्या किया इन्होंने, इसे मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मान्यवर, 13 फरवरी, 1992 को ऊंचाहार परियोजना जो हमारी अपनी 440 मेगावाट की परियोजना थी, उस समय 13 फरवरी, 1992 को तत्कालीन मुख्य मंत्री कौन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कौन थे, सभी जानते हैं। यह हमारे जिले के हैं जिनकी बड़ी कृपादृष्टि हमारे ऊपर रहती थी, आप जानते होंगे। उन्होंने 925 करोड़ रुपये में हमारी अति महत्वपूर्ण ऊंचाहार परियोजना को एन0टी0पी0सी0 को बेच दिया। दूसरे, क्या कारगुजारी की, 14 जनवरी, 2000 को कौन मुख्य मंत्री था, जानते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी। टांडा विद्युत परियोजना का भी 800 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के कारण एन0टी0पी0सी0 को 800 करोड़ रुपये में बेच दिया। माननीय हुकुम सिंह जी हैं नहीं, वह बिजली पर बहुत बोलते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। 1989 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी सरकार, केवल कागज पर कार्यवाही करते रहे, शक्ति भवन से लेकर शासन और शासन से लेकर शक्ति भवन व दिल्ली तक चलाते रहे लेकिन जमीन पर कार्यवाही किसने की ? मैं तथ्यों और तारीख सहित बताना चाहता हूं कि पिछली बार 2002 में जब बहन कु0 मायावती जी मुख्य मंत्री बनी तो 30-11-02 को पारीक्षा जनपद झांसी में 420 मेगावाटा का थर्मल पावर परियोजना लगायी जिसका लोकार्पण 30-11-2007 को माननीय मुख्य मंत्री जी के कर-कमलों द्वारा किया गया। 1989 के बाद पहली परियोजना है जिससे बिजली मिलनी शुरू होगी। इसके साथ ही हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि जो कैंसर पैदा किया 57 साल में, उसको कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लोगों को सही बिजली मिले, समय से मिले, शिड्यूल्ड के हिसाब से मिले, हमने लगातार प्रयास किया और उसके लिए हमने 30-11-2002 को झांसी में पारीक्षा में 500 मेगावाट का पावर हाऊस लगाने का काम किया और 30-11-2007 को उसका शिलान्यास बहन कु0 मायावती जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 30-11-2002 को जब पारीक्षा में 420 मेगावाट परियोजना का शिलान्यास किया था तो उसी समय उन्होंने निर्देश दिया था कि यहां पर काफी जगह है 500 से 1000 मेगावाट की परियोजना लगा दी जाए, तभी घोषणा की थी। वह कागजों पर चलता रहा, उसको धरातल पर उतारने का काम बहन कु0 मायावती जी ने किया और वहां पर युद्ध स्तर

पर काम प्रारम्भ हो गया है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, हम और हमारे अधिकारी वहां पर गये थे। तीसरा काम उसी मंच से बहिन जी ने एक घोषणा की थी कि हरदुआगंज, अलीगढ़ में 500 मेगावाट परियोजना का भी 30-11-2007 को शिलान्यास किया गया और युद्धस्तर पर काम जारी है। इससे बड़ी परियोजना पारीक्षा के साथ-साथ अभी मेजा के लिए जो 1320 मेगावाटा की परियोजना है, इलाहाबाद में लगायी जा रही है जिससे 75 प्रतिशत बिजली हमारे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मुख्य मंत्री जी ने मेजा के लिए 22-11-2007 को एम0ओ0यू0 साइन किया जिससे 990 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसका अनुबन्ध अभी 3-4 दिन पहले दिनांक 28-02-2008 को किया गया है। इसके लिए हम अवगत करा दें, कोयले के लिए हमारी बहन जी दो बार मा0 प्रधानमंत्री जी से मिली और कोयले की व्यवस्था की, जमीन की व्यवस्था 4 महीने के अन्दर हो जायेगी, जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो गयी है। एन0टी0पी0सी के अधिकारियों ने मेजा में अपना कार्यालय बना दिया है और 4 महीने में कार्य शुरू हो जायेगा। पचास प्रतिशत हमारी इक्विटी है और 50 प्रतिशत इक्विटी एन0टी0पी0सी0 की है इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा हमारा है और 25 प्रतिशत ज्वाइंट वेंचर तय करेगा जिसमें भी 10-12 प्रतिशत बिजली मिलेगी। 1100 मेगावाट मेजा से मिलने लगेगी बारा इलाहाबाद में 1980 मेगावाट का पावर हाउस लगाने जा रहे हैं जिसमें 90 प्रतिशत बिजली हमें मिलेगी। इसकी वीड 25 मार्च को होगी 28 मार्च को वीड खुलेगी और 31 मार्च को विकासकर्ताओं का चयन किया जायेगा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए कोयले की व्यवस्था करा ली है। चार महीने के अन्दर इस परियोजना का शिलान्यास मुख्य मंत्री जी द्वारा करा दिया जायेगा। इससे मिलती जुलती करछना में 1320 मेगावाटा की एक परियोजना है जिसमें 90 प्रतिशत यानी 1188 मेगावाट बिजली हमें मिलेगी। इसका 25 तारीख को वीड होगा, 28 तारीख को वीड खुलेगा और 31 मार्च को हम तय कर देंगे कि किसे देना है। इसके लिए भी कोयले की व्यवस्था हो चुकी है। बारा करछना मेजा में जमीन निर्धारण के लिए जो कम उपजाऊ हो जो खुशी से किसान देने के लिए तैयार हों अधिकारी लगातार जिलाधिकारी से, कमिश्नर से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं जल्द ही जमीन की व्यवस्था कर लेंगे। मेजा, करछना, बारा यह महत्वपूर्ण परियोजनाएं इनमें चार-छह महीनों में कार्य शुरू हो जाएगा।

ओबरा जो हमारा पुराना पावर हाउस है उसके लिए भी एक हजार मेगावाट से 1320 मेगावाट का विस्तारीकरण करना चाहते हैं। इसके लिए भी कोयले की व्यवस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती कर चुकी हैं। मैं समझता हूं कि 6 महीने के अन्दर इस परियोजना का भी कार्यान्वयन शुरू करा देंगे व कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पिछले 57 सालों खासतौर से 1989 के बाद जो कैंसर या कोढ़ पैदा किया गया है उसको खत्म करने के लिए हमने चाहे चेयरमैन हों, चाहे ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हों, चाहे उत्पादन निगम के एम0डी0 हों, यू0पी0पी0सी0एल0 के एम0डी0 हों, बनारस के एम0डी0 डिस्काम, आगरा के एम0डी0 डिस्काम इन सारे अच्छे ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को मुख्य मंत्री जी ने दिया है इससे निश्चित रूप से कोढ़ खत्म हो सकेगा। हमारे अधिकारी रात-दिन लगे हुए हैं मैं लगा हुआ हूं यह जो ऊर्जा की परेशानी है जिस दिन बहन

कुमारी मायावती मुख्य मंत्री बनी थीं उन्होंने निर्देश दिया था, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बुलाकंर निर्देश दिया था कि 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस उत्तर प्रदेश में लगने चाहिए। इसमें 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस हम लगाने जा रहे हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में यह 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस लगेंगे। अभी हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जन्म दिन के अवसर पर उन्होंने ललितपुर बुन्देलखण्ड में चार हजार मेगावाट का अल्ट्रा मार्डन पावर हाउस लगाने के लिए एन0टी0पी0सी0 को सहमति दे दी है। पनकी पावर हाउस कानपुर में 250 मेगावाट पावर हाउस लगाने की तैयारी कर रहे हैं, हरदुआगंज में 500 मेगावाट की तैयारी कर रहे हैं। न्यवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लोग मिले थे जहां पर अच्छी जगह मिल जाए पैसे और जमीन की व्यवस्था ठीक हो जाय तो यहां पर दो हजार मेगावाट को 12वीं पंचवर्षीय योजना में रख रहे हैं। अच्छे अधिकारी दिये हैं और हमने पिछले और हमने पिछले 9 महीने में 23 हजार से ज्यादा एफ0आई0आर0 कराई है। 5 हजार से ज्यादा चोरों को पकड़कर जेल में बन्द करने का काम किया है। उससे मान्यवर हमको 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की वसूली हुई है। पिछले साल की अपेक्षा 16 प्रतिशत राजस्व बढ़ा है जो ऐतिहासिक कदम है ऊर्जा के क्षेत्र में। चोरी रोकने के लिये दिन रात लगे हैं। मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और 1 किलोमीटर से ज्यादा मेरी गाड़ियां 9 महीने में चल गई हैं। इलाहाबाद में चोर पकड़े, बनारस में चोर पकड़े, इधर बाराबंकी में चोर पकड़े, गोरखपुर में चोर पकड़े और यह नहीं हमने छोटे चोर, रामवीर उपाध्याय ने बड़े चोर पकड़े और करोड़ों रुपये का एसेसमेन्ट उनके ऊपर हुआ मान्यवर। लखनऊ में चोर पकड़े, उन्नाव में, कानपुर में, सहारनपुर में, बुलन्दशहर में, मुजफ्फरनगर में, आगरा में, झांसी में तमाम शहरों में जहां-जहां मुझे सूचना मिली जहां-जहां मैं गया मैंने किसी भी चोर को छोड़ा नहीं किसी शरीफ आदमी को नहीं पकड़ा। 23 हजार जो रिपोर्ट हुई है मान्यवर, वह एक इतिहास है चोरी रोकने के लिये। हमारे साथी कहते हैं बिजली की समस्या, यह बिजली की समस्या इसलिये है हमारे सम्मानित साथी चाहे इधर बैठते हों चाहे सामने बैठते हों। आज चले गये, सुनते मेरी बात को, बड़ा अच्छा लगता। मैं बताना चाहता हूं किसने क्या किया ? मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आदरणीय बहिन कुमारी मायावती का ऊर्जा के क्षेत्र में। वैसे तो पूरे प्रदेश के मामले में जब बहिन जी बैठती है कुर्सी पर तो कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाती है, अधिकारी अच्छे से काम करने लगते हैं। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में बहिन कुमारी मायावती जी का नाम लिखा जायेगा। मेजा किसने लगवाया 1320 वाट का जवाब आयेगा, बहिन कुमारी मायावती जी ने करछना किसने लगवाया यह जवाब जायेगा बहिन कुमारी मायावती जी ने, बारा किसने लगवाया, बहिन कुमारी मायावती जी ने, आनपारा सी किसने लगवाया बहिन कुमारी मायावती जी ने, पारीछा 420 किसने लगवाया बहिन कुमारी मायावती जी ने, पारीक्षा 500 के साथ-साथ हरदुआ किसने लगवाया बहिन कुमारी मायावती जी ने। 10 हजार मेगावाट की परियोजना बहिन कुमारी मायावती जी लगवाने जा रहीं हैं। मै विश्वास दिलाना चाहता हूं इस सदन को पत्रकार बन्धुओं को बतलाना चाहता हूं कि इसी पंचवर्षीय योजना में हमारा उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में

स्वावलम्बी होगा। यह परियोजनाएं, अनुश्रवण बहिन जी हर महीने कर रही है और हमारे अधिकारियों से जब हमने पारीक्षा का लोकार्पण किया और हरदुआ और पारीक्षा की पांच-पांच सौ की योजनाओं का शिलान्यास किया था उस दिन बहिन जी ने कहा था कि मैं पैसों की कमी नहीं आने दूंगी। आनपारा-डी जो एक हजार मेगावाट की हमारी परियोजना है उसके लिये मान्यवर, माननीय बहिन जी ने कोयले की व्यवस्था कर ली है और 24-10-07 को एल0ओ0आई0 बी0एच0ई0एल0 को निर्गत कर दिया है। इतना ही नहीं माननीय बहिन जी ने 13-1-07 को सामने वाले सदस्य जो कहते रहते हैं कि बिजली नहीं है यह क्यों नहीं हुआ ? यह इसलिये नहीं हुआ कि पावर हाउस नहीं लगाये गये। 16 साल में आनपारा सी फाइनल हो पाया। नहीं होने दिया। बैठे हैं यहा पर लेकर आते थे बड़ी चर्चा करते थे माननीय टण्डन जी। ओम प्रकाश जी चले गये, देते मेरी बात का जवाब, हुकुम सिंह जी चले गये देते मेरी बात का जवाब। मात्र आनपारा सी जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जे0बी0आई0जी0 से। मात्र एक रुपया पचास पैसे और तीन रुपये पचास पैसे में ऋण मिल रहा था हमको। जापान वाले लगाने को तैयार थे मान्यवर, जो हमारी आनपारा बी लगी है जिस दिन से लगी है अभी तक खुली नहीं। जापान के लोगों ने बनाई है उसको। जापान के सहयोग से बना था वह मान्यवर। वह जापानी मशीन है आज तक खुली नहीं वह मशीनें। तो मान्यवर, वो नहीं लगने दिया आपने। जैसे मैं बता रहा था आनपारा-डी के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 प्रतिशत के मुकाबले 456 करोड़ रुपये का भुगतान 13-1-2007 को उनको कर दिया है। इसका काम शुरू होने वाला है। मैं 15 दिन से माननीय मुख्य मंत्री जी से समय मांग रहा हूं शिलान्यास के लिये। स्वायल टेस्टिंग का काम मान्यवर शुरू हो गया है। कोयले की व्यवस्था हो गई है तो मान्यवर, यह 10 हजार मेगावाट की परियोजना है। इसके लिये युद्ध स्तर पर हम लगे हैं और अच्छे अधिकारी माननीय बहिन जी ने हमारे साथ लगाये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पूरा सहयोग कर रही हैं कह दिया है कि पैसे की कमी नहीं आने दूंगी चाहे मुझे कहीं से भी कुछ करना पड़े परियोजनायें लगायेंगे।

आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं निश्चित रूप से इसी पंचवर्षीय योजनाओं में हम इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का काम करेंगे। मान्यवर, एक समस्या बहुत बड़ी है जैसे रिहन्द जो 1961 में लगाई गई थी। 50 मेगावाट की मान्यवर, 6 मशीनें हैं पानी बहुत कम है। 11 फिट पानी का लेबल है। रिहन्द 1961 में लगाई गई थी ओबरा 1970 में लगाई गई थी पारा 1992 में लगाई गई थी। ऊपरी गंगा 1927 में लगाई गई इसी तरह से मान्यवर, शीतला आदि जो परियोजनायें हैं यह बहुत पुरानी परियोजनायें हैं। इनकी मान्यवर, सही ढंग से सही समय पर मरम्मत नहीं कराई गई केवल कागजी कार्यवाही होती रही। इसीलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि इनका काम समय से नहीं हुआ समय से पैसा नहीं दिया। हमारी और बिजली परियोजनायें जैसे विष्णु प्रयाग परियोजना है इसमें करीब हमको 400 मेगावाट मिलनी चाहिए लेकिन हमको 352 मेगावाट बिजली मिलती है पानी की कमी के कारण कम मिल पाती है। इसी तरह से मान्यवर, टेहरी विद्युत परियोजना है यहां भी 376 मेगावाट विद्युत मिल पाती

है मैं पिछले महीने गया था यहां भी जल स्तर कम हो रहा है। हमारे साथी बैठे हुए हैं नरेश अग्रवाल जी बैठे हैं यह शिलान्यास कर आए ... (शोर) कमेन्ट्स तो कसे जायेंगे। रोज चिल्लाते हैं तो कहा जाएगा 1989 से कुछ नहीं किया चाहे जैसे कार्यवाही होती रही काम बिगाड़ने का काम किया, काम बनाने का काम नहीं किया, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं हमारी बात को सुन लें...

श्री अध्यक्ष-

बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, 1989 से लेकर सुन लो आज सारी पोल खोल रहा है रामवीर उपाध्याय, सुन लो, आप जवाब देना। आपकी, मान्यवर, 1995 में बहन मायावती जी चार महीने मुख्य मंत्री जी रहीं 1997 में मात्र 6 महीने मुख्य मंत्री जी रहीं। 2002 में 15 महीने मुख्य मंत्री जी रहीं तो उन्होंने 420 मेगावाट का पावर प्लान्ट लगाने का काम किया मान्यवर, आनपारा सी को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने बिगाड़ दिया पहली बार कोई काम हुआ। 1989 के बाद अगर किसी मुख्य मंत्री ने पावर बढ़ाने का काम किया तो वह बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज भी स्वर्ण अक्षरों में बहन मायावती जी का नाम लिखा जाएगा। मैं सदन में यह घोषणा करना चाहता हूं चाहे आनपारा डी0 हो, चाहे करछना हो, चाहे पारा हो चाहे पारीक्षा हो, चाहे हरदुआगंज की हो चाहे आनपारा सी हो यह सारी हो यह सारी परियोजना बहन मायावती जी के द्वारा लगाई जा रही है उनके प्रयास के द्वारा लगाई जा रही है। वह पैसे की व्यवस्था कर रही है कोयले की व्यवस्था कर रही है। सारी औपचारिकतायें पूरी करने के लिए न जाने कितनी बार देश के प्रधान मंत्री जी से मिल चुकी हैं। बहन जी इसमें रातो दिन लगी हुई है। इसी पंचवर्षीय योजना में हम पूरी बिजली देंगे। मान्यवर, कुछ लोगों को अचम्भा होगा, मैंने बहुत पहले घोषणा की थी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय 1996 में चार ठाकुर, चार ब्राम्हण, एक जगदीश नारायण राय जी, एक हमारे सरदार सिंह जी थे मथुरा के और एक कायस्थ थे श्रीवास्तव जी जो स्वर्गवासी हो गये, आपको याद होगा हम आपके सानिध्य में बैठा करते थे आज भी आपके सानिध्य में हैं... (शोर) 1997 में जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री जी बने तब हम और राय साहब रह गये सब भाग गए इधर आकर बैठ गये जब मैं वहां अकेला था तो मुझसे मजाक किया करते थे कमेन्ट्स किया करते थे। गाली-गलौज हुई, सदन से बाहर, मैं कहा करता था, आप मेरे साथ बैठेंगे, कई मंत्री भी हैं, उनमें से ठाकुर समाज के भी ब्राम्हण समाज के भी, सभी समाज के। मैं कहता था उनसे कि एक दिन तुमको भी आना पड़ेगा मेरे साथ, बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ेगा। वह कटु सत्य हुआ, बैठे हैं, हमारे साथ। एक दिन करवरिया जी, आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा।

मैं बताना चाहता हूं, मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहता था कि बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व आप सबको भी स्वीकार करना पड़ेगा एक दिन हमारे साथ आना पड़ेगा और हुआ, आ गए

सब लोग। उसी प्रकार से मैं रामवीर उपाध्याय आज घोषणा करता हूं कि मा0 बहन कुमारी मायावती जी का नाम ऊर्जा के क्षेत्र में कि किसने पावर प्लान्ट लगाया, किसने पैसा दिया, किसके समय में लगे, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। 10 हजार मेगावाट का लगाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मान्यवर, 70 हजार मेगावाट की योजना बनी है। 10 हजार मेगावाट की हमारी कार्ययोजना है, इसे पूरा करने जा रहे हैं। सभी पर कार्य स्वीकृत है, मात्र ओबरा के लिए निर्णय लेना है, बाकी के लिए निर्णय सरकार ले चुकी है। काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही मान्यवर, हम बताना चाहेंगे आपको खास करके जो बहुत पुरानी परियोजना है, उसके बारे में बता दें, जैन साहब चले गये, ढकुआ हमारी एक जगह है जो जनपद झांसी में है, ढकुआ में हम 30 मेगावाट की 253 करोड़ रुपये की एक परियोजना है, यह भी लगभग फाइनल होने जा रही है और इसके साथ ही हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो अधूरे कार्य पड़े थे, 5295 गांवों के कार्य, यह 2002-2003 जो हमने शुरुआत किया था, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए और इसके अलावा 11883 गांवों को जो 1995-96, 1997-98 और 2002-03 में थे, उनको भी पूरा करने का काम भी कर रहे हैं और 2007-2008 में 1890 ग्राम सभाओं की जो योजना थी, उसके लिए भी हमने 170 करोड़ रुपये दिये हैं और जो 38 स्वग्राम चयनित किये गये हैं, उसके लिए भी हमने 237.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और ट्रांसमीटर लाइन को मान्यवर, चूंकि 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस लग जायेंगे तो हमें इसके लिए ट्रांसमीटर लाइन को भी मजबूत करना होगा, उसके लिए पारेषण क्षेत्र में भी वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जिसमें 735 के0वी0 क्षमता के दो नये उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिस पर 1150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। 765 करोड़ के उपकेन्द्र अनपरा-सी, मेजा और दारा में उत्पादन इकाइयों के साथ स्थापित किये जायेंगे। आगामी वर्ष में 800 के0वी0 के दो उपकेन्द्र, 400 के0वी0 क्षमता के तीन उपकेन्द्र, गोण्डा, अलीगढ़ और बागपत में, 220 के0वी0 क्षमता के, 9 उपकेन्द्र ननौता, मुजफ्फरनगर, रामपुर आदि में और खासतौर नोयडा के सेक्टर-62, सेक्टर-34 एवं सेक्टर-39 में 232 के0वी0 क्षमता के उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार से 25 और उपकेन्द्र लगाये जायेंगे और खासतौर मान्यवर, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शिप है, इसके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है जो अगले वित्तीय वर्ष में 765 एवं 400 के0वी0 की लाइनों के माध्यम से स्थापित की जायेगी और इसके लिए आई0आई0टी0 कानपुर को तकनीकी सलाहकार बनाया गया है। इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में जो 10330 की जो आय-व्ययक लागत है, मान्यवर, एक चीज और बताना चाहते हैं कि पिछले सरकार में जितनी धनराशि 3 साल में दी गयी थी उससे दोगुनी धनराशि 2 साल में हमारी सरकार द्वारा ऊर्जा में दी जा रही है और हमारा यह प्रयास होगा कि कम से कम 26 हजार करोड़ प्लान से तथा 22 हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के माध्यम से एवं 19 हजार करोड़ रुपये संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से अर्थात कुल 67 हजार करोड़ तथा वित्तीय संस्थाओं से 38 हजार करोड़, सकल व्यय 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। वर्तमान सरकार का यह कदम ऊर्जा के क्षेत्र

में ऊर्जा की स्थिति में सुधार के लिए सकार की कटिबद्धता को उजागर करता है। अभी माननीय सदस्यों ने जो परीक्षाओं के समय बिजली मिलने के सम्बन्ध में जो बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में बिजली नहीं मिल रही है। लेकिन हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। मान्यवर, जिस भी कीमत में बिजली मिलेगी वह हम लेंगे। कल हमारे अधिकारियों ने बताया है कि 7 रुपये में मिलेगी तो मैंने उनसे कहा कि 7 रुपये में ही लें, जिस भी कीमत में मिले ले लो। लेकिन हम परीक्षा के समय में बिजली देंगे। कल से ही व्यवस्था शुरू होगी। एक बात और जिसे माननीय श्री हुकुम सिंह जी बहुत सुनाते हैं। वह होते तो अच्छा रहता, अच्छे सुझाव देते तो हमें भी लाभ मिलता। नरेश जी तो अच्छी बात बताएंगे नहीं। अगर बताएंगे तो इनकी बात का स्वागत करूंगा। इनको काफी तजुर्बा है। मान्यवर, कृषि विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं, उन्होंने 105 करोड़ रुपये दिये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से किया गया है। मान्यवर, हम दोनों मिलकर 20 हजार नलकूप सामान्य योजना में लगाएंगे और इसके लिए किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिजली की समस्या है यह किसी एक दल की समस्या नहीं है। अगर बिजली मिलेगी तो इससे सभी दलों के लोगों को लाभ मिलेगा और हमारी मुख्य मंत्री जी बहन कुमारी मायावती जी संकल्पित हैं 10,000 मेगावाट के पावर हाउस लगाने के लिए, लोगों को बिजली देने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए। तो मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनके जो भी सार्थक सुझाव आएंगे उन पर पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि उनका पालन किया जाये। इसी के साथ मान्यवर, आपका धन्यवाद।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एम रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करा तथा सुझाव देना। श्रीमन् , मुझे तो लग रहा था कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी बजट कम प्रस्तुत कर रहे थे आलोचना ज्यादा कर रहे थे। हम जिस काम को करने के लिए खड़े हुए हैं वह काम वह खुद ही कर रहे थे और ऐसा लगा कि आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनीं उन्होंने उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में उपेक्षित कर दिया और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एकदम चंद दिनों में आकर ऐसा कर दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश चमकने लगा हो। माननीय ऊर्जा मंत्री जी मैं आरोप नहीं लगाता हूं बहुत से लोग व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री का काम छापा मारना नहीं होता। यह असफल मंत्रियों का काम होता है। वह मंत्री जिनकी विभाग पर पकड़ न हो वह छापा मारने लगते हैं मंत्री का काम होता है विभागीय अधिकारियों को निर्देश देना, उन पर अंकुश लगाना। अंकुश लगाने के माध्यम से विभाग को चलाना। आपने कह दिया कि हमने 9 महीने के अन्दर एक लाख किमी0 गाड़ी चला ली।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री बृजेश सौरभ पीठासीन हुए)

क्यों गाड़ी एक लाख किलोमीटर चलायी। अगर नौ महीने में बैठकर अंकुश करते तो पकड़ होती। जो आप बखान कर रहे हैं, जो मृग मारीचिका आप दिखा रहे हैं वह सत्यता में परिणित होती। लेकिन आज आपने सोचा कि कितनी आय है। मैं अभी जनरेशन पर आता हूं श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज पांच सौ करोड रुपये प्रति माह ऊर्जा विभाग को घाटा हो रहा है। आपकी आमदनी है करीब साढ़े आठ सौ करोड़ प्रति माह और आपका खर्चा है करीब चौदह सौ करोड़ रुपया का। आप यह बतायें कि कैसे इस घाटे को पूरा करेंगे। मैं फीगर दे रहा हूं। सौ करोड़ रुपया आपके वेतन का है पचास करोड़ आपका मेन्टीनेंस का है, करीब नौ सौ करोड़ रुपये आपका पावर परचेज का है, डेढ़ सौ करोड़ आपका ब्याज का है और दो सौ करोड़ आप लोन का पेमेन्ट कर रहे हैं। करीब चौदह सौ करोड़ प्रति माह का आप खर्च कर रहे हैं और आमदनी है साढ़े आठ सौ करोड़ की। मान्यवर, जब हम सरकार में थे 2002 में और हमने बाइफरफिकेशन किया था तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की बैलेन्सशीट को निल किया था और यह इसलिए किया गया था कि जो पावर कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य है, तीन विभागों में बांटा था, ऊर्जा के क्षेत्र को। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना आया। जरेशन में तो आ गया। कोई डिस्ट्रीब्यूशन में आया प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। आज आपके ऊपर कितने करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है। अपनी बैलेन्सशीट प्रस्तुत करें। बीस हजार करोड़ के आज कर्जदार हो चुके हैं और यह निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। जितनी भी आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं उसका बजट पूरे उत्तर प्रदेश के बजट से ज्यादा है सत्यता को जानना चाहते हैं, हकीकत के हिसाब से चलेंगे तो सुधार आयेगा। मान्यवर, विभाग संभालने का मौका हमें भी मिला और हमने बहुत कोशिश भी की। विद्युत चोरी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मैं नगरों के नाम बता सकता हूं जहां पचास प्रतिशत के ऊपर आपकी लाइन लॉस है, लेकिन कितना कम इसको आप कर रहे हैं। आपने उद्योगपतियों को चोर करार कर दिया। एक जमाना था जब साठ प्रतिशत हमारा जितना उत्पादन होता था, वह उद्योग में इस्तेमाल होता था चालीस प्रतिशत अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होता था। आज आपकी स्थिति जो है इण्डस्ट्रियल कन्जम्पशन बीस प्रतिशत रह गया है, जब आप साठ प्रतिशत करते थे तो क्रास सब्सिडी आपकी पूरी होती थी। लेकिन आज आपका इण्डस्ट्रियल कन्जम्पशन मात्र बीस प्रतिशत हो गया क्योंकि सारे उद्योगपति अपनी ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और बिजली आप दे सकते हैं। साठ प्रतिशत कामर्शियल है। पी टी डब्ल्यू ओ लाइट एण्ड फैन का 25 प्रतिशत अरबन लाइट एण्ड फैन का 40 प्रतिशत। आपके उत्पादन कास्ट, जो सप्लाई पड़ती है, मय इस्टेबिलिशमेंट के तो 3.40 पैसे प्रति यूनिट आ रही है और रिकवरी कास्ट है वह डेढ़ रुपया पड़ रही है। आप नियामक आयोग में हर साल एआरआर देते हैं आप विद्युत का रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो नियामक आयोग उसे मानता है। आप यह नहीं बता पाते हैं कि आखिर जो यह लॉस हो रहा है उसे कैसे पूरा करेंगे। आपने दौरा किया। देश में सबसे ज्यादा लाइन लॉस है तो वह उत्तर प्रदेश में है। दुनिया में 9 प्रतिशत, कन्ट्री में 13 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत। इसमें अगर ध्यान दिया, मैं

कहूंगा कि दौरा कम करिये छापामारी काम नहीं है मंत्री का। बैठ कर स्कुटनी करिये, बैठ कर समीक्षा करिये, आप देखिये कि किन क्षेत्रों में हमारा लाइन लॉस ज्यादा है उस क्षेत्र को हम कैसे ठीक करें। हर 33 के0वी0 स्टेशन पर लाइन पर मीटरिंग हुई थी। आपने हर 11 के0वी0 लाइन पर मीटरिंग व्यवस्था की, लेकिन क्या आपने हर लाईन पर देखा कि जिस 11 के0वी0 लाइन पर हमने मीटरिंग की व्यवस्था की है वह मीटर चालू हैं कि नहीं चालू हैं। आपके पास जे0ई0 हैं नहीं, आपने 33 के0वी0 स्टेशन सारे ठेके पर दे दिये हैं निजी क्षेत्र को। करीब 40 हजार रुपये प्रति माह आप एक-एक 33 के0वी0 स्टेशन के ठेकेदारों को दे रहे हैं तो क्या वह ठेकेदार काम कर रहे हैं। जब तक आप मानीटरिंग नहीं करेंगे जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि हमारी किस क्षेत्र में ज्यादा चोरी है जब तक उसको रोकने का आप प्रयास नहीं करेंगे आप लाख तारीफ कर लीजिए आप जेनरेशन की बात कर रहे हैं आप जेनरेशन लगा ही नहीं सकते हैं आपके पास इस्को गारण्टी कहां है। बिना इस्को गारण्टी के कौन उत्तर प्रदेश में जेनरेशन लगाने आयेगा। आपका पावर परचेज एग्रीमेण्ट कितने लोगों की तरह, शायद आपको उसका ज्ञान ही नहीं होगा। मैं जब ऊर्जा मंत्री था, जब आखिरी एग्रीमेण्ट करके गया था विष्णु प्रयाग और श्रीनगर वाले तो इस्को गारण्टी पूरी हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं आप इस्को गारण्टी देंगे नहीं जब उनको अपना पैसा वापस मिलने का, दिखाई नहीं देगा तो वह क्यों उत्तर प्रदेश में लगायेंगे। आप अधिकारियों से पूछिये कभी समीक्षा तो करिये, इस बात को भी तो सोंच लीजिए। छापामारी की जगह समीक्षा कर लीजिए कि नरेश अग्रवाल जो कह रहे थे, क्या यह सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। मैंने खुद बहुत प्रयास किया, लेकिन विभाग के लोगों ने मीटरों को चलने नहीं दिया। आपने जो मीटरिंग व्यवस्था की, हर लाइन पर, हर 33 के0वी0 पर, हर 132 के0वी0 पर उन मीटरों में कितने मीटर चल रहे हैं। मीटरिंग तो पूरी कर ली लेकिन आज कितने मीटर काम कर रहे हैं। आपके अधिकारी बैठे होंगे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने लाइनों की हमने मीटरिंग की और कितनी लाइनों की हमारे पास प्रतिमाह रिपोर्ट आती है, हम कहते हैं प्रतिमाह नहीं तिमाही रिपोर्ट मंगा लीजिए अगर उस तिमाही रिपोर्ट के अनुसार आप व्यवस्था कर देंगे तो आपको सफलता मिलेगी, उत्तर प्रदेश को विद्युत की कमी, कहीं न कहीं कम होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, घाटा आपका जो है कम होगा, लेकिन आपने इसको नहीं सोंचा और न ही किसी ने आपको बताया। तीन अंग हैं अगर तीनों अंगों को आप बराबर नहीं रखेंगे, अगर आप जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को नहीं देखेंगे तो व्यवस्था आपकी एक दम पैरलाइस हो जायेगी। आपको तीनों व्यवस्थायें देखनी पड़ेंगी। आपने तमाम अभी बढ़ई कर दी कि हम इतने पावर स्टेशन लगा रहे हैं, हम इतना उत्पादन कर देंगे बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायेगा। अरे एक ही बार नाम ले लिया होता बहन जी का तो हम लोग तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री वह हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हम यह भी जानते हैं कि आपको स्वतंत्रता उनके नेतृत्व में नहीं मिली हुई है, वह नाम लेना आपकी बाध्यता है लेकिन एक बार ले

लिया होता नाम, तो हम समझते हैं इतना काफी था समझने के लिए, लेकिन आपने तो ऐसा लगा जैसे बजट न पेश करके वही नाम ही पेश करते चले गये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अग्रवाल जी अभी और भी विभागों के बजट आने हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, [× × ×] कटौती रखने वाले को और बजट मंत्री को रखने की कोई समय सीमा नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता-

सीमा तो थोड़ी सी रखनी ही पड़ेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कोई समय-सीमा नहीं होती, हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आप सुझाव दीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आपने कहा कि पारीक्षा में 210 मेगावाट बिजली हमारे जमाने में लग गई। जब मैं ऊर्जा मंत्री था तब बी0एच0ई0एल0 वाले आये थे और उस समय बी0एच0ई0एल0 से तय हुआ था कि 210 मेगावाट की दो परीक्षा यूनिट लगेंगी मैं हटा राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उनके जमाने में एग्रीमेण्ट हुआ। लेकिन यह बताइये कि दो यूनिट लगीं, एक यूनिट पिछले दो साल से आपकी थेफ्ट में चल रही है, एक ने उत्पादन शुरू किया एक ने अभी नहीं शुरू किया। उसने उत्पादन क्यों नहीं शुरू किया ? आपने हमे जवाब दिया 28 दिसम्बर, 2006 को सेक्टराइज की जा चुकी है, तब ट्रायल बेस पर चली, यह आपका जवाब है।

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न था आपने लिखित जवाब दिया है तो आप बी0एच0ई0एल0 वालों से पूछें कि आखिर दो साल में उत्पादन क्यों नहीं हुआ। आपने जवाब में जिन परियोजनाओं का जिक्र किया है उसमें 2 गुने 210 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना का। आपने 2 गुने 250 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना का जिक्र किया है। इसी तरह से 2 गुने 250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय परियोजना का इसमें जिक्र किया है कि बी0एच0ई0एल0 को आदेश दिये गये। इसी तरह से 2 गुने 500 मेगावाट अनपरा डी तापीय विद्युत परियोजना का जिक्र किया है कि बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किये। आपने कहा है कि इसी पंचवर्षीय योजना में 10 हजार मेगावाट का उत्पादन शुरू कर देंगे। आप कम से कम पहले बी0एच0ई0एल0 से पूछ तो लेते क्योंकि आज जो स्थिति है बी0एच0ई0एल0 वाले 10 साल तक

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सप्लाई नहीं कर पायेंगे। इतना आर्डर है उनके पास है, उनकी 10 साल की पेंडेंसी है। आप उनके चेयरमैन को बुला लेते और बात कर लेते कि हमने आपको पैसा दे दिया है। आप मशीनरी कब देंगे, उसको स्थापित कब किया जायेगा। जब उनके पास 10 साल की पेंडेसी है वह सप्लाई नहीं कर पायेंगे तो आप चालू कैसे कर देंगे। वह टर्बाइन दे नहीं सकते हैं उनको मिल नहीं पा रही है। जितने भी निजी क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं वह इम्पोर्ट करके लगा रहे हैं या दूसरे लोगों से टर्बाइन लगा रहे हैं जिनका बी0एच0ई0एल0 ने आर्डर नहीं लिया है। बी0एच0ई0एल0 आपको 10 साल तक मशीनरी ही नहीं दे पायेगा आप उत्पादन कहां से शुरू कर देंगे। आपने ओबरा ताप विस्तार योजना की बात कही है। आपका केवल कोयले के लिंकेज से तो नहीं होगा आपको गारंटी भी देनी होगी। जब तक आप पैसे का प्रबन्ध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपने पावर फाइनेंस कारपोरेशन से कितना लोन लिया है, अन्य वित्तीय संस्थाओं, आर0ई0सी0 है आप उनसे कितना लोन लेने जा रहे हैं। आप उसकी क्या गारन्टी दे रहे हैं। क्या राज्य सरकार उनको गारन्टी देने के लिये तैयार है या नहीं।

आपने कहा कि मेजा ताप योजना में 54 महीने लगेंगे। आपने खुद ही लिखा है।

आपने खुद ही लिखा है कि इसको लगने से 54 महीने लगेंगे। अभी तो भारत सरकार और आपके बीच में एक अंडरस्टैन्डिंग हुई है। अभी आप जमीन देखेंगे उसकी वायबिलिटी, फिसिबिलिटी देखेंगे। आपको सारे क्लियरेंस भारत सरकार से लेने होंगे। आपने ललितपुर की बात कही है कि चार हजार मेगावाट के लिये आप भूमि चिन्हित की है। अभी केवल भूमि चिन्हित की गयी है। क्या उस भूमि के चयन से 4 हजार मेगावाट का उत्पादन शुरू हो जायेगा। आपने कौन सी नयी मशीनरी ईजाद कर ली है कि इतनी जल्दी उसका उत्पादन शुरू हो जायेगा। आपने रोजा की बात कही उसको अधिग्रहीत हुए कितना समय हो गया है। अभी वहां पर सिर्फ बाउन्ड्री वाल बनना शुरू हुई है। वह हरदोई के नजदीक है इसलिए रास्ते से जब उधर से निकलते हैं तो देखते हैं। रोजा में आपका उत्पादन कितना शुरू हो गया ? रोजा में आप देख लें आपका इतने दिनों का प्रयास है। आप कहते हैं कि पैसे की स्वीकृति हो गयी है। उसमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। आपने भूमि चयन कर ली है चार-हजार मेगावाट के लिये, क्या उत्पादन शुरू हो गया ? अनपारा सी-आपने कितना रुपया लगाया। आप अपनी किसी जेबी कम्पनी को उसे देना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने शर्त लगा दी बीडिंग की। जिसका कम रेट आया उसी को दिया। ठीक है आपके कारण वह लग रही है नहीं तो नहीं लगती। आपको बधाई है, आपने अपने कर्मचारियों को लगाया उनको बिठाया वह लगी। हम तो चाहते थे कि वह यूनिट लगे। अनपारा सी का जे0बी0सी0एल0 का आर्डर निरस्त हुआ था तो मुझे मानसिक कष्ट हुआ था। हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की वह एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसको लगना चाहिए था। उस समय दल के आपसी मतभेदों के कारण वह योजना लटक गयी थी। हमने खुद तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से उस सम्बन्ध में व्यक्तिगत भेंट की थी वह जापान की यात्रा पर जा रहे थे। जे0बी0सी0एल0 ने

उसको लिस्ट में अंतिम नम्बर पर डाल दिया था। मैंने प्रधान मंत्री अटल जी से कहा था कि उनसे कहें कि उत्तर प्रदेश की इस परियोजना को एक नम्बर पर ले लें। यह आप उत्तर प्रदेश की परियोजना क्यिलर करवा दीजिये। फिर जे0बी0सी0एल0 वाले ही नहीं राजी हुए। जापान के बहुत लोग आये थे उत्तर प्रदेश में लेकिन आये कहां। इसी मारे इसको निजी क्षेत्र में देना पड़ा। आप आनपारा डी के बारे में कहते हैं कि हमने कोलिन्केज कर लिया है। आनपारा 'डी' का भी लेकिन आनपारा डी के लिए आपने व्यवस्था क्या करी है आपने। अभी तो आपको इसको विडिंग करने में इसको बी0एच0ई0एल0 को आर्डर देने में और बी0एच0ई0एल0 को आर्डर देने का मतलब 10 साल के लिए फिर उसको टाल दें और अगर हुन्डई या उनको देना चाहेंगे तो आपको विडिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए जो औपचारिकता पूरी करनी होती है उस औपचारिकता को पूर्ण करने में न जाने कितने वर्ष लग जायेंगे। अब तब तक हो सकता है कि आप फिर इधर बैठ जायं आ करके।

बहुत गलतफहमी होती है जो उधर बैठता है लोक सभा का चुनाव आ जाय पता लग जायेगा कि कौन कहां बैठने जा रहा है। आने दीजिए लोक सभा का चुनाव 6-8 महीने में होने जा रहा है जो बजट आया है वह लोक सभा चुनाव का ही बजट आया है। चुनाव में बहुत देर नहीं है लोक सभा का।

मान्यवर, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, यह तो हमारे समय में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना यह तो हम लोगों के समय में चालू हो गयी थी और श्रीनगर जो था साइनरजी को दे गये थे, साइनरजी ने फिर नहीं लगाया अब दूसरे को दिया गया है जो लग रहा है ऐसा नहीं है कि आप आये और तभी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया उत्तर प्रदेश में और उत्पादन शुरू हो गया। आज बिजली की जो हालत है ऊर्जा मंत्री जी छापा मारते रहिये, प्रदेश में आदमी त्रस्त है बिजली से आप छापा मारते रहिये। अभी स्टूडेन्ट्स का मामला उठाया था प्रमोद जी ने, स्टूडेन्ट्स को नहीं मिल रही है, उद्योगों को नहीं मिल रही है कहीं आप कहते हैं कि हम शहरों में 16 घण्टे सप्लाई कर रहे हैं, महानगरों में 18 घण्टे, गांवों में 14 घण्टे कोई एक माननीय सदस्य बता दे कि सत्यता है कि नहीं, कौन गांव में 14 घण्टे सप्लाई हो रही है।

(सत्ता पक्ष की तरफ से हाथ उठाकर 14 घण्टे बिजली आ रही है, आ रही है की आवाजें)

मान्यवर, अब उनकी मजबूरी है झूठ बोलने की असत्य कहने की।

श्री अधिष्ठाता-

परीक्षण की स्थिति नहीं है आप अपनी बात कहें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह मजबूरी है।

श्रीमन्, माननीय ऊर्जा मंत्री ने स्वयं अभी कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य हमको परेशान करते हैं कि बिजली की कमी है हमें बिजली दो। आप तो खुद ही अभी कह

रहे थे, आपने तो बजट भाषण में खुद कहा है, आप खुद ही कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं तब भी उधर वाले कहते हैं कि नहीं मिल रही है चलिये मिल रही है तो पता लग जायेगा कुछ दिन में कितनी मिल रही है। अगर सही सुझाव नहीं सुनना चाहते हो तो न सुनो लेकिन हमारा काम तो सुझाव देना है और हम सुझाव दे रहे हैं जो सत्यता है उसको रख रहे हैं नहीं स्वीकार करोगे तो खुद ही सब सामने आ जायेगा। लेकिन ऊर्जा मंत्री जी, आप जरूर गम्भीरता से ले रहे हैं मैं जो बातों को कह रहा हूं आपने तो जरूर कहा कि नरेश जी अगर सुझाव देंगे तो हम सुझाव ले लेंगे। आपको तो उम्मीद है ही नहीं कि मैं सुझाव दूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा काबिल तो आप ही हैं सुझाव और दोनों का ज्ञान तो आप ही को है। हम लोग तो अज्ञानी हैं यहां तो कोई ज्ञान है नहीं। सारा पढ़ा लिखा आपने ही है, सारा ऊर्जा क्षेत्र का ज्ञान आपको ही है। हम लोग तो भाई 'जैक आफ आल-मास्टर आफ नन' हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोगों को कहा जाता है जैक आफ आल मास्टर आफ नन हम लोग किसी चीज के विशेषज्ञ नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को हर चीज का विशेषज्ञ माना जाता है क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है वह जनसमस्याओं से जुड़ा हुआ होता है और जो जनता से जुड़ा हुआ होता है उसको जनता का तजुर्बा अच्छा होता है। इसी के मारे डेमोक्रेसी को जिन्दा रखा गया है। कभी भी प्रेसीडेन्ट रूल में तरक्की नहीं होती है। हरदम सरकारों में तरक्की होती है क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है जनता से जुड़ी हुई चीजों का निर्णय लेती है। सरकार चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी करती है वह घोषणा-पत्र इस मारे जारी करती है पार्टियां कि जनता को पता लगे कि हम उनकी तकलीफों को समझ रहे हैं। इस मारे जो हमारा तजुर्बा है। जनता के बीच में जो ऊर्जा मंत्री की हैसियत से मैं उनको आपके बीच में रख रहा हूं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

आप रोज एक हजार मेगावाट बिजली ले रहे हैं, आपने कहा मैंने कह दिया कि साढ़े 7 रुपये में बिजली लो। नार्थ ग्रिड आपको ढाई रुपये में बिजली दे रहा है, क्यों नहीं आप पूरी बिजली लेते। वहां की बिजली ढाई रुपये में उपलब्ध है। एन0टी0पी0सी0 आई थी 500 मेगावाट के लिये उत्तर प्रदेश से एग्रीमेन्ट करने के लिये कि हमसे एग्रीमेन्ट कर लीजिए। आप एन0टी0पी0सी0 वालों को बुलाइये। एग्रीमेन्ट करिये और एक्स्ट्रा बिजली लीजिये। आप पीक आवर में 49 हर्टज पर जब बिजली उठायेंगे तो साढ़े सात रुपये आपको बिजली पेनाल्टी सहित पड़ रही है। आप कितना बोझ डालेंगे, प्रदेश को कितना कर्जदार करेंगे, आखिर कर्जा बढ़ता जा रहा है आज वैसे भी उत्तर प्रदेश एक लाख हजार करोड़ से ऊपर का कर्जदार हो गया है और हर महीने पावर कारपोरेशन का कर्जा अगर 10 हजार करोड़ बढ़ता चला गया तो यह कर्जा कहां पर जायेगा ? धीरे-धीरे प्रति व्यक्ति यह उत्तर प्रदेश बिल्कुल कर्जदार हो जायेगा।

हम तो चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिये और हमने कहा कि जब तक तीनों सिस्टम को आप सही नहीं करेंगे, व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आपने बता तो दिया ट्रांसमीशन के नियम। आप

उत्पादन करेंगे नहीं तो ट्रांसमीशन के लिये इतना पैसा कहां से लायेंगे। आप पावर ग्रिड को हर महीना कितना पैसा दे रहे हैं बिजली लेने के लिये यह आखिर आप जोड़ लीजिये। क्योंकि आपके पास ट्रांसमीशन लाइन नहीं है। आप उत्पादन निगम के एम0डी0 से पूछ लीजिये कि उनकी क्या हालत है। आप अगर उत्पादन निगम को पैसा देकर बिजली खरीदते तो शायद अपने बिजली घर बेचने की जरूरत न पड़े। उनकी भी खस्ता हालत को ठीक किया जा सके, आपने खुद स्वीकार किया है कि इंस्टाल्ड कैपेसिटी जो है उसका हम सिर्फ 58 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से आपका 55 प्रतिशत से ज्यादा पी0एल0एफ0 नहीं है। लेकिन जो जवाब आपने हमको दिया है उस जवाब में 4160 इंस्टाल्ड कैपेसिटी लिखी है और 58.88 हमारा पी0एल0एफ0 है यह आपका जवाब है लेकिन रोज का उत्पादन आप स्वयं देख लीजिये। 1500-1600 मेगावाट से ऊपर उत्पादन नहीं हो रहा है और जब उत्तरांचल बन गया तो हम हाइड्रो के क्षेत्र में लगभग बिल्कुल निल हो गये तो हमको थर्मल पर ही तो निर्भर होना पड़ेगा। ऊंचाहार के बारे में तो मैं नहीं कहता लेकिन टाण्डा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जिला है, वहां से जीतकर आते हैं। टाण्डा का पी0एल0एफ0 कभी 30-32 प्रतिशत से ऊपर गया ही नहीं। क्योंकि हम वहां पैसा लगाते ही नहीं। वहां का पानी खराब था पैसा लगाया नहीं और पानी को सुधारने की व्यवस्था नहीं की। पैसा जब नहीं था तब एन0टी0पी0सी0 को रिफार्म में इसे देना पड़ा और एन0टी0पी0सी0 ने जब इसमें पूरा पैसा लगाया तो आज टाण्डा का शायद 90 प्रतिशत से ऊपर पी0एल0एफ0 चल रहा है और आज हमारा अनपरा बी, जिसने सबसे ज्यादा एवार्ड हिन्दुस्तान में जीते हैं, उस अनपरा बी का भी पी0एल0एफ0 इस मारे गिरता चला जा रहा है कि आप उसको समय से ठीक नहीं करा रहे हैं। साल में अगर एक बार उसको पूरी तरह से खुलवा कर ठीक नहीं करेंगे, जापानी मशीन है। लेकिन अगर हर वक्त बिजली की कमी के कारण आप उसको ठीक नहीं करा रहे हैं और आपने खुद स्वीकार किया है कि अनपरा का आपका पी0एल0एफ0 82 प्रतिशत रह गया है जो कि 100-105 प्रतिशत तक हुआ करता था।

आज अनपरा ने जितने पदक हिन्दुस्तान में जीते हैं उतने पदक किसी भी पावर हाउस ने नहीं जीते हैं। लेकिन अनपरा के बारे में मैं रोज पढ़ लेता हूं कि 500 मेगावाट की इकाई ट्यूब लीक होने के कारण बंद हो गयी कल फलां कारण से इकाई बंद हो गयी। तो अगर इन पावर स्टेशन की देखरेख के लिये आप पैसा नहीं देंगे तो आप हमें बताते रहिये फीगर कि उत्पादन निगम का पावर कारपोरेशन के ऊपर कितना पैसा बाकी है और आप कब देंगे। आप उत्पादन निगम को पैसा ही कहां दे रहे हैं। आप उनसे बिजली ले रहे हैं और सबसे सस्ती बिजली विद्युत उत्पादन निगम आपको दे रहा है। जब आप उनको पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो पावर स्टेशन कहां लगा रहे हैं। आपने ओबरा में 50 मेगावाट की दी है रशियन्स को, दो मशीन बनाई और तीन खुली छोड़कर भाग गये। क्यों नहीं वह मशीन ठीक होती है आखिर आपने कभी बुलाया उन लोगों को कि जो पैसा हमने दिया वह पैसा आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। एडवांस पैसा दे दिया गया रशियंस को

और वह सिर्फ दो मशीन टीक करके चले गये और तीन खुली छोड़ गये जिनसे उत्पादन भी नहीं हो रहा है। हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी अपने आप वहां पर घट गयी। अगर इन सब पहलुओं पर आप विचार करेंगे, तब तो ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हो पायेगी नहीं तो घाटे में और कर्ज लेकर ही आपको ऊर्जा विभाग को आगे बढ़ाना है तो आप वाहवाही कर लीजिये हम इसमें मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन समझदारी इसी में होती है, ऊर्जा क्षेत्र में रिफार्म को लागू इसीलिए किया गया था कि पावर कारपोरेशन का घाटा कम हो, लोगों को अच्छी बिजली मिले और इसीलिए वितरण कम्पनियां अलग-अलग बनायी गयी थीं। लेकिन वितरण कम्पनी को निजी क्षेत्र में लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है लेकिन नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को लेने के लिए आ जायेंगे। लेसा को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, केस्को को भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है निजी क्षेत्र वाला। आप ठेकेदारी पर सारी व्यवस्था चला रहे हैं अखबारों में आता है कि गांवों में भी ठेकेदारी व्यवस्था लागू करेंगे। कर्मचारियों की संख्या है नहीं, एक जमाना था जब एक लाख कर्मचारी हुआ करते थे, आज कर्मचारियों की संख्या 55 हजार रह गई है एक लाख दस हजार से घटकर। आपके पास जे0ई0 हैं नहीं, लाइनमैन है नहीं, मीटर मैन हैं नहीं, इंजीनियर आपके पास कम हैं कैडर आपका पूरा नहीं बन पाया है। आप अपने उत्पादन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैडर को अलग-अलग कर दीजिए, जब तक दोनों को अलग-अलग नहीं करेंगे तब तक ठीक से काम नहीं हो पायेगा। आपके पास 93 लाख कनेक्शन हैं प्रदेश में और आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है, सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में कम से कम 5 करोड़ घर होंगे, गांव के तो कनेक्शन अलग ही हैं। हम लोगों ने कटिया कनेक्शन को रेगुलराजइ करने के लिए अभियान चलाया था और करीब 10 लाख कनेक्शन हुए भी थे। हमने कहा था कि जो 600 रुपये जमा कर देगा उसके कटिया कनेक्शन को रेगुलराइज कर दिया जायेगा।

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब है कि 17-18 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में मात्र 93 लाख विद्युत कनेक्शन तो क्या बाकी सारे लोग अंधेरे में रह रहे हैं। शहर में ऐसा कौन सा घर है, जिसके घर में बिजली नहीं लगी है। स्वास्थ्य मंत्री जी के कानपुर में देख लीजिए नगर महापालिका से घरों की संख्या पता कर लें और अपने विद्युत कनेक्शन को देख लीजिए सारी चीज आपके सामने आ जायेगी। इन चीजों पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप इन पर भी ध्यान दें यह भागदौड़ बन्द करके यहां बैठ करके चूड़ी कसिये। आप मीटर व्यवस्था देखिये और जिस दिन इस व्यवस्था को पकड़ लेंगे, जिस दिन अधिकारी यह समझ जायेंगे कि हमारे मंत्री की पकड़ है, उस दिन अपने आप नीचे काम ठीक होने लगेगा। मान्यवर, व्यवस्था तो विभाग ने बिगाड़ी है आप सुधरवायेंगे तो इन्ही से। यदि आप उन पर अंकुश नहीं लगायेंगे तो व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप स्वयं ही इस बात से सहमत हैं कि बिजली चोरी है बिजली चोरी रुकनी चाहिए लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दो हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को दिये गये हैं। हम लोगों की जब सरकार थी तो हम लोगों ने हर विधायक को पांच-पांच गांव विद्युतीकरण करने के लिए दिये थे, कोई ऐसा बजट नहीं रहा होगा जिस बजट में न दिया हो।

क्या आप इस तरह की घोषणा करेंगे कि हर विधायक की मर्जी से भी पांच-पांच गांव विद्युतीकृत किये जायेंगे। बहुमत तो आपका है, आपके विधायकों को ज्यादा फायदा मिलेगा। सब शान्त बैठे हैं यह तो सब चाहते हैं कि मा0 मंत्री जी घोषणा करें कि हर मा0 विधायक के कहने पर पांच-पांच गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा। आपने कह दिया कि अम्बेडकर गांवों को किया जायेगा, अम्बेडकर गांव तो जो चयनित होंगे वह तो होंगे ही, उसमें विधायक का एहसान क्या है। हमने तो चयनित क्षेत्र के भी विधायकों को दिये थे कि 25-25 लाख रुपये के आप शहरी क्षेत्र में जो काम कराना चाहें, ऊर्जा विभाग उसको करेगा। आज आप घोषणा करिये, हम समझेंगे कि बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में आपको (ऊर्जा मंत्री जी) को भी स्वतंत्रता है। आप घोषणा करिये, अब इसका भी कोई विरोध कर रहा हो तो सत्ता पक्ष वाला भी हाथ उठा दे कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए। (ठाकुर सूरज पाल सिंह के खड़े होने पर) श्रीमन्, यह आगरा के हैं उसके बाद हमको कुछ कहना ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप भी आगरा जाते रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, ए0पी0डी0आर0पी0 योजना भारत सरकार की है, आप जितना पैसा मांगिये, भारत सरकार देने के लिए [illegible] है लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके इन्जीनियर योजनायें ही नहीं बनाते हैं। मैंने खुद एक [illegible] विभागीय अधिकारियों से कहा जब मैंने हरदोई के लिए कहा कि आप इसको क्यों नहीं बनाते जब केन्द्र सरकार पूरा पैसा देने को तैयार है तो भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनायी तो 29 करोड़ रुपये की बनायी जबकि मैंने कहा था कि 40 करोड़ रुपये का बनाइये। आप बताइये कि कितने नगरीय क्षेत्र को आपने ए0पी0डी0आर0पी0 में लेकर कितना पैसा लिया ? नगरीय व्यवस्था को सुधारना है तो आप ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में शहरों को लीजिए- आप तार बदल रहे हैं, प्लास्टिक वायरिंग के तार लगा रहे हैं, इन सब चीजों को ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में लीजिए। आपके पास पैसे की कमी कहां है ? आप योजना का इस्तेमाल तो करिये। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का पैसा आया, भारत सरकार ने आपत्ति करी, उन्होंने पैसा रोक दिया और उन्होंने कहा कि उ0 प्र0 में पैसा मिसयूज हो रहा है, सही तरीके से योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, गांवों का सही तरह से विद्युतीकरण नहीं हो रहा है और जो सामान लगाया गया उसका स्तर बहुत नीचा और सामान की क्वालिटी बहुत निम्न है, आप खुद चेक कर लीजिए। आप देखिये भारत सरकार ने क्या आपत्ति करी, भारत सरकार ने पैसा रोका और कहा कि जब तक इसे ठीक नहीं किया जायेगा हम आगे का पैसा नहीं देंगे। हम लोगों की योजना थी हर मजरे तक को ऊर्जीकृत करने की योजना थी। प्रथम चरण में सारे गांव ऊर्जीकृत कर दिये जाएं और दूसरे चरण में सारे मजरे ऊर्जीकृत कर दिये जाएं लेकिन हम जब सही काम नहीं करेंगे, हमारा विभाग पर अंकुश नहीं होगा, लगाम नहीं होगा, पैसा रुकेगा। घाटे का बजट, घाटा हमारा

ऊपर से जिन योजनाओं में पैसा मिल रहा है उससे हम लेंगे नहीं। फाइनेन्स कारपोरेशन हमें पैसा देती है उनसे हम बात नहीं करेंगे, हम योजनाओं की घोषणा कर देंगे। हमारे जमाने में भी भारी घोषणा हुई थी कि दादरी प्रोजेक्ट शुरू हो जायेगा, फलॉ प्रोजेक्ट शुरू हो जायेगा, कितना शुरू हुआ ? जैसे आप घोषणा कर रहे हैं कि 10 हजार मेगावाट का हम उत्तर प्रदेश में इस पंचवर्षीय योजना में जनरेशन शुरू कर देंगे, कहां से शुरू कर देंगे ? खाली कोरी कल्पना से कोई फायदा नहीं है सिर्फ इन घोषणाओं से फायदा नहीं है जब तक आप असली जामा नहीं पहनायेंगे असली बिजली नहीं मिलेगी, आप लाख घोषणा करते रहिये कि हमने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कर दिया। हमने छापामारी कर विद्युत चोरी रोक दी लेकिन गरीब जनता को बिजली नहीं मिलेगी, शहर में बिजली नहीं मिलेगी तो आदमी आपकी बात का कभी विश्वास नहीं करेगा, विश्वास तब करता है जब सत्यता हो, आदमी को दिखाई दे सत्यता पर उतरिये, धरती पर लाइये तब आपको पता लगेगा नहीं तो हवाई पुलाव में अगर चलना चाहते हैं तो स्वागत है आप चलिये हम कब मना करते हैं। हम तो चाहते हैं कि और भी हवाई पुलाव में रहें, जमीनी हकीकत न पता लगे कि जमीन पर क्या है ? खुद ही सत्ता का मद अपने आप जनता दूर कर देती है।

मैंने अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव थे दिये हैं चूंकि बहुत लोगों को अभी बोलना है, सुझावों के बाद भी बहुत से सदस्य और भी सुझाव देंगे। मैं सिर्फ इत कहना चाहता हूं कि नलकूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगायेंगे उसका सारा पैसा हम देंगे तो बजट कितना प्राविधान किया, यह बता दीजिएगा ? अभी तक तो किसी जिले में आदेश पहुंचा नहीं है कि कितने ट्यूबवेल के कनेक्शन दिये जायेंगे ? उसके लिए हर साल अलग कट की घोषणा होती थी। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं, यह खुद ही कहते थे। इसका बजट में कितना प्राविजन किया है यह बता दीजिएगा ? हम तो चाहते हैं कि नलकूपों पर छूट होनी चाहिए। मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा था कि जो डार्क स्टाक हो गये हैं वहां पर 15 से 20 हार्स पावर का मोटर जब तक नहीं लगाते तब तक पानी नहीं आ रहा है। वेस्टर्न यू0पी0 और आगरा के मण्डल में बहुत बड़ी समस्या है। अगर उसकी दर निर्धारित नहीं की गई तो किसान चोरी करेगा ही। किसान की इतनी क्षमता नहीं है कि 10-15 हार्स पावर के हिसाब से भुगतान कर सके। इन नीतियों पर विचार करते हुए उन सुझावों का क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश को बढ़ाना चाहते हैं ऊर्जा क्षेत्र में हमने जो सुझाव दिये हम उम्मीद करते हैं कि आप उन पर अमल करेंगे। जहां आप अच्छा कार्य करेंगे वहां हम प्रसंशा भी करेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

हमें तो लग रहा था कि आप समर्थन में बोल रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि नरेश जी सुझाव नहीं देंगे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

उन्होंने कहा कि आप अच्छे सुझाव देंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं चाहूंगा कि जो सुझाव दिये हैं उन पर सदस्य भी राय देंगे। ऊर्जा मंत्री जी बजट तो पास होना ही है आप बहुमत में हैं। हम बजट रोकने भी नहीं आए हैं हम चाहेंगे जो सदस्य सुझाव दें उनके अच्छे सुझाव छंटवा लीजिए और उन पर क्रियान्वयन करेंगे। हम सबकी सोच है कि हमारा प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में सम्पन्न प्रदेश रहे।

श्री भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। हमारे ऊर्जा मंत्री जी इस प्रदेश में सबसे सरल और सबसे सहृदय हैं, विधायक ही नहीं जनता की समस्याएं सुनने वाले लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब से इस विभाग को संभाला है बड़े पैमाने पर पूरा प्रदेश इसके पहले ऊर्जा के क्षेत्र में काफी विसंगतियां थीं। बड़े-बड़े शहरों में जहां उद्योग धन्धे काम करते हैं तो बड़े-बड़े शहरों में उद्योग धन्धे चौपट हो गये थे पिछली सरकार में। वहीं विद्युत की आपूर्ति करके इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। अधिष्ठाता महोदय, मैं इटावा जनपद से एक सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र लखना क्षेत्र से चुनकर आया हूं। पहले की सरकार में जब हमारी नई सरकार बनी तो ऊर्जा मंत्री के निर्देश में जैसे चोरी रोकने का अभियान चलाया गया तो वहां जब जांच की गई तो हमारे क्षेत्र में जो बीहड़ क्षेत्र है उधर खेतों में ट्रांसफार्मर दबे मिले। मैं ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर लगने के लिए होते हैं हमारे जनपद में ट्रांसफार्मर कहां से आए जब खेत खोदे गये तो तीन-तीन, चार-चार ट्रांसफार्मर दबे मिले। इटावा जनपद में दो तरह की समस्याएं रही हैं पहली यह सही है कि इटावा जनपद में पूरे प्रदेश से चोरी करके विद्युत इटावा को दी जाती थी यह वी0आई0पी0 क्षेत्र था वहां के मुख्य मंत्री थे। पूरे प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में हाहाकार रही हो लेकिन इटावा में उन्होंने बड़े पैमाने पर बिजली दी।

श्री अधिष्ठाता-

शीघ्रता से अपनी समस्या रखें।

श्री भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट-

वहां पर हमारे लिये यह समस्या पैदा हुई कि जब हमारी सरकार बनी और लखना क्षेत्र की जनता ने जिसने पहले भी 20 घण्टे बिजली का उपभोग किया लेकिन 20 घण्टे बिजली जिन लोगें ने दी उनको नकार कर हमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। जब हमारी सरकार बनी तो वहां शुरू में दो चार छः घण्टे आठ घण्टे बिजली मिली तो उन्हें लगा कि इससे अच्छी तो पहले की सरकार थी वो 20 घण्टे बिजली दे रही थी अब जब आप बने हैं तो 5-6 घण्टे ही बिजली मिलती है। लेकिन अब वहां जो हमारी जनता है जिसको 20 घण्टे बिजली मिल रही थी पूरे प्रदेश से। यह दो तरह की समस्या इसलिये पैदा हुई कि पूरे प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही थी और हमारे जिले में बिजली जा रही थी। अब पूरे प्रदेश की जनता जितनी बिजली

हमारे यहां मिल रही है उतनी बिजली पूरे प्रदेश में मिल रही है यह बात समझाने में इसलिये हमारे क्षेत्र में मुझे यह समस्या हुई मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी अनुरोध किया और वहां समस्या यह भी है कि बड़े पैमाने पर जो विद्युत उपकेन्द्र बनाये गये अभी एक गांव का नाम आया था क्योंकि हमारे जनपद का गांव है इसको कोई भी नकार नहीं सकता है क्योंकि सैफई ढाई सौ की आबादी का गांव था और उसको बढ़ाते-बढ़ाते किया तो रहा तो वह गांव ही क्योंकि गांव से ज्यादा क्या किया जा सकता है। वहां पर विकास की जितनी भी सुविधाएं हैं गुण्डागर्दी की वजह से सब बेकार हैं। अब वहां पर बहुत अच्छा अस्पताल है लेकिन गुण्डागर्दी की वजह से कौन जाय वहां पर। पता चला कि उसका मरीज ही गायब हो जाये। मरीज के साथ जो उसका तीमारदार है वह ही गायब हो जाय। जो सामान पैसा लेकर वह जाय, वह कोई वहां से छीन ले। गुण्डागर्दी की वजह से न तो सैफई को उससे ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है जिनकी यह सोच है तो पूरे जनपद में और गैर विधान सभा क्षेत्र तो पूरे के पूरे। मैं इसको इसलिये भी कहना चाहता हूं क्योंकि जब बात आती है पैसा जाता है सैफई के नाम पर। पूरे जनपद के नाम पर सैफई में सबसे ज्यादा पैसा गया है। तो बदनाम तो हम लोग भी होते हैं कि इटावा जनपद में इतना पैसा गया। मैंने यहां यह भी अनुरोध किया है कि यह भी तय हो कि कुल कितना पैसा गया इटावा जनपद में पिछली सरकार में उसमें हमारे विधान सभा क्षेत्र में कितना पैसा गया। हमारे विधान सभा क्षेत्र में अभी भी कोई भी विद्युत उपकेन्द्र नहीं है। 33 और 33 के0वी0ए0 के बने हैं बिजली आती है कुनैरा से और सबसे बड़ी यह समस्या है कि अभी भी जो लोग विद्युत विभाग का काम संभाल रहे हैं सब ठेकेदारी पर। अब इधर यह बता दिया कि इधर के लोग कर रहे। सही बात यह है कि चाहे वह कर्मचारी कम हुए हों या ठेकेदारी की व्यवस्था जिनके हाथ में रही हो। आज भी वही ठेकेदार हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में जानबूझकर लाइन नहीं चलने दी जा रही है और इसलिये नहीं चलने दी जा रही कि अब यह हो जाय कि यह विधायक हैं, बिजली न जाय तो इनके ऊपर जायेगा। तो बड़े पैमाने पर 10-10 कि0मी0 की लाइन लखना से लेकर हनुमंतपुरा तक 10 किमी0 की लाइन है हर महीने काट लेते हैं और इसमें काटने वाले बिजली विभाग के और जो पुराने ठेकेदार हैं वह जानबूझकर काटते हैं फतेहपुरा से इकनौर जो है 10 किमी0 है पूरी बिजली की लाइन काट दी गई।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समय थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं।

(विपक्ष की तरह से यह कहने पर कि करने दीजिये अपना दर्द बयां कर रहे हैं)

श्री भीमराव अम्बेदकर एडवोकेट-

यह दर्द इसलिये कह रहा हूं कि यह दर्द आपका ही दिया हुआ है और आज भी इटावा में गुण्डागर्दी जो हो रही है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी आज भी समाजवादी पार्टी की है। जितना भी गुण्डागर्दी हो रही है, जितना भी बिजली के तार की चोरी हो रही है जितना भी जो कुछ हो रहा है वह इसमें अभी भी समाजवादी पार्टी की गुन्डई कायम है अब आप उसमें यह कहेंगे कि इसमें

कार्यवाही क्या हो रही है। अब जब बिना कार्यवाही किये ही आप चिल्लाने लगते हैं। जब गुण्डागर्दी पर अंकुश लगाया जाता है आप तो बिना अंकुश के ही चिल्लाने लगते हैं इसलिये मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि बिजली के क्षेत्र में हमारे यहां पचनदा जहां पांच नदियां मिलती हैं और पांच नदियां कहीं मिलती हैं पूरे देश में तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में इटावा में मिलती हैं। वहां भी बिजली पैदा करने के लिये बांध बनाया जा सकता है जिसमें इटावा और आस-पास का बुन्देलखण्ड का एरिया है यह पूरे का पूरा 8-10 जनपद मिलाकर विद्युत की समस्या समाप्त की जा सकती है। इसलिये मेरा अनुरोध था। माननीय गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था तब ये विधायक थे और इन्होंने वहां से यह बात उठाई थी लेकिन कांग्रेस का जमाना था। कांग्रेस के भी साथी बैठे हैं। कांग्रेस में इनकी कितनी सुनी गई यह तो उस समय का जमाना था लेकिन आज मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

एक मिनट। वह प्रस्ताव चला गया।

श्री भीमराव अम्बेदकर एडवोकेट-

आज उस क्षेत्र में जो चम्बल घाटी का क्षेत्र है बीहड़ का क्षेत्र है अगर वहां पर विद्युत संयंत्र लग जाए तो बीहड़ क्षेत्र वहां सही हो सकता है विद्युत व्यवस्था सही हो सकती है। आपने बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विद्युत विभाग का बजट रखा है उसमें कई बार मेरे विधान सभा क्षेत्र का नाम आया है बारा विधान सभा में 1980 मेगावाट क्षमता की तापीय परियोजना प्रस्तावित है उसके लिए जमीन के अधिग्रहण का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिला दूं जब पिछली बार बजट सत्र में इस परियोजना के विषय में चर्चा आई और भूमि अधिग्रहण की बात आई तो आम किसानों से यह शिकायत प्राप्त हुई कि जो खेती योग्य भूमि है उसका भी अधिग्रहण कराना शुरू कर दिया है। मान्यवर, एक तो मेरा विधान सभा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है शंकरगढ़ विकास खण्ड का वह एक ऐसा क्षेत्र है जो कोल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश और चित्रकूट की सीमा से लगा हुआ है। आपकी सरकार के समय में एक ददुआ काण्ड हुआ। ददुआ गैंग द्वारा प्रभावित वह क्षेत्र है और कोल आदिवासी ऐसे लोग वहां रहते हैं जिनके पास दो समय की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से पैदा हो पाता है। मान्यवर, थोड़ी-थोड़ी जमीन है लोगों के पास जिसमें खेती करके वह अपनी और अपने परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था बनाते हैं। मैंने सर्किट हाउस में माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि आप इसका सर्वे करा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लीजिए और जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उसमें कम से कम ऐसी जमीन तो छोड़ दीजिए जो कृषि योग्य भूमि है। माननीय मंत्री जी ने सर्किट हाउस में एक वायदा भी किया था कि अगली बार जब इलाहाबाद आयेंगे तो वह उस स्थल पर आपके साथ चलेंगे। मंत्री जी बैठे हैं मंत्री जी ने वायदा किया था कि उस स्थान पर चलेंगे और जो कृषि योग्य भूमि है उसको अधिग्रहीत नहीं किया जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद तो कई बार गए लेकिन उस स्थल पर एक ही बार गए उसके बाद इलाहाबाद गए लेकिन उस स्थल पर जाने की तारीख आज तक निश्चित नहीं हुई। किसानों से आपके विभाग के कर्मचारी जबरिया हस्ताक्षर करा रहे हैं कि आपने जमीन हमको दे दी। मान्यवर, जब यह विषय हमारे पास आया तो आज से तीन चार दिन पहले मैं और यह पूर्व मंत्री जी रहे हैं रामदुलार जी पटेल हम दोनों जिलाधिकारी इलाहाबाद के पास गए, हमने उनसे कहा कि कम से कम बहुत सा पहाड़ी क्षेत्र [illegible] पड़ा है जहां खेती नहीं होती है आप उस क्षेत्र को अधिग्रहीत कर लीजिए तो बिजली की परियोजना भी लग जाएगी और लोगों की कृषि योग्य भूमि भी बच जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं जमीन का मुआवजा किसानों को कितना दिया जाएगा। यह भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा जब जवाब देने के लिए मंत्री जी खड़े होंगे तो एक तो वहां पर भूमि जो है वह अलग-अलग कैटेगिरी की है उसमें क्या मुआवजा किसानों [illegible] दिया जाएगा यह स्पष्ट कर देंगे और यह घोषणा बहुत प्रभावशीलतापूर्वक करेंगे कि जो जमीन कृषि योग्य है उसका अधिग्रहण न करके गैर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण [illegible] परियोजना के लिए। परियोजना अच्छी है, लगे यह हम सबकी मंशा है ताकि उत्तर प्रदेश [illegible] बिजली की समस्या है उससे निजात [illegible] सके। एक बिन्दु और आया था ट्रांसफार्मर की बात आई थी ट्रांसफार्मर और नलकूप के बारे में एक सर्वे आप करा लीजिए जितने नलकूप लगे हैं अगर वहां पर ट्रांसफार्मर बिगड़ गया तो उसको ठीक करने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगे।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी थोड़ा सा संक्षेप कर दें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अभी तो बोलना शुरू किया है। मैं पहली बार आया हूं इस सत्र में तो थोड़ा बराबर कर लेने दीजिए। मान्यवर, नलकूप के ट्रांसफार्मर जब बिगड़ जाते हैं, उनको बदलने में 15-20 दिन लगता है इस पर भी आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। मान्यवर, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी हमारे मा0 सदस्य कहेंगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक चीज के लिए और अनुरोध करूंगा कि आपने पूरे बजट में कई चीजों पर प्रकाश डाला है लेकिन कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान नहीं गया। मान्यवर, प्रदेश के गांवों में इस तरह की धारणा रहती थी कि यदि 5-10 लोग यदि कनेक्शन ले लेंगे तो उस गांव का विद्युतीकरण हो जायेगा तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां 10-12 लोगों ने आज से 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले इस लालच में बिजली का कनेक्शन

ले लिया था कि उनके गाव का विद्युतीकरण हो जायेगा लेकिन उनके गांव तक आज तक बिजली तो नहीं गयी लेकिन बिल आज तक जा रहा है। यह कठिन समस्या है, एक गरीब आदमी से जुड़ी हुई समस्या है। आप इसका एक सर्वे करा दें कि ऐसे कितने गांव हैं, जहां बिजली नहीं गयी है, लेकिन लोगों के बिल भेजे जा रहे हैं। अगर [illegible] इस समस्या से निजात दिलाने की घोषणा की जायेगी तो एक सकारात्मक पक्ष सामने आयेगा। मान्यवर, बिजली की कमी के कारण नहरों का संचालन भी बाधित रहता है। सिंचाई और विद्युत विभाग जब तक साथ-साथ नहीं चलेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। ऐसी शिकायत आती है जब पीक आवर रहता है। जब नहर विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे सारे उपकरण दुरुस्त हैं, बिजली की ट्रिपिंग के कारण हम पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं जैसे इलाहाबाद में टोंस नहर है, वहां के अधिशासी अभियन्ता ने हम लोगों को बाकायदा लिखा-पढ़ी में दिया कि किन-किन तारीखों में कितनी-कितनी ट्रिपिंग हुई, जिसके कारण हम नहरों में सुचारु रूप से पानी नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, पूरे अक्टबर महीने में जब पीक समय होता है 2, 3 और 5 घण्टे तक ट्रिपिंग है तो नहरों में आप पानी कैसे दे पायेंगे। तो इस ओर भी मा0 मंत्री जी ध्यान दें। सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को थोड़ा टाइट करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, आपके जो पावर हाउस हैं जहां से बिजली की सप्लाई करते हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं न वहां जे0ई0 मिलेगा, न लाइनमैन, न चपरासी और न चौकीदार, वहां पर ताला लटकता मिलता है। कोई फाल्ट हुई तो आदमी इलाहाबाद तक भागकर जाता है। यह समस्या केवल इलाहाबाद की ही नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की यह समस्या है। इसलिए जहां पर जिसकी नियुक्ति है, वहीं पर उनको रुकने के लिए बाध्य किया जाए तो ट्रिपिंग की जो घोर समस्या है, उससे कुछ निजात मिल सकेगी। मान्यवर, आपके बजट में सौर ऊर्जा का बहुत तो नहीं लेकिन 5-6 लाइनों का जिक्र किया गया है। बिजली की कितने खपत हमारे प्रदेश में है, हम बिजली को कितना पहुंचा पायेंगे, लाइन लॉस कितना कम कर पायेंगे, बिजली कितनी बना पायेंगे, यह मुद्दा हर बार विधान सभा में आता है। जब भी विधान सभा का सत्र चलता है बिजली, पानी की समस्या हर बार चर्चा में आती है। आज तक कोई भी सरकार न तो इस चर्चा से बच पायी है और न यह कह सकती है कि मैंने इस समस्या का समाधान कर दिया। मान्यवर, सौर ऊर्जा के रूप में एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त है, जिसका उपयोग करके हम बिजली की समस्या से कुछ समाधान पा सकते हैं। पेट्रोल पम्प पर बिजली की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोरिंग कराने जा रहे हैं तो उसमें विशेषकर बुन्देलखण्ड में, वहां पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसको अगर आप सौर ऊर्जा से चलवाने की व्यवस्था करवा देंगे तो इससे आपकी कुछ बिजली की भी बचत हो जाएगी। इससे हम कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। मान्यवर, चीन में होरीजेंटल बिजली उत्पाद का प्रचलन है। इसमें सरकार लाइसेन्स देती है कि नहर या टनल जहां पर पानी अच्छा है तो उसमें

किसानों को लाइसेन्स देते हैं कि आप छोटे-छोटे संयंत्र लगाकर अपने उपयोग की बिजली पैदा कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे यहां बहुत सी ऐसी नहरें हैं जिनके हेड से काफी आगे तक पानी इतनी मात्रा में मिल जाता है और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप उसमें लाइसेन्स फीस फिक्स कर देंगे और यह कर देंगे कि वह अपने उपयोग की बिजली बना सकते हैं। यह सरकार का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम होगा और इससे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या से भी कुछ निजात मिलेगी। मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि जो किसानों की कृषि योग्य भूमि तापीय परियोजना में ली जा रही है उसको अधिग्रहण से मुक्त कराने की घोषणा करें और हमारे सुझावों में अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो उन पर कार्यवाही करें। मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती पर बल देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने थोड़े से समय में बहुत अच्छा प्रयास बुन्देलखण्ड के लिए किया है, इसका लाभ मिला, लेकिन जो सरकार की मंशा है कि किसानों को बिजली मिले, बुन्देलखण्ड के किसानों को 20 घण्टे बिजली मिले। लेकिन फिर भी बिजली नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे मेन कारण यह है कि हमारे प्रदेश में जो बिजली का थर्मल से प्रोडक्शन है 3 हजार 987 मेगावाट है। हमने दो थर्मल पावर देखें हैं। वहां पर बड़े-बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। वहां जो पर कोयला है तो उस कोयले की सप्लाई ज्यादातर कोयला माफियाओं के द्वारा की जाती है। जिस ग्रेड का कोयला होना चाहिए उस ग्रेड का कोयला नहीं आता। मान्यवर, जहां से भी कोयला आता है तो उस कोयले की चेकिंग नहीं होती। उसमें बोल्डर, बड़े-बड़े पत्थर भी होते हैं। मान्यवर, पारीछा में वहां पर कुछ दिनों पहले तक बेंज मशीन नहीं थी। ट्रेन से कोयला चला और थर्मल पावर तक पहुंचते-पहुंचते इतना ज्यादा कोयला चोरी हो जाता है कि हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो जाता है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बिजली की समस्या निश्चित रूप से हम सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए सरकार चिन्तित भी हैं। क्योंकि ऊर्जा से एक-एक व्यक्ति का जुड़ाव है और हम जब किसी भी क्षेत्र से चुने जाते हैं तो लोग यह चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि कम से कम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सुनिश्चितता के लिए कार्यवाही करे और मान्यवर, पिछली सरकार में भी हम पर एक मुकदमा लग गया था और अब भी क्योंकि लोग आते हैं और कहते हैं कि बिजली नहीं मिल रही। जब बिजली आती है तभी उसको ठीक भी किया जाता है। आपके यहां पर्याप्त स्टाफ नहीं है। निजी क्षेत्र में जहां दिया है तो वह अपने उत्तरदायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आज जनता यह चाहती है कि विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो, उसका रोस्टर सुनिश्चित हो भले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही जितनी बिजली मिल रही है लेकिन उसकी जानकारी में रहे। दूसरा यह कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग के अधिकारी, निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत सार्थक रहता है कि विद्युत विभाग के अधिकारी, निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत सार्थक रहता है, अभी कल ही मुझे नियम-51 में जवाब मिला है कि हमारे झांसी के अन्दर जितने भी इलेक्ट्रिक के कन्ज्यूमर थे, जिनका एक किलोवाट का कनेक्शन था अगर न्यूनतम 38 यूनिट बिजली जलायी तो उनसे अस्सी यूनिट का बिजली का बिल लिया जाता है, अगर दो किलोवाट का कनेक्शन है और 68 यूनिट बिजली जलायी तो उससे 160 यूनिट का बिजली का मूल्य लिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो जवाब हमें मिला, हम निश्चित रूप से यह समझते है कि जवाबों के प्रति कोई भी सरकार रहे अधिकारियों के द्वारा जवाब दिये जाते हैं, लेकिन वह जवाब इस तरह का है कि नियमानुसार पैसा लिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, ऐसा तो हिन्दुस्तान में कही देखा नहीं कि अगर हमने बिजली कम जलायी तो न्यूनतम नहीं डबल बिल लिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, दो मिनट और दे दें। मान्यवर, परीक्षा के अन्तर्गत 110 मेगावाट की दो इकाइयां हैं, 210 मेगावाट की दो इकाइयां है। हम आग्रह करेंगे पहले भी आग्रह किया था कि कभी इसी चीज की भी मानिटरिंग कर लें कि जितना प्रोडेक्शन, जितनी मात्रा में होना चाहिए था वह उत्तर प्रदेश में हुआ। नयी इकाई दो सौ दस मेगावाट की लगी और लगने के बाद उसकी फैन बैल्ट टूट गयी साठ लाख रुपये की तो किस मानक की खरीद हो रही है। हमारी जो भ्रष्टाचार की दर है हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता, विधायक निधि से भी पैसा देते हैं, ए0पी0जी0आर0पी0 से करोड़ों रुपया पहुंचता लेकिन उसके बावजूद खम्भे नहीं लग पाये। ठेकेदार से पूछते हैं तो वह कहता है कि हमें चालीस प्रतिशत विभाग को कमीशन देना पड़ता है तो यह सिस्टम है। हम यह समझते हैं कि एक साल में यह सिस्टम बदल नहीं सकता, लम्बे समय से यह चला आ रहा है लेकिन हमारी क्या हैसियत रह जाती है कि ए0पी0जी0आर0पी0 के चालीस करोड़ की योजना चल रही है हम विधायक निधि से पैसा दे रहे हैं लेकिन वह पैसा जाने के बाद भी वह खम्भा नहीं लग पा रहा है क्योंकि ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अनुबन्ध से राजघाट बांध पर इलेक्ट्रिक की परियोजना लगी थी जिसमें मध्य प्रदेश वाले माताटीला से मध्य प्रदेश का हिस्सा ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए हम विद्युत की क्राइसेस में है, लेकिन हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। 45-45 मेगावाट की दो इकाइयां चल रही है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा 45 मेगावाट का है, बहुत बड़ा लाभ उसका झांसी और आस-पास के क्षेत्र में मिल सकता है लेकिन वह हमें नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, जनपद रायबरेली और सुल्तानपुर में ऊंचाहार पावर हाउस है 220 के0वी0 का पावर हाउस बनाकर इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किये गये थे लेकिन उसकी स्थापना होने के बाद सुल्तानपुर और रायबरेली में सिर्फ इस कारण से कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का क्षेत्र है, उनकी मंशा नहीं है कि वहां पर लोगों को बिजली मिले। आज अधिकारियों के कारण वहां बिजली नहीं मिल रही है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि झांसी में आज जो स्थिति है, माननीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील है आपने जो वहां पर 220 के0वी0 का पावर हाउस बनाया है उसके बगल में एयरपोर्ट है आर्मी का। हमने प्रश्न लगाया था कि 132 के0वी0 से शहर का विद्युत का वितरण नहीं हो सकता, लेकिन वह 40 करोड़ की लागत से बन रहा है। बनने के बाद हम उससे बिजली नहीं ले पायेंगे। क्योंकि आर्मी के एयरपोर्ट के पांच सौ मीटर तक कोई भी पावर हाउस नहीं बन सकता है। हमारी आर्मी के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमसे एन0ओ0सी0 नहीं ली गयी। किस आधार पर सरकार ने जमीन दी। अब हम गर्मी के दिनों में जिस समय आप बीस घण्टे की बिजली भेजेंगे लेकिन ट्रांसमीशन हमारा 132 के0वी0 से होगा। हमें बिजली नहीं मिलेगी, वह 220 के0वी0 का, उसमें सरकारी जो 40 करोड़ रुपये की हानि हो रही है आपके सामने वह हानि है जो आपका 220 के0वी0 का पावर स्टेशन बन रहा है उसमें अभी करीब 12 करोड़ रुपये का काम हो चुका है, 28 करोड़ रुपये और लग जायेंगे और उसमें आर्मी के जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वह इसमें एन0ओ0सी0 नहीं देंगे। अभी वह आपके काम में बाधा नहीं कर रहे हैं लेकिन जिस समय आपकी पूरी टावर बनकर तैयार हो जायेगी इस तरह की एक 40 करोड़ की हानि नहीं है। सरकार की मंशा पूरी अच्छी है कि 20 घण्टे हम लाईट देंगे, लेकिन एक नियमावली नहीं है और हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि वह हमारी बातों का संज्ञान लेकर के एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो सरकार की एक अच्छी मंशा है वह कारगर सिद्ध हो। इसी के साथ मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जैन साहब, आप बैठ जायें, माननीय सदस्य चौहान साहब का नाम पुकार लिया गया है।

श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर माननीय नरेश अग्रवाल जी के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव रखा गया, उस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं उस कटौती प्रस्ताव पर बल देना चाहता हूं और अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। मान्यवर, ऊर्जा की आपूर्ति और खासतौर से ग्रामीण अंचल में वास्तव में आज जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक सपना हो गया है और आजादी के बाद आज भी जो गांवों में लोग रहते हैं जो गरीब हैं, किसान है, कमजोर हैं, मजदूर हैं, क्योंकि वही लोग गांव में रहते हैं जो कमजोर और गरीब हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, बाकी लोग तो पलायन कर गये हैं शहर की ओर और उस पलायन करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वहां पर जो मानवीय आवश्यकतायें हैं शहर में वह ज्यादा मिलती है । क्योंकि जैसे ही हम लोग गांवों से शहर की ओर चलते हैं तो शाम को छः बजे बिजली

शहर में होती है और गांवों में नहीं होती है और इसमें माननीय मंत्री जी कहते हैं कि शहरों से रेवेन्यू मिलता है बात भी सही है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं आखिर उन लोगों का आजादी के बाद क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है जिनकी छः से दस बजे के बीच बिजली नहीं मिल पा रही है। आखिर उन लोगों ने क्या गुनाह किया है। अगर ऐसी कोई योजना वह बनायें चाहे उतनें महंगा रेट हो, चाहे वह पूरी रात को न दें, दिन में न दें लेकिन छः से दस बजे तक बिजली विद्यार्थी को यह नहीं कि वह सिर्फ परीक्षा के दिनों में दें, बल्कि पूरे वर्ष मिलनी चाहिए तभी ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग ने कुछ उनके बारे में सोचा। तो यह मेरा एक सुझाव है मान्यवर, कि इसके लिए माननीय मंत्री जी ध्यान पूर्वक कोई ऐसी योजना बनाने का कष्ट करें तो यह जन हित में होगा। मान्यवर, यह जो विद्युत आपूर्ति की बात है, कितनी डिमाण्ड है, कितनी सप्लाई है ? यह तो एक सतत प्रक्रिया बन चुकी है कि प्रोजेक्ट आयेगा, लगेगा, चलेगा, आपूर्ति होगी। दादरी प्रोजेक्ट आपके सामने है उसमें भी काफी प्रयास के बाद आज भी मैं नहीं समझता हूं कि किस स्थिति में है। तो माननीय मंत्री जी इस बारे में बेहतर ढंग से जानते होंगें कि अब उसकी क्या प्रक्रिया है। मैं तो कभी-कभी वहां से निकलता हूं तो पहले वहां दो-चार लोग दिखाई देते थे वह भी अब गायब हैं तो मान्यवर, इस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एक मेरा सुझाव है कि गांवों में कुछ लाइनें, 11 हजार की लाइन से विद्युतीकृत किया गया है और कुछ एल0टी0 लाइनों से है। एल0टी0 लाइनों से खतरा भी नहीं है और आसानी से एक ही ट्रांसफार्मर से सप्लाई हो जाती है, लेकिन जो 11 हजार की लाइन है, बड़े-बड़े गांव में जो जिद करके माध्यम से 11 हजार लाइन लगी है उन पर छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और उन ट्रांसफार्मरों की यह पोजीशन है कि एक बार ट्रांसफार्मर लग गया, फिर उसको बदलने वाला कोई नहीं है। माननीय मंत्री जी, अगर इसमें एक सर्वे करा लें कितना आंकड़ें ऐसे हैं जिनके छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगे हैं और विद्युतीकरण हो गया लेकिन उनको विद्युत के दर्शन हुए मैं समझता हूं कि सालो-साल हो गये। तो मान्यवर, इस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरा चूंकि गाजियाबाद का गढ़मुक्तेश्वर एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं गंगा का किनारा एक धार्मिक स्थल है और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी का उस तरफ जरूर ध्यान कभी-कभी जाता होगा कि गंगा के पानी को देखने मात्र से मुक्ति हो जाती है ऐसा भी लोगों का मानना है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है महाभारत और यह सब चीजें वहां से जुड़ी रही हैं। मान्यवर, वहां 132 के0बी0 का एक बहुत बड़ा बिजली घर प्रस्तावित था। मैं कई बार एम0डी0 साहब से भी मिला। इधर-उधर कई बार मैंनें जानकारी करनी चाहिए, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है वह कहां पर है। क्योंकि जो 220 के0बी0 का सिंभावनी में बिजली घर बना है, उससे और वहां पर्यटन स्थल तक जाने के लिए बहुत लम्बी लाइन हो गई है। जिससे वहां की आपूर्ति बाधित रहती है, सही ढंग से लोगों को बिजली मिल नहीं पाती है मान्यवर, दूसरी बात मान्यवर, आपने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो के लिए भी कोई स्कीम चलाई लेकिन उसका ग्रामीण स्तर पर कहीं जागृति नहीं है। मान्यवर, कहीं पर भी इन गरीबों को बिजली किसी न किसी

रूप में नहीं मिल पा रही है। पांच एचपी, 7 एचपी कनेक्शन ट्यूबवेल के लिये दिये जाते थे। उनकी आज भी दृष्टि है। वहीं कर्मचारी, आपके जे0ई0, अधिशासी अभियंता जो हैं वह किसी भी रूप में 5 एचपी का कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं। जबकि आपकी योजना में 5 एचपी के कनेक्शन की व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि वह कनेक्शन दिये जायें। इसमें पहले इस्टीमेट का पैसा लिया जाता था वह ही लिया जाना चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से जो लोग या एक दो बल्ब जलाते हैं उनको भारी भरकम बिल हमारे यहां भेज दिये गये हैं। मैं कल भी अपने क्षेत्र में गया था। वहां के जे0ई0 ने फिर वही नीति अपनायी है कि उनको 10 हजार 12 हजार और 19 हजार के बिल बनाकर भेज दिये हैं। उन्होंने छूट के नाम पर उसको जमा करने में विलम्ब किया था कि वह ठीक हो जायें। दुबारा फिर आपके लोगों ने उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी है अब उनके पीछे पुलिस भाग रही है। वह परेशान है। आज यह सवाल बहुत ही अहम हो गया है। आप इसमें निर्देश वहां के लिये देने का कष्ट करें।

मान्यवर, आपने एक योजना बनायी है कि ग्रामों में इतने घंटे बिजली मिलेगी शहर में इतने घंटे बिजली मिलेगी। तहसील स्तर पर इतने घंटे बिजली मिलेगी। हमारा क्षेत्र तहसील स्तर का भी है और पर्यटन स्थल है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 घंटे बिजली वहां अवश्य दी जाये। वहां के तहसील स्तर को देखते हुए वहां के पर्यटन स्थल को देखते हुए वह दी जाये। वहां पर श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं ऐसे पर्व भी आते हैं जब रात को भी और भोर में सुबह चार बजे श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हैं। वहां पर इतनी भीड़ होती है कि कई बार जाम लग जाता है। इसलिए उसके धार्मिक महत्व को देखते हुए कम से कम 20 घंटे बिजली अवश्य मिले। ताकि श्रद्धालुओं को नहाने और पूजन आदि में दिक्कत न हो और पूरा पुण्य प्राप्त हो। यह जो मेरे सुझाव है माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के बारे में दो पंक्ति कहना चाहता हूं-

"पढ़े जो गौर से तारीख के वरक हमने,
तो आंधियों में भी जलते हुए चिराग मिले।"

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपनी बात रखते हुए कहा था वे ऐसे समय में बहन कुमारी मायावती जी के विचारों के प्रति समर्पित हुए थे जब समाज में कुछ भ्रमित लोग बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने से घृणा करते थे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का बहन कुमारी मायावती जी के प्रति समर्पित होना इस बात का सबूत है कि आज सर्वसमाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुए हैं। मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी, जिन्होंने आज कटौती का प्रस्ताव रखा है और जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री का पद उस समय संभाला था वह पार्टी छोड़कर संभाला था या पार्टी तोड़कर संभाला था। उस स्थिति में वह ऊर्जा मंत्री बने थे और एक अवैधानिक सरकार को ऊर्जा

देने में लगे हुए थे और स्वयं को ऊर्जावान बनाने में लगे हुए थे। उनका ऊर्जा विभाग से कोई लेना देना नहीं था। जिस कारण ऊर्जा विभाग का भट्ठा बैठ गया था। और वहीं जब से हमारी सरकार ने और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने बताया कि 1989 से आज तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ यह तो धन्यवाद के पात्र हैं माननीय नेता सदन, प्रदेश की मुख्य मंत्री जिन्होंने अपने प्रयास से 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10,500 मेगावाट के बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है यह वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सलाह दे रहे थे कि कहीं निकलिये नहीं दफ्तर में ही बैठिये, क्योंकि जो चोरी व्यवस्था बनायी गयी थी उसे आप पकड़ेंगे। तो प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी मैं तो ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा यह दफ्तर से निकल करके ऊर्जा चोरी को पकड़ने के लिए एक सफल प्रयास कर रहे हैं इन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए कि ऊर्जा मंत्री वातानुकूलित कमरे से निकलकर तपती गर्मी में ऊर्जा चोरी को रोकने का सतत् प्रयास कर रहे हैं उनके इस कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। जबकि सलाह यह दी जा रही है कि आप चोरी मत पकड़िये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते है कि बिजली वितरण व्यवस्था प्रदेश में वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करने के लिए इस सरकार ने 2541 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल निर्देशन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो सफल प्रयास शुरू किया है उससे प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, बिजली उत्पादन की कई नई परियोजनाएं वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ करने के लिए 1036 करोड़ की व्यवस्था का कार्य हमारी सरकार ने किया है। यह कार्य हमारे सुयोग्य, कर्तव्यनिष्ठ ऊर्जा मंत्री जी ने करके बिजली की जो परेशानी है जनता की उसको कम करने का काम किया है। हमारा विधान सभा क्षेत्र भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती है जहां प्रदेश और देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक लोग आते हैं और विदेशी मुद्रा भी अदा करते है। माननीय बिजली मंत्री जी के प्रयास से वहां बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। मैं उनसे और भी अनुरोध करता हूं कि वहां की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और भी प्रयास कर देंगे तो आने वाले पर्यटक जो पूरी दुनिया से आते हैं उनको और सुविधा होगी। आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और नरेश अग्रवाल जी के लिए एक शब्द कहता हूं कि-

झूठ के बीज असरदार नहीं हो सकते,
त्याग बलिदान के घर द्वार नहीं हो सकते।
बिजली मंत्री के लिए है-
तुमने प्रयास किया है उजालों के लिए,
उर्जा मंत्री अंधेरों के मददगार नहीं हो सकते।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा रखे गये ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

मान्यवर, हम सब इस बात को जानते हैं कि इस प्रदेश में बिजली की कमी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह कमी एक दिन में दूर नहीं होने वाली इसको दूर करने के लिए जो प्रभावी कदम होना चाहिए तो इसके उत्पादन में वृद्धि की जाय, और दूसरा यथासम्भव इसके खर्च को कम करने का प्रयास किया जाय। जितनी बातें इस सदन में आती हैं वह उत्पादन में वृद्धि को लेकर आती है कि इतने मेगावाट इतना बढ़ गया इतने मेगावाट की आवश्यकता है इतना मेगावाट बढ़ गया। जो योजना आयोग इंटीग्रेटेड इनर्जी पालिसी आई है माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः उसको पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए। कंसेप्ट उत्पादित मेगावाट से कहीं ज्यादा है, बचाये गये मेगावाट से। हम कितनी उर्जा बचा पा रहे हैं अपने घरो में विभिन्न प्रयासों से। चाहे जनरेशन के दौरान, चाहे ट्रांसमीशन के दौरान, चाहे उपयोग के दौरान या ऐसे उपकरणों के माध्यम जो विद्युत के उपयोग को संचित करने का काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि शहरों में अब फलोरेसेंट ट्यूबलाइट, बलब मिलने लगे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी वह इतने मंहगे हैं कि 190, 195 रुपये की एकछोटी 15 वाट की ट्यूबलाइट मिलती है अगर एक आध साल में वह खराब हो जाय तो आदमी को लगता है कि जितना बिजली हमने बचाई नहीं उससे कहीं अधिक हमने उस ट्यूबलाइट का खर्चा दे दिया। और जो बिजली बचाने के प्रति हमारे मन में उत्प्रेरणा होना चाहिए वह थोड़ा समाप्त हो जाती है आदमी लाभ और हानि देखता है। प्रयास यह होना चाहिए...

[4 बजकर 20 मिनट]

कि हर वह कम्पनी जो ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण बनाती है, हम किस प्रकार से उसके उत्पादन को बढ़ा सकें, उसको अधिक से अधिक छूट दे सकें, कितनी अधिक से अधिक सब्सिडी दे सकें, जिससे कि पहले लोगों के मन में यह भाव तो पैदा हो कि हमें ऊर्जा उपयोग को घटाना है। प्लानिंग कमीशन ने जो पालिसी बनाई है, उन्होंने गोल्डेन कैरेट योजना के बारे में लिखा है उन्होंने लिखा है कि वह उपकरण जो कम्पनियां बनाती हैं, उन्हें आप पुरस्कृत करने का प्रयास करिये। जनरेशन में आप अपनी इफीशियेंसी कैसे बढ़ायेगें, यह अलग बात है। दक्षिण भारत की एक कम्पनी है एस्को। कुछ नगरपालिकाओं ने उसका प्रयोग किया और अपन शहर की सारी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एस्को कम्पनी ने अपने उपकरणों के माध्यम से उसी लागत पर दी और न उन्होंने स्वयं कमाया बल्कि नगर निगम को भी प्रतिवर्ष 60 लाख रुपये की आय दी। अब अगर एक कम्पनी दक्षिण भारत की इस तरह का प्रयास कर सकती है तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिये अपने महानगरों में। माननीय नगर विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आप लोग मिलकर एक योजना इस सम्बन्ध में बना सकते हैं कि किस प्रकार से, जो दिन में स्ट्रीट लाइट जलती हैं, जिसको लेकर बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा खर्चा होता है, ऊर्जा विभाग वाले कहते हैं कि नगर निगम के लोग जलाते हैं। नगर निगम के लोग कहते हैं कि वहां से बिजली आती है, हम काट नहीं पाते हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि किस प्रकार से हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकें। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि यह जो कलेक्शन इफीशियेंसी का कंसेप्ट है, किस क्षेत्र से हमें कितना कलेक्शन मिल रहा है हम अधिक कलेक्शन देने वाले को जब तक प्रेरित नहीं करेंगे, यह हम इसलिये कह रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने नागरिकों को प्रेरित करते हैं। हम लोग चोरी करने वालों को कभी प्रश्रय नहीं देते हैं। आज तक हमने आपको कभी फोन नहीं किया होगा कि यहां चोरी हो रही है, इसे रोको। मैं आपसे उल्टी बात कह रहा हूं मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वह वितरण खण्ड या वह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो आपको सर्वोत्तम कलेक्शन इफीशियेंसी देते हैं जैसे गांव में हम कहते हैं कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना चलायेंगे। ऐसे गांवों को जो सुविधायें सबसे अच्छी इकट्ठी करते हैं, आप उन्हें सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें। बहुत सारे लोग उसको देखकर सीखते हैं। हम आपसे यह आग्रह कर रहे हैं कि जो जिले, वितरण खण्ड, या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सबसे अच्छी कलेक्शन इफीशियेंसी दें उन्हें पुरस्कृत किये जाने का कोई प्राविधान किया जाना चाहिये। तीसरी चीज, आपने अपने डाटा बता दिये। 78 हजार, 77 हजार छापे मारे, इतना यह किया, इतना वह किया। आपने यह नहीं बताया कि इतनी चोरी करने वाले विभागीय अभियंताओं में से कितनों को दंडित किया गया। क्योंकि ईमानदारी की बात यह है कि अभियंता ही चोरी करने को प्रेरित करता है। आज मैं विधायक हूं। आज से 6 साल पहले मैं विधायक नहीं था। मुझे लिखकर देना पड़ता था कि मेरा बिजली का बिल एक हजार रुपया आया है, यह गलत है इसको बढ़ाकर तीन हजार रुपया किया जाय। लेकिन वह घटाते थे, इसलिये कि जब तीन महीना घटा लेगें और जब किसी कंज्यूमर का 10 हजार रुपया बकाया आ जायेगा तो उससे कहेगें आओ-आधा-आधा बांट लें। 5 हजार रुपया तुम्हारा लाभ और ढाई हजार हमारा लाभ और ढाई हजार जमा कर दो। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपने कहा कि फ्लो आडिटिंग करायेगें जब आपने यह कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर हम प्रयास करेगें यह जानने का कि कितनी इफीशियेंसी हो रही है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर जे0ई0 हैं तो आप क्यों नहीं करते कि उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर कितनी ऊर्जा दी गयी और उसके सापेक्ष कितना बिल मिला। उसके आधार पर आप यह तय करिये कि आपका कौन सा जे0ई0 कितनी चोरी करा रहा है। जब तक आप ऐसी चोरी को प्रश्रय देने वाले जे0ई0 को दंडित नहीं करेंगें, एक्स0सी0एन0 को दंडित नहीं करेगें, सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर बड़े उद्योगपतियों से सम्पर्क करके उन्हें चोरी कराने वाले लोगों को दंडित नहीं करेगें, तब तक इस समस्या का समाधान सिर्फ कन्ज्यूमर की चोरी रोकने का प्रयास करने से नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विभागीय चोरी को रोकने के लिये जो लोग अधिक राजस्व देते हैं, उनके लिये कुछ विशेष व्यवस्था करिये और साथ में वह लोग जो ऊर्जा की खपत को घटाना चाहते हैं, उपकरण लेना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करिये।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो-चार सुझाव मा0 ऊर्जा मंत्री जी को देना चाहूंगा। वैसे तो ऊर्जा मंत्री जी बहुत ही कर्मठ, प्रभावशाली और अच्छे व्यक्ति हैं और उनका दर्द भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली मिले। अच्छी बात है लेकिन मा0 नरेश अग्रवाल जी ने मा0 मंत्री जी का जो बजट भाषण आया उस पर विस्तार से चर्चा की और मा0 सदस्यों ने भी उस पर अपनी राय रखी। मैं यहां से शुरू करूंगा कि जब गांव के लोग खुशहाल होंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और सही मायने में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। कहना चाहूंगा, किसी ने कहा है:--

जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में,
गांव तक वह रोशनी पहुंचेगी कितने साल में,
बुढ़ा बरगद साक्षी है किस कदर से खो गई,
गमशुदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में।

गांव में बिजली कब पहुंचेगी, बिजली का उत्पादन कैसे ठीक होगा, विद्युत विभाग के कर्मचारी ईमानदारी से काम कब करेंगे, विद्युत चोरी रोकी जायेगी, इसी पर बजट है और आपके बजट भाषण को सुनकर यह लगा है कि आप प्रयासरत भी है। लेकिन यह जो विभागीय लोग बैठे हैं, जो किसी न किसी तरह से विद्युत विभाग को चौपट करने में लगे हुए हैं। मा0 नरेश अग्रवाल जी का कहना सही है कि आप चाहे कितना भी परिश्रम कर लीजिए लेकिन यह जो हुक्मरान हैं जब तक यह नहीं सुधरेंगे तब तक विद्युत व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको इनको ठीक करना होगा। मान्यवर, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े-बड़े विभागों के मिनिस्टर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। अगर लखनऊ में जायजा कर लिया जाय तो सबसे बड़े-बड़े बंगले किसके बने हुए हैं मान्यवर, यह बंगले इसी ब्युरोक्रेसी के हैं। हम आप सदन में आते हैं जनता के सवाल करते हैं, दिन-रात काम करते हैं, उत्सवों में नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन हम लोगों के पास ऐसे बंगले नहीं होते। आज सारे उत्तर प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं कि आज आप बिजली का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुमत है पास भी हो जायेगा लेकिन उन गरीबों के लिए आपने क्या किया। पिछले दिनों हाउस में बहस हुई कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं आपने या किसी ने कहा था कि उन गरीब बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को हम शाम को बिजली देंगे। आपका फरमान जारी हुआ या नहीं लेकिन आज तक गांव में बिजली शाम को नहीं दी गई है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चीनी मिलें जो उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना खरीदती और पैसा नहीं देती हैं, वह बात अलग है लेकिन वह चीनी मिलें चीनी के साथ-साथ बिजली का भी उत्पादन कर रही हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी बिजली कहां जा रही है, उनके द्वारा जो बिजली बनायी जा रही है, वह बिजली कहां जा रही है, आप द्वारा इसकी चर्चा नहीं की गई है। क्या आज गरीब आदमी को बिजली दी जा रही है, जो गेहूं सींचने वाला किसान है उसको बिजली दी जा रही है, मान्यवर, नहीं दी जा रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने रोजा, टाडा, अनपरा बी एवं सी एवं जो अन्य इकाइयां हैं। उनका सुधार कीजिए, आप कर भी सकते हैं, आप क्षमतावान हैं, आप कर सकते हैं। बिजली विभाग, अभी हमारे डाक्टर साहब बता रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अधिष्ठाता जी, कुछ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश की आबादी मौजूदा हालत में 18 करोड़ है, इस 18 करोड़ में आज तक, आजादी के 60 साल में 1 करोड़ व्यक्ति भी बिजली कनेक्शन का हकदार नहीं हुआ है। आबादी 18 करोड़ लेकिन 1 करोड़ व्यक्ति भी आज बिजली नहीं पाये हैं, बड़ा लम्बा-चौड़ा दावा इनके द्वारा की जाती है-

इनका दावा मुफलिसी का मोर्चा सर हो गया,
पर हकीकत है कि मौसम और बदत्तर हो गया।।

मंत्री जी क्षमतावान है, अच्छे हैं, इनसे और सरकार से एक आग्रह करते हुए कि-"जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाये।" बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनपद बागपत में बरनावां विधान सभा क्षेत्र है, यह मेरठ और बागपत जनपद में आधा-आधा बंटा हुआ है। मैं मंत्री जी से मिलकर भी निवेदन करता रहता हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत उप-स्टेशन हैं उसकी हालत बड़ी खराब है। तमाम सारी मशीनें व ट्रांसफार्मर लगे हैं वे अति भारित है। उसकी कैपासिटी बढ़ाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि आप 12 घण्टे की विद्युत आपूर्ति देते हो तो मुझे दो-तीन घण्टे मिलती है। मैंने डबुल ग्रुप के आदेश भी आपसे कराये और तमाम सारे विद्युत उप-केन्द्रों के लिए आपने किये भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें 3-4 घण्टे से ज्यादा विद्युत की आपूर्ति नहीं मिल पायी। जो विद्युत उप-केन्द्र हैं-बिनौली, कानहड़, चितरौदा, दाहा, गैंडबरा और टीकरी है, मैं चाहता हूं कि उनकी क्षमता बढ़वाने का काम करें। दूसरा, सुझाव यह है कि दो विद्युत उप-केन्द्र प्रस्तावित हैं एक ग्राम रंछाड़ में दूसरा-मवई कलां में, उनका जिले से प्रस्ताव भी मांगा गया था, जिले से प्रस्ताव बन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके आया परन्तु उन पर सार्थक कार्यवाही नहीं हो रही है, जब तक वह नहीं लगेंगे वहां पर विद्युत की सप्लाई ठीक से नहीं हो पायेगी। माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार ने, हालांकि आपसे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने एक विद्युत उप-केन्द्र हमारे क्षेत्र के बराबर में बनाने का काम किया उसका नाम है जोहड़ी। जोहड़ी गांव में विद्युत उप-केन्द्र बनाया लेकिन जो मेरा विद्युत उप-केन्द्र है बिनौली, उसी लाइन से उसको कनेक्ट करने का काम कर दिया, अलग से लाइन बनाने का काम नहीं किया केवल विद्युत उप-केन्द्र बनाने का काम कर दिया। मेरे जो विद्युत उप-केन्द्र की बिजली मिलती थी वह आधी हो गयी क्योंकि दोनों को बांट-बांट कर चलाना पड़ता है। जो जोहड़ी विद्युत उप-केन्द्र है उसकी अलग से लाइन बनवाने का काम भी आप कर दें तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय मंत्री जी, हमारी विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम में चयनित ग्राम सभा है जो इसी वर्ष चयनित हुई है तमेला गढ़ी एक ग्राम सभा है, उसका एक मजरा है सरोरा। सरोरा गांव में आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। सरोरा तथा एक गांव और है मेरी विधान सभा क्षेत्र में गांवड़ी, इन दोनों गांवों में विद्युतीकरण नहीं है और अम्बेडकर ग्राम में चयनित भी कर लिया गया है तो इन गांवों में विद्युतीकरण कराने का काम भी आप कर दें। माननीय मंत्री जी, बिजली के ट्रांसफार्मर के जलने की बड़ी दिक्कत है हालांकि आपके प्रयास से हमारे जनपद बागपत में आपका सी0टी0आर0 का वर्कशॉप चालू हो गया है। उससे थोड़ी राहत हम लोगों को मिली है लेकिन वहां पर जो तेल ट्रांसफार्मर से निकलता है तेल के डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है, तेल को नीलाम करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। [illegible] अधिकारीगण भी बैठे हुये हैं जिनकी वजह से काम में परेशानी हो रही है, काम तीव्र गति से नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर से जो तेल निकलता है उसका डिस्पोजल कराने का काम कर दें तो जनपद मेरठ में आपने बहुत बड़ी सी0टी0आर0 का वर्कशॉप बनाने का काम किया है, करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है, उस वर्कशॉप को चालू कराने का काम करा दें तो मेरठ जनपद के आसपास के तमाम जनपदों के किसानों को जले हुए ट्रांसफार्मर में मदद मिल जाएगी जल्दी से मिलने लगेंगे। बात आई थी गांव में बिजली के छापे मारने की मंत्री जी बैठे हुए है पूर्व मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि मंत्री का यह काम नहीं है कि गांवों में छापे मारे, शहरों में छापे मारे। मेरा मानना यह है कि मंत्री जी का खाला यह काम भी नहीं है कि दफ्तर में बैठकर फाइलों में आदेश करता रहे। बड़े-बड़े बिजली चोरी को पकड़ने का काम छापे मारने का काम अच्छा काम है। बिजली के बड़े-बड़े चोर यहां बैठे हुए हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं इस सदन में ऐसा सदस्य हूं कि सरकार का कोई अच्छा काम हुआ है तो उसका समर्थन करने में मुझे संकोच नहीं है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली चोरी पकड़ना अच्छा काम है। जब तक चोरी रोकने का काम नहीं करेंगे बिजली विभाग में सुधार कैसे

होगा। 18 घण्टे बिजली कैसे देंगे। मंत्री जी से एक निवेदन है। मंत्री जी ने सदन में कहा था कि एक हार्स पावर के लिए एक किलोवाट कनेक्शन के लिए किया हुआ है इसको उन्होंने दो किलोवाट कर दिया है। जो एक-दो बल्ब जलाने का काम करता है उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 के साथ-साथ एक कि0वाट पर सात [illegible] किलोवाट पर 14 हजार रुपए जुर्माना करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी इतनी बड़ी राशि कहां से लाएगा मेरा कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ चेतावनी देने का काम करें ऐसे लोग कनेक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जब अधिकारी पकड़ने का काम करता है। इसलिए एक-दो बल्ब वालों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करनी चाहिए उनको चेतावनी देने का काम करें। इसी के साथ-साथ एक व्यक्तिगत समस्या है आप इस पर अधिकारियों को निर्देश देने का काम करें। जब से हम विधायक बने हैं विधायक बनने से पूर्व हम देश की राजधानी दिल्ली में रहने का काम कर रहे थे लेकिन चुनाव लड़ने के समय लोगों ने कहा कि इनको हम कहां ढूढ़ेंगे यह कहां मिलेंगे तो हमने क्षेत्र के लोगों से वायदा कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद आपको ढूढ़ने कहीं नहीं जाना पड़ेगा मैं चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में अपने गांव में रहने का काम करूंगा। जब से मैं विधायक बना हूं तब से दिल्ली छोड़कर विधान सभा के विनौली सब-स्टेशन दो के0वी0 के गांव में रहने का काम किया। हमारे जिले के तमाम विधायक बराबर के कस्बे बड़ौत में एक दर्जन विधायक वहां रहते हैं कुछ सारे विधायक मेरठ में रहते हैं लेकिन मैं अपने गांव में रहने का काम कर रहा हूं। मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर दें कि कम से कम शाम को दो घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का काम कर दें। जनता के हित के लिए गांव में जाकर रहने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी आपका बड़ा उपकार होगा। अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को सुनने का काम किया।

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा विभाग के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का आपने अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ के चारों तरफ हर नगर निगम चुनाव के पहले देहात के कई गांव लखनऊ नगर निगम में सम्मिलित कर दिये जाते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं 1952 में कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के गंगाखेड़ा, केशरखेड़ा, बीबीखेड़ा, कुम्हार खेड़ा ऐसे तमाम गांव लखनऊ नगर निगम में सम्मिलित हो गए इन गांवों में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय भारत के प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई थे। मान्यवर, मैंने उनसे निवेदन किया तो केन्द्र सरकार से डेढ़ दो करोड़ रुपये कैंट क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण हेतु आये और आधे गांवों का विद्युतीकरण हो गया। इसमें दो गांव गंगा खेड़ा और केसरी खेड़ा ऐसे हैं जहां बिजली के खम्भे लग गये, तार लग गये, ट्यूब लाइट लग गई। इन गांवों की सड़कों पर तो बिजली जलती है लेकिन गंगा खेड़ा और केसरी खेड़ा गांवों के किसी भी घर में कनेक्शन नहीं दिया गया है। जब भी कनेक्शन दिये जाने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि विधायक जी से विधायक निधि से पैसा दिलवाओं। मान्यवर, मैं लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो गांव हैं, जहां आबादी विकराल रूप धारण कर रही है। हजारों मकान एक साथ बन रहे हैं जो एक मकान बनता है वह आदमी बिजली विभाग में जाता है और 1-2 किलोवाट का निवेदन करता है तो बिजली विभाग के अधिकारी सुझाव दे देते हैं कि विधायक निधि से पैसा ले आओ। माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि हम विधायक निधि से पैसा दे देते हैं हमारी निधि जारी होने के बाद जब बिजली विभाग में पहुंच जाती है फिर भी काम नहीं होता है और उनसे लगातार सैकड़ों टेलीफोन करके, दसियों बार दौड़-दौड़कर चक्कर काटने के बाद भी वहां से उनको एक चिट्ठी आ जाती है कि आपने जो पैसा दिया था वह पुराने रेट के हिसाब से दिया था, नये रेट के हिसाब से इतना कम है वह दे दीजिये तो काम कर दिया जायेगा। इसी प्रकार से केन्टूनमेंट बोर्ड के अंदर रेसकोर्स है। रेसकोर्स-1, रेसकोर्स-2, रेसकोर्स-3, इन तीनों रेसकोर्स में बिजली नहीं है। 50 वर्ष पुराने ये मोहल्ले हैं, इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वो गरीब, निर्धन, अनुसूचित, पिछड़ी जाति के लोग छोटा सा टुकड़ा लेकर उस क्षेत्र में तालाब के किनारे सटे हुए मकान बनाने का काम करते हैं। यह सरकार जो गरीबों की सरकार है, मैं चाहूंगा और मेरा यह सुझाव है इसको आप नोट कर लें और इन क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। ऊर्जा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी बिजली किसानों को मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं अपने जनपद आजमगढ़ की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सब-स्टेशन शोपीपुर और बनकट हैं। खास तौर से इन दोनों की मशीनें बहुत पुरानी हो गयी है और बार-बार जल जाती है। आप किसी से पता लगवा लीजिये कि शोपीपुर में 24 घण्टे में से 3-4 घण्टे बिजली आती है और बाकी समय नहीं आती है। बनकट फीडर की भी वही हालत है। फागू चौहान मंत्री जी का गांव मेरे गांव के बगल में है। बनकट वहां से 15 कि0मी0 की दूरी पर है हमारा थोड़ा और दूर है। वहां पर हाफिजपुर पावर हाउस है जिससे अब तक लखनऊ, सुल्तानपुर, बलिया, उरदोई जिले में बिजली सप्लाई होती है और आपके पावर हाउस के अंदर बिजली उपलब्ध रहती है। वहां की रोशनी हम लोगों के गांव तक जाती है, फिर भी हमारे गांव में अंधेरा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं यह अच्छी तरह जानते हैं कि बनकट फीडर की हमारे गांव से जो दूरी है वह 15 किलोमीटर है वहां बिजली नहीं आती है मैं गांव बता रहा हूं जितने गांव हैं हमारे सेतपुरवा, पट्टी, ककरेटा ककरहटा जितने गांव हैं शहर के आस-पास के गांव हैं वहां केवल दो-तीन घण्टे बिजली मिलती है। मेरा आपसे यही निवेदन है आप उस गांव के बीच में एक छोटा सा सब-स्टेशन लगाने की व्यवस्था कर देंगे तो वह गांव बिजली के लिए तरसेंगे नहीं। साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा ...

श्री अधिष्ठाता-

आपका सुझाव आ गया है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

आज हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें चल रही हैं। आज गांव में हो चाहे शहर में, विद्युत की भारी कटौती हो रही है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कम से कम शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली देने की व्यवस्था करें, ताकि लड़के अपनी पढ़ाई कर सकें।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें। (चौधरी महीपाल सिंह जी का नाम पुकारा गया।)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि शहर के तार हैं चाहे देहात के पुराने तार है समाजवादी पार्टी के समय में तारों को बदला गया था, लेकिन अब तक तार नहीं बदले गये हैं ...

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री महिपाल सिंह दोनों के साथ-साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

महिपाल जी ने बोलना शुरू कर दिया है आप बैठें।

चौधरी महिपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करते हुए माननीया बहनजी के आर्शीवाद से आज ऊर्जा मंत्री जी ने 2008-2009 पर बजट रखने का काम किया है उसका समर्थन करता हूं। ऊर्जा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जिसमें चाहे कृषि का मामला हो चाहे उद्योग का मामला हो जब तक कृषि और उद्योग प्रभावी रूप से आगे नहीं बढेंगे कृषि की उत्पादकता, उद्योग की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र उद्योगों को बढ़ा देने के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि एवं उद्योग को मजबूती देने के लिए प्रदेश में बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 10500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके गांव के सभी किसानों व कृषि क्षेत्रों उद्योगों को बढ़ाने का जो काम किया है इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाये जाने को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में बिजली परियोजनाओं हेतु 10330 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-08 में की गयी व्यवस्था 9209 करोड़ रुपये से 12 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, 3906 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार ने नई परियोजनाओं हेतु की है। मान्यवर, प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूती देने के लिए 2341 करोड़ रुपये तथा पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4229 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु 1136 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इन कार्यों से यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार

जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे प्रदेश के उद्योगों को एवं कृषि क्षेत्रों को बिजली की सुनिश्चितता कायम की जा सके।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1500 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनों के अतिरिक्त विभिन्न क्षमता के 38 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है। इसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़-सहारनपुर में खेड़ाअफगान, जाण्डखेड़ा, अयायाना में 33 के0वी0 के बिजली घर स्वीकृत हो चुके हैं। इनको तत्परता के साथ पूरा कराये जाने हेतु मान्यवर मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मान्यवर, अग्रिम बजट 2008-09 के बजट में सिकन्दरपुर उर्फ गौंसगढ़, कलाल्टी, खडलाना और सलारपुरा में 33 के0वी0 के बिजली घर स्वीकृत हैं उसको देने का काम करेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्रदेश की कुल 3800 ग्राम सभाओं को चयनित करने का काम किया गया है। मान्यवर, मा0 बहन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश की जनता को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और हमारी सरकार का प्रयास है कि गांव के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों, उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा की विकराल समस्या को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा, की सीमित भण्डारों के विकल्प हेतु ऊर्जा स्रोतों के रूप में सौर ऊर्जा/जैव ऊर्जा पवन ऊर्जा तथा लघु जल ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाकर पूर्ति के विशाल अन्तर को काफी हद तक कम करने का कार्य कर रही है। मान्यवर, प्रदेश का ऊर्जा विभाग, मा0 बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में और मा0 ऊर्जा मंत्री जी के सहयोग से बिजली की आपूर्ति में सामंजस्य बनाने की दिशा में अग्रसर है और इसे अच्छा किया जाना चाहिए। प्रदेश की जनता को कहीं से भी परेशानी न हो, इसके लिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में विभाग अग्रसर है। मान्यवर, मैं पुनः एक बार मा0 ऊर्जा मंत्री जी, मा0 कु0 बहन मायावती जी को बधाई देते हुए और जो 20 हजार नलकूप हैं, ऊर्जा मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी के सहयोग से जो घोषणा की है, उसके लिए भी बहन कु0 मायावती जी, ऊर्जा मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं और पुनः ऊर्जा विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री संजय कपूर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 अग्रवाल साहब द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बात सही है कि हमारे विद्युत मंत्री जी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाए। विद्युत उत्पादन बढ़ जायेगा, ऐसी मुझे आशा भी है, उनसे। मान्यवर, मैं बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करूंगा दो-तीन बातें हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं, रखना चाहता हूं। मान्यवर, गांव की आबादी बढ़ रही है, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो पोल और तार लगाये गये थे, वही लगे हुए हैं, लोग उनमें नंगे तार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाते हैं जिससे कैजुअल्टी होती है। इसलिए मान्यवर, गांवों की आबादी के हिसाब से उसमें विद्युत कनेक्शन लगाये जायें जिससे कैजुअल्टी से बचा जा सके। मान्यवर, इसी प्रकार से विद्युत की चोरी का प्रश्न है। विद्युत की चोरी बगैर विद्युत कर्मचारी के कतई नहीं हो सकती है। वह कर्मचारी एक ही स्थान पर 20 वर्ष, 30 वर्ष से बैठे हैं, वह जानते हैं कि कैसे हमें चोरी करानी है, कैसे पैसा लेना है। यदि आपकी कोई ट्रांसफार्मर पालिसी बन जाए तो इस समस्या से कुछ निजात मिल सकती है। मान्यवर, जहां तक स्टाफ की बात है स्टाफ की बहुत कमी है, उसको भी भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र रखे हैं, उसी प्रकार से विद्युत विभाग में भी चाहे डेलीवेजेज के रूप में या अन्य किसी प्रकार से रखें इससे आपका काम भी चलेगा और भ्रष्टाचार से कुछ छुटकारा मिल सकता है। जो परमानेंट कर्मचारी है जो पेंशन भी लेते हैं। आप ऐसे लोगों को जिन्होंने आई0टी0आई0 आदि कर रखा है, उनको रख लेंगे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और वह अच्छा काम भी करेंगे।

मान्यवर, जहां तक तार आदि की चोरी का सवाल है कहीं पर तार या ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो 3-3 महीने दरोगा जी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। काश्तकार को जरूरत आज है, किसान को पानी नहीं मिलता है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है या तार चोरी हो जाते हैं तो दरोगा जी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तब तक दूसरा ट्रांसफार्मर बदला नहीं जायेगा। मान्यवर, इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आजकल बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं सभी अभिभावक चाहते हैं कि बिजली मिलनी चाहिए मंत्री जी, यदि सम्भव हो सके तो रात में कटौती मुक्त कर दें। इसी प्रकार जो ट्रांसफार्मर 30-40 साल पुराने हैं, उसमें कनेक्शन बढ़ गये हैं, उसके कारण ओवर लोडिंग होती है। मान्यवर, 8 घण्टे लाइट इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि ओवरलोडिंग होती है तो उसकी कैपिसिटी के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाये बिना सुधार नहीं आएगा। आपके प्रयासों का मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन आपके प्रयास जनता तक पहुंचने चाहिए। अंत में मैं श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मैं श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली प्रदेश में 1700 मेगावाट बिजली पैदा होती है और 24 घण्टे बिजली के लिए 3400 मेगावाट बिजली की उसको आवश्यकता होती है। इसके लिए केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल और अन्य राज्यों से 2700 मेगावाट बिजली लेकर पूरे दिल्ली शहर को बिजली देती है। मान्यवर, मैंने मान्यवर मंत्री जी का बजट भाषण बहुत गम्भीरता से सुना है। यह सही है कि प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करना सम्भव नहीं है जैसाकि नेता सदन ने पहले ही कह दिया कि इसके पहले की जो सरकार थी वह सरकार प्रतिदिन 3 करोड़ रुपये की बिजली खरीदकर प्रदेश की जनता की बिजली की कमी को पूरा करती थी। लेकिन नेता सदन का मैंने बयान पढ़ा था उसमें यह कहा गया था कि जो कुछ भी हो हम उत्तर

प्रदेश में बिजली खरीदकर नहीं देंगे। 2500 मेगावाट बिजली चाहे वह थर्मल पावर से हो या जल विद्युत से पैदा करते हैं, 2500 मेगावाट बिजली हम और खरीदते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में 8 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है। इस कमी को पूरा करने के लिए मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं की कि इस कमी को वह कहां से पूरा करेंगे। आपने कहा कि हम 10 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की लागत से पावर स्टेशन लगायेंगे लेकिन आपको मालूम होगा कि 1 पावर स्टेशन प्लान्ट लगने में 3-5 साल का समय लगता है और एक साल का कार्यकाल आपकी सरकार का खत्म हो गया। 3-4 साल में पावर प्लान्ट लगाने के आप कैसे प्रयास करेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाये हैं तो एक प्रकार से उन्होंने प्रदेश की जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। विश्वास के पेड़ पर ही मधुर फल लगते हैं। उन्होंने विश्वास को तोड़ा है तो फिर मधुर फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं इस प्रदेश के आखिरी जिले देवरिया जहां से बिहार की सीमा शुरू होती है वहां की विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरे यहां से बिहार की सीमा तक जो बिजली जाती है वह करीब 35 कि0मी0 दूरी तय करती है। बीच में जब हमारी सरकार थी तब प्रस्ताव किया था, बरियापुर में जमीन भी चयनित हो गयी थी और वहां से प्रस्ताव यहां आ गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतना घूमकर वहां बिजली जाती है तो जब बिजली फाल्ट होता है तो 24-24 घण्टे तक बिजली नहीं मिल पाती है। पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि बरियापुर में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है उसे स्वीकार करने का काम करें और मान्यवर, एक बात और कहनी है कि बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। आप 12 महीने बिजली नहीं दे पाये लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए जब तक बोर्ड की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है। तब तक आप इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था करें कि बच्चों को कोई परेशानी न हो और बच्चे आपको दिल से आर्शीवाद दें। इसके साथ ही मैं नरेश अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे जनपद चन्दौली नक्सल प्रभावित जिला है वहां पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त है। सबसे ज्यादा पैसा पूर्वांचल चन्दौली और मुगलसराय के क्षेत्र को मिलता है। लगभग साढ़े तीन करोड़ से साढ़े पांच करोड़ रुपया प्रतिमाह दिया जाता है लेकिन विद्युत व्यवस्था इसकी इतनी खराब हो गयी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बजट पेश किया यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली आंख मिचौली खेलती है उसी तरह से इनका यह बजट है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। हमारे क्षेत्र में एक अधिशासी अभियन्ता श्री गोपाल सिंह है, यह चोरी से बिजली जलवाते हैं। यह एक महीने डेड़ महीने से चोरी बिजली की करवा रहे हैं। हमारे यहां जितने विवाह मंडप हैं उनसे पैसा लेकर बिजली की चोरी करवा रहे हैं और कह रहे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि हम चोरों को पकड़ रहे हैं। कहीं कोई चोर नहीं पकड़ा गया और पकड़ा भी जा रहा है तो बड़े पैमाने पर धन लेकर छोड़ दिया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको कटिया कनेक्शन के नाम पर परेशान किया जाता है और इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे पूर्वांचल को बिजली मुगलसराय से जनपद चन्दौली के जमीन से होकर के वहां पर वितरण की जाती है। शाहूपुरी सब-स्टेशन है 220 के0वी0ए0 का और उस क्षेत्र से विद्युत के रूप में इतनी राजस्व की वसूली करते हैं जितनी कहीं से नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां की स्थिति खराब है। वहां पर जर्जर तार हैं और ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। इतना ही नहीं 11 ट्यूबेवल नये लगे हैं जनपद चन्दौली में, नौ महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। हमने विधायक निधि से तीस लाख रुपये विद्युत सुधार के लिए दिया।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। किसी भी गांव का विद्युतीकरण ठीक से मेरे विधायक निधि के पैसे से नहीं कराया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से उस जनपद नक्सलवादी जिला को दिया गया। आधे गांव में खम्भे गड़े, तार गड़े, आधी बिजली जली, आधी नहीं जली, तार काटकर ले गये उसका कोई इन्तजाम नहीं है। गांव को चार्ज में ही नहीं लिया गया और उसी तरह से पड़े हुए हैं। एक बार गया तार कटा, फिर लगा, फिर कटा तो इस तरह से हो रहा है। उनको हैण्ड ओवर बिजली विभाग ने नहीं किया है तो यह भारी अनियमितता हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली नक्सल प्रभावित जिला है वहां कई गम्भीर समस्याएं हैं। उनकी विद्युत की सुधार की व्यवस्था आप ठीक कर दें। मुगलसराय नगरपालिका बड़ी नगरपालिका है और यह बहुत बड़ा राजस्व देती है। आपको राजस्व बहुत ज्यादा देती है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो बिजली के सब-स्टेशन है, वह अभी आधे अधूरे पड़े हैं उनका पैसा पड़ा है राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में एक बनाया जा रहा था बरौली सब-स्टेशन वह भी पूरा नहीं हो पाया है। इसी प्रकार बिलारी सब-स्टेशन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अभी वह पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है। मैं इस पर बल देते अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नरेश अग्रवाल जी को बुला लें उसके बाद माननीय मंत्री जी को उत्तर भाषण में सुन लें।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अधिष्ठाता-

डा0 अजय तोमर जी, आप बैठ जायें और माननीय सदस्य श्री जोखू लाल यादव जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। इनको पहले बुला लिया गया था।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का हमें अवसर प्रदान किया इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी जब अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे हम बड़े ही गौर से सुन रहे थे। आज पूरे प्रदेश के किसानों की निगाहें ऊर्जा विभाग के बजट पर लगी हुई थीं आज ऊर्जा विभाग का बजट पेश हो रहा है हम गरीब किसानों की बात की जायेगी, जिससे खेती में हरियाली आयेगी। बड़ा मायूस होना पड़ा। मान्यवर, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण पढ़ रहे थे तो हमें तो यही लगा कि यह मुंगेरी लाल के हंसीन सपने दिखा रहे हैं तो हमें एक हिस्सा याद आया। एक किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए गया था और साथ में ट्रांजिस्टर भी ले गया था और खेत की सिंचाई भी कर रहा था। पौने नौ बजे का समय हुआ और खबरें आनी शुरू हुई। वह देश, दुनिया की खबरें बता रहा था लेकिन उसकी टूटी हुई नाली को नहीं बता रहा था तो किसान गुस्से में आया और फावड़ा उठाकर उस पर कई बार किये और ट्रांजिस्टर टूट गया। हमें यह लगा कि अगर माननीय मंत्री जी अपना यह भाषण काश इस सदन के अलावा ग्रामीण अंचल, अपनी विधान सभाओं के गांवों को छोड़कर के किसी अन्य जगह पर खड़े होकर के आपकी बिजली की जो दशा है, किसानों के बीच जाकर के भाषण करते और उन गांव के लोगों को यह मालूम हो जाता है कि यह ऊर्जा मंत्री हैं तो हम समझते हैं कि इनके ऊपर क्या बीतती यही जानते। आज यह जमीनी हकीकत है, आप इन्कार करो, कुछ भी करो, पूरे प्रदेश के करोड़ों-करोड़ लड़के परीक्षा देने कल जा रहे हैं हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट के, उनकी पढ़ाई के लिए रोशनी का इन्तजाम नहीं है। आज किसानों की फसल सूख रही है, आपकी विधान सभा से ही लगी हुई।

अधिष्ठाता महोदय हमारी विधान सभा है, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आज किसानों के बहुत सारे खेत परती पड़े हैं, बोये नहीं जा सके, फसलें सूख रही हैं आज ऐसी स्थिति में ऊर्जा मंत्री जी यह लाव-लश्कर छोड़कर अगर किसी गांव में किसानों के बीच आप चले जाइये और मालूम हो जाये कि यह असली अपराधी ऊर्जा विभाग का माननीय रामवीर उपाध्याय यही है तो उस गांव से आना भारी पड़ जाये, अगर आप फोर्स ले करके न जायें। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपने उत्तर प्रदेश के पूरे अधिकारियों को चेकिंग के नाम पर लूटने की छूट दे दी है। अगर आपने नैतिक साहस हो, हिम्मत हो, हम उदाहरण देते हैं हमारे क्षेत्र में जीवन प्रकाश अधिशासी अभियन्ता, गंगा पार एरिया का जीवन प्रकाश नाम है उसने हमारे इलाके के गांव बरियारी में जहां के राजेन्द्र पटेल प्रधान हैं उस गांव में छापा मारा, गांव के लोगों का दोष, अपराध इनका यह था एक कनेक्शन लिये हैं तीन भाई जला रहे हैं पहले एक में रहते थे। अब भी मकान वही है।

बल्ब पांच जल गये, 17 लोगों को मान्यवर, पकड़ा और ले जा करके थाने पर एफ0आई0आर0 के बहाने सौदेबाजी हुई, एक लाख पैंतीस हजार की लूट करवा दी आपने। अगर सौ रुपये की लूट हो तो भारतीय दण्ड संहिता में उसके ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज हो जाता है। काश अगर भारतीय दण्ड संहिता में यह व्यवस्था होती तो मेरे जैसे लोग माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके खिलाफ और आपके अधिकारियों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत कराते। आप लूट की छूट दे दिये। किसानों की फसल सूख गई। आज किसान जिसने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, आज कितने सारे फार्म उनके पेन्डिंग में पड़े हुए हैं आपने कितने किसानों को निजी नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन दिया। आप तो वह सौदागर हैं, आप वह पूंजीपति हैं, आप वह बड़े दुकानदार हैं जो सौदा भी नहीं देते और जबरन वसूली भी करते हैं। लाइट-फैन के लिए किसानों ने गांव के लोगों ने कनेक्शन लिया है, कितने घण्टे उनके लाइट-फैन के लिए बिजली आप दे रहे हैं। मान्यवर, जब आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो बिल की वसूली क्यों कर रहे हैं ?

मान्यवर, इसके अलावा आप जबरन किसानों के यहां गरीबों के बिजली के बिलों आदि को लेकर रेड डलवा रहे हैं। यह तो स्थिति यह हो रही है कि यह जो आपके विभाग में लुटेरे बैठे हैं उनके आप सरदार भी बन जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाये लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें माननीय रामवीर उपाध्याय जी, ऊर्जा मंत्री जी, आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा। आज बिजली के अभाव में किसानों की फसलें सूख रही हैं किसानों की उपजाऊ जमीन परती पड़ी हुई है। लड़कों को परीक्षा के समय बिजली नहीं मिल रही है हाई स्कूल और इण्टर की आज परीक्षायें चल रही हैं। विधायकों को पांच ग्राम विद्युतीकरण के लिये मिलते थे आज वह योजना भी आपने बन्द कर दी है। वह अधिकार भी आपने हमारा छीन लिया है। इस प्रदेश का किसान आपको कभी माफ नहीं कर सकता है। जो मैंने जीवन प्रकाश अधिशासी अभियन्ता का जिक्र किया है आप जांच करा लें कि कितना उसने लूट किया है और किसानों की जेब काटी है। मेरा सुझाव है कि जब तक नयी परियोजनायें चालू हों आप जो जर्जर तार पड़े हुये हैं उनको ठीक करा दें। आप बच्चों को उनके इम्तिहान के समय बिजली दिलवा दें। वह भारत के नौनिहाल है। हमारे भविष्य है और जो किसानों की जेब कट रही है उसको रुकवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जब अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मंत्री जी प्रदेश के लिये चिन्तनशील हैं। प्रदेश के लिये विभिन्न योजनायें लेकर आये हैं। ऐसा लगता है कि इनमें से बहुत सी योजनायें क्रियान्वित भी होंगी। लेकिन मेरा कहना है कि इन योजना के क्रियान्वयन में दो तीन साल लगेंगे इसलिए तब तक की अवधि के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान भी बजट में कराने पर विचार करें। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज पूरे प्रदेश के किसान माननीय ऊर्जा मंत्री जी की तरफ उस तरह से देख रहे हैं जैसे कोई प्यासा पानी के लिये देखता है। मान्यवर, किसानों के दो तीन मामले बहुत अहम हैं। मान्यवर, किसानों की भार क्षमता जो निजी नलकूप की है, उससे सम्बन्धित काम हर जनपद स्तर पर किया गया है। मान्यवर, जनपद बागपत में 10 और 12.5 भार क्षमता की गयी है। जबकि किसी की 10 थी, किसी की 4 थी, किसी की 5 थी। आज वहां कम से इतना कम कर दिया गया है 10 और 12.5। मान्यवर, मेरा कहना है कि जहां जिन किसानों ने भार क्षमता के लिये अप्लाई कर दिया था अपने विद्युत बिल जमा कर दिये थे उन सब लोगों को ट्रांसफार्मर 15 दिन के भीतर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। ताकि जो किसान अपना बिल जमा कर दें बढ़ी हुई भार क्षमता का वह उन्हें ट्रांसफार्मर मिल जाये। मान्यवर, जहां भार क्षमता बढ़ गयी है उस विद्युत के 33/11 के उपकेन्द्रों पर भी लोड बढ़ रहा है तो मेरा सुझाव है कि जितनी भार क्षमता बढ़ी है उन उपकेन्द्रों की मानिटरिंग होनी चाहिए। उसमें देखा जाना चाहिए कि इस उपकेन्द्र पर टोटल इतने नलकूप हैं इतनी भार क्षमता बढ़ गयी है उन विद्युत उप केन्द्रों का उच्चीकरण कराया जाये या वहां नये उपकेन्द्र लगाये जायें। मान्यवर, जो शहरी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के नलकूप हैं किसानों के हैं उनसे शहरी एरिया के हिसाब से बिल लिया जा रहा है उसके बारे में आपके द्वारा कोई प्रावधान किया जाये कि गांव के हिसाब से उनके रेट लगें। मान्यवर, कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक है। हमारे यहां बागपत में किरठैल हैं, लुहारी है, तुगाना है, असारा है, लुम्ब है, सरूरपुलकलां है, रटोल है, आदर्श नगला है, जहां जो बिजली दी जा रही है वह शहरी बिजली के हिसाब से दी जा रही है उन लोगों से गांव के हिसाब से बिजली की दरें ली जायें। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसमें नीति में संशोधन करने पर विचार करें। मान्यवर, यहां जो 33/11 के विद्युत उपकेन्द्र हैं उनमें यह भी देखा जाये कि जो वहां के कर्मचारी हैं उनके लिये जो आवास बने हैं वह सारे आवास आज बहुत ही खराब स्थिति में हैं। उन आवासों को ठीक करवाया जाये और इन कर्मचारियों के वहां पर रहने की उचित व्यवस्था करायी जाये। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखे गये ऊर्जा विभाग के वर्ष 2008-09 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आजादी के 60 वर्ष आज हो चुके हैं इन 60 वर्षों में 57 वर्षों तक गैर बसपा सरकारें रही हैं। अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने इधर आरोप लगा रहे थे लेकिन इन लोगों ने 57 वर्षों में जो परियोजनाएं लगी हुई थीं। 13 फरवरी को तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने 925 करोड़ में बेचने का काम किया एन0टी0पी0सी0 2002 में टाण्डा विद्युत परियोजना 800 करोड़ में बेचने का काम किया है लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को, अभी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में 10500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जो एक सराहनीय कदम है। मैं

उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी एवं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की आवाम को विद्युत उत्पादन का आश्वासन दिया है।

(इस समय 5 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग दैनिक जीवन में विद्युत के महत्व को समझते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी है जो वर्ष 2008-09 में बिजली परियोजना हेतु 10300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार द्वारा वितरण प्रणाली में विद्यमान वाणिज्य एवं तकनीकी हानियों पर अंकुश लगाने हेतु डबल मीटरिंग एवं आटोमेटेड मीटर रीडिंग जैसी विशेष तकनीकी को वितरण क्षेत्र में लागू कर रही है। इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता की बिजली आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु 2341 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से नयी परियोजनायें वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ कर रही हैं जिसके लिए 1136 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो एक सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। पूरे यू0पी0पी0सी0एल0 के अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के वर्ष 2008-09 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, बहुत धन्यवाद कि आपने ऊर्जा विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं और ज्यादा भूमिका न बनाकर इतना ही माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था कि सारी योजनाओं से फतेहपुर को वंचित किया गया है। मान्यवर, यह सबसे पिछड़ा जिला है और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा 6 विधान सभाओं में 4 विधायक बसपा के हैं। सांसद भी आपकी ही पार्टी के हैं लेकिन वहां पर ए0पी0डी0आर0पी0 की योजना फतेहपुर को नहीं दी गयी है। पता नहीं यह अधिकारियों की कमी है या किसकी कमी है जो फतेहपुर को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया। मैं मांग करता हूं कि फतेहपुर जनपद को इस योजना के अन्तर्गत लिया जाय। मान्यवर, फतेहपुर में बिजली बहुत कम मिलती है यह सभी को पता है। लेकिन चार विधायक आपकी पार्टी के हैं, सत्ता पक्ष में हैं, वह कुछ बोलेंगे नहीं, आलोचना भी नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग तो किसानों की

बात, दलितों की बात, अनुसूचित जाति की बात मान्यवर करेंगे क्योंकि फतेहपुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्ग और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। वहां पर एक तो बिजली की आपूर्ति बहुत कम हो पाती है, बड़ी समस्या है, आप 12 घण्टे की बात करते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को मात्र 4 घण्टे ही बिजली मिल पाती है। वर्तमान समय में सिंचाई का समय चल रहा है, किसान पूरी तरह से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और गेहूं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वहां पर बिजली की आपूर्ति सही प्रकार से की जाय और वहां जो जर्जर लाइनें हैं उनको दुरुस्त कराया जाय साथ ही साथ भिटौरा और लतीफपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जायें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली मिल सके। एक बात और कहना चाहता हूं कि अम्बेदकर ग्राम विकास ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष में 536.13 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में रखा गया था और मान्यवर, इस वर्ष में वह शून्य कर दिया गया है। मान्यवर, क्या इसी तरह प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, विद्युत मंत्री जी चले गये, पता नहीं कहां चले गये। अगर आप पैसा ही नहीं देंगे तो जो विद्युतीकरण होना है, वह कैसे होगा। इस बार बजट में कोई प्राविधान इस योजना के लिये नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों को गम्भीरता से लें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, हम लोग गांव में जाते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना जो चल रही है, उसमें मात्र केवल अभी तक पोल ही लगे हैं और तार खिंचे हुए हैं, सालों से मैं देख रहा हूं चुनाव से पहले जब मैं वहां गया था उससे पहले खम्भे लग रहे थे अब जब गांव में जाता हूं तो गांव वाले उसमें लालटेन लगा देते हैं, अभी तक आगे के काम के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनी है कि इस योजना से वहां पर बत्ती जलेगी कि नहीं जलेगी। पहले कई मजरों में था, बिजली वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि सारे मजरे दे दीजिये, कुछ मजरे छूट गये हैं, वह उनको दे दिया गया। मान्यवर, हम लोग कुछ अपनी विधायक निधि से भी नहीं दे सकते हैं विधायक निधि से अगर दिया भी जाय तो एक गांव की लागत कम से कम 10 लाख रुपये आ रही है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना पर जो काम चला उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है, इस पर भी आप ध्यान दें। मा0 मंत्री जी हमारे यहां मिश्रिख में होली परिक्रमा का मेला चल रहा है अभी आठ तारीख से शुरू हो जायेगा यह पूरे देश का मेला है तथा एक महीने चलता है। मैं मा0 मंत्री जी कहना चाहूंगा कि एक महीने तक हमारे मिश्रिख क्षेत्र को बिजली कटौती से मुक्त करें। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे नीमसार में 33/11 के0वी0ए0 का एक पावर हाउस का निर्माण कराने का कार्य किया था, जिसमें 90 प्रतिशत काम हो चुका है और मात्र 10 प्रतिशत का बाकी है मैं चाहूंगा कि अगर उसमें आप जल्दी से काम चालू करा देंगे तो हमारे नीमसार जहां पर विश्व के भी बहुत से लोग आते हैं, वहां पर बिजली की समुचित व्यवस्था हो जायेगी। मान्यवर, मा0 मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने कई जगह पर छापे मारे, कई

जगह पर बिजली चोरी पकड़ी लेकिन वह किसी अधिकारी के यहां किसी दफ्तर में नहीं गये थोड़ा सा वहां भी जा करके देख लें। जिलाधिकारी से ले करके लेखपाल तक के यहां इस समय ए0सी0 ही चल रहे हैं। उनके ऊपर बिजली का कोई दबाव नहीं है। मा0 मंत्री जी हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर का तेल चोरी हो जाता है और उसकी एफ0आई0आर0 लिखाने में दिक्कतें आती हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं कहते हैं कि इसमें जे0ई0 और ए0ई0 की मिलीभगत है। इस प्रकार से इस कार्य को भी दिखवा लें। इसके अतिरिक्त मान्यवर, कहीं-कहीं पर तार भी टूट जाते हैं, आंधी आ जाती है उसके बाद वहां पर लाइन सही करने के लिए उनके पास कोई बजट नहीं होता है। वहां पर जो बजट के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तार का स्टीमेट बनवाना पड़ता है इन सारी चीजों पर भी मा0 मंत्री जी ध्यान दें इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत काश्तकार 3.5 एकड़ से कम भूमि के हैं और जो एक एकड़ से ले करके तीन एकड़ के कास्तकार हैं वह मा0 अध्यक्ष जी पांच हार्सपावर, सात हार्सपावर का कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि तीन हार्सपावर के कनेक्शन भी किसानों को दिये जायें। जिस किसान के पास एक-दो एकड़ जमीन है वह कैसे बड़े कनेक्शन लेगा। यदि उसको तीन हार्सपावर का कनेक्शन मिलेगा तभी उसका बिल वह भर सकता है। यह आवश्यक है, क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ रही है, कृषि की जमीन कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है। उसके लिए अन्न की आवश्यकता है, हमारे सभी कास्तकारों को बिजली का कनेक्शन मिले और इसके लिए आवश्यक है कि छोटे कास्तकारों को छोटे कनेक्शन दिये जायें और एक और समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की कि वहां ट्रांसफार्मर जल जाता है, किसान जे0ई0 के पास जाता है और जे0ई0 बिना पैसा लिये उसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता, फिर वह एक्सियन के पास जाता है। मा0 अध्यक्ष जी मेरा कहना है कि जब ट्रांसफार्मर फुंक जाय तो उसकी जिम्मेदारी एक्सियन के पास हो अधिशासी अभियन्ता को भी रिपोर्ट मिले। उसके बाद उसे ट्रांसफार्मर मिले। जे0ई0 से स्टीमेट बनवाने का काम एक्सियन से स्टीमेट बनवाने का काम न हो क्योंकि जब तक चार हजार रुपये खर्च नहीं हो जाते हैं तब तक किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाता है। मा0 अध्यक्ष जी, ट्रांसफार्मर का तेल चोरी हो जाता है, उसकी रिपोर्ट आसानी से नहीं लिखी जाती है, मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान अधिशासी अभियन्ता के पास आये तो उसे ट्रांसफार्मर मिल जाय। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तार बहुत जर्जर हो गये हैं, इसकी व्यवस्था करायी जाय और जो नये पावर हाउस बनाने की बात कही है। जैसे मेजा पावर हाउस बनाने की बात कही 2660 मेगावाट का आप बनाने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये। प्रदीप माथुर जी, दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

अभी आपने कहा कि इसमें 54 महीने लगेंगे, आपके 10 महीने हो गये, 50 महीने रह गये हैं। आपके पास टाइम इतना नहीं है, 4000 मेगावाट की दूसरी परियोजना, ये बिजली परियोजना कैसे बनेगी, कैसे बजट की व्यवस्था होगी, नये पावर हाउस कैसे लगेंगे ? आज ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ज्यादा खराब है। कुछ और बातें रखनी थी परन्तु समय के अभाव के कारण इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

घड़ी आपने शायद देखी नहीं, साढ़े पांच बज रहे हैं। 2.25 बजे इस बजट पर चर्चा शुरू हुई थी, 3 घण्टे हो गये हैं और साढ़े पांच बज गया है, यह बिजली विभाग का पीक ऑवर है। बिजली विभाग को इस समय विधान सभा में बैठने की जरूरत नहीं है, इस समय प्रदेश देखना चाहिए। मेरा कहना है कि दो एक मा0 सदस्य हैं दो-दो मिनट में अपनी बात रख दें और मा0 नरेश जी अपनी बात संक्षेप में कहकर मा0 उपाध्याय जी, आप भी खत्म कीजिए लोगों को घर जाने दीजिए। इसके बाद अभी हेल्थ का बजट है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, रात के 12-12 बजे तक हाउस चला है मा0 विधायक यहां जनता की समस्याओं को रखने आते हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आप गलत परम्परा मत डालिये। तिवारी जी जो कह रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके बाद हेल्थ का बजट है पर्यटन का बजट है, सूचना का बजट है। अगर आप उसको भी इस तरह से लेंगे तो 12 तो बज ही जायेगा।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पूर्व की सरकारों में दो-दो दिन ऊर्जा को दिया जाता था और दो दिन चिकित्सा विभाग को दिया जाता था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऊर्जा विभाग बड़ा विभाग है जब तक सदन के अन्दर पूरी चर्चा न हो जाए, छानबीन न हो जाए तब तक ऊर्जा विभाग और स्वास्थ्य विभाग निखर करके नहीं आयेंगे। ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि ऊर्जा विभाग और चिकित्सा विभाग में दो-दो दिन चर्चा करायी जाए तब अच्छे सुझाव आयेंगे तथा विभाग और प्रभावशाली होगा। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका ध्यान विद्युत विभाग के बिल्कुल निचले स्तर के कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जूनियर इंजीनियर तक के आपके विभाग के आफिसर होते हैं इसके बाद लाइन मैन जो बिल्कुल प्राइमरी यूनिट है जो बिजली जोड़ करके ठीक करता है, तारों को जोड़ता है, ट्रांसफार्मरों को बदलता है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है ? आपके विभाग में इस स्तर के कर्मचारी जो आपके पूरे विभाग को चलाते हैं, जे0ई0, ए0ई0 अधिशासी अभियन्ता सुपरविजन करते हैं, कांट्रेक्ट पर रखे गये वे कर्मचारी, उनकी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है आये दिन वे मरते रहते हैं उनकी जिन्दगी इन्श्योर्ड नहीं है उनकी सैलरी फिक्स नहीं है। क्या मंत्री जी आपने उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा है कि उस यूनिट पर ग्रास रूट लेबिल पर जो कर्मचारी विद्युत विभाग को चला रहे हैं उनके बारे में आपको विचार करना होगा। मान्यवर, मैं सीधे-सीधे दो बातों पर आना चाहूंगा। बड़े-बड़े पावर प्लाण्ट की बातें हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप इस बात की वायबिलटी निकलवायें कि दो-तीन जिलों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट-पब्लिक-पार्टनरशिप में लगवाये और उनको जिम्मेदारी दें। प्राइवेट-पब्लिक-पार्टनरशिप में तमाम बड़े-बड़े लोग आ जायेंगे, मध्यमवर्गीय उद्यमी आ जायेंगे तो उससे बिजली का स्थायी समाधान हो सकता है। आप अभी बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। छोटे-छोटे थर्मल पावर प्रोजक्ट लगाए जाने चाहिए जिससे प्रदेश की समस्या का हल हो सके। हमारे यहां दक्षिणांचल विद्युत निगम के अन्तर्गत आता है यहां पर मथुरा वृन्दावन में जो जर्जर तार हैं इनको बदलवाने का कष्ट करें। यहां पर दूर-दूर से तीर्थयात्री आते हैं जिससे इनसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गांव में जो ट्रांसफार्मर होते हैं आपके अधिकारी उनको तब बदलते हैं वह कहते हैं कि बिजली का पूरा बिल जमा करिए तब किसानों के ट्रांसफार्मर बदलते हैं यह बहुत बड़ी समस्या है इससे 30 प्रतिशत लोगों ने बिल जमा भी कर दिए होते हैं 70 प्रतिशत लोगों ने नहीं किया तो वह भी सफर करते हैं। गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है इससे लोगों को परेशानी होती है। देहातों में यदि बिजली नहीं आ रही है बिजली की लाइनें नहीं खिंची हैं और फर्जी बिल आ जाते हैं तीन-तीन लाख के बिल आ जाते हैं उसके बाद अधिकारी लोग सेटलमेंट करते हैं। मैं अपने यहां दक्षिणांचल विद्युत निगम के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि यहां के अफसर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। टी0टी0जेड0 जोन के अन्दर जो 24 घण्टे बिजली देने का कमिटमेंट था उसको कम से कम 80 प्रतिशत ही पूरा करें। जिससे आगरा मण्डल, मथुरा और वृन्दाबन व तमाम एडज्वाइनिंग जगह बिजली मिल सके। पूर्व में हर विधायक की पांच गांव विद्युतीकरण के लिए दिए गए थे मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विधायक को पांच गांव विद्युतीकरण के लिए देने का कष्ट करें। जिससे सर्वांगीण विकास हो सके।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए अवसर दिया। अगर आप अवसर न देते तो यही लगता कि चिराग तले अंधेरा मैं आपकी नजरों में नहीं आता। मान्यवर, विद्युत की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है यह अरसे से है। सभी सरकारों की यह तमन्ना रही है कोशिश रही है कि हम अपने प्रदेश को 24 घण्टे बिजली दें मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। जिस किसी ने इस सम्बन्ध में कदम उठाने का काम किया। पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव जी ने दादरी के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रोजक्ट लगाने की बात करी थी उस प्रोजक्ट को करने के लिए काम भी शुरू हुआ था कि केन्द्र सरकार को यह बात पसन्द नहीं आई और उसने उस प्रोजक्ट को लगाने में असहयोग किया और वह नहीं हो सका। पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली उससे मिलती रहती। यह जो ऊपर चढ़ने लगता है उसकी टांगें खींचने का काम किया जाता है। अग्रवाल साहब ने जो बड़ी-बड़ी समस्याओं का जिक्र किया गांव के अन्दर शहर के अन्दर जो लोग महसूस करते हैं वह दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि यह जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं तो उसको ठीक कराने का काम करें।

(किसी माननीय सदस्य राज्यपाल दीर्घा की तरफ बात करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी, यह परम्परा नहीं है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, ट्रांसफार्मर को बदलने के लिये एक-एक महीना 15-15 दिन लग जाते हैं। जे0ई0, एस0डी0, एक्सिक्यन के पास साधन नहीं है कि वह कैसे स्टोर तक ले जायं और स्टोर से लेकर आयं। हल्के का जे0ई0 कहता है यह है कि हमारे पास फण्ड्स ही नहीं है। जिस फण्ड से हम उनको लायं और ले जायं। हमें तनख्वाह भी नहीं मिलती। इस चीज को आप दूर करिये। पहले ट्रक्स हुआ करते थे विभाग के पास। वह अपने ट्रक्स से इनको लाने ले जाने का काम किया करते थे लेकिन आज उनके पास ट्रक्स नहीं है। उनके लिये कीजिये ग्रामीण अंचल में भी और शहरी क्षेत्र में भी। एक बात यह कि लाइन आपकी कहीं कट जाती है, चोर ले जाते हैं तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। किसान परेशान हो जाता है, उसकी खेती कैसे हो ? कैसे वह सिंचाई करे। अगर वह बिजली विभाग में जाता है तो उससे कहा जाता है कि जब तक एफ0आई0आर0 नहीं होगी तब तक तार स्टोर से नहीं मिलेगा। मान्यवर, इतनी व्यवस्था हो जाय कि आपकी एफ0आई0आर0 बाद में होती रहे और उसको तार मिल जाय। आपके विभाग के अन्दर चाहे ट्रांसमीशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी यूनियन बनी है कि वह अधिकारियों को काम नहीं करने देती। कर्मचारियों की बात तो यह है कि अगर कोई लाइनमैन अपनी ड्यूटी के समय मर जाता है तो उसकी विधवा को नौकरी दी जाती है। लाइनमैन का काम पोल पर चढ़ना है, वह तो नहीं चढ़ सकती। महिलाओं की

तो लाइन लग गई है आपके विभाग में। इस तरह से काम करने वाला तो आपके यहां 50 प्रतिशत ही रह गया है। कौन करेगा उनका काम। नई भर्तियां आप कर नहीं रहे हैं। इस तरह का फाल्ट ठीक करने के लिए आपक पास आदमा नहा ह। आपके पास मीटर रीडर तक ता ह नहीं, मीटर रीडिंग लेने के लिये किराये के आदमी आपने कर लिये हैं कि तुम ले आओ। आपने बिल भेजने के लिये भी आदमी कर लिये हैं [illegible] ले आओ। दसों पचासों उदाहरण ऐसे हैं जो बिल बांटने का काम नहीं करते हैं। [illegible] जो है कूड़ेदान के अन्दर पडे मिलते है। रद्दी जहां से आती है, वहां मिलते हैं और कभी-कभी कुछ सौदा खरीदने जाइये वहां पुड़िया में बांधकर दे देता है बिल। तो यह बिल आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है ? आप अपने विभाग के अन्दर स्फूर्ति लाइये। आप वाकई तेज हैं। दूसरी बात यह है कि इन्डस्ट्रियल एरिया हा चाहे जो भी हो एक बदले की भावना खत्म करिये।

श्री अध्यक्ष-

महमूद साहब अब खत्म करें।

श्री इकबाल महमद-

मान्यवर दो बातें और करूंगा मान्यवर। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रामीण अंचल में आप बिजली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं 14 घटे। मैं कह रहा हूं 4 घंटे। ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज है। चार घंटे, पांच घंटे बिजली उसको मिलती है, उसके यहां रेड डाल दी जाती है। जुर्माना किया जाता है। मैंने यहीं विधान सभा में यह सवाल उठाया था और आपने कहा था कि हम इन्क्वायरी करा रहे हैं। आपने अपने एम0डी0 को निर्देश दिया था कि आप इसकी इनक्वायरी करवाइये। जब वह पहुंचते हैं कोल्ड स्टोर के ऊपर और बात करते हैं तो एक्सई0एन0 उनसे कहते हैं कि जो सील थी जो डैमेज पाई गई वह हमने थाने में जमा करा दी। एस0ई0 हमसे कह रहे हैं कि हम थाने में जाकर थोड़ी जांच करेंगे। उसके ऊपर एक डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना डाला गया। उसको हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। चोरी नहीं थी। जहां 4 घंटे बिजली मिलती हो वहां पर कोल्ड स्टोर के अन्दर जो ग्रामीण क्षेत्र में खुला है, वह चोरी करेगा ? यह चीजें नहीं है ऐसी बदले की भावना मत करिये। जनता आपकी है, प्रदेश आपका है, ऐसी बात करिये जिससे पूरे प्रदेश के अन्दर अच्छा संदेश जाय। आपका संदेश अच्छा जा रहा है। लेकिन मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि ऐसी बात करिये जिससे संदेश अच्छा जाय और लगे कि बदले की भावना से नहीं हो रहा है। इसी तरीके से शमन शुल्क एक बत्ती जला ली, एक लाइट जला ली। उसने एफ0आई0आर0 करा दी। शमन शुल्क जब तक 10 हजार रुपये एक किलोवाट पर दो किलोवाट पर जमा नहीं कर देगा एफ0आई0आर0 भी खत्म नहीं होगी। उसके बाद में आपकी पेनाल्टी आयेगी। आप इस तरह से शमन शुल्क को खत्म कीजिये। यह शमन शुल्क एक तरह से लगता है जनता को कि एक बल्ब जलाने के लिये हमको दंडित किया जा रहा है। कौन जलाता है एक बल्ब बड़े-बड़े घरों में जाइये वहां डालिये जो चोरी कर रहे हैं। एक बल्ब जलाने वाला कहां से देगा शमन शुल्क। उसके लिये शमन शुल्क के सिस्टम को खत्म करिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नरेश अग्रवाल जी का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, दो सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, आपको कहां बुलाया है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, हॉस्पिटल से आया हूं। दो बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हॉस्पिटल से आये हैं तो स्वास्थ्य पर बोलिये।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें। मान्यवर, ऊर्जा के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने बड़ा बढ़ चढ़कर अपने बजट भाषण में विद्युत के बारे में बताया है बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि कहीं पर भी विद्युत की आपूर्ति नहीं है। हालत यह है जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा करोड़ों श्रद्धालु आते हैं रोजाना इन्जर्ड होते हैं और प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर से आने वाले लोग आते हैं वाह रे बिजली विभाग, रोजाना आठ-दस चोटिल होते हैं आपका मथुरा ताज ट्रिपेजियम में सम्मिलित है जहां 24 घंटे आपके द्वारा बिजली आपूर्ति का नारा दिया जाता है जबकि 24 घंटे तो क्या चार घंटे भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है इसी वित्तीय वर्ष में लटके हुए तारों के कारण दस व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है कितने ही जानवर मर गए हैं। हाथ ऊपर उठाते ही तार छू जाते हैं इतने लटके तार हैं। दस-दस मीटर के तारों में चार-चार ज्वाइन्ट लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी आप तो अभी परिक्रमा लगाकर आए हैं आप गिरिराज जी के भक्त हैं आपने क्या अनुभव नहीं किया। क्या सरकार की करनी और कथनी में फर्क नहीं है। सरकार बड़े बढ़ चढ़कर अम्बेडकर गांव में विद्युतीकरण की दुहाई देती है क्या किसी अम्बेडकर गांव में जो मजरे लगे हैं छोटे-छोटे जहां वास्तविक अम्बेडकर के अनुयायी रहते हैं क्या आपने विद्युत आपूर्ति वहां कराई है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, गोवर्धन क्षेत्र के किसानों ने डेढ़ दो-दो साल पहले ट्यूबवैल कनेक्शनों का पैसा जमा कर रखा है क्या उनको कनेक्शन मुहैया कराये गये हैं। मंत्री जी आपकी सारी बातें सत्य से परे हैं। गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत फरहा ब्लाक, गोवर्धन ब्लाक एवं मथुरा ब्लाक के ग्रामीण एरिया की हालत यह है कि कहीं खम्बे खड़े हैं तो तार नहीं है कहीं पर भी बिजली नहीं है तीनों ब्लाकों में जो ट्रांसफार्मर फुके हैं वह बदले नहीं जा रहे है। स्टोर इंचार्ज, घूस मांगता है आप 70 जिलों की बात करते हैं सिर्फ आप आगरा मण्डल के सात जिलों में ही विद्युत आपूर्ति सभी ग्रामों में सुनिश्चित कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दें। तो आपका बजट साकार हो। इसी के साथ मैं नरेश चन्द्र अग्रवाल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने ऊर्जा विभाग के बजट पर अपने विचार प्रकट किये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर आप इन आलोचनाओं को अंगीकृत कर लेंगे इन पर विचार कर लेंगे तो बहुत सी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाएगा। विश्व बैंक ने जब उत्तर प्रदेश के पावर विभाग को लोन दिया था तो उन्होंने प्राइज वाटर हाउस को कन्सल्टेंट नियुक्त करा दिया था। उस समय हमने बड़ा विरोध किया था क्योंकि 10 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट हुआ था और उसके पहले वेंस कमेटी पंजाब के पूर्व विद्युत परिषद् के चेयरमैन थे उस समय कमेटी बनी थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी प्राइज वाटर हाउस की रिपोर्ट उसमें कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं था, लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्राइज वाटर हाउस की रिपोर्ट को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। उसका कारण क्या था। उन्होंने कम्पनी बना तो दी लेकिन उन कम्पनीज को कितनी सब्सिडी प्रतिवर्ष सरकार को देनी है। इस पर आप प्रकाश डाल दीजिए तो सारे माननीय विधायकों को पता तो लग जाएगा कि प्राइज वाटर हाउस क्या था। क्या उसकी कम्पनीज बनाने की बात थी और सरकार के सामने क्या दिक्कत है। इससे असली चित्रण ऊर्जा विभाग का सबके सामने आ जाएगा। आपके विभाग का करीब 6-7 हजार करोड़ रुपया बहुत अरसे से लोगों पर बाकी है। आपके एम0डी0 जो डी0एम0 मेरठ उस समय थे, याद होगा उस समय सरकार ने निर्णय लिया था कि ए0डी0एम0एफ0आर0 और आपके विद्युत विभाग के अधिकारी बैठकर वैरीफिकेशन करेंगे और वैरीफिकेशन में जितने फर्जी बिल हैं उनको समाप्त करके शेष बिलों की वसूली करेंगे। उस समय वैरीफिकेशन में करीब 40 परसेन्ट फर्जी बिल आए थे। उन पर क्या किया गया, इसके बारे में कोई उत्तर नहीं आया। जितने भी नाम आपकी बकाया की सूची में हैं, आपने बिना वेरीफाई कराये, आर0सी0 भेज दिया, यह उनके साथ ज्यादती है। मान्यवर, केन्द्र सरकार किसानों का कर्जा माफ कर सकती है तो आप भी किसानों के लिए कुछ करिये। आज जो किसान और बुनकर हैं, जिनके ऊपर बिजली का बकाया है, आप घोषणा करिये कि इसका बकाया माफ किया जाता है तो उससे किसान और बुनकरों का कुछ भला हो जायेगा। इतना महत्वपूर्ण बजट है, सभी की निगाहें आपकी ओर लगी हैं, सभी विधायक चाहते हैं कि 5-5 गांव की घोषणा मंत्री जी कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

यह 5-5 गांव कब से बन्द हैं ? यह 2001 से बन्द हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। मा0 वर्मा जी, कोई कानून नहीं बन गया है कि पिछली सरकार ने नहीं दिया था, इसलिए हम भी नहीं देंगे। मान्यवर, यह तो

सरकार के ऊपर है कि वह कब शुरू कर दे, उसे कोई रोक तो है नहीं। आज ऊर्जा विभाग का बजट है, मा0 सदस्य भी तो यह महसूस करें, आप 5-5 गांव दे दीजिए, 50-50 लाख का काम शहरी क्षेत्र के विधायक करा दें, उसकी घोषणा कर दीजिए। मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा अगर देखें तो बकाया अधिकारियों पर है। अधिकारी जिलों में पहुंचे, रहे और चले गये, बिजली का बिल उनका बकाया पड़ा रहता है। एक निर्णय हुआ था, चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलाधिकारियों को चिट्टी भेजी थी कि जो भी अधिकारी ट्रांसफर होगा, उसको तब तक रिलीव नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपना बिजली का बिल जमा नहीं करा देता। आप जिलों की लिस्ट बना लीजिए कि जिलों के अधिकारियों के आवासों पर बिजली का कितना बकाया है, मालूम हो जायेगा। आप गरीबों को तो आर0सी0 भेज रहे हैं। आप लखनऊ में ही ले लीजिए, जितनी अधिकारियों की कालोनियां हैं। यह शासनादेश था कि किसी भी अधिकारी को तब तक रिलीव नहीं किया जाए जब तक उसका विद्युत बिल जमा न हो जाए। इससे आपकी आय भी बढ़ेगी। श्रीमन्, ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है, यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि कितने कनेक्शन होंगे तो उस गांव को ऊर्जीकृत कर देंगे, उनको ट्रांसफार्मर और बिजली दे दी जायेगी ? आज बहुत से गांव हैं जहां खम्भे लग गये हैं, तार लगा दिए गये हैं, लेकिन उनको ऊर्जीकृत नहीं किया गया है, इसके कारण तारों की चोरी भी होती है। बिना ऊर्जीकृत हुए ही, उनके बिल भी पहुंचने लगे हैं। आपने तो राजस्व में जोड़ लिया है कि इतना बकाया है लेकिन क्या वास्तव में इतना बकाया है ? मंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ रुपये दे दिये हैं, आप स्पष्ट कर दीजिए कि इससे कितने नलकूप आप ऊर्जीकृत करेंगे और जिनको आप ऊर्जीकृत करेंगे, उसका आधा पैसा आप देंगे या पूरा पैसा देंगे और किसान को उसमें से कितना वहन करना पड़ेगा ? क्योंकि यह व्यवस्था थी कि इतना तार ऊर्जा विभाग देगा और उससे ज्यादा अगर लगता है तो वह किसान को देना पड़ेगा। आज आप घोषणा करें कि जो 100 करोड़ रुपये दिये हैं, उससे आप कितने नलकूप ऊर्जीकृत करेंगे और जितने नलकूप को आप ऊर्जीकृत करेंगे उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी या किसान को भी कुछ वहन करना पड़ेगा ? वह 105 करोड़ रुपये सरकार वास्तव में वहन करेगी किसान वहन नहीं करेगा। मान्यवर, ट्रांसफार्मर बदलने की बात कही गयी। मान्यवर, हम लोग घोषणा तो बहुत करते हैं कि हम 7 दिन, 15 दिन में ट्रांसफार्मर बदल देंगे लेकिन ट्रांसफार्मर्स की बहुत ही कमी है। आपकी तमाम कार्यशालायें बन्द हो गयीं। निजी क्षेत्र से मरम्मत करा रहे हैं। मरम्मत की गुणवत्ता बहुत खराब है। आज लगता है फिर दूसरे दिन खराब हो जाता है, उखड़कर चला जाता है। आपने कहा कि एफ0आई0आर0 दर्ज की लेकिन अधिकारियों पर एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज की। जिस क्षेत्र में आपने पकड़ा तो उसके क्षेत्र के ए0ई0, जे0ई0 के खिलाफ आपने एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज की। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में बिजली चोरी की जा रही है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज हो। तब कहीं जाकर डर बैठेगा। लेकिन सिर्फ जनता के नाम एफ0आई0आर0 दर्ज हो और जो अधिकारी उसमें मिले हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो तो यह सही न्याय नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार कर लें। मैंने कोशिश की है कि अपना जो भी तजुर्बा है

वह आपके सामने रखा। जो भी विचार आये मैंने आपके सामने रखा और मुझे उम्मीद है कि मैंने और मेरे साथियों ने जो विचार व्यक्त किये हैं तो जब आप अगले वर्ष का बजट लाएंगे तो दिखायी देगा कि आपने विचारों को बड़ी गम्भीरता से लिया और उसे लागू किया जिससे प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हो सके। इतना कहते हुए मैं अपनी कटौती पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी और सदन के सम्मानित माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी रखीं। मान्यवर, उनके क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव मैंने भी सुने और हमारे अधिकारियों ने भी उनको सुना और लिखा है। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी कार्रवाई की जाएगी और जो सुझाव आये हैं निश्चित रूप से जो सार्थक सुझाव हैं उन पर भी अमल किया जाएगा। श्री नरेश अग्रवाल जी ने अनपरा डी पर चिन्ता व्यक्त की थी कि इसके लिए लोन कहां से आएगा। बीएचईएल के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कौन लोन देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अग्रवाल जी और सम्मानित साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं और यह उनकी इच्छा से हो रहा है और उनकी इच्छाशक्ति कैसी है, उस पर कैसे अमल होता है यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। यहां पर रामवीर उपाध्याय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की इच्छा से बैठा है। यह सम्मानित सदन है। मेरी एक ही नेता है। उन्हीं की वजह से हम आज तीसरी बार सदन में बैठे हैं। यह इतनी बड़ी माननीय सदस्यों की जो फौज बैठी है यह उन्हीं की वजह से बैठी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो इच्छा व्यक्त की। यह अधिकारी बैठे हैं इनसे पूछिये। बहन जी ने कहा था कि पैसे की कमी नहीं होने दूंगी आप मुझे दस हजार मेगावाट का पावर हाउस दो। हरदुआगंज के लिए चौदह सौ करोड़ दिया, पारीछा के लिए चौदह सौ करोड़ दिया, आनपारा डी के लिए 26 सौ करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है। यह आनपारा डी हमें 2011 में पूरा होकर बिजली देने लगेगा। पारीछा और हरदुआगंज 2010 में पूरा हो जायेगा। 1989 के बाद के बाद से अगर किसी सरकार ने यादव जी कहां चले गये जो यह कह रहे थे कि बहन जी का नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा, मैं भी इसी दुनिया में रहूंगा और आप भी यही रहेंगे नोट कर लेना मेरी बात को जो मैंने कहा है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा बिजली के मामले में। इसी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बिजली के मामले में स्वावलम्बी हो जायेगा। यह कागजों में नहीं है, भाषण मे नहीं है कि जमीन एक्वायर कर ली, शिलान्यास कर लिया लेकिन कोई काम नहीं किया, कोई काम ऐसा नहीं करती है हमारी सरकार। करवरिया जी बैठे हैं आपने कहा था कि कार्यवाही हो रही है आपने सिद्ध कर दिया कि कार्यवाही हो रही है। जमीन एक्वायर कि कार्यवाही मेजा के लिए हो चुकी है, करछना के लिए हो चुकी है बारा के लिए हो चुकी है और 25 तारीख को बिड खुलने जा रही है। यह कागजों में नहीं चल रही है यह धरातल पर आ रही है। तो पारीछा आ गया,

हरदुआगंज आ गया, आनपारा सी आ गया। पारीछा में तीस प्रतिशत काम हुआ है, तीस प्रतिशत हरदुआगंज में काम हुआ है कि नहीं यह आप जाकर देख लो। रोजा में काम हुआ है कि नहीं हुआ है यह आप जाकर देख लो। यह बहन मायावती जी का निर्णय है और उनके निर्णय कैसे होते हैं यह पूरी दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश को छोड़िये। हम उत्तर प्रदेश को इसी पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से स्वावलम्बी बनायेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। जो काम नहीं हुए अब तक हुआ क्या आनपारा सी के बारे में बता दिया कि यह 1996 में शुरू हुआ था और आज तक चलता रहा। किस तरह से किया गया। जे0बी0आई0सी0 से लोन मात्र डेढ़ रुपये और साढ़े तीन रुपये में मिल रहा था हमको जापान की वित्तीय संस्था से हमको वहां से नहीं लिया, खुश करने के लिए पांच साल और परियोजना को लेट कर दिया। मेजा किसने बनाया बहन जी ने, करछना किसने बनाया बहन जी ने, आनपारा डी और सी किसने बनाया बहन जी ने। 2002 में हमारी सरकार बनी थी, 30-11-2002 को शिलान्यास किया गया था और 30-11-2007 को लोकापर्ण किया है। आप कह रहे थे कि पी0एल0एफ0 से चल रही है 180, 190 ग्रिड में है। जो यह सूचना आयी है यह गलत आ गयी है, गलत छप गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 115 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान कर दिया है, 105 करोड़ रुपया कृषि मंत्री जी ने मुख्य मंत्री के निर्देश पर दिया है, यह 215 करोड़ हो गया है और अब तक जो सब्सिडी दे रही थी वह तैंतालीस हजार थी इसको बढ़ाकर 55 करोड़ कर दिया है। अधिकारियों की बात कर रहे थे जिन्हें दण्डित किया है। हमने 76 अधिकारियों/कर्मचारियों को वृहत दण्ड दिया है, 171 लघु दण्ड दिया है, 39 को कठोर चेतावनी दी है और 62 निलम्बित किये हैं और 12 के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया है। जहां तक बात कर्मचारियों की माननीय अध्यक्ष महोदय जो आज हमारे सामने समस्या है एक करोड़ के करीब उपभोक्ता होंगे और केवल 44 हजार कर्मचारी हैं और जब 84 लाख उपभोक्ता थे तो हमारे कर्मचारी 65 हजार के करीब थे तो कर्मचारी लगातार कम होते गये और किसी ने नियुक्ति करने का काम नहीं किया। मान्यवर, हमारी सरकार ने ग्यारह सौ जे0ई0, ग्यारह सौ अवर अभियन्ताओं की भर्ती की है। पूरी पारदर्शिता से भर्ती हुई है। अब तक के इतिहास में इतनी पारदर्शिता से भर्ती नहीं हुई होगी जो अब भर्ती हुई है। हमने 500-500 के बैच बना करके उनको ट्रेनिंग दी। मैं स्वयं गया। हमारे सभी अधिकारी गये। दो-दो घण्टे मैंने उनकी क्लास ली। मैंने उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया। कैसे चोरी पकड़ी जायेगी, यह सारी बातें उनको बताई और बताया कि ईमानदारी निष्ठा के साथ जो काम करेंगे उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका जल्दी प्रमोशन करेंगे यह भी बात हमने उनसे कही और जब से मान्यवर, यह हमारे 1100 जे0ई0 गये, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चोरी करा रहे हैं बहुत सारे लेकिन सभी नहीं, कुछ एक कर्मचारी चोरी करा रहे हैं। हमने निर्देश दे दिये हैं और उनमें से चिन्हित करके बहुत सारे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको डिपार्टमेन्ट से बाहर करने का काम भी बहुत जल्द ही किया जायेगा क्योंकि 1100 जे0ई0 अभी पहुंचे हैं, पिछले महीने में ही उनकी नियुक्ति की गई है। उनको अभी भेजा गया है और अब तक जो चोरी के लिए एस0डी0ओ0 और ऐक्सियन देखते थे, हमने जो नये जे0ई0 आये, नये लड़कों को लगाया, नये लड़के कम से कम चार-छः महीने

तक ठीक-ठाक चलेंगे। नये लड़कों को लगाया, इंस्पेक्टर को साथ में लगाया और कहा कि जाकर के चेक करो और यह भी साथ में हिदायत दे दी कि अगर किसी निर्दोष आदमी को परेशान करने का काम किया तो रामवीर उपाध्याय किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जहां तक माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी कह रहे थे कि साहब आप छापे मार रहे हैं आपको यहां बैठना चाहिए, यहीं से कण्ट्रोल करना चाहिए आपने देख लिया कण्ट्रोल करके आप भी बैठे रहे। हमारे माननीय शिवपाल यादव जी यहां पर नहीं हैं काफी दिन वह भी मंत्री रहे, माननीय हुकुम सिंह जी भी मंत्री रहे, इन्होंने भी करके देख लिया, जहां तक माननीय मुख्य मंत्रियों के पास में विभाग रहे यहां बैठ करके देख लिया है। मैं बनारस में मान्यवर, समीक्षा बैठक ले रहा था, एम0डी0 महोदय भी हमारे साथ थे, ढिल्लन जो ए0डी0जे0 हैं वह भी हमारे साथ हैं। बनारस में समीक्षा बैठक ले रहा था तो 65 परसेन्ट से लेकर 70 परसेन्ट तक लाइन हानियां थीं। मैंने पूछा कि आप लोगों ने देखा नहीं। उसके बाद मैं गया परीक्षा में, पारीक्षा में 30-11-2002 को हमने पैसा दिये, कार्य शुरू करा दिया था, शिलान्यास कर दिया था, उसके बाद में देखने गया तो पता चला मान्यवर, उसमें सिविल का काम ठीक हुआ ही नहीं, टायल उखड़ने लगी और भी जो काम थे, मतलब सीमेन्ट लगाया नहीं बहुत सारी जगहों पर ठीक तरह से, लोहा थर्ड क्लास लगा दिया, सरिया बेकार लगा दी। मैंने देखा जाकर के अधिकारियों से कहा तुम लोग क्या रह रहे थे, बोले साहब माननीय कभी आये नहीं और हम कभी हेडक्वार्टर छोड़ नहीं पाये। माननीय मंत्री जी कभी आये ही नहीं, फील्ड में गये ही नहीं, हमने पूछा आप लोग, तो बोले साहब कभी मौका ही नहीं मिला फील्ड में जाने का, माननीय मंत्री जी ने कभी समीक्षा बैठक ही नहीं की। कभी किसी जिले में ही नहीं गये। किसी मण्डल में नहीं गये। आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन जब तक आप जायेंगे नहीं, उनके बीच में मैं तो पहले ही कहा कि जब मैं बी0ए0 में पढ़ता था तब मेरा यहां फौजदारी हो गई, इस भ्रष्टाचार के चक्कर में अभी श्री जोखू लाल जी कह रहे थे कि यह कोढ़ है, कैंसर है। मैं कहता हूं यह सब किसने पैदा किया ? तीन बार आपके नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री रहे, क्या हुआ ? कितने पावर हाउस लगे ? यह बतावें। आपसे कुछ नहीं छिपा होगा, आप तो ऊर्जा मंत्री रहे हैं। आपको पता होगा 1989 के बाद से किसने क्या किया ? 1989 के बाद मान्यवर, अगर किसी ने कार्य किया है तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया है तो इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में क्योंकि आज हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो 4-5 साल लगेंगे। इसी बात से चिन्तित हैं, लेकिन यह समस्या केवल रामवीर उपाध्याय की नहीं है, बसपा की नहीं है, यह पूरे प्रदेश की समस्या है। इस बीच मान्यवर, प्रधान मंत्री से भी बहन कुमारी मायावती जी, दो-तीन बार मिली है और उसका परिणाम यह हुआ है कि आनपारा डी के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। मेजा के लिए, करछना के लिए, बारा के लिए, कोयला स्वीकृत कराया उन्होंने, बहुत बड़ा काम है और आज हम बता रहे हैं कि 25 तारीख डेट दे रहे हैं आपको इसी महीने बिड खुलने वाली है करछना की, बारा की, मेजा में काम शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि फाइलों पर चल रहा हो, धरातल पर काम चल रहा है।

मान्यवर, मेजा में एन0टी0पी0सी0 के अधिकारियों ने जाकर काम शुरू कर दिया है। अनपरा डी का पैसा भेजा जा चुका है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से सरकार संवेदनशील है ऊर्जा की जरूरतों को लेकर। मान्यवर, जहां तक यह बात है कि बिजली नहीं मिल पा रही है तो आपने बताया कि दो रुपये कुछ पैसे में खरीद हो रही है। आपने एक भी पी0पी0ए0 नहीं किया है पिछले साढ़े तीन साल में। उस वजह से समस्या हमारे सामने यह खड़ी है। जहां तक और समस्याओं की बात है माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको हमने गम्भीरता से लिया है। इन सबका समाधान हम अपने अधिकारियों को निर्देश देकर करायेंगे। मैं माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें और इस बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मंत्री जी ने किसानों के बकाया बिजली के बिलों की माफी के सम्बन्ध में, बुनकरों के बिजली के बिलों की माफी के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है। आपने जो माननीय विधायकों को 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिये मिलते हैं उसकी आपने घोषणा नहीं की है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी घोषणा मंत्री जी आप करायें।

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,89,30,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-38

नागरिक उड्डयन विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,98,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,98,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,98,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,98,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,41,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,41,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,01,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,01,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,35,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आप कटौती रख ले आप बोल लें माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण दे देंगे।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सूचना विभाग का गठन पुस्तिका दी गयी है मान्यवर, 1946 में हुआ और विगत 15 वर्षों में पहली बार सूचना विभाग का बजट विवाद के लिए प्रस्तुत हुआ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो आपकी सहमति से ही हुआ है। आपने कहा तो हमने मान लिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने ऐसा बिल्कुल अनुरोध आपसे नहीं किया था। मैंने अनुरोध किया था। निर्वाचन विभाग पर चर्चा के लिए श्री सुरेश खन्ना जी के अनुरोध पर लेकिन किन्हीं कारणों से आ गया तो अच्छा ही हुआ क्योंकि सूचना विभाग के बारे में कोई सूचना प्रदेश की जनता को न मिल सके यह मान्यवर, आम तौर से होता रहा है और यह बात मुनासिब नहीं है। सूचना विभाग जो सारे प्रदेश की सूचनाएं देता है उसके बारे में सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसकी सूचना किसी को न हो सके यह मुनासिब बात नहीं थी आपने जो किया आपको धन्यवाद दे दूं।

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं। श्रीमन्, इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें और जो हमारा इस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है उससे जुड़े लोगों की सुविधाओं उनकी कठिनाइयों को दूर करे। मान्यवर, चूंकि जहां उनके और सरकार के इसके बीच तालमेल की आवश्यकता है तो एक तालमेल करने का काम करे। मूल रूप से इस विभाग का काम यही है लेकिन इस विभाग के जिम्मे जो स्थितियां आई हैं अभी नेता प्रतिपक्ष ने थोड़े दिनों पहले कहा था। अब वह बदल करके और इस महकमें के आला अधिकारियों को जो बहुत ऊंचाई पर बैठते हैं उनके जिम्मे यह काम हुआ कि इस प्रेस को निष्पक्ष न रहने दिया जाय उसके बीच कुछ ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता था कि कुछ लोगों को मुट्टी में करके और खबरों के स्वरूप को बदलने का और कुछ खबरों को छिपाने का काम और कुछ खबरों को उभारने का काम किया जाय। मैं उदाहरण के लिए यह बात कहना चाहता हूं और साक्ष्य के साथ कहना चाहता हूं कि एक स्पुतनिक अखबार यहां से निकलता है। इसके संवाददाता ने 26 नवम्बर और 3 दिसम्बर को कैबिनेट सचिव महोदय के सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित कर दिया और अगले दिन से निर्देश हो गया कि मुख्य मंत्री जी के किसी भी प्रेस वार्ता में जिसमें माननीया मुख्य मंत्री जी हों और किसी में ऐसे जिसमें कैबिनेट सचिव महोदय सम्बोधित करें उन प्रेस वार्ता में उनकी इंटरी बैन कर दी गयी। लिखित सूचना-सूचना निदेशक, प्रमुख सचिव सूचना, मुख्य सचिव को देने के बाद भी और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति को देने के बाद भी इस मनमानी के कारण उनको प्रेस कान्फ्रेंस में रोक दिया गया।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

और इसका दण्ड सिर्फ इस कारण से दिया जा रहा है कि आपने कोई समाचार क्यों प्रकाशित किया ? श्रीमन् उत्तर प्रदेश में प्रेस मान्यता नियमावली, 1978 में लागू हुयी और इस प्रेस मान्यता नियमावली के हिसाब से ही पत्रकारों पर विचार करके, कि किस वर्ष किसको मान्यता देनी है,नई मान्यतायें देनी हैं या पुराने का रिनीवल करना है या कुछ नये लोगों को मान्यता देनी है, इस पर यह समिति विचार करती है। मान्यवर, दिसम्बर, 2006 के बाद इस समिति की कोई बैठक नहीं हुयी और 2005 में जो मान्यता थी, वह 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त हो गयी। एक वर्ष से ज्यादा

समय तक बैठक नहीं की गयी और उसका परिणाम क्या है कि आज की तिथि में आपकी मेहरबानी पर है कि आप जिस पर मेहरबान हो जायें, उसकी तो मान्यता बनी हुयी है और जिस पर नाराज हो जाये उससे आप यह कह सकते हैं कि आपकी मान्यता नहीं है आप आवास खाली करके चले जाइये। 31 दिसम्बर तक आपकी मान्यता थी अब 31 दिसम्बर के बाद आपकी मान्यता नहीं है। किसी के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण भी नहीं हुआ। मान्यवर, उसको सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय करने का कोई काम नहीं हुआ। वस्तुतः बैठक ही नहीं बुलाई गई, यह स्थिति है सूचना विभाग की। माननीय मंत्री जी इस बात की चर्चा इसलिये जरूरी है कि अगर यह चर्चा नहीं होती तो प्रदेश को पता ही नहीं चलता और इस सदन में लोगों को ही मालूम नहीं। चर्चा नहीं होती तो मुझे भी मालूम नहीं होता। प्रदेश में यह स्थितियां हो रही हैं कि मान्यवर, सबको सूचना देने वाले जो लोग हैं और इसकी सूचना देने वाला नहीं है। दीपक तले अंधेरा है श्रीमन् इसलिये मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उस मान्यता समिति की तत्काल बैठक करें और उसके अनुसार जो विधिक कार्यवाही होनी है और प्रेस की निष्पक्षता बनी रहे इसलिये श्रीमन् अनुचित तरीके से दबाव डालकर यह सब करना मुनासिब नहीं है। कारण यह रहा कि कुछ लोगों को आप भ्रमित करके या दबाव डालकर आतंकित करके या किन्हीं कारणों से इन समाचारों को छिपाने का प्रयास करेंगे तो तब भी यह बात रुकने वाली नहीं है।

एक बात और श्रीमन्, छोटी सी रखना चाहता हूं। माननीया मुख्य मंत्री जी राजनीतिक नेता हैं और अपने राजनीतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिये किसी भी राजनेता को देश के किसी कोने में जाने का अधिकार भी है, नैतिक भी है और जाना भी चाहिये। अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिये कोई जाय, इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। लेकिन श्रीमन् प्रदेश के अखबारों में जो विज्ञापन दिया जाता है माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रमों का, उसमें भी बड़ा दूसरे प्रदेशों में वहां के स्थानीय अखबारों में माननीया मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम और राजनैतिक रैलियों के लिये उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा दिया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश का कोई आदमी इसको पढ़ता ही नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा आप उत्तर प्रदेश में जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिये, आपका अधिकार है लेकिन इस खजाने का पैसा दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से वहां के अखबारों में खर्च किया है किसी दैनिक समाचार पत्र को, किसी सरकार विज्ञापन दिये जाने की एक नीति है। 6 महीने कम से कम होना चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी संयोग से आप इस विभाग को देखते नहीं, अन्यथा सतर्कता से देख लिये होते, मैं यह कहना चाहता हूं कि 6 महीने का नियम है और जिस पर खुश हो गये उसको एक महीने का अखबार और एक महीने में अखबार को सरकारी विज्ञापन लम्बा चौड़ा देने का काम किया गया। मैं किस पर टिप्पणी करूं, मैं किसकी आलोचना करूं यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जिनकी आलोचना होनी है, उनका उल्लेख नहीं हो सकता मैं अपनी मर्यादा से बंधा हुआ हूं। किसी अधिकारी का नाम लेकर या ऊंचाई निचाई देखकर नहीं कहना चाहता। लेकिन मान्यवर, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को प्रसन्न करने के लिये

ब्यूरोक्रेसी का यह आचरण, न सिर्फ अपनी हैसियत को कम करता है, न सिर्फ इस खुशामदी रवैये से उसकी स्थिति को खराब करता है बल्कि इस पूरे तंत्र को कमजोर करता है और प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है इसलिये मान्यवर, इन नियमों की किसी भी हालत में अवहेलना नहीं होनी चाहिये। हम किसी अधिकारी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते क्यों करें। हम तो मंत्री जी पर कहते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। मान्यवर, इसलिये यह हर हालत में होना चाहिये इन बातों के साथ कहने को तो बहुत कुछ है। मैं अगर शुरू करूं नाच तमाशा के माध्यम से, नौटंकी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, जादू के माध्यम से जो सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार का तरीका है और होर्डिंग के बारे में आज एक बात कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग होर्डिंग्स लगाता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन उन्हीं होर्डिंग के साथ एक दूसरी बात सरकार चाहे ये हो, चाहे विपक्ष में बैठे लोगों की सरकार हो, सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों की चापलूसी के लिये और बहुधा मौजूदा माननीया मुख्य मंत्री जी और इससे पूर्व के मुख्य मंत्री के लिये भी है, श्रीमन् जो दूसरी होर्डिंग्स लगाई जाती है, यह मेरे से सीधे सम्बन्धित नहीं है लेकिन आज उल्लेख इसलिये कर देना चाहता हूं कि होर्डिंग एक मुख्य गतिविधि है सूचना विभाग की, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। होर्डिंग एक सरकार के सम्बन्धित मंत्री या मुख्य मंत्री या सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में प्रकाशित करने वाली जितनी भी होर्डिंग है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उन मामलों में खास तौर से नियंत्रण के लिये कोई दिशा निर्देश जारी करने की तरह का कोई नियम बनायें। ऐसा नियंत्रण रखिये कि जिसका मन हो वही अपनी तस्वीर लगा करके माननीया मुख्य मंत्री जी की तस्वीर ऊपर लगा करके अपनी तस्वीर नीचे लगा करके अपनी दुकान चलाने के लिये होर्डिंग्स का इस्तेमाल न करे, आपका नाम कुख्यात करे, इस तरह की चीजें नहीं हो सकें। अब तक नहीं हुआ लेकिन आगे भी न हो सके क्योंकि बहुधा ऐसे लोग हमारे आपके नामों का इस्तेमाल करके और लोगों पर धौंस डालने का काम करते हैं और सरकार की उपलब्धियों को भी दूषित करने का काम करते हैं, इसलिये इस पर नियंत्रण के लिये कार्रवाई करें। पहली सूचना का बजट चर्चा हेतु रखे जाने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने शनिवार को स्पष्ट उत्तर देने का काम किया। चौधरी साहब को सपना भी जब आता है तो अपनी सरकार में जो इन लोगों ने गलतियां की वही आता है और उसी का अंदाजा लगा करके दूसरे पर आक्षेप लगाने का काम करते हैं। माननीय नेता सदन ने अभी शनिवार के दिन स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने का काम नहीं करती है। हम उनको पूरी आजादी देते हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। मान्यवर, यह भी कहा था कि आपको अपने समय में जो आप

किये हैं वही याद आता है और रह-रह करके उसी का जिक्र करते हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिसकी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी हैं प्रेस की आजादी पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहती हैं और न ही इसकी पक्षधर है। दूसरा एक सवाल उठा था मान्यता सम्बन्धी। इसके लिये प्रेस संगठनों से सुझाव लिये गये हैं, उत्तर प्रदेश में नवीन प्रेस मान्यता नियमावली, 2008 के प्रख्यापन की कार्रवाई की जा रही है, सुझाव लिये गये हैं आ भी गये हैं, नियमावली शीघ्र ही बन जायेगी। उसके बाद उस पर विचार करके, बैठक करके कार्यवाही की जायेगी। जहां तक तीसरी बात उठी थी होर्डिंग्स की तो इस तरह के काम पहले हुआ करते थे और जम करके होते थे। लेकिन इस सरकार के बनने के बाद इस तरह का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग अनुशासित लोग हैं और अनुशासित लोग हमेशा नियम-कानून से चलते हैं, इसलिये इस तरह का कार्य पूरी तरह से बन्द है। सूचना विभाग प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है जो सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस अपने दायित्व के निर्वहन का काम सूचना विभाग कर रहा है। मैं माननीय चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि वह स्वतः ही अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसको पूरी तरह से जैसे बिना विवाद के ही पास कराने में मदद करें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वापस लेने के लिये भी एक वाक्य बोलना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी से मैंने यह अनुरोध किया था, मैंने समझा कि यह खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे, मैंने अपने ऊपर आरोप लिया। आप सरकार है, आपसे कानून बनाने का अनुरोध किया है, आरोप नहीं लगाया। लेकिन आप उसमें भी चूक जाते हो। आपको नजर नहीं आती है तो मैं मंत्रियों के नाम बता सकता हूं और किस जगह कौन सी होर्डिंग लगी है, यह भी बता सकता हूं, आप निकलकर जायेंगे तो आपको दिखाई दे जायेगा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि सूचना विभाग की डायरियां विधायकों को देने का रिवाज पहले से भी है, आपके कक्ष में भी मैंने अनुरोध किया था, दो-दो डायरियां कभी नहीं मिली, न्यूनतम 5 और 10-10 डायरियां मिलती थी, उस पर प्रकाशित मूल्य होता था और आज आप अगर अवगत नहीं हैं तो अपने सदस्यों से पूछ लीजियेगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दो डायरियां हैं सिर्फ एक सदस्य को दो डायरी और श्रीमन् इन डायरियों का खुलेआम काउन्टर लगाकर ब्लैक, पहले 70-70 रुपये में हुआ, अब 100-100 रुपये में दारुलशफा में डायरियां बिक रही हैं। मूल्य प्रकाशित इस लिये नहीं है कि 16 हजार डायरियों के प्रकाशन की सूचना उस डायरी पर होने के बावजूद खुले तौर पर उसे ब्लैक करने और असीमित मात्रा में डायरी छाप करके, इसे बेच करके मुनाफाखोरी का काम हो रहा है, इससे आपके सरकार की बदनामी हो रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इतना लम्बा-चौड़ा बजट रखकर और एक विधायक को दो डायरियां दे करके आप मितव्ययिता करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मितव्ययिता का यह अच्छा उदाहरण नहीं है। आज आप कम से कम

जितनी डायरियां मिलती थी, 10-10 डायरियां भी दीजिये और डायरियों की कालाबाजारी बन्द करिये। बहुत सारे मद खुले हैं, मदों का नाम नहीं लूंगा फिर विवाद हो जायेगा। लेकिन अब डायरी से भी उगाही करके और इसमें भी भ्रष्टाचार करके और अब डायरी तक उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की बिके और वह ब्लैक में बिके, आप तक शिकायत आये, इससे घटिया और कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिये मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराइये कि ऐसा क्यों हो रहा है ? मूल्य प्रकाशित न होने के पीछे जिम्मेदार कौन है ? इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, 65 रुपये पर निर्धारित किया गया है। 16,500 डायरी बेचने का अधिकार दिया गया है। डायरी पर मूल्य अब छपा दिया गया है और विज्ञापन भी अखबारों में दिया गया है कि प्रत्येक डायरी का मूल्य 65 रुपये है। अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से जन सामान्य के जानकारी के लिये बता दिया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,35,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदानों की मागों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) तथा अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि मंत्री (ठाकुर जयवीर सिह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,25,66,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,17,99,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,99,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,12,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्र)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,12,65,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,14,83,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की आदरणीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर सम्भाली है निश्चित रूप से यह आम जनता के बीच में संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के विषय में उनके मन में कितना दर्द है। और उनकी इच्छाशक्ति इस बात को बतलाती है कि आज जिस दर्द को उन्होंने सहा है जिस दूरी को उन्होंने तय किया है वह ऐसा चाहती हैं कि कम से कम वह दर्द उत्तर प्रदेश की जनता न सहे। उत्तर प्रदेश की आदरणीया मुख्य मंत्री जी के विषय में एक विशेषता है कि जब वह कहती हैं उसको पूरा करने का प्रयास करती हैं। अभी इस बात की चर्चा हुई आदरणीय रामवीर उपाध्याय जब अपना बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम जाकर निरीक्षण करते हैं उसमें कुछ सदस्यों ने आलोचना की और कुछ ने समर्थन किया लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं तब हम ऐसा महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के विषय में हमारी सरकार की जवाबदेही है। लोगों ने हमको अपना जनमत दिया, इस लायक बनाया है कि हम शासन की कुर्सी पर बैठ सकें तो हम हमारा कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करें। और आज अभी हमारी सरकार को 8-9 महीने ही हुए हैं अगर तुलनात्मक अध्ययन करें पूर्ववर्ती सरकारों से, तो हम जहां-जहां पर भी गये हैं इन 8-9 महीनों में चाहे वह सफाई का मद हो, लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकारी चिकित्सा के प्रति। और लोगों का सरकारी चिकित्सा के प्रति विश्वास ऐसे ही नहीं बढ़ गया। इसपूरे विभाग की चरमराई हुई व्यवस्था को सार्थक दिशा में ले जाने के लिये उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें और हमारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम समय-समय पर जाकर और छोटी से छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देकर उनको सुधार की दिशा में ले जाने का हमको प्रयास करना चाहिए। हम आलोचनाओं से नहीं डरते हैं। अगर हमारा मकसद सही है और हम सही दिशा में चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारे साथ होगा। हमको किसी का डर नहीं है। आज किसी भी प्रदेश की उन्नति तब ही हो सकता है जब वहां के लोग स्वस्थ हों, प्रसन्नचित हों। आज प्रदेश में गरीब व्यक्ति चिकित्सा सुविधा पा सकता है। आज उसको यह विश्वास हो गया है कि अगर वह सरकारी अस्पताल में जायेगा तो उसको असुविधा नहीं होगी और उसको यह असुविधा का सामना भी हमें नहीं करने देना है इसलिये यह हमारा धर्म और कर्तव्य है। हमारे विभाग ने तमाम ऐसी योजनाएं तैयार की हैं और जिस पर समय-समय पर विपक्ष के लोग टिप्पणी कर देते हैं। जो पहले से व्यवस्थाएं चल रही थीं उसमें 1-2 की बात मैं नहीं करता। सभी योजनाएं जो थीं, किसी को बन्द नहीं किया गया है। अगर सकारात्मक उद्देश्य से वह बनी है तो उनको हम चालु किये हुए हैं और उनको पूर्ण करेंगे और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर नई योजनाओं को प्रारम्भ कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् प्रदेश में सभी चिकित्सालयों में हम जानते हैं और इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे पास चिकित्सकों की भारी कमी है। हमने संविदा पर रखने का प्रयास भी किया और यहां सदन में इस बात की घोषणा भी की थी लेकिन कुछ कानूनी बाधा आ गई जिस कारण यह नहीं हो सका लेकिन

हम उस कानूनी बाधा को दूर करके निरन्तर प्रयास कर रहे है। और जो चिकित्सक और कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध हैं हम सबसे पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि वह अस्पतालों में जायं और जायं ही नहीं हम यह चाहेंगे कि उनका व्यवहार जो आदमी उपचार के लिये आता है उसके प्रति बहुत मानवीय हो। क्योंकि जब अस्पताल में आदमी जाता है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन रक्षा के लिये जाता है, जिसके पास जाता है उसको अपना जीवन रक्षक मानता है। तो इस तरह से आधी बीमारी उसके व्यवहार से ही दूर हो जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस पर हम बहुत गम्भीरता के साथ लोगों को निर्देशित करते हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां 2006 में 1.60 करोड़ ओ0पी0डी0 पेशेन्ट थे हमारी सरकार के गठन के बाद वह 1.88 करोड़ हो गये। 6 लाख रोगियों को भर्ती कर चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई, वर्तमान सरकार ने उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। आम जनता का रुझान सरकारी अस्पताल के प्रति यह विश्वास है यही हमारी मार्कशीट है यही हमारी उपलब्धि है। प्रदेश के 70 जिलों में 62 जनपदों में चिकित्सालय क्रियाशील थे। तथा नवसृजित आठ जनपदों कौशाम्बी, बागपत, जे0पी0नगर में सौ शैय्यायुक्त जिला स्तरीय चिकित्सालयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। शेष पांच जनपदों में संत रविदासनगर, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, औरैया, बलरामपुर का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में 20 करोड़ की व्यवस्था है। एक बार चिकित्सालयों के निर्माण करने हेतु 2008-09 में 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है प्रदेश के 823 ब्लाकों में 426 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवनों में क्रियाशील हैं। 234 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा 2007-08 में 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं अवशेष 163 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2008-09 में 90 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिये बजट में 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जनता ने जो हमें पांच साल का जनादेश दिया है हम प्रत्येक ब्लाक पर सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना करायें।

(मेजें थपथपाई गईं)

वर्तमान सरकार प्रदेश द्वारा प्रदेश में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को इण्डियन पब्लिक स्टैण्डर्ड के मानकों के अनुरूप सुधार एवं विस्तार के कार्य को पूर्ण करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यही नहीं प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3,679 हैं। जिसमें 2,961 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शासकीय भवन में थे। 1,328 स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में संचालित थे। वर्तमान सरकार के आते ही शत प्रतिशत जो भवन हम किराये पर लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये थे उनकी भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी। अब 2009 तक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण होने पर, एक भी स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में नहीं होगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। चिकित्सालय भवनों की दशा सुधारने उनके रख-रखाव तथा अनुरक्षण के मद में वर्ष 2007-08 में उपलब्ध 98.46 करोड़ के सापेक्ष इस वक्त 116.08 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जो गत वर्ष की अपेक्षा 17.62 करोड़ अधिक है। बहुजन समाज पार्टी के लिये कहा जाता है, जब हमारी रैलियां होती हैं तो अखबार छापते हैं कि हमारा रिकार्ड सिर्फ हम ही तोड़ते हैं। स्वास्थ्य के प्रति हमारी चिन्ता कि हम हर आने वाले वर्ष में पिछले वर्ष में जितना स्वीकृत किया गया था उससे ज्यादा बढ़ाकर यह ऐसी चीज है जो गरीब जनता से जुड़ी है। अमीर आदमी अपने स्वास्थ्य की रक्षा किसी प्रकार कर सकता है। यहां जनता हमको चुनकर भेजती है हमारा दायित्व है और इसका हमको एहसास है। चिकित्सालयों में जन सामान्य के लिये पर्याप्त औषधि उपलब्ध रहे इसके लिये औषधि मद में धनराशि बढ़ाई गई है। वर्ष 2007-08 में 138.26 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष 195.96 करोड़ अर्थात 57.70 करोड़ की वृद्धि की गई है। (मेजें थपथपाई गईं)

आज सबसे ज्यादा औषधियों में जब परीक्षण किया गया और हमारी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई तो यह पाया गया कि पिछली सरकारों में ऐसी दवाइयां जो अस्पतालों में उपलब्ध थीं जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाता था और वह एक्सपायर होने के बाद फेंकी जाती थी। हमने अधिकारियों को निर्देशित किया हमने बैठकें की यह हमारा पैसा नहीं है, यह जनता का पैसा है, इसका हमें एहसास है और हम एसेन्शियल ड्रग्स और क्रिटिकल ड्रग्स के अलावा, इन्हीं पर हमारा जोर रहेगा, ताकि वह दवाइयां, वह औषधियां हम लोगों को उपलब्ध करा सकें, जिसकी उनको वास्तव में जरूरत है। हम किसी सरकारी दवा कम्पनी को या किसी भी कम्पनी को फादया पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार में नहीं बैठे हैं। हमारा भाव यह है कि जो दवा हम खरीदते हैं, वह चाहे एक रुपये की हो, आज तो हमें यह बताते हुए लग रहा है, हम तो नान-मेडिको हैं, हम एक महिला चिकित्सालय में गये वहां पर यह पता चला कि आयरन टेबलेट वहां पर उपलब्ध ही नहीं है। हम बात करते हैं, इनफेंट मर्टिलिटीरेट है, मदर मर्टिलिटीरेट पर, किसी भी महिला चिकित्सालय में पीड्रियाटिशन का पद ही समाप्त कर दिया गया था, हमने तुरन्त निर्देशित किया कि हर महिला चिकित्सा में जब माता के जीवन की रक्षा करेंगे तो हमें शिशु के जीवन की रक्षा करनी पड़ेगी। उसके लिये हमने तुरन्त आदेश किया कि हर जिला महिला चिकित्सालय पर पीड्रियाटिशन का होना बहुत आवश्यक है और वैसा हुआ। मान्यवर, सभी मण्डल मुख्यालय के चिकित्सालयों को उच्चीकृत 300 शैय्यायुक्त बनाना है। जिसके प्रथम चरण में मिर्जापुर एवं फैजाबाद मण्डल के मुख्यालय चयनित किये गये हैं।

वर्तमान सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पूर्ण होने पर जनता को मण्डल मुख्यालय पर ही विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस योजना हेतु वर्ष 2007-08 में 20.00 करोड़ एवं वर्ष 2008-09 में 10 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, बाल रोग का उपचार सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए लखनऊ में एक बाल रोग चिकित्सालय खोल रही है, जिसमें नवजात शिशुओं के लिये विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। इस हेतु वर्ष 2007-08 में 5.00 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। परियोजना को पूर्णकर

क्रियाशील करने हेतु 2008-09 में 7.00 करोड़ की व्यवस्था है। यह पहली बार हुआ है कि 6 जनपदों में सहारनपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर में ट्रामा और मास कैजुअल्टी ट्रामा एवं प्रबन्धन योजना प्रारम्भ की गयी है, जो वित्तीय वर्ष 2008-2009 तक क्रियाशील हो जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, त्वरित गति रोगी वाहन उपलब्ध होंगे जो दुर्घटना स्थल से मरीजों को उपरोक्त केन्द्रों तक पहुंचायेंगे। इसके क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2008-2009 में 50 लाख का प्राविधान किया गया है। रोगी के परीक्षण, निदान एवं शोध कार्य के लिये भारत सरकार के सहयोग से एक आरोग्य निधि की स्थापना की है जो उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रही है और इस योजना के तहत वर्तमान सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। चिकित्सालयों में एक्सरे की सुविधा, बाकी जितनी भी सुविधा उपलब्ध होती है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह ट्रामा सेण्टर और एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, कोई ऐसी एम्बुलेंस है जिसमें सिर्फ हार्ट पेसेंट अगर ट्रीट होते हों, उनका इलाज होता हो, एक अम्बिका चौधरी के पीछे लगा दीजिए। इनका हार्ट दायें-बायें भागता रहता है, इनको एम्बुलेंस की बहुत जरूरत रहती है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस पर सहमत होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, एक एम्बुलेंस इनके लिये मंगा कर लगा दीजिए। (हंसी)

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

यह एम्बुलेंस इनके पास नहीं है, जो आप चाहते हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, इनके दर्द को हम मोहब्बत से ठीक कर देंगे। (हंसी)

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जो सुना, वह ठीक सुना। मान्यवर, इस संस्था के मानक संस्था है प्रमोद तिवारी जी। जिसको जो यह मान्यता दे दें वही उसकी मान्यता है। इसलिए जो वह कह रहे हैं उस पर सवाल न उठाइये।

श्री प्रमोद तिवारी-

वह समझ गये, इसके पात्र वही हैं। और मान्यवर, अगर सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है वह इनको है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इनके लिये कर दें नहीं तो किसी दिन गड़बड़ हो जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

दिल के दर्द का उपचार तो हम कर देंगे पर ऐसे दिल के दर्द के उपचार के लिये तो अब शोध करना पड़ेगा। मान्यवर, रोगों के परीक्षण निदान एवं शोध कार्य के लिये भारत सरकार के सहयोग से आरोग्य निधि स्थापित करने की योजना वर्तमान सरकार की है और इसके लिये 5 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। चिकित्सालयों में सर्वजन का एक्सरे आसानी से सुलभ कराने हेतु एक्सरे फिल्म, रिजएंट आदि के मद में विगत वर्ष की तुलना में 53.56 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जो वर्तमान सरकार की उपलब्धि है। मान्यवर, प्रदेश में अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट के भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु रुपये 1.04 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, अंधता निवारण कार्यक्रम एवं इंसेफलाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मान्यवर, 06 नवसृजित जनपदों में क्षय रोग रूजालय की स्थापना हेतु वर्ष 2008-09 में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान सरकार के प्रयासों से सभी पुरुष चिकित्सालयों में माइक्रोस्कोपिक सेन्टर खोला गया है तथा सभी महिला चिकित्सालयों में डाट केन्द्र खोलकर क्षय रोग से ग्रसित मरीजों की खोज और उनका उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के 40 जनपदों में कृष्ठ व्यापकता दर घटकर एक प्रतिशत से भी नीचे आ गया है जो वर्तमान सरकार के प्रयासों का फल है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सहयोग से 93 रोगियों की रचनात्मक आपरेशन किये गये। वर्ष 2008-09 में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत 200 का लक्ष्य रखा गया है, इस हेतु प्रति रोगी11,500 रुपये का व्यय एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, वेक्टर वार्न डिजीज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार जागरूक है, विशेषकर जापानी इंसेफलाइटिस की रोकथाम। जे0ई0 की रोकथाम हेतु 1से 15 वर्ष के 94.99 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया तथा वर्ष 2008 में टीकाकरण हेतु अन्य 09 जनपदों को चयनित किया गया है। जे0ई0 रोगियों के उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नया एपेडिमिक वार्ड निर्मित कर स्थापित कर दिया है। गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेन्टर हेतु भवन निर्माण कर लिया गया है। तथा एनआईवी पूणे के सहयोग से इसे संचालित करने की सहमति वर्तमान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त कर ली गयी है। जे0ई0 नियंत्रण हेतु प्रदेश मुख्यालय पर एक अलग निदेशालय की स्थापना वर्तमान में लिया गया है तथा एन0आई0वी0 पुणे के सहयोग से इसे संचालित करने की सहमति वर्तमान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त कर ली गयी है। जे0ई0 नियंत्रण हेतु प्रदेश मुख्यालय पर एक अलग निदेशालय की स्थापना वर्तमान सरकार द्वारा की गयी है, जो इस बीमारी का सर्विलांस, रोकथाम एवं उपचार का सतत अनुश्रवण कर प्रभावी कदम उठायेगी। वर्तमान सरकार के विशेष प्रयासों से इन रोगियों की मृत्यु दर में 11.59 प्रतिशत की कमी आयी है। अन्धता

निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.85 लाख मोतिया बिन्द के आपरेशन हुए हैं, जिसमें 2.66 लाख आपरेशन लेन्स प्रत्यारोपण विधि से किया गया है। माताओं तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने हेतु संस्थागत प्रसव की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तत्पर है, इस हेतु जननी सुरक्षा योजना प्रदेश में लागू की गयी है। गत वित्तीय वर्ष में जहां 1.68 लाख संस्थागत प्रसव हुए वहीं वर्तमान सरकारों के प्रयासों से 7.90 लाख संस्थागत प्रसव हुए जो वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यौनजनित रोगों के इलाज के लिए एसटीडी क्लीनिक की स्थापना की गयी है। इस रोग की जाँच एवं परामर्श हेतु सभी जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क परामर्श एवं जाँच केन्द्र की स्थापना की गयी है। एचआईवी मुक्त रक्त उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 70 सरकारी तथा 83 प्राईवेट रक्त कोषों में व्यवस्था की गयी है। एड्स रोगियों को दवा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद में एआरटी केन्द्र स्थापित किये गये हैं। विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है तथा मुफ्त कण्डोम वितरित किये जा रहे हैं शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य सामग्री जन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्तमान सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये विशेष अभियान चलाया गया जो विगत सरकारों की उपलब्धि की तुलना में अधिक है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 25,566 नमूने लिये गये और 19054 नमूनों की जांच हुई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1484 वाद दायर किये गये और 244 लोगों को सजा कराई गयी। वर्तमान सरकार के प्रयासों से खाद्य अपमिश्रण की घटनाओं में कमी आई है। नकली एवं अधोमानक औषधियों के रोकथाम हेतु वर्तमान सरकार द्वारा कठोर कदम उठाते हुए विशेष अभियान चलाये गये और प्रत्येक जनपद में विक्रेताओं तथा निर्माताओं के यहां छापे डाले गये। सरकार के विशेष प्रयासों से नकली दवा बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध 32 एफ0आई0आर0 दर्ज किये गये और 64 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं और 552 नयी चिकित्सकों की नियुक्ति की है। अनुपस्थित एवं लापरवाही के कारण वर्तमान सरकार द्वारा अब तक विभिन्न श्रेणी के 44 चिकित्सको को निलम्बित किया गया है तथा 155 विभिन्न श्रेणी के चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। चिकित्सालयों की गुणवत्ता सुधारने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रयास में वर्तमान सरकार द्वारा 765 स्टाफ नर्स, 211 लैब टेक्नीशियन तथा 18 डेण्टल हाईजीनिस्ट की नियुक्ति भी की गई है। अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं एक्सरे टेक्नीशियन आदि का चयन हो रहा है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर क्षेत्र जो सूखा प्रभावित नौ जनपद हैं इनके लिए भी हमारी सरकार ने उत्कृष्ट व्यवस्था की है। सूखा प्रभावित जनपदों के समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु आपदा राहत मद में रुपये 118268117 स्वीकृत किया गया है। जिसमें 30 करोड़ 35 लाख 9 हजार 119 अवमुक्त हो चुकी है। जनपदों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दात्री माताओं, बुजुर्गों जन सामान्य के सूखे के कारण उत्पन्न होने वाले सम्भावित स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व, शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सामन्जस्य से ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी,

शिक्षकों एवं चिकित्सकों के सक्रिय सहयोग से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में समस्त छात्रों, विद्यालयों एवं प्रत्येक परिवार हेतु पोषक तत्व, दवायें और किट उपलब्ध कराई गई है। महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सोच बड़ी विस्तृत है, उनका न कोई जिला है, न उनका कोई परिवार है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको चुनकर भेजा है तो पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब लोग उनका परिवार है, इसलिए जब हम कभी स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम उनकी सेहत की बात करते हैं, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों की चिन्ता करते हैं। यही हमारा कर्तव्य है और हम इस बात का सदन के लोगों को वचन देते हैं कि सरकार में निश्चित तौर से स्वास्थ्य सेवायें गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायेगी और इसमें जो कोई भी बाधा आयेंगी तो निश्चित रूप से सजा का पात्र होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पी0 के0 राय जी, कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय राय जी, सब पर एक साथ रख दीजिये और सब पर बोल भी दीजिए जिस पर बोलना हो।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बजट भाषण सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वास्थ्य की जितनी समस्यायें उत्तर प्रदेश की हैं उनका काफी कुछ समाधान हमारे नौजवान माननीय मंत्री जी ने तेज मंत्री जी ने कर लिया है। मान्यवर, यह बजट इस प्रदेश में 18 करोड़ रहने वाले लोगों की सेहत का उनके स्वास्थ्य का बजट है और वह प्रदेश जिस प्रदेश में दुनिया का हर 36वां व्यक्ति रहता है और इस देश का हर छठवां व्यक्ति रहता है जिस प्रदेश में 33 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में पहली पंक्ति इस्तेमाल की है मैं उसके लिये उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगर हकीकत में चिन्ता जाहिर की है तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करना कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। लेकिन उस बजट साहित्य में उसके बारे में कुछ नहीं है। उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मान्यवर, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैंने जैसा कहा कि आलोचना करने और सुझाव देने के लिये। मान्यवर, आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में कहां पर खड़े हैं। देखना होगा। हम देश के नक्शे पर देखें तो नीचे से तीसरे चौथे नम्बर पर आते हैं। हमारे प्रदेश में जैसी कि बात आपने कही किसी भी प्रदेश का स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा संवेदनशील सूचकांक अगर कोई है तो वहां पर व्याप्त शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर है। हमारे यहां जन्म दर 30.1 है जबकि देश के स्तर पर 23.4 है। मातृ मृत्यु दर 517 हमारे यहां है और 407 देश स्तर पर है। शिशु मृत्यु दर 73 है और वहीं 58 देश के स्तर पर है। मृत्यु दर 8.7 हमारे यहां हैं 7.6 देश के स्तर पर है। यह आंकड़े बताते हैं कि जीवन की जो प्रत्याशा है वह उत्तर प्रदेश की 57 वर्ष है और देश के स्तर पर 60 वर्ष से ऊपर है। इससे यह प्रतीत होता है कि हम कहां पर खड़े हैं। जहां 54 लाख महिलायें प्रत्येक वर्ष प्रसव पीड़ा से गुजरती हैं और 40 हजार की मृत्यु प्रसव के दौरान या प्रसव के उपरान्त होती है। आधी महिलाओं का एन्टीनेटल चेकअप नहीं होता है यह संख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की दुगनी होगी। उसी तरह से पूरी दुनिया में जितने मातृत्व मृत्यु होती है उसका 20 प्रतिशत केवल हिन्दुस्तान में है और उसका 15 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश में है। बच्चों की बात करें आप तो बच्चों के सम्बन्ध में दो तिहाई मृत्यु केवल उत्तर प्रदेश में होती है और उस दो तिहाई में दो तिहाई पहले हफ्ते में होती है और यह मृत्यु भी गरीबों में करीब ढाई गुना है। हमारे देश में करीब 70 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जिसमें से 10 या 12 मिलियन बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के कुपोषित हैं। यह आंकड़े मैं कोई इधर-उधर के नहीं लाया हूं यह आंकड़े सर्वे रिपोर्ट के हैं प्लानिंग कमीशन के हैं। यहां हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है।

माननीय अम्बेडकर जी, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है मेरे बोलने में यह गलत बात है आप इशारा कर रहे हैं।

मान्यवर, इसी प्रदेश में 1.8 प्रतिशत बच्चे डायरिया से मरते हैं और इन डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या-64 प्रतिशत कम की जा सकती है। अगर उनको शुद्ध जल दे दें और फ्लश टाइप की लैट्रिन दे दें। आपके जितने बजट आये हैं वह सारे बजट इंसानी जिन्दगी के लिए हैं लोगों के लिए हैं आपके प्रदेश के नागरिकों के लिए हैं। अगर यह स्वस्थ नहीं होंगे तो आपकी सड़क, बिल्डिंग, ऊर्जा और ग्राम्य विकास यह सारी चीजें बेमानी होंगी। यह आपके सामने चुनौती है और आपकी व्यवस्था क्या है। व्यवस्था जो हमारी है, मैं आपकी बात नहीं करता निश्चित तौर पर इससे पहले या जो भी सरकारें रही हैं कहीं न कहीं चिकित्सा और शिक्षा जो प्राथमिकता पर रहनी चाहिए थी वह चिकित्सा और शिक्षा प्राथमिकता पर नहीं रखी गयी। चिकित्सा और शिक्षा का आपस में बहुत ही जबरदस्त सम्बन्ध है, रिश्ता है यह उसी तरीके से है जैसे कि बीमारी का सम्बन्ध गरीबी से है, औसत आयु का सम्बन्ध गरीबी से है। जो व्यक्ति गरीब है वह कम दिनों तक जिन्दा रहता है और जो गरीब है वही गरीब बीमार होता है। हमारी व्यवस्था क्या है ? सुनकर आपको ताज्जुब होगा सरकारी सेवाओं को लेने वालों की संख्या हमारे यहां मात्र 9 से 11 प्रतिशत है। हमने सब आंकड़े बताये चाहे इधर के बैठे हुए लोग हों चाहे उधर के बैठे हुए लोग हों, इस पर चिन्तन करने की जरूरत है कि आखिर इस देश के जो दक्षिणी प्रदेश हैं उनसे हम क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं। उनके हम बराबरी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं ? क्यों केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब हमसे आगे है तो हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास चिकित्सक .2 प्रति हजार हमारे यहां अस्पताल 2.5 प्रति लाख और देश में 3.8 प्रति लाख, हमारे प्रदेश में बिस्तरों की संख्या 33 बिस्तर प्रति लाख और देश स्तर [illegible] बिस्तर प्रति लाख और केरल 303 बिस्तर प्रति लाख यह तो हमने व्यवस्था दे रखी है। [illegible] गरीबों की बात हर आदमी करता है आप रीजनवाइज आंकड़े उठाकर देख लीजिए। यहां बुन्देलखण्ड पर चर्चा सबसे ज्यादा हुई है, बुन्देलखण्ड में डाक्टरों की कमी सबसे ज्यादा है और बुन्देलखण्ड में ही लोग सरकारी सेवाओं को सबसे ज्यादा लेते हैं इसलिए कि पिछड़ापन और गरीबी है और वहीं पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वह बहुत कम सरकारी सेवा लेते हैं।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोग हैं .8 प्रतिशत, जिसमें केवल 45 प्रतिशत लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं और जो हमसे कम विकसित प्रदेश है, उनसे भी हमारा आंकड़ा कम है, ऐसी स्थिति है मान्यवर, हमने इसलिये इसको बताया कि हमें आखिर जाना कहां है ? हमें भी आंकड़े पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मरीज प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, सरकारी डाक्टरों के पास जितने मरीज जाते हैं, उतने मरीज तो केवल वह झाड़फूंक करने वाले, उझैती और सुखैती करने वाले जिनको अंग्रेजी में फेथ हिलर्स कहते हैं, उनके पास जाते हैं। 52 प्रतिशत लोग झोलाछाप डाक्टरों के पास जा रहे हैं और 23 प्रतिशत मरीज प्राइवेट/रजिस्टर्ड

प्रैक्टिशनर्स के पास जा रहे हैं। यह हमारे सामने चुनौती है और हमने व्यवस्था क्या किया है ? आपने बजट तो पढ़ा लेकिन बजट में आपको यह भी उल्लेख करना चाहिये था कि बगल के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों की तुलना में यह गरीब प्रदेश जहां 32-33 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और उस दृष्टिकोण से भी यह देश में बारहवें नम्बर पर है, उस प्रदेश के चिकित्सा बजट को आपने कितना दिया ? जो आपका राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसका .9 प्रतिशत आपने चिकित्सा के मद में आवंटन किया है और पर कैपिटा जो एलोकेशन है आपका, सुनकर हम लोगों का सिर भी शर्म से झुक जायेगा कि पर कैपिटा एलोकेशन आपका बिहार से भी कम है, कहां और कैसे जायेंगे आप। आपने बिल्डिंगों के बनाने की बात की, बिल्डिंगों के बना देने से चिकित्सा व्यवस्था नहीं सुधर पायेगी। यह अच्छी बात है कि हम भी कहा करते थे जब कभी मैं पी0एम0एस0 में था और पी0एम0एस0 को रिप्रेजेन्ट करता था, एज ए स्टेट जनरल सेक्रेट्री और प्रेसीडेन्ट तो मैं भी कहा करता था कि अस्पतालों के सरकारी भवन बनने चाहिये। लेकिन आज स्थिति क्या है आपने भी अपने बजट में लिखा है कि हमने 200 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बनाने की बात कही है लेकिन स्थापना का कार्य कितनों का किया। स्थापना के मद में आपने लिखा है मात्र 15 और मैं माननीय मंत्री जी यह बार-बार कहूंगा कि भवन निर्माण के साथ जब तक स्थापना का कार्य नहीं करेंगे, वह भवन निर्माण बेमानी होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आपने बनाने की बात की है और स्थापना का कार्य उसमें नहीं किया है। 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आप बना रहे हैं और 200 में स्थापना का कार्य कर रहे हैं तो कैसे व्यवस्था चलेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, बजट में जो आवंटन होना चाहिये वह आवंटन नहीं है उतना नहीं है। हां एक बात मैं अभी गरीबों की बात कर रहा था और अभी आई0एम0आर0 और एम0एम0आर0 की बात कर रहा था यह भी सुनकर आपको ताज्जुब होगा। मा0 अम्बिका चौधरी जी को देखकर मुझको याद आ गया माननीय अध्यक्ष जी, कि बलिया जनपद में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है 38 और लाइफ एक्सपेटेन्सी जो जीवन प्रत्याशा है वह सबसे ज्यादा 73 वर्ष। मैं तो कहूंगा कि जब यह चर्चा में भाग लेंगे तो बलिया में कैसे यह संख्या घटी है और आयु कैसे बढ़ी है, इस पर भी अपना प्रकाश डालेंगे। मान्यवर, चूंकि कई मदें हैं इसलिये थोड़ा समय ले रहा हूं। मान्यवर, बजट में आपने कुछ चीजों का अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया जैसे माननीय अध्यक्ष जी, यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के बारे में बजट साहित्य में सबसे ज्यादा लिखा गया है। और यू0पी0एच0एस0डी0पी0 448 करोड़ रुपये से विश्व बैंक पोषित योजना जिसमें 86 प्रतिशत विश्व बैंक का है और 14 प्रतिशत आपका अंशदान है। वर्ष 2000 से शुरू हुई, जिसमें 28 जनपद और 117 इकाइयां चयनित की गईं और तब से उसका समय विस्तार होता चला जा रहा है और अभी तक मात्र 73 प्रतिशत कार्य पूरा किया है। यू0पी0एच0एस0डी0पी0 से बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई, हमारे कुशीनगर में भी बिल्डिंग बन गई है लेकिन बिल्डिंगें खड़ी होने से कुछ नहीं होगा, मैंने यहां पर सवाल किया था तो आपने कहा था कि मात्र 3 विशेषज्ञ हैं, वर्तमान समय में हो सकता है कि दो-चार बढ़ गये हों, जिला अस्पताल का यह हाल है। यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के द्वारा एक

नियत दिवस विशेषज्ञ सेवा है जब आपने ढाई सौ सी0एच0सी0 के ऊपर एम्बुलेंसेज दे रखी हैं और नियत दिवस विशेषज्ञ सेवा दिये जाने का उसमें प्रविधान भी है तो कोई ऐसा कार्यक्रम अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके बनाइये कि वह सुदूर अंचल, वह जगहें, वह ग्रामीण क्षेत्र जहां पर लोग चिकित्सकीय सेवा से वंचित हैं, कम से कम हफ्ते-दस दिन में एक दिन वह विशेषज्ञ वहां पर जायें और उस इलाके के लोगों को सलाह दें। वरना केवल यह स्वास्थ्य मेला लगा देने से कोई भी स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो पायेगी। स्वास्थ्य मेला लगता है और केवल एक दिन के लिए चिकित्सक आते हैं तथा परामर्श देते हैं। नियमित तरीके से उन लोगों को यह सेवा दी जायेगी तो जनता का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर फिर से जागृत होगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर कैसे फिर से कायम किया जाये। क्योंकि यह वही डाक्टर हैं जिन्होंने मृत्यु दर को घटाने का काम किया, यह वही चिकित्सक हैं जिन्होंने स्पालपाक्सइरेडिकेशन का काम किया। कभी जमाना था कि सरकारी अस्पतालों में डाक्टर के पास इसलिए लोग जाया करते थे कि सरकारी अस्पतालों का डाक्टर हमको सही सलाह देता है, वही जानकार है। आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है, इस पर चिन्तन और मंथन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अंधता नियन्त्रण, आज भी आपके प्रदेश में 1.8 मिलियन लोग अंधता के शिकार हैं। लक्ष्य है आपका 1 से .3 पर लाने का और आपने अपने बजट साहित्य में लिखा है कि 151 सी0एच0सी0 के ऊपर हम आई0ओ0एल0 की व्यवस्था करेंगे। आपने नहीं देखा बजट को, आपने अगर बजट साहित्य में यह लिखा है कि हम इतनी जगहों पर आई0ओ0एल0 की व्यवस्था करेंगे तो क्या उन जगहों पर आई सर्जन का आपने इन्तजाम कर लिया है क्या वह मोबाइल होंगे, क्या उनके लिए इक्यूपमेंट्स खरीद लिये गये हैं, वहां के लिए क्या व्यवस्था की गई है और दूसरी चीज मा0 अध्यक्ष जी, इधर के दिनों में आपने और सभी ने देखा है कि नेत्र शिविर लगाये जा रहे हैं उन नेत्र शिविरों में कैसे लोग अंधे हुए हैं। मैं उन जगहों का नाम ले करके समय नहीं खराब करना चाहता लेकिन निश्चित तौर पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वह जो नेत्र शिविर कैम्प करवाती हैं और उसके लिए उनको जो अनुदान मिलता है उसके चक्कर में वह लोग ऐसे-ऐसे चिकित्सकों से भी ऑपरेशन करवाते हैं और फर्जी आंकड़े भी देते हैं। जब तक इसके ऊपर नियन्त्रण नहीं होगा तब आपका जो अंधता निवारण कार्यक्रम है, जो आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम में 257 रोगी अभी भी प्रति लाख हैं। पांच लाख की आबादी पर आपने एक टी0वी0 यूनिट बनाया है। यह अच्छी बात है और इसी के साथ ही मलेरिया उन्मूलन का जहां तक सवाल है, मलेरिया उन्मूलन तो नहीं हो पायेगा उस पर केवल नियंत्रण ही किया जा सकता है लेकिन उसके नियंत्रण के लिए जो प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। फाइलेरिया कण्ट्रोल है। संक्रामक बीमारियों की बात है और आपने जो कहा जापानीज इन्सेफलाइटिस की बात, जापानीज इन्सेफलाइटिस पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि मैं उस इलाके से हूं जहां पूरे देश में होने वाली जितने जापानीज इन्सेफलाइटिस है उसका 64 से

70 प्रतिशत उसी इलाके से हुआ करती है और जापानीज इन्सेफलाइटिस का कोई इलाज नहीं है जापानीज इन्सेफलाइटिस में जान तो जाती ही है लेकिन वे बच्चे जो बच जाते हैं, मानसिक विकलांगता के शिकार होते हैं और जिन्दगी भर के लिए अपने परिवार के लिए अभिशाप और बोझ बन जाया करते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। वर्ष 2006 में जो रिपोर्टेड केसेस हैं, रिपोर्टेड इसलिए कह रहा हूं कि मेडिकल कालेज में जो मरीज भर्ती होता है, वह तो रिपोर्ट हो जाता है लेकिन जो किसी प्राईवेट डाक्टर, नर्सिंग होम्स के पास चला गया या सामान्यतः जिला अस्पतालों में गया, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में गया, वहां के लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं और मैं जानता हूं विभाग में जिसके ऊपर अंकुश ज्यादा होता है ऊपर से उसकी रिपोर्टिंग भी कम होती है। जैसे एफ0आई0आर0 मिनिमाइजेशन होता है, उसको मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन ये आंकड़े केवल मेडिकल कालेज के हैं। 1940 रोगी पिछली बार भर्ती हुए थे और 436 उसमें से मर गये थे। कहा गया कि यह जापानी इन्सेफलाइटिस नहीं है कॉकसेकिन वायरस से है और इस बार वर्ष 2007 में 2423 रोगी भर्ती हुए और उनमें से मौत हुए है 516 की और एक आँकड़ा जो हमको आपको नसीहत देने वाला है और प्रेरणा भी देने वाला है कि जितने भर्ती हुये थे उनमें मात्र 28 लोग ही थे जिनका वैक्सीनेशन हुआ था। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर टीकाकरण को व्यापक पैमाने पर कराया जाए तो जापानीज इन्सेफलाइटिस पर नियंत्रण किया जा सकता है लेकिन टीकाकरण नहीं हुआ। टीकाकरण हर साल होना चाहिए। लेकिन टीकाकरण समय से नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मा0 मंत्री जी से सिफारिश करूंगा कि यह महामारी का रूप ले लिया है। पहले भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आये थे तो उनसे भी कहा था कि जापानीज इन्सेफलाइटिस के टीकाकरण को आप अपने टीकाकरण अभियान का एक अंग बनाईये जिस तरह से पल्स-पोलियो के लिए अभियान चलाकर टीकाकरण कराते हैं, उसी तरह से जापानीज इन्सेफलाइटिस के लिए टीकाकरण का कार्य कराईये। दूसरा रास्ता, फागिंग का है और तीसरा भी रास्ता है जो बहुत ही मुश्किल है, सुअरों को हटाने का, सुअर बाड़ों को हटाने के लिए, उनको दूर ले जाने का लेकिन अगर इसमें भी कुछ हो सके तो उसको करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि मेडिकल कालेज में वायरल रिसर्च सेण्टर बन करके तैयार है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने उसके लिए पैसा अवमुक्त किया था, उसका जा करके शिलान्यास किया था लेकिन 9-10 महीने की सरकार आपकी हो गयी, अभी तक वह भवन हैण्ड-ओवर नहीं हुआ है और इसका झगड़ा अभी चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज की जानकारी बता रहा हूं कि बिल्डिंग हैण्ड-ओवर नहीं हुआ है। दूसरा जो एपीडिमिक वार्ड वहां बना जापानीज इन्सेफलाइटिस की महामारी की बाद ही एपीडिमिक वार्ड बन गया लेकिन स्थापना का कार्य नहीं हुआ है, वहां के लिए स्टाफ की स्वीकृति नहीं हुई है। यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसके बाद परिवार कल्याण की बात है। अन्त में मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा जब तक पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 को क्रियाशील नहीं करेंगे तब तक जो आपकी मंशा है जो जज्बा है

प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की वह सम्भव नहीं होने वाला है। व्यवहारिक कठिनाई यह है कि डाक्टरों की कमी है। सरकारें जो भी रही हों मुझे यहां कहने में कोई गुरेज नहीं है कहा जाता है कि अवसर ईमान का दुश्मन होता है। मैं आज नहीं 1994 से इस बात को कह रहा हूं कि चिकित्सकों के स्थानान्तरण की स्थाई नीति बनानी चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था कि सरकारों ने जो डाक्टर जहां पर थे वहीं पर जम रहे और सरकारी सेवाओं से ज्यादा वह प्राइवेट सेवाओं में लग गए। स्थानान्तरण की जो नीति आई हाई कोर्ट में पी0आई0एल0 दाखिल हुई और बहुत दिनों से जो डाक्टर एक जगह बैठे हैं झोला छाप डाक्टरों और इनके बीच नेक्सस बन गया है ऐसे डाक्टरों का वहां से स्थानान्तरण किया जाय ठीक बात है लेकिन उस स्थानान्तरण में जो व्यवहारिक पहलू था उस व्यवहारिक पहलू को नजरन्दाज किया गया। व्यवहारिक पहलू यह हो सकता था कि चिकित्सक का स्थानान्तरण उससे विकल्प लेकर आस पास के जिलों में किया गया होता तो वह ज्वाइन कर लेते। कोर्ट को भी व्यवहारिक पहलू से समझाया जाना चाहिए था। जिसको आपने हटाया वह गया नहीं जिसको बुलाया गया वह वहां आया नहीं तब से चिकित्सा व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होने की शुरूआत हुई है। लेडी डाक्टर का ट्रांसफर मान लीजिए आगरा में है ट्रांसफर कर दिया बस्ती में तो क्या वह जाएगी जिसने वहां 20-25 साल सेवा कर ली है। व्यवहारिक पहलू का समावेश जब तक नहीं करेंगे जो डाक्टर पहले से हैं सर्वे रिपोर्ट कहती है कि जो आपके डाक्टर हैं उन डाक्टरों में 45 प्रतिशत डाक्टर ड्यूटी पर से अनुपस्थित रहते हैं। 14 प्रतिशत लोग छुट्टी पर हैं 2 प्रतिशत लोगों के लिए कहा जाता है कि वह सरकारी कार्य से कहीं गए हुए हैं। यह हालत है। इतने कम डाक्टर उसमें यह स्थिति इसलिए प्राइवेट प्रेक्टिस की आप बात करते हैं हकीकत यह है मैं डाक्टर होने के नाते नहीं कह रहा हूं लेकिन वास्तविकता है इससे मुंह मोड़ना खुद को धोखा देना होगा। प्राइवेट प्रेक्टिस कोई सरकार नहीं रोक पाई है न कोई सरकार रोक पाएगी। जो रुक सकता है मैल प्रेक्टिस रुक सकती है। अगर मैल प्रेक्टिस रोक दीजिए तो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। सी0एच0सी0 जैसे भी हो मजबूत करिए। अगर यही हाल रहा तो मुझे तो लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हश्र भी 3-पी स्कीम यह भी चला जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने आई0डी0सी0 की चर्चा नहीं की जांचों की बात आपने कही रीजनल डायग्नोसिस सेन्टर के बारे में सरकार की मंशा थी कि रीजनल डायग्नोसिस सेंटर्स पर अपने मरीजों की कम दामों में जांच कराएंगे लेकिन उन सेन्टर्स को लीज पर देने जा रहे हैं। भारत सरकार से योजनाएं आ रही हैं उन पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। रीजनल डायग्नोसिस सेन्टर्स को लीज पर देने की क्या मजबूरी थी। आपके पास डाक्टर्स थे इक्यूपमेंट थे उनमें ट्रेंड करते ट्रेनिंग देना है तो स्पेशलिस्ट कैडर बना रखा है स्पेशलिस्ट लोगों को ट्रेनिंग दीजिए जिससे उनकी विशेषज्ञता का लाभ आपके अस्पताल को और आपकी जनता को मिल सके। इसलिये मान्यवर, इस पर जरूर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, परिवार नियंत्रण की बात जहां तक है, पिछली एक शताब्दी में दुनिया की आबादी 2 बिलियन से लेकर 6 बिलियन हो गई। दुनिया की आबादी बढ़ी 3 गुना आबादी 2 बिलियन से

लेकर 6 बिलियन हो गई। दुनिया की आबादी बढ़ी 3 गुना और हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ी है 5 गुना। हम पिछली शताब्दी में 5 गुना बढ़ गये। हमारे हिस्से में 16 प्रतिशत आबादी है और 2.4 प्रतिशत केवल भू-भाग है। 1.55 करोड़ हर साल आबादी हमारे यहां की बढ़ रही है। इतना बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट की समस्या कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, पुरुष और महिला के अनुपात के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है, 898 एक हजार पर। लेकिन परिवार कल्याण के बजट साहित्य में परिवार कल्याण विभाग केवल एक चीज पर आकर टिका हुआ है वह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जननी सुरक्षा के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत लाई गई है जो 1330 करोड़ की योजना है। थोड़ा बहुत उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी योगदान है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ कैसे मिल सके ? आपकी जो ए0एन0एम0 है आपने आशा का जो चयन किया हुआ है आपके जो सब सेन्टर्स हैं आपने गांव में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति भी बना रखी है और 10 हजार रुपये बकायदा वहां पर दिया हुआ है। परिवार कल्याण की समस्या बड़ी है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए चूंकि आंकड़े जो थे वे पहले ही मैंने चाहे वह एम0एम0आर0 हो, आई0एम0आर0 हो, बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो सबके बारे में आपके संज्ञान में लाने की कोशिश की है। अंत में मेडिकल कालेज के ऊपर बोलकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेडिकल कालेज में मान्यवर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यहां पर है। क्योंकि मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। एस0जी0पी0जी0आई0 से जो कि इस प्रदेश में रहने वाले लोगों की उम्मीद का और आशा का एक अंतिम मुकाम है। एस0जी0पी0जी0आई0 एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि एक बीमारी भी है और देहात से भी आदमी सीधे चलता है तो उसे लगता है कि एस0जी0पी0जी0आई0 ही जाकर जो होना है वही पर होगा। पी0जी0आई0 के पहले चरण का कार्य पूरा हुआ लेकिन दूसरे चरण का शुभारम्भ अभी जाकर प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 120 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है उससे दो विभाग पलमनरी मेडिसिन और पीडिऑटिक सर्जरी दो विभाग की शुरुआत हुई है इसके साथ जो एस0जी0पी0जी0आई0 में शिक्षकों की समस्या है वह सबसे ज्यादा चिकित्सा शिक्षा विभाग में है जो पद खाली हैं, प्रोफेसर के 15, एडिशनल प्रोफेसर के 9, एसोसिएट के 4, एसिस्टेंट के 70 और रेसिडेंट के 110 खाली हैं। 32 बैक लॉग की भर्तियों के लिये ऐड निकाला गया और 32 बैकलॉग की भर्तियों में कुल अभ्यर्थी आये। जिसमें चार लोगों ने ज्वाइन किया और चार का लिफाफा किसी विवाद की वजह से बन्द है। यह स्थिति एस0जी0पी0जी0आई0 की है। एस0जी0पी0जी0आई0 में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने के लिये बहुत पहले से कागजों पर अनुमति हो चुकी है। बहुत पहले से कहा जाता है कि कागजों पर ट्रामा सेन्टर खुल गया है। एस0जी0पी0जी0आई0 के सामने मा0 अध्यक्ष जी साढ़े बारह एकड़ जमीन सिंचाई विभाग की शारदा सहायक माधो आश्रम फायर ब्रिगेड पुलिस इन लोगों के द्वारा ले ली गई और ट्रामा सेन्टर खोलने के लिये मात्र पांच हजार स्क्वायर जमीन एस0जी0पी0जी0आई0 को दी गई। तीन हजार स्क्वायर मीटर जमीन बगल में है और पी0जी0आई0 को इस जमीन को देने के लिये

सिंचाई विभाग द्वारा एक करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी आज मुकाबला कारपोरेट सेक्टर से हैं कारपोरेट सेक्टर से मुकाबला करने के लिये जब तक सरकार विशेष तौर से ऐसे संस्थानों पर मेहरबानी करने का काम नहीं करेगी यह संस्थान जिन्दा नहीं रह पायेंगे। कारपोरेट सेक्टर में जो नये लड़के आ रहे हैं उनको 75 हजार से लेकर एक लाख तक वेतन मिल रहा है। जो मेडिकल कालेजेज में लोग हैं उनकी स्थिति क्या है इससे आप अवगत हैं तो मान्यवर जो जमीन ट्रामा सेन्टर के लिये है ट्रामा सेन्टर की बात मंत्री जी ने भी कहा। पांच ट्रामा सेन्टर खुल रहे हैं और इन 5 ट्रामा सेन्टर के लिये बजट कितना रखा गया है मात्र पचास लाख रुपये का। आज हर मिनट एक एक्सीडेंट हो रहा है। और हर पांच मिनट पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। मान्यवर, गोरखपुर जैसी जगह में न्यूरो सर्जन की इतनी कमी है कि डिवीजनल अस्पताल में तो है ही नहीं, मरीज भागकर यहां आता है हैड इन्जरी का मरीज, पी0जी0आई0 जाता है। वहां कहते हैं यहां कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज भागकर के0जी0एम0सी0 जाता है। मजबूरी में वह या तो मरे या किसी न किसी नर्सिंग होम में जाकर भर्ती हो। मान्यवर, पी0जी0आई0 में कामधेनु योजना लागू है मैं सदन के सभी सदस्यों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सभी यहां पर गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर आये हैं। कामधेनू योजना में इनके संस्थान में जो गरीब लोग इलाज कराते हैं उनको दस हजार रुपया देने का प्राविधान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कटौती के माध्यम से भी, प्रस्ताव भी है अगर यह मा0 विधायक अपनी निधि से 5-5 लाख रुपया पी0जी0आई को दे देते तो आपके क्षेत्र के जो गरीब और गम्भीर रोगी हैं उनका इस फण्ड से इलाज हो सकता था। वरना आज है क्या ? गरीब और गम्भीर रोगी के इलाज के लिये कोई प्राविधान नहीं है कि सिवाय इसके कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से दे दें। मा0 प्रधानमंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से दे दें। आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे कोई इच्छामृत्यु की मांग करता है कोई कहता है कहीं पढ़ा जाता है कि उसने अपने बच्चे को उठाकर नदी में इसलिये फेंक दिया क्योंकि वह अपने बच्चे का इलाज कराने में असमर्थ था उसकी दोनों किडनी खराब थीं।

मान्यवर, छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये सरकार ने प्रयास किया है लेकिन मान्यवर मै। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नाम बदल देने से इंतजाम नहीं बदल जाया करता हैं। इंतजाम बदलने के लिये छत्रपति साहूजी महाराज में इसको हम के0जी0एम0यू0 के नाम से ज्यादा जानेंगे। इसलिये कि उससे हमारा लगाव है। एम0सी0आई के मानक के अनुसार जहां नर्सेज की और फोर्थ क्लास एम्पलाई, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती वहां नहीं है। चिकित्सा शिक्षकों की जहां तक बात है के0जी0एम0यू0 में अभी भी 136 अध्यापकों के पद अभी भी रिक्त है। उनके वहां हार्टलंग मशीन नहीं है और एमसीआई के मानक के अनुसार जो बेड बनी हैं, उनके अनुसार नर्सेज की तैनाती भी नहीं की गयी है। मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट की स्थापना मा0 मुलायम सिंह यादव जी के समय हुई थी, उसका मकसद था कि जो

सुविधायें के0जी0एम0सी0 में नहीं हैं, वह डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट में खोली जायेगी लेकिन उसके बजट में बढ़ोत्तरी ही बहुत कम की गयी है। मान्यवर, प्रदेश के जो राजकीय मेडिकल कालेज हैं, उनमें 40 से 45 प्रतिशत, बल्कि उससे और ज्यादा 45 से 50 प्रतिशत शिक्षकों की जगहें रिक्त हैं और उन मेडिकल कालेजेज के ऊपर एम0सी0आई0 की मान्यता समाप्त करने की तलवार लटक रही है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2-3 बच्चे आपके पहले से ही है, उन बच्चें का पालन पोषण आप कर नहीं पा रहे हैं, उनको आप हष्ट-पुष्ट कर नहीं पा रहे हैं और उसके बाद और भी बच्चे पैदा करने की तैयारी हो गयी है। यह सही है कि 50 लाख पर आप मेडिकल कालेज खोल दीजिये, निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज खुलें, जरूर खुलें लेकिन उसी के साथ जो राजकीय मेडिकल कालेज हैं, उनकी जो दुर्दशा है, जो दशा है, उसको भी सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त होने की स्थिति में है। बीच में स्थिति उत्पन्न हुई थी तो मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू करके, हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया और टिक्कू समिति की संस्तुतियां लागू करके उच्च पदों पर नियुक्तियां हो गयी थी लेकिन अब वह शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्त के बाद उस योग्यता के शिक्षक आपको मिल नहीं रहे हैं। सरकार ने एक बार कोशिश भी की थी लेकिन सरकार की कोशिश के बावजूद वह शिक्षक आपके पास नहीं आ पाये। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जैसे कानपुर मेडिकल कालेज है, उसके पी0जी0 टीचर, पी0जी0 स्टूडेन्ट्स को बढ़ाने वाले टीचर, हमें सर्जरी विभाग की जानकारी है, एक डा0 वी0एस0 तिवारी जी हैं, एक पीजी0 टीचर, 2 को गाइड कर सकता है लेकिन आज वह 40 को गाइड कर रहे हैं। कानपुर मेडिकल कालेज के एक राधेश्याम शर्मा हुये हैं, 8 लोगों का अभी सरकार ने सेवा विस्तार किया है, उसमें इतनी बड़ी अनियमितता हुई है कि सेवानिवृत्ति की जो तारीख है, उस तारीख के पहले डा0 राधेश्याम शर्मा, उसके 25 दिन पहले रिटायर हो गये थे, उसके बाद भी उनको ज्वाइन करा लिया गया। दो डाक्टर और हैं जो पहले रिटायर हुये, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। यह ठीक है कि यह सरकार के विवेक के ऊपर है लेकिन सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और यदि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी हो रही है तो इस कमी के लिये आखिर आप क्या करने जा रहे हैं, एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी या तो उनको पुनर्नियोजन करें जैसा मैंने उच्च शिक्षा के बजट पर जब चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन, उच्च शिक्षा विभाग ने चिन्ता जाहिर की है और प्रदेश सरकार को लिखा है कि नियमित शिक्षकों की कमी होती जा रही है इसलिये उनकी अधिवर्षता आयु बढ़ा करके, पुनर्नियोजन करने का या सेवा विस्तार देने पर सरकार विचार करे, उस पर भी देखने की आवश्यकता है। गोरखपुर मेडिकल कालेज के बारे में मेरे मित्र बैठे हैं, वह ज्यादा विस्तार से बतायेंगे। लेकिन मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज में नर्सेज की कमी है। मानक के अनुसार नर्सेज

नहीं है। एक्विपमेंट भेजे हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्ट्रोकोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट 2 साल से आ गये हैं लेकिन वहां पर कार्यरत शिक्षक को ट्रेनिंग दिलाकर उनका उपयोग जनता के हित में किया जाये इस पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात नहीं करता, हमारे दूसरे साथी उस पर बोलेंगे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और मेडिकल कालेजेस के माध्यम से हमारे और साथी अपनी बात रख देंगे। आपने इतना समय बोलने के लिये दिया। एक बार पुनः अपनी बात रखते हुये कि यह विभाग दूसरे विभागों से भिन्न है। इसमें संवेदनशीलता का परिचय देना पड़ेगा। इसमें दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना पड़ेगा। नहीं तो चाहे जितने विभाग आप बना लें या बिलडिंग बना लें या बजट कुछ भी कर लें इससे कुछ नहीं होगा। इसलिये दृढ़ इच्छाशक्ति जरूरी है। आपके बजट में कुछ नहीं है, न कोई लक्ष्य है। आपने जो लक्ष्य वर्ष 2006-07 में किया है वही लक्ष्य वर्ष 2007-08 में किया और वही लक्ष्य वर्ष 2008-09 में किया है। एक डाक्टर 4916 पर है तो वही 4916 पर है। पता नहीं किसने बजट बनाया है। चिकित्सा विभाग का बजट है उसमें केवल मेडिकल कालेज का एक पन्ने में संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है। वर्ष 2007-08 में फोटो लगा दी थी। कितने शिक्षक है, क्या कमियां हैं, इक्विपमेंट कितने हैं। सारा लक्ष्य एक ही लाइन में लिखते जा रहे हैं। लगता है कि वर्ष 2009-10 में भी फिर यही लिखा जाएगा। इसलिये मैंने कहा कि इस विभाग में संवेदनशीलता और गम्भीरता से विचार करना होगा। 18 करोड़ जनता का सवाल है और जहां सरकार ने संकल्प लिया है कि गरीबों की संख्या हम आधी कर देंगे। तो कैसे करेंगे आप आधी। बी0पी0एल0 सूची की कैसे आधी करेंगे ? क्या मृत्यु दर बढ़ाकर करेंगे ? मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने चिकित्सा सुविधाओं के लिये कहा है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मिलेगी जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यहीं पर चर्चा हुयी है, न जाने कितने लोग पात्र हैं लेकिन कार्ड से वंचित हैं तो क्या वह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति जो कार्ड से वंचित है उसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें निःशुल्क नहीं मिलनी चाहिये। तो ऐसे लोगों के लिये कोई न कोई ऐसा पहचान पत्र मिलना चाहिये कि भले ही उसको बी0पी0एल0 कार्ड न मिले लेकिन उसकी पहचान के लिये और कोई कार्ड मिल जाये जिससे वह सारी सुविधाओं का उपयोग कर सके। इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां डा0 पी0 के0 राय जी द्वारा प्रस्तुत कटोती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। कुल मिलाकर 9 महीना हुआ है और मैं तो बच्चों का डाक्टर हूं इसलिये जानता हूं कि 9 महीने में इंसान का जन्म होता है इसलिये उन्हें एक साल दिया जाना चाहिये और यह देखा जाये कि उन्होंने कैसे चलना सीखा है। बहुत सारी बातें आपने कहीं और जो साहित्य दिया उसको हम लोगों ने पढ़ा। डा0 राय उसकी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 2008-09 का लक्ष्य नहीं दिया। आपका

साहित्य यह बता रहा है कि नौ महीने के कार्यकाल में कुछ नहीं किया गया है। आपने साहित्य में लिखकर दिया है 2006-07 में, जब आप सत्ता में आये थे 4916 नागरिक पर एक डाक्टर था आज भी 4916 नागरिक पर एक डाक्टर है। जब आप सत्ता में आये थे तो 3246 नागरिकों पर एक बिस्तर था, आज भी वही स्थिति है। जब आप सत्ता में आये थे तो 6734 नागरिकों पर एक सेन्टर था, आज भी वहीं स्थिति है। 42,296 नागरिक पर एक पी0एच0सी0 थी आज भी वही स्थिति है। इसलिए नौ महीने के कार्यकाल का लाभांश मान लिया जाये तो वह शून्य के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जब पूरी दुनिया विकास के लक्ष्यों को तय कर रही है जिसे हम मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल कहते हैं। इसके आठ बिन्दु हैं। इसमें मुख्य है चौथा, पांचवां, छठवां और आठवां। चौथा इन्फैन्ट मार्टीलेटी रेट जो आज 72 प्रतिशत के आसपास है इसे घटाकर 35 प्रतिशत ले जाना है, दूसरा अंडर फाइव मार्टीलिटी जो आ ॅ एक सौ साढ़े बाईस के आसपास है जिसे घटाकर 95 ले जाना है। तीसरा मैटरनल मार्टीलेटी जो आज 517 है, जिसे घटाकर सौ ले जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और स्वच्छता साठ प्रतिशत है। इसके हिसाब से जो आप लोगों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने लक्ष्य तय किया है। उसमें परिभाषित है कि इन्फेंट मार्टीलेटी रेट, अन्डर फाईव मार्टीलिटी रेट, विभिन्न जो पैरामीटरर्स होते हैं उसके मानक दिये हैं साहित्य में। उन मानकों को देखिये जो आपने एक साल में पाया उसको देखिये। आज जो स्थिति है 52 प्रतिशत कुपोषण का शिकार तीन वर्ष की उम्र के नीचे है। 80 प्रतिशत गम्भीर महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं, 75 प्रतिशत पांच साल से नीचे के बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। सत्तावन प्रतिशत विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। 1/3 बच्चे आज भी कुपोषित होकर पैदा होने के तैयार है। आज भी 22 प्रतिशत बच्चे सैप्टिक जैसी बीमारियों से मरते हैं। देश में सबसे अधिक इन्फेंट मार्टीलेटी, अन्डर फाइव मार्टीलेटी है और हमने यह वायदा किया है कि 2012 तक ग्वाइटर एन्डेमिस एरिया की संख्या दस प्रतिशत हो जायेगी। आज 80 प्रतिशत है। हमने यह वायदा किया है कि डाट जिसे हमने पुनर्परिभाषित किया है कि हम पचहत्तर प्रतिशत नागरिकों की लिस्ट बना देंगे। अभी मैं कल गोरखपुर में सेमीनार में था, गोरखपुर के सी0एम0ओ0, प्राइवेट डाक्टर्स हम सब लिखकर के योजना बना रहे थे कि इस आर0एम0टी0सी0 कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाय। जो डाक्टर आये थ उन्होंने यह बताया कि पूरे देश में आर0एन0टी0सी0 के जो आप डाट प्रोग्राम लेकर के चलते हैं उसकी सीनियर पासटीविटी 79 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ तीस प्रतिशत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगले चार साल आपके सामने हैं इन चार सालों में 2012 में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो गर्व के साथ कह सकेंगे। आप जिसका भी नाम लेकर कहिये, हर व्यक्ति अपने नेता का नाम लेकर कहता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है। आप कह तो सकें कि इन पांच सालों में लक्ष्य पाया है लेकिन पायेंगे कैसे।

भारत का एक नागरिक औसतन इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो 3238 रुपये का खर्च होता है और हम जो सस्ती सुविधा उपलब्ध कराने का दावा करते हैं उनका ही सरकारी अस्पतालों में 7800 रुपया खर्च होता है जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सारी व्यवस्था हमने बनायी है उसके आधार पर है प्रोग्रसिव सबसीडाइजेशन अर्थात् गरीबों को मैक्सिमम लाभ दिया जाय। अमीरों को कम लाभ दिया जाये। सच्चाई क्या है? समाज के ऊपर के

40 प्रतिशत के लोग आपने जितनी स्वास्थ्य सेवायें बनाई है, उसका 67 प्रतिशत हिस्सा ओ0पी0डी0 का 70 प्रतिशत हिस्सा इन्डोर का ले लेते हैं और समाज के सबसे गरीब 40 वर्ग के लोग सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ओ0पी0डी0 का और सिर्फ 16 प्रतिशत हिस्सा भरती के मरीजों का लेते हैं। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका दिमाग स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या लक्ष्य तय करने है, किस प्रकार से हम, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो पूरे देश का विकास नहीं होगा। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेण्ट रिपोर्ट है उसमें हम अगर 126 वें 127 वें स्थान पर हैं तो यह माना जाता है कि अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया जाये, देश के विकास के समतुल्य तो हमारा इडक्सिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सीधे 50 अंक घट कर चला आयेगा और हम 127 से 50 अंक नीचे आ जायेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नाते। अर्थात् उत्तर प्रदेश के नाते इस पूरे भारत में दुनिया में एक बड़ी गन्दी पिक्चर पैदा हो रही है।

हम लोगों का दायित्व है अगर यह देश हमारे प्रदेश के नाते शर्मशार हो रहा है तो हम इसको इतना बेहतर कर दें अगले पांच सालों के अन्दर जब तक आपका कार्यकाल है। बहुत सारी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि डा0 राय ने सारी बातें बहुत विस्तृत रूप में कही है। एक-दो आग्रह मैं आपसे करूंगा। एक आपने स्वयं अपनी पुस्तक में आंकड़ा दिया है, आपके अपने साहित्य में लिखा है प्रदेश में 39 लाख मलेरिया के डेलिगोसिस के स्मेयर बनाये गये और 168 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यह मलेरिया कण्ट्रोल प्रोग्राम एक बहुत बड़ा आर्थिक श्राप हो गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मलेरिया कण्ट्रोल प्रोग्राम के बारे में आपको बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और गम्भीरतम जांच करनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 39 कहीं मलेरिया सेण्टर, गोरखपुर में हम लोग रहते हैं यहां माननीय विधायक बैठे हुए हैं कहीं मलेरिया कण्ट्रोल प्रोग्राम किसी ने चलते हुए देखा हो तो बता दें कम से कम मैंने तो गोरखपुर में चलते हुए नहीं देखा है। यह 39 लाख स्मेयर पाजिटिव कहां से आ गये भगवान जाने, 168 करोड़ रुपये इस सरकार का, इतना मंहगा लगता है 168 करोड़ रुपये अगर हम लोगों ने लगाया होता तो इस सदन के अन्दर बजट समितियों का गठन कर लिया होता। ठीक 168 करोड़ रुपये का एमाउन्ट बताया गया था। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का बहुत पुनर्विवेचन होना चाहिए। आपने रीजनल डायग्नोसिस सेण्टर की स्थापना की है, लेकिन गोरखपुर में मैं स्वयं जानता हूं उसमें डाक्टर्स नहीं हैं। बिल्डिंग दे दी, उपकरण दे दिया, बड़ा भव्य लगता है लेकिन डाक्टर्स नहीं है। तो काम कैसे करेगा।

श्री लालजी वर्मा-

किसमें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

गोरखपुर रीजनल डायग्नोसिस सेण्टर जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल की बात हो रही है, यह फैक्ट है। कल मैंने इसीलिए सी0एम0ओ0 को और सी0एम0एस0 को बुलाया था माननीय मंत्री जी जानते हैं इस बात को, यही जानने के लिए आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति यही है। गोरखपुर में एक अच्छा हृदय रोग का अस्पताल बना था और एक सी0एम0एस0 है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं खुद हृदय रोग का डाक्टर हूं, उनके सिवाय कोई आ नहीं पाता है। मैं

आपसे आग्रह करूंगा अगर आपने इतना बड़ा सेटअप पैदा किया, आपने किया या आपकी सरकार ने किया या इसके पूर्व की सरकार ने, व्यवस्था है अपने पास, इसके पहले कि वह व्यवस्था खत्म हो जाये एक प्रशिक्षित हृदय रोग विशेषज्ञ वहां पहुंचना चाहिए। तीसरी चीज आपने इन्सेफ्लाइटिस के बारे में चर्चा किया। यह इन्सेफ्लाइटिस की सुविधा जिला अस्पताल में नहीं है। यह इन्सेफ्लाइटिस की सुविधा मेडिकल कालेज में है। आपको जिला अस्पताल में मेडिकल कालेज से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने मेडिकल कालेज को ओवर बर्डन कर दिया है। मेडिकल कालेज की स्थापना मरीजों के इलाज के लिए प्राथमिक रूप से नहीं है, मेडिकल कालेज की स्थापना प्राथमिक रूप से नये डाक्टरों को पैदा करने की है। अगर बच्चों का पूरा अस्पताल इन्सेफ्लाइटिस के मरीजों से भर जायेगा तो आखिर और सब मरीज कहां भर्ती होंगे। इसलिए यह जो बोझ हम लोगों ने डाल दिया है मेडिकल कालेज के ऊपर और इसलिए डाल दिया है क्योंकि हम पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कहीं भी इलाज नहीं करते इन्सेफ्लाइटिस का। कहीं भी नहीं भर्ती करते मरीज को। मेरा आपसे आग्रह है, गोरखपुर की स्थिति पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति जान रहे हैं। खासतौर पर आठ-दस जिलों की स्थिति आप जान रहे हैं। इसलिए गोरखपुर के जिला अस्पताल में सुविधा।

श्री अध्यक्ष-

बस अब खत्म करिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

बस अध्यक्ष महोदय, [illegible] कर रहा हूं थोड़ी सी बातें हैं मेडिकल कालेज के बारे में डा0 राय ने उनको अधूरा छोड़ा है। [illegible] मैं कह रहा हूं। साढ़े छः सौ शिक्षकों की कमी है प्रदेश में। साढ़े छः सौ में 350 पद रिक्त हैं। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज नहीं प्रदेश के सारे मेडिकल कालेजों की मान्यता तलवार की धार पर होती है और शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं। मेडिकल कालेज के अन्दर बहुत से शिक्षक हैं जो इसी सरकार में पी0एम0एस0 की सेवा से स्थानान्तरित किये हैं। माननीय लालजी वर्मा जी चूंकि पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे, इसलिए बेहतर जानते हैं।

मान्यवर, आज इस समय मुख्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रभारी मंत्री हैं। यह सारे डाक्टर क्वालिफाईड है और लोक सेवा आयोग द्वारा चुनकर गये हैं और लेक्चरर बनने की अर्हता पूरी करते हैं। चिकित्सा शिक्षा को संचालित करने के लिए महानिदेशक ने पत्र भेजकर माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया हुआ है। आपने जिस तरह से लखनऊ मेडिकल कालेज में गैर शिक्षकों को एब्जार्व किया है। इनको भी एब्जार्व करके मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी को दूर कीजिये। मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी है यह कहा जाता है कि नियुक्ति नहीं हो पाती है। कुछ कोर्ट में स्टे की बात कही जाती है। यह बताया जाता है कि 195 डाक्टर नियुक्त होने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, एक मेडिकल शिक्षक और नान मेडिकल शिक्षक दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक जिले में अगर कोई डाक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो वह आपकी बीस हजार रु0 की तनख्वाह पर मास्टरी करने नहीं आयेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई डाक्टर सीधे मेडिकल कालेज में जाये, मेडिकल कालेज में एब्जार्व करने की स्थिति होनी चाहिए।

मान्यवर, आप चाहें तो पहले एडहाक कर लीजिये फिर बाद में नियुक्त कर लीजिये। मान्यवर, नियमावली हम लोग यहां पर बैठकर बनाते हैं। हम उसमें संशोधन ला सकते हैं। हमारा मरीज परेशान हो रहा है हर साल डाक्टरों की कमी की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि बिना लोक सेवा आयोग में भेजे हम नियुक्त नहीं कर सकते हैं। हम नियमावली उस अनुसार बनाये और नियमों में परिवर्तन करने का काम करें। मान्यवर, हमारे यहां मेडिकल कालेज में 10 करोड़ 29 लाख रु0 गये। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिये। आपने उसका क्या बनाया। हुआ क्या। सारा निर्माण कार्य रुक गया। उसमें मंडलायुक्त के आदेश पर एक जांच कमेटी बनायी गयी। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ बिन्दु पढ़ देता हूं। "समस्त कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाकर प्रेषित किया गया है। जांच से स्पष्ट है कि उपरोक्त सरकारी कार्यदायी इकाई गोरखपुर ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है। कार्यदायी इकाई द्वारा कराये गये प्लास्टर और उसकी निर्धारित माप में अंतर है। करायी गयी रंगाई-पुताई एवं पालिश के कार्य की वास्तविक स्थिति एवं निर्धारित कार्यों में काफी अंतर है। कहीं-कहीं तो कार्य मात्र 20-30 प्रतिशत ही कराया गया है। कार्य की गुणवत्ता भी अत्यन्त खराब है। जहां तीन कोट दर्शाया गया है वास्तव में मात्र एक ही कोट कराया गया है। मरम्मत का कार्य आधा-अधूरा है। यहां तक कि शौचालयों को तोड़कर छोड़ दिया गया है। सड़क के सम्बन्ध में कहा गया है कि कार्य घटिया एवं निम्न स्तर का है। वार्डों में दिवालों पर सीलन पूर्ववत बनी हुई है। आगे यह कहा गया है कि उपकरण एवं साज-सज्जा के सामान के सम्बन्ध में खरीदफरोख्त में पारदर्शिता नहीं बरती गयी है।"

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह डा0 वी0एन0एस0 यादव जी की रिपोर्ट है जो जांच समिति के सदस्य थे। वह उसी मेडिकल कालेज में हैं।

श्री लालजी वर्मा-

कौन मान्यवर, कार्यदायी संस्था थी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम। मान्यवर, 10 करोड़ 29 लाख के अन्तर्गत होने वाले कार्यों की यह स्थिति है! मान्यवर, इतना भ्रष्टाचार करने वाली संस्था को एक सर्वोच्च अधिकारी ने कौन से कारण से कि आगे भी काम दिया। मैं यहां कहूं मेरे पास सबूत नहीं हैं। ऐसी संस्था जिसके बारे में मैंने जांच रिपोर्ट के अंश पढ़े पुनः उसी संस्था को 4 करोड़ 88 लाख रु0 का काम दे दिया गया। जब उस रिपोर्ट में आ गया कि उनके काम में घटियापन पाया गया। फिर 4 करोड़ 88 लाख का दुबारा काम क्यों दिया गया। मान्यवर, एक वेंटीलेटर 8 लाख रु0 में आता है

मेडिकल कालेज में वह साढ़े दस लाख रु0 में लिया गया। खरीद के बाद भी वह इंस्टाल नहीं हो पाया है। बेकार हो गया है। प्रिंसिपल ने बाल रोग विभाग को कहा कि इसका चार्ज ले लें। तो कहा कि हम इसका चार्ज क्यों ले लें। उसमें अटैचमेंट के जो इक्वीपमेंट भी लगते हैं वह नहीं लगाये गये हैं। मेडिकल कालेज में एक अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गयी वह ब्लेक एण्ड व्हाईट 5 लाख रु0 में आती है और खरीदी गयी 14 लाख रु0 में। कलर मशीन आती है 8 लाख रु0 में। मान्यवर, अगर उसी मशीन को फिर से कलर कराया जाये तो फिर ढाई से तीन लाख रु0 और लगेंगे। तो फिर उस स्थिति में वह मशीन 16-17 लाख रु0 में पड़ेगी। इस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। नियुक्तियों का पूछिये मत। मान्यवर, एक स्टाफ का मामला है जो पहले किसी तथाकथित विद्यालय में काम करते थे कनिष्ठ लिपिक के पद पर जो साढ़े चार हजार से 8 हजार का ग्रेड होता है वह बन्द हो गया। उनको समायोजित कर दिया गया। आगरा मेडिकल कालेज में एक दिन के लिए वहां उनका नहीं हुआ। फिर महानिदेशक के कार्यालय में गये वहां नहीं हुआ। फिर उनको समायोजित कर दिया गया बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में। और वह भी एक सरकारी कर्मचारी को साढ़े तीन हजार रु0 वाले ग्रेड में, पदावनति कर वह स्वीकार किया गया। इस पर आंखें खुलनी चाहिए कि आखिर ये सारा खेल क्या है। एक लैब अटेन्डेन्ट को सिर्फ इस बात के लिए कि उसने प्रशिक्षण ले लिया महानिदेशक के आदेश पर उनके एक चिट्ठी पर लैब टेक्निशियन बना दिया। जबकि आप हम सभी जानते हैं समूह घ से समूह ग में जाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता होगा, कोई न कोई साक्षात्कार तो करना ही पड़ता होगा, कोई न कोई चयन समिति तो बनानी ही होगी। भ्रष्टाचार की यह चरम पराकाष्ठा है।

अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें मैं इसलिए ला रहा हूं कि अब यह प्रत्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में है और अब अगर इस मेडिकल कालेज के भ्रष्टाचार पर रोक न लगी तो प्रत्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार मानी जायेंगी। इसलिए कि दोनों विभाग को देख रही हैं और कोई राज्यमंत्री नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बीआरडी मेडिकल कालेज की प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता निर्माण कार्य की अनियमितता, नौकरी दिये जाने की अनियमितता, उपकरणों को लिए जाने की अनियमिता, आज स्थिति यह है कि इमरजेंसी में चले जाइये तो डाक्टर नहीं मिलते मिल गये तो आपको बैन्डेज खरीदनी पड़ेगी और बैन्डेज खरीद भी लिए तो भी गारन्टी नहीं है। मैं एक बार रविवार के 12.00 बजे गया देखने, 12.00 बजे उस अस्पताल में झाड़ू लगने जा रहा था। यह स्थिति मेडिकल कालेज की पहुंची। निजी मेडिकल कालेजों के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी संख्या में निजी मेडिकल कालेज खुल रहे हैं और खुलने भी चाहिए क्योंकि डाक्टरों की संख्या सचमुच कम है लेकिन हमें डाक्टर्स चाहिए डिग्रीनुमा क्वैकस नहीं चाहिए। डाक्टर किताब पढ़कर नहीं होता डाक्टर मरीज देखकर बनता है। हम लोग किताबों में पढ़कर डाक्टर बने हैं उसका 99 प्रतिशत हिस्सा हमारे जीवन में हमारी प्रेक्टिस में किसी काम नहीं आता एक प्रतिशत काम आता

है। डा0 राय मुझसे सहमत होंगे हम जिन मरीजों को देखते हैं वह मरीज हमारे गुरू होते हैं। मरीज हमें सिखाता है बीमारी के इलाज करने का तरीका। इन निजी मेडिकल कालेजों को खोल तो हमने दिया। एक बार हमने प्रश्न इस विधान सभा में लगाया था कि निजी मेडिकल कालेजों में कितने मरीज आते हैं इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि निजी मेडिकल कालेजों पर कड़ी निगाह रखनी होगी। वह अपनी प्रवेश परीक्षा खुद लेने लगे हैं उनके ओपीडी में मरीज नहीं होते हैं। उनकी आउटिंग परीक्षा पर भी नियंत्रण होना चाहिए। यहां सरकारी मेडिकल का मतलब हो गया है लखनऊ मेडिकल कालेज और संजय गांधी मेडिकल कालेज। बाकी यह जो 7 मेडिकल कालेज हैं ऐसा लगता है कि जैसे किसी तरह ढोये जा रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इस सदन के सामने मुझे यह जानने का हक है कि उन सारे मेडिकल कालेजों में जितने मरीज आते हैं ओपीडी संख्या के हिसाब से प्रति मरीज यह सरकार या प्रति व्यक्ति यह सरकार कितना अनुदान देती है। मरीज गोरखपुर का हो, मरीज झांसी का हो मरीज लखनऊ का हो या मरीज कानपुर का हो, हर नागरिक का यह अधिकार है कि सरकार उसके चिकित्सा शिक्षा के लिए बराबर की मदद करे। अगर सारा पैसा आप बचतों को देखिये, मुझे लगता है कि 168 या 200 करोड़ रुपये बीआरडी मेडिकल कालेज को दिये गये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो अनुदान हम दे रहे हैं इसका सम्बन्ध स्थान से नहीं लखनऊ से नहीं आने वाले मरीजों की संख्या और बिस्तरों की संख्या से होना चाहिए।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया है मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी ऐसे तो हमारे समाज में देवालय, विद्यालय और चिकित्सालय को एक श्रेणी में माना जाता है। जहां देवालय में मन्दिर में देवता भगवान के रूप में विराजते हैं वहीं विद्यालय में भी हमारा मानना है समाज का कि अध्यापक के रूप में भी भगवान बैठते हैं। वहीं हमारे समाज की यह मान्यता है कि चिकित्सालय में चिकित्सक के रूप में भगवान बैठते हैं।

[समय 8.00 बजकर 20 मिनट]

लेकिन मान्यवर, हम जब इन जगहों के सामने से निकलते हैं तो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से सिर भी झुक जाता है। लेकिन मान्यवर, विगत कुछ वर्षों से अस्पतालों में गन्दगी, डाक्टर्स की अनुपलब्धता और सरकार की संवेदनहीनता के कारण जो सरकारी अस्पतालों की स्थितियां खराब हुयी उससे मान्यवर, हमारे समाज की मान्यता बदली। मान्यवर, लेकिन मुझे खुशी है कि विगत 8-9 महीने से जब से इस प्रदेश की बागडोर बहन कु0 मायावती जी के हाथों में आई है, स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पहले अस्पतालों में जहां डाक्टर नहीं होते थे, पहले अस्पतालों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में इतनी गन्दगी रहती थी कि आम आदमी अस्पतालों में जाना पसन्द नहीं करता था, वहीं मान्यवर, वर्तमान सरकार ने अस्पतालों में विशेष सफाई अभियान कराकर आकस्मिक निरीक्षण करके आज अस्पतालों की स्थिति को अच्छा बनाने का काम किया है। मान्यवर मैं बधाई देना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी को।

मान्यवर, मैं जनपद सुल्तानपुर से आता हूं, मैंने यह देखा कि जिस तरह माननीय मंत्री जी ने अभी तक अस्पतालों में औचक निरीक्षण करके वहां की सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण करने का काम किया उससे निश्चित रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुये अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं के डाक्टर उससे गम्भीर हुये और उन्होंने मरीजों को अच्छे से देखने का काम किया है। जो पिछले समय से अव्यवस्था चली आ रही थी, उसकी जगह आज डाक्टर संवेदनशील हुये हैं और उनकी संवेदनशीलता इस कदर है कि एक दिन मैं जनपद सुल्तानपुर जा रहा था मुझे लाल बत्ती गाड़ी आगे निकलकर रुक गयी, मैंने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी जा रहे हैं। मैंने कहा कि कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके जनपद के आगे जा रहा हूं। जब मेरे जनपद पहुंचे तो मैंने फिर पूछा कि मान्यवर, जा आप कहां रहे हो तो उन्होंने बताया कि जनपद जौनपुर जा रहा हूं। और आकस्मिक निरीक्षण करने जा रहा हूं। मैं इसलिये नहीं बता रहा था कि किसी को मालूम न पड़ने पावे। ताकि मैं अपनी आंखें से देखने का प्रयास करूं कि आखिर इस प्रदेश की जनता के लिये जो स्वास्थ्य विभाग का दायित्व हमने लिया है वह विभाग कितनी मजबूती के साथ कितने तन्मयता के साथ गरीबों की सेवा करने का काम कर रहा है। आज उसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष जहां ओ0 पी0 डी0 में 1 करोड़ 40 लाख मरीज सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आये थे, वहीं इस वर्ष सरकारी अस्पतालों ने 1 करोड़ 90 लाख मरीजों का इलाज करने का काम किया है। जहां भर्ती करके इलाज करने का सवाल है पिछले वर्ष 6 लाख रोगियों की उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सेवा की थी। आज खुशी है कि इस सरकार के रहते लोगों में विश्वास पैदा हुआ और आज इस वर्ष यह संख्या 10 लाख रोगियों तक पहुंच गयी, जिन्होंने भर्ती होकर अपना इलाज कराने का काम किया। मान्यवर, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आम जनता सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद कर रही है आज आप जानते हैं कि हमारी जो भी स्थितियां हैं, आज उस व्यवस्था को हमने अच्छा बनाने का काम किया है। लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करने का काम किया है और इस विश्वास का परिणाम है कि आज रोगियों की संख्या निरन्तर सरकारी असपतालों में बढ़ रही है। मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण अंचल में खोल दिये गये लेकिन उसमें कोई भवन नहीं था। पता चला कि किराये के स्थलों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे, छोटा सा मकान है, उसमें स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, मरीजों को भी कष्ट होता है, डाक्टर भी समय से नहीं बैठते थे, उनकी स्थिति इस कदर खराब थी। मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को और इस सरकार को जिसने 738 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सरकारी भवन बनाने का निर्णय लिया और जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं,

शतप्रतिशत उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 2009 में सरकारी भवन उपलब्ध करा दिया जायेगा। यह मान्यवर, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से भवन बन जाने से ऐसे ग्रामीण अंचल में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर भी उपलब्ध रहेंगे और मरीजों को भी सुविधायें मिलेंगी। हमारी सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य की भी चिन्ता की हैं जहां जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जो संस्थागत प्रसव होता है, उनको 14 सौ रुपये दिये जाते हैं। मान्यवर, यह योजना केन्द्र सरकार की है लेकिन अभी तक इस धनराशि का भुगतान नगद रूप में होता था जिसके कारण बिचौलिये भी इसमें से धन खा लेते थे। लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने इसमें परदर्शिता लाने के लिये निर्णय लिया है कि अब जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महिलाओं को चेक से भुगतान किया जाय। यह हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीया बहन मायावती जी के अथक प्रयास से व्यस्थित होने का काम हुआ है।

मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां पर एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का काम किया है वहीं दूसरी ओर शुद्ध खाद्य पदार्थ और शुद्ध औषधि की भी खरीद के लिये नीति बनाने का काम किया है। प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार के बनते ही प्रदेश के नकली दवाओं के निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ कडी से कड़ी कार्यवाई करने का काम किया गया है मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने नकली दवाओं का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने नकली दवाओं और नकली विक्रेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह सचमुच में अभूतपूर्व कार्रवाई है। इस कार्रवाई में तमाम लोगों के यहां छापे डाले गये और जिनको पकड़ा गया उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने का भी काम किया गया और 70 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार ऐसी कड़ी कार्रवाई करके नकली दवाओं के निर्माताओं और विक्रेताओं की कमर तोड़ने का काम किया है तथा साथ ही गुणवत्तापरक औषधियों को जनता तक पहुंचाने का भी काम किया है। मैं माननीया मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बधाई दूंगा, जिनके नेतृत्व में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। मान्यवर, आप सभी लोग जानते हैं और अक्सर अखबारों में निकलता रहता था कि, नकली खोया बनाते हुये पकड़ा गया, नकली देशी घी बनाते हुए पकड़ा गया, नकली दूध बनाते हुए पकड़ा गया, तो मान्यवर, हमारी सरकार ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करके सराहनीय काम किया है। डा0 पी0 के0 राय साहब जो स्वयं एक डाक्टर हैं मैं समझता था कि जब वह खड़े होंगे तो तारीफ करेंगे कि माननीया मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश की 17 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के कल्याण की जिम्मेदारी एक होनहार मंत्री को दी है। माननीया मुख्य मंत्री आरदणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देशन में स्वास्थ्य मंत्री मा0 अनन्त कुमार मिश्र पूरी तन्मयता के साथ ऐसे लोगों की कमर को तोड़ने का काम

कर रहे है। मैं बधाई दूंगा माननीया मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधायें उपलब्ध कराने का काम किया है।

इस स्वास्थ्य विभाग के बजट के माध्यम से मान्यवर, आज 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इस बजट में व्यवस्था की गयी है, जो नये बनाये जायेंगे, मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक और ऐतिहासिक कदम स्वास्थ्य विभाग ने उठाया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में यह पहली बार सरकार ने घोषणा की है कि विकास खण्ड के मुख्यालय पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। डाक्टर साहब आप तो कम से कम डाक्टर हैं इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास खण्ड बने हुये हैं वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिये जायेंगे तो लोगों को सस्ता, अच्छा, तुरन्त इलाज उपलब्ध होगा। इसलिए मैं तो कहूंगा आप डाक्टर हैं पी0के0 राय साहब, आपको तो कहना चाहिए कि मैं कटौती नहीं रखूंगा, जितना आपने इस प्रदेश के गरीबों के लिए रखा है इस बजट को दोगुना करने का काम करिये लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रदेश के 17 करोड़ लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं, डा0 साहब आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देने खड़े होंगे तो अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और जो सम्पूर्ण बजट को 1 रुपया किये जाने का प्रस्ताव रखा है, उसमें यह कहेंगे कि इसको दोगुना कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघुनाथ प्रसाद संखवार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा विभाग के बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश की बागडोर जब बहन कु0 मायावती जी ने संभाली थी तो स्वास्थ्य विभाग की दशा अत्यन्त जर्जर थी, प्रदेश की जर्जर व्यवस्था को सुधारने के लिए बहन कु0 मायावती जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश को एक युवा और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री दिया है जो अपनी पूरी टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग को सुधारने में दिन-रात लगे हुए हैं। मान्यवर, पहले पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 तक चिकित्सकों की भारी कमी थी। पिछली सरकार ने संविदा पर कुछ चिकित्सक जरूर नियुक्त किये थे लेकिन वह महज खानापूरी और कागजी ही रह गयी। लेकिन हमारी सरकार जब से आयी तो उसने विशेष प्रयास करके लोक सेवा आयोग के माध्यम से 522 नये चिकित्सक नियुक्त किये हैं जिनमें सामान्य चिकित्सक भी हैं और विशेषज्ञता के भी चिकित्सक हैं। पिछली सरकारों में हर स्तर पर पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं थे और नर्सों का भी भारी अभाव था। वर्तमान सरकार के प्रयासों से 765 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति हुई है और 211 लैब टेक्नीशियन भी नियुक्त किये जा चुके हैं। अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से प्रयत्नशील है और उसकी भी आने वाले दिनों में शीघ्र ही भर्ती कर ली जायेगी। मान्यवर, अस्पतालों में डाक्टरों की उपलब्धता

सुनिश्चित करने के लिए बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में नौजवान स्वास्थ्य मंत्री जी ने अस्पतालों का स्वयं काफी निरीक्षण किया है और इतना ही नहीं मुख्यालय से उच्चाधिकारियो को भेजकर आकस्मिक छापा मरवा कर इस दिशा में काफी व्यापक सुधार करवाया है। वर्तमान समय में यह व्यवस्था की गयी है कि मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी हर स्तर के सरकारी अस्पतालों की दिन और रात में आकस्मिक निरीक्षण करायेंगे, और डाक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायेंगे, ड्यूटी से अनुपस्थित डाक्टरों के विरुद्ध निलम्बन तक की कार्यवाही की गयी है। लापरवाही और अनियमितता बरतने पर हमारी सरकार किसी को माफ नहीं करती है, बहन कु0 मायावती जी की सरकार किसी को माफ नहीं करती है यह बात जग जाहिर है। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति शिथिलता को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, लापरवाही और शिथिलता बरतने वाले 44 चिकित्सक निलम्बित किये जा चुके हैं और इसके अलावा हमारी सरकार ने 155 विभिन्न श्रेणी के डाक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की है। पिछली व्यवस्था जो बहुत जर्जर थी हमारी 9 महीने की सरकार अपने तमाम प्रयासों से बहन जी के कुशल निर्देशन में एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और हम निश्चित ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए बजट प्रस्तावों पर बल देता हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

अध्यक्ष जी, अब बहुत समय हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें काफी बातें आ गई हैं। विशेष कर राय साहब ने और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ने काफी विस्तार से चर्चा कर ली है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी ओर से 10 लोगों के नाम और हैं।

श्री लालजी वर्मा-

हम अपनी तरफ के सदस्यों को मना लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डे जी एक-दो मिनट में जो व्यक्तिगत सुझाव हों वह दे दीजिए।

* श्री सनातन पाण्डे-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने डा0 राय साहब के स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से विद्वान और संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी माह दिसम्बर में जनपद बलिया का उप चुनाव हुआ है और सत्ता पक्ष के आधे से अधिक लोग बलिया का दौरा किये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काश माननीय हमारी मंत्री जी बलिया के अस्पताल की दशा देखे होते तो निश्चित रूप से उधर भी ध्यान देने का काम किये होते। कहीं न कहीं आपकी कार्यवाही का अंश जरूर बन गया होता। इस परिसर के आस-पास जितने भी बाहर के शौचालय हैं उससे भी बदतर हालत बलिया अस्पताल की है। आप अपनी संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं पूरे जनपद में जिला महिला चिकित्सालय में बच्चों के प्रसव के लिए कोई भी सर्जन महिला डाक्टर नहीं है। यह आपकी व्यवस्था है। आप दिखवा लें। इससे तमाम गरीब परिवार की महिलाओं की प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाती है या नीम हकीम के पास जाने से बच्चों की मौत हो जाती है। सरकार संवेदनशील नहीं है गांव में रहने वाले लोगों को पागल कुत्ते, सियार काट लेते हैं उनको एण्टी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ता है यह एक बार नहीं तीर बार कभी-कभी पांच बार जाना पड़ता है जिससे मजबूर होकर कभी-कभी आदमी जाना छोड़ देता है और कुत्तों की तरह भौंक-भौंक कर मर जाता है। एण्टी रैबीज इंजेक्शन को सी0एच0सी0 स्तर पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। बलिया में सी0एच0सी0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो आपने मंजूर किया है, आज तक प्रारम्भ नहीं हो सका है जबकि आज 2007-2008 का बजट समाप्त होने जा रहा है।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाण्डे जी हो गया, माननीय सदस्य आप लोगों की कोई व्यक्तिगत समस्या है तो लिखकर मंत्री जी को दे दें।

श्री सनातन पाण्डे-

माननीय अध्यक्ष जी, 2007-08 का बजट समाप्त होने जा रहा है और आपके सी0एच0सी0 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का काम नहीं लगा आज तक। एक ही बात की चर्चा है माननीय मंत्री जी, मैं विपक्ष का सदस्य हूं इसलिये बताना चाहता हूं कि लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है निर्माण का कार्य नहीं करता है। यह निर्माण का कार्य कोई और एजेन्सी है वह आपके अधिकारियों के पीछे चक्कर काट रही है और जो अधिक मोल भाव अधिक लेन-देन की बात करेगी वही एजेन्सी को काम करने को मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायं पाण्डे जी।

श्री सनातन पाण्डे-

मान्यवर, एक मिनट का मौका दे दें। आपने कहा है डाक्टरों के विषय में मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं। आप चिन्हित कर लीजियेगा। मऊ में डाक्टर अवधेश पाण्डेय।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायं माननीय सदस्य। साढ़े आठ हो गया। किसी माननीय सदस्य का कोई व्यक्तिगत या क्षेत्र का है तो लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें। चाहे इधर के हों या उधर के हों। मैं कह रहा हूं काफी समय हो गया है।

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, पी0 के0 राय जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देता हूं। एक घटना बताना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहली तारीख को मान्यवर, आज तीसरा दिन है मान्यवर। यह लक्ष्मी उर्फ लच्छो देवी पत्नी रामदास निवासी मडौली कलां, थाना पैलानी जिला बांदा मान्यवर, यह औरत बीमार होती है और वह पी0एच0सी0 जाती है वहां डाक्टर नहीं मिलते हैं फिर मान्यवर वह सी0एच0सी0 जाती है वहां पर डाक्टर नहीं हैं, दवा नहीं है, महिला डाक्टर नहीं है तो मान्यवर, जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है और मान्यवर, पहली तारीख को मृत्यु हो जाती है और मान्यवर पहली तारीख से लाश आज तक रखी हुई है और उनसे कह दिया जाता है कि पहले सी0एच0सी0 ले जाइये। सी0एच0सी0 वाले कहते हैं कि गांव ले जाइये वहां गांव में पंचनामा होगा। मान्यवर, गांव से आज फिर से पहली तारीख से लाश रखी है आज जिला चिकित्सालय में लाश रखी है मान्यवर और अभी तक उसका न पोस्टमार्टम हो रहा है मान्यवर, क्योंकि दवा का अभाव है, डाक्टरों का अभाव है। वह औरत मर गई उसका कोई इलाज नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

मरने के बाद कौन दवा चाहिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, एफ0आई0आर0 नहीं हो रही। मान्यवर, इतनी गम्भीर घटना है जहां स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश हो रहा है। मान्यवर, हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। एक महिला स्वास्थ्य के अभाव में, दवा के अभाव में, डाक्टर के अभाव में मर गई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस तरह की घटना जो माननीय सदस्य बता रहे हैं। इसको दिखवा लीजियेगा। चलिये।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, अब हम जवाब दे दें मान्यवर।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया क्या ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात आ जाने के बाद सब अपने आप बैठ जायेंगे। मेरी बात आ जायेगी तो सबका समाधान हो जायेगा। अगर बात आये पर समाधान हो जायेगा जो वो बात उठाना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, पीछे देख लीजिये, इधर देखिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सबका समाधान हो जायेगा। आप मुझे इजाजत तो दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जोखू यादव जी, पटेल जी, मदन चौहान जी, अगर कोई समस्या हो तो लिखकर दे दें हमने कहा व्यक्तिगत तक, इतना हमने कहा है। राम बिशुन जी, लिखकर दे दीजियेगा। पौने नौ हो गया। (शोर) नहीं लिखकर दे दीजिये। देखिये पांच लोग इधर हैं। राम किशुन जी, जब राम बिशुन जी खड़े हो जायं तो कोई औचित्य नहीं बनता राम किशुन के हाथ उठाने का। इतना समय बर्बाद हो रहा है सदन का।

(डा0 अजय तोमर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अजय तोमर जी, पहले इधर देख रहे हैं। इधर इतने साथी खड़े हैं। डा0 राजेन्द्र सिंह, आप क्या कहेंगे। अब लीजिये, जैन साहब खड़े हो गये, अभी तक बैठे थे।

श्री लालजी वर्मा-

अरे जैन साहब, वही रटा रटाया, वही बात बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा वही बात आप लोग दोहरा-दोहरा के बोल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

सारे लोग जो बात कहेंगे एक ही बात आएगी कि डाक्टरों की कमी है और इस बात को मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य क्या बात आएगी। इन सात महीनों में जो पहले से अगर कमी आई हो तब तो ठीक है लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 पी0 के0 राय जी ने विस्तृत रूप से कटौती के रूप में जिस तरह से प्रस्ताव रखा है उसमें अन्य कौन सी नई बात जुड़ने जा रही है। राम विशुन आजाद जी आप बैठें। आप लोग लिखित दे दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे थे)

आप लोग बैठ जाएं, जोखू जी बैठ जाएं, राम विशुन जी आप भी बैठें। बस एक माननीय सदस्य को बुला रहा हूं पटेल जी आप बोलें।

* श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र लखीमपुर खीरी से लगभग 80 किलोमीटर की दूर नेपाल की सीमा से जुड़ा है। दूसरी बात चार सौ किलोमीटर के दायरे में दुधवा नेशनल पार्क है। पलिया तहसील, निघासन तहसील और धौरहरा तहसील इसमें कोई भी महिला चिकित्सक तीन चार साल से नहीं पहुंच रही है। उस क्षेत्र के लोगों को पलिया आने में भी कठिनाई होती है क्योंकि पलिया में कोई महिला डाक्टर नहीं है। निघासन जाते हैं तो वहां भी कोई महिला डाक्टर नहीं है। तमाम केसेज तो ऐसे हैं कि गाड़ियों में महिलाओं को लेकर जाते हैं और प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। कई महिलाएं तो एक्सपायर हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, इसी तरह से तिकुनिया है वहां पर प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में एक डाक्टर है। राजेश वह नैपाल बार्डर पर है वहां से अगर मरीज लाने लगें तो करीब 90 किलोमीटर जिला मुख्यालय पड़ता है। वह शाम को पांच बजे से ही दारू पी लेता है और झोला छाप डाक्टरों से दो-दो हजार, तीन-तीन हजार रुपया लेकर प्रेक्टिस करा रहा है। वैसे भी मेरा क्षेत्र ऐसा है सूर्यास्त, तो नेपाल मस्त, नेपाल का बार्डर होने से वहां की स्थिति इस तरह की है इस डाक्टर पर जो मैनें बताया इस पर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं किसी का व्यक्तिगत क्षेत्र का मामला है तो वह लिखित में दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

लिखित दे दें। परीक्षण करा लेंगे जो सार्थक उपाय होगा वह कर दिया जाएगा।

श्री मदन चौहान-

मेरी सूचना का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

व्यक्तिगत लिखकर भेज दें।

(शोर)

मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी जो हमारे विधायकगण व्यक्तिगत अपनी शिकायत लिखकर दें उनको ले लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए मैं उन सबका स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मा0 राय साहब ने विस्तार से अपना कटौती प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने जो प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता है, उस पर चिन्ता व्यक्त करने का काम किया। हम भी मान्यवर, सहमत हैं, उनकी बात से। आजादी के 60 वर्षों के बावजूद भी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अभी तक पूरी तरह से उस ढंग से कार्य नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जो डाटा दिया जो आंकड़े दिये उसे झुठलाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सत्य है कि आज जो हमारी आवश्यकता है, जिस तरह से हम, चाहे मृत्यु दर हो, पर रोक लगाने के लिए जो प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए उस सम्बन्ध में भी अपेक्षित सफलता इन 60 वर्षों में प्राप्त नहीं हुई है और इस बात को वर्तमान सरकार ने गम्भीरता से लेने का काम किया है। सरकार संवेदनशील है और उसको गम्भीरता से लेते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने स्वतः ही तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करने का काम किया, औचक निरीक्षण करने का भी काम किया और जहां पर चिकित्सक की लापरवाही या व्यवस्था में लापरवाही पाई गयी, उसके लिए कारगर उपाय करने का कार्य किया गया और जो लोग जिम्मेदार थे, उनको दण्ड देने का भी काम किया गया। जहां तक सवाल है चिकित्सकों की कमी का, यह सत्य है और इसको पूरा सदन भी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा कि हमें जितने चिकित्सकों की जरूरत है उस अपेक्षा के अनुसार चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। नियुक्ति का अधिकार लोक सेवा आयोग का है। लोक सेवा आयोग को हम अधियाचन भेजते हैं। अधियाचन भेजने के बाद सलेक्शन भी होता है और सलेक्शन के बाद जब पत्र जारी किया जाता है तो उसमें से भी सारे लोग उपलब्ध नहीं होते। उसमें से भी काफी चिकित्सक ज्वाइन नहीं करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का विकल्प चाहे वह स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में हमारे राजकीय चिकित्सालयों में, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स पर हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो इसकी कमी पायी गयी है।

इसी के साथ हमारे जो मेडिकल कालेज हैं, वहां पर भी हम चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजते हैं, सलेक्शन भी होता है और सलेक्शन होने के बाद जब नियुक्ति की जाती है तो उसमें काफी संख्या में लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। मान्यवर, हमारी सरकार बनने के बाद 2003 में भी हमने पर्याप्त संख्या में अधियाचन भेजने का काम किया था। उसमें कुछ लोगों का सलेक्शन भी हुआ था लेकिन मा0 उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का काम किया जिसके कारण हम उनको नियुक्त नहीं कर पाये। मान्यवर, इसी तरह से वर्तमान सरकार बनने के तत्काल बाद चिकित्सक शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साढ़े अट्ठारह हजार रुपये पर संविदा पर रखने के त्वरित व्यवस्था की गयी, उसमें भी व्यवधान हुआ। कुछ लोग कोर्ट में गये और मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम उनको भी पूरी तरह से नहीं कर पाये। मान्यवर, हमारे साथी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने एक सुझाव दिया है, हम उसका भी परीक्षण करेंगे, यदि नियम कानून से बाधा नहीं उत्पन्न होगी तो उस पर विचार किया जायेगा। जहां तक सरकार की स्थिति है, मान्यवर, हम प्रयास कर सकते हैं कि हम उसमें सुधार लाने का काम करें और इसलिए हमने प्रयास किया कि जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाये। औषधि की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार के स्तर पर बजटीय व्यवस्था थी उसमें इजाफा करने का काम किया गया।

जहां वर्ष 2006-07 में कुल 2182 करोड़ रुपये 32 और 36 और 83 मिलाकर अनुदान में था वहीं मान्यवर, 2008-09 में हमने उसको बढ़ाकर 2488 करोड़, 32 लाख 66 हजार करने का काम किया। इस तरह से हमने लगभग 300 करोड़ रुपये इजाफा करने का काम स्वास्थ्य विभाग में किया इसी तरह से मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने उसमें भी प्रयास किया। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण में 2006-07 में 31 और अनुदान 83 में भी हम उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। दोनों को मिलाकर 1440.12 करोड़ रुपया था उसको 2008-09 में बढ़ाकर 1671.13 करोड़ किया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा में 2006-07 में 203 करोड़ रुपये था उसको बढ़ाकर 255 करोड़ 84 लाख रुपये करने का काम किया। इसी तरह होम्योपैथी चिकित्सा में 113 करोड़ 52 लाख रुपये था उसको भी हमने बढ़ाकर 136 करोड़ 27 लाख करने का काम किया। इस तरह से हमने यह प्रयास किया है कि हमें इसमें आशातीत सफलता मिले। अभी हमारे डा0 साहब राधामोहन दास अग्रवाल जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो अन्य मेडिकल कालेज हैं उनकी उपेक्षा होती है। मान्यवर, ऐसा नहीं है हमने उस दिशा में भी प्रयास किया है। औषधि एवं रसायन मद में हम अनुदान संख्या-31 में जो चिकित्सा प्रशिक्षण के तहत है वर्ष 2006-07 में 341 लाख रुपये व्यवस्था थी हमने उसको बढ़ाकर 1325 लाख रुपये करने का काम किया है। उससे हमने पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, यह बात सर्वविदित है कि चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने का जो सही उपाय है हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेजों की संख्या सीमित रही है। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी केवल 6 मेडिकल कालेज और एक जो मेडिकल कालेज पहले था जिसको हमने चिकित्सा विश्वविद्यालय का शक्ल दिया इस तरह से कुल 7 मेडिकल कालेज स्थापित थे। उन्हीं के माध्यम से इतनी बड़ी आबादी के लिए चिकित्सकों के प्रशिक्षण का काम होता था। मान्यवर एक और बढ़ा सैफई में। अब हमने नये सिरे से हमने राजकीय स्तर पर 6 मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया और हमारा यह प्रयास है कि जहां तक निजी क्षेत्र का सवाल उठाया गया तो निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त संख्या में मेडिकल कालेज नहीं हैं। 60 सालों में उसके लिए निजी लोग भी अभी आने का काम नहीं कर रहे हैं। हमें उसको प्रोत्साहन देने का काम करना होगा। 60 सालों में केवल आज की तारीख में 6 मेडिकल कालेज ही स्थापित हो सके हैं और जो हमारी जरूरत है उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसके अनुसार 39 मेडिकल कालेज होने चाहिए। उस दिशा में हमारा प्रयास है।

राजकीय स्तर पर भी हमारा प्रयास हो रहा है और साथ ही साथ निजी क्षेत्र को भी हम जो उनको दिक्कतें एन0ओ0सी0 के स्तर पर उठानी पड़ती है बाकी तो एम0सी0आई0 उनको मान्यता देता है। प्रदेश सरकार के स्तर पर बहुत ज्यादा नहीं है। केवल एन0ओ0सी0 देने का काम करते हैं और एन0ओ0सी0 देने की शर्त केवल 2 ही है एक 25 एकड़ की जमीन और साथ ही साथ एक 300 बेड का अस्पताल जो संचालित हो। इस आधार पर एन0ओ0सी0 देने का कार्य होता है इस दिशा में प्रयास चल रहा है। प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थापना करें जिससे अच्छे

चिकित्सक निकल कर आयें तो इससे निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करेंगे। जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का काम करेंगे। दो-तीन बिन्दु पर और कहना चाहूंगा। डा0 साहब ने जिक्र किया, अग्रवाल जी ने कहा था कि अनियमितता हुई है। मैं खुले मन के साथ कहना चाहता हूं कि चिकित्सकों की कमी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया था कि 31 मार्च तक जो लोग रिटायर हो रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या जानकारी प्राप्त करके और बिना किसी भेदभाव के सेवा विस्तार कराने का काम किया जायेगा। डा0 राधेश्याम शर्मा का सवाल आया था कि इनको सेवा विस्तार दे दिया गया था, तो यह छुट्टी पर थे। छुट्टी से आने के बाद इन्होंने ज्वाइन करने का काम किया है। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहूंगा कि मा0 राय साहब की सरकार थी, एक प्रिंसिपल को 6 महीने रिटायर हुए हो गया था और छः-सात महीने के बाद पुनः नियुक्ति देकर प्रिंसिपल बनाने का काम इन्होंने किया था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी अनियमितता नहीं हुई है।

इसी तरह से डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने वेन्टीलेटर के बारे में सवाल किया था तो गोरखपुर चिकित्सालय में, जिसमें विभागाध्यक्ष मेम्बर होता है जो राय दी उसके आधार पर वेन्टीलेटर की खरीद की गयी। उसे आक्सीजन की पाइप लाइन न होने के कारण लगाया नहीं जा सका। इसी मार्च में लगाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात आयी तो अगर वह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो लैब टेक्नीशियन बनाया जाय यह शासनादेश में उल्लेख है, उसके तहत करने का काम किया है। राजकीय निर्माण की बात आयी। यह सभी लोग सहमत होंगे और मैं समझता हूं कि इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होगी कि आज इस प्रदेश में जितनी निर्माण एजेन्सियां हैं उसमें सबसे विश्वसनीय एजेन्सी राजकीय निर्माण एजेन्सी है। इसकी विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और राजकीय निर्माण निगम के सभी कार्यों को चयनित करने का काम किया गया है, इसमें कदाचित गलत नहीं होगा। जहां तक पूर्व में की गयी शिकायतों का सवाल है, मेरे सामने संज्ञान में यह आया था और मैंने कमिश्नर को इसकी जांच सौंपी थी। उनकी रिपोर्ट नहीं आयी है। जब रिपोर्ट आयेगी और इसमें जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। किसी भी व्यक्ति को बचाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी। क्लर्क की पोस्टिंग का जहां तक सवाल है, क्लर्क की नियुक्ति में विज्ञापित कराकर नियुक्त करने का काम किया जाता है। यह ग्रेड 3050/-रुपये से शुरू होता है उसके ऊपर कहां से नियुक्ति की जा सकती है। यह हो सकता है कि किसी को संविदा में रखा गया हो और संविदा में एक मुश्त पैसा दिया जाता है तो चार हजार पांच हजार दिया हो। जब नियमित नियुक्ति होगी तो विज्ञापन के आधार पर वह एप्लाई करेगा और नियुक्ति होने पर नियुक्ति हो सकती है और वही ग्रेड दिया जायेगा जो निर्धारित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। मैं पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जांच करा कर, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, चाहे कितना

ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी दोषी होगा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उसमें कोई भी किसी तरह की बचाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि जो हमारे सभी सम्मानित डाक्टरगण हैं जो स्वतः डाक्टर हैं हम लोग तो मेडिकोविट नहीं हैं, न हम हैं न माननीय मंत्री जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं। आप लोगों के अनुभव का भी हम लाभ लेना चाहेंगे। आपके जो सार्थक सुझाव हैं निश्चित रूप से हमने उनको संज्ञान में लिया है और उसके आधार पर जो भी सम्भव हो सकता है प्रदेश के आम व्यक्तियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का काम किया जायेगा। बी0पी0एल0 के बारे में एक सवाल आया था, मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। मान्यवर, प्रदेश में पहले जो नियमावली थी उसके अनुसार था कि राजकीय चिकित्सालयों में बी0पी0एल0 का जिक्र था कि जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक होगा उसको निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी, अन्त्योदय कार्ड धारक उससे गिरी हालत में रहता था, उसको वह सुविधा नहीं मिलती थी। सरकार ने कैबिनेट में ले जाकर यह संशोधन करने का काम किया कि अन्त्योदय या बी0पी0एल0 दोनों में जो भी व्यक्ति होगा उसको निःशुल्क सुविधा प्रदान करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, हमारा यह प्रयास है माननीय मंत्री जी स्वयं ऊर्जावान व्यक्ति हैं स्वयं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है वही ज्यादा अच्छा कार्य भी कर सकता है।

(विपक्ष की तरफ से आवाज आई कि आपका स्वास्थ्य क्या खराब है)

मैं उनके मुकाबले तो कमजोर ही हूं। मान्यवर, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वही उसमें अच्छा सुधार का काम कर सकता है और इस दिशा में वह प्रयासरत हैं। हर अस्पतालों में जाकर स्वयं निरीक्षण करने का काम करते हैं। देखने का काम कर रहे हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, हम लोगों को तो बोलने नहीं दिया गया, लेकिन माननीय मंत्री जी अपनी सारी बातें कहे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय राय साहब से और माननीय अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें। जिससे गरीबों के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा बजट जाता और उनके स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया जाये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी आपने जो बजट अभी बताया तो पिछली बार के मुकाबले में बढ़ोत्तरी बताई, आप वित्त मंत्री भी हैं प्लान का होगा, नान प्लान का होगा और अगर प्लान का है तो उसमें

डाक्टरों की नियुक्ति का भी बजट होगा और जब आप इतनी बड़ी संख्या में उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं तो यह बजट बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने उसमें औषधि मद में, उपकरण मद में, हर मद में जिसमें जैसी आवश्यकता है, उस अनुसार बढ़ाने का काम किया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

वित्त मंत्री जी यह तो बजट की कुटिलता है। अन्त में आप जाकर यह कह देंगे कि हमारा इतना घाटे का बजट था मेरा इतना फायदा हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि नियुक्तियां होंगी नहीं, अरबों रुपये बच जायेंगे, आपका घाटा पूरा। यह तो बजटीय कुटिलता है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने अषधि मद में बताया, उपकरण मद में बताया, सबमें बढ़ा है। पूंजीगत व्यय बढ़ा है।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं एक बात जानना चाहता हूं जो स्पष्ट नहीं हुई, आपने कृपापूर्वक कोई बात कही उस पर स्पष्ट नहीं हुआ इसलिए पूछना चाहता हूं। मान्यवर, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं इसकी एक संख्या हमारे पास है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने लोगों को हम राशन कार्ड दे पाये हैं, इसकी हमारे पास संख्या है। बाध्यता यह है कि खाद्य मंत्री जी ने बताया था कि भारत सरकार तय करती है। बार-बार आप लिख रहे हैं लेकिन भारत सरकार ने उस संख्या को नहीं बढ़ाया। प्रश्न माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी ने यह रखा था कि जब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या हमारी है और उनको राशन कार्ड हम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि उसके लिए आपने क्या प्रबन्ध किये हैं ? मान्यवर, राशन कार्ड न होने की स्थिति में अगर उनको अलग से एलाऊ करेंगे और सबको परिचय पत्र नहीं देंगे तो एक आदमी अदालत में चला जायेगा और आपत्ति करेगा। इसलिए सबको एक सुविधा देने के लिए यूनिफार्मली एक कार्ड इश्यू करने पर विचार करेंगे ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो हम लोग डाक्टर तैयार करते हैं सरकारी खर्चे पर करते हैं। वह जब पढ़ लिखकर निकलते हैं तो अधिकांश प्राइवेट प्रेक्टिस में चले जाते हैं। तो जिस तरीके से आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालेज, पुणे में व्यवस्था है कि वह 20 साल के लिये बांड भरवा लेते हैं तो क्या इस पर विचार करेंगे कि हम दो तरह की व्यवस्था लागू करने पर विचार करें। एक तो यह कि जो पढ़कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी डाक्टर बनना चाहें उनके लिये निःशुल्क और जो प्राइवेट प्रेक्टिस करना चाहें उनके लिये सशुल्क व्यवस्था हो।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, डा0 पी0 के0 राय जी और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी और दूसरे सम्मानित विधायकों ने बहुत ही सार्थक सुझाव दिये हैं यह निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश के गरीबों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये दिये हैं। हम इसको स्वीकार करते हैं। इस विभाग के सामने कठिनाइयां हैं यह बहुत अच्छी तरह से आप दोनों महानुभाव समझ सकते हैं। आप पेशे से डाक्टर हैं। मान्यवर, मैं मेडिको नहीं हूं लेकिन अपमान नहीं समझता हूं इनसे कोई राय लेने में। मान्यवर, मैं इस पवित्र सदन में अगर बैठा हूं तो आदरणीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के कारण बैठा हूं। उनकी इच्छा शक्ति को अगर पूरा करने की इच्छा शक्ति मुझमें नहीं दिखाई देती है तो यह मेरी आलोचना कर सकते हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी सार्थक दिशा में इस विभाग को ले जाना चाहती हैं और यह वास्तव में बिना दर्द के, बिना दर्द के इच्छाशक्ति नहीं पैदा होती है। यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां हमारे नेतृत्व की नीयत ठीक है यह विभाग नये आयाम पायेगा 5 साल के भीतर। अभी माननीय सनातन पाण्डेय जी ने बलिया की बात कही। बलिया चिकित्सालय की व्यवस्था को मैं अगर देख लेता तो वह सुधर जाता। आपने कहा कि वहां पर महिला चिकित्सक नहीं है उनके प्रश्न के बाद मैंने जानकारी की थी। वहां पर डा0 योग माया त्रिवेदी महिला चिकित्साधिकारी हैं। उस महिला चिकित्सालय में दो महिला चिकित्सक हैं। मैं वहां पर गया था। वह पिछले तीन साल से बन्द था।

श्री सनातन पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने महिला सर्जन की बात कही थी।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, जहां तक जिला चिकित्सालय की सफाई की बात है, मैंने पहले भी कहा है जिसके मंत्रि-मण्डल का सदस्य हूं यदि पता चल जाता है किसी को कि हमारी आदरणीया बहन जी उस जिले में जायेंगी तो वहां सफाई शुरू हो जाती है बिना उनके कदम पड़े तो उनके नेतृत्व का अंश हूं। यह हो नहीं सकता कि वहां 9 दिन हम रहें और हमारे विभाग के लोग इतने संवेदनहीन हों जो अम्बिका जी ने कहा है बी0पी0एल0 कार्ड के लिए तो यह एक निर्देश जारी किये गये हैं कि सीएमओज और सीएमएस अगर बी0पी0एल0 कार्ड न भी हो तो यदि विवेक से अपने यह निर्धारित कर लें कि वास्तविक में पात्र है तो उसको मुफ्त इलाज सरकारी सुविधा चिकित्सा की दी जा सके।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप कर पायेंगे, आपकी व्यवस्था के लिए कहना चाहता हूं सुझाव है जो सीएमएस और सीएमओ पर यह दबाव डाला गया है हम लोगों को निजी अनुभव है कि उन लोगों पर जगह-जगह पर दूसरे किस्म का दबाव पड़ता है उनकी कठिनाइयां वहां पर बढ़ रही हैं। मैं एक बात यह कहना

चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों में आपके हिसाब से हम यह नहीं कहते कि बी0पी0एल0 के नीचे इसको दीजिए उसको छोड़ दीजिए जिसको बी0पी0एल0 में आप शामिल मानते हैं उन लोगों के लिए यूनिफार्म की एक व्यवस्था आप कर दीजिए। सीएमओ और सीएमएस के यहां जो डिसक्रीशन का जो मामला है, उस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और निर्णय ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए इस पर आप विचार कर लें, आज की बात नहीं है, आप आश्वासन भी न दें लेकिन आप इस पर विचार कर लेंगे तो आगे यह चीजें ठीक रहेंगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राय साहब, कटौती का प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं।

* डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, वह तो पास हो ही जाना है जरा माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा है तो एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है मैं बिना तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं कहता। मेडिकल कालेज, कानपुर के बारे में तैनाती के बारे में आपने कहा और उदाहरण के रूप में आपने दिखा दिया कि जब इधर के लोगों की सरकार थी तो उस समय 6 महीने के बाद किसी की तैनाती हुई थी। यह आदेश है मेरे पास मैं माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत आपके पास भिजवा दे रहा हूं। इसमें स्पष्ट तौर पर 25 जनवरी, 2006 को यह आदेश हुआ है और इससे इक्सटेंशन किसको दिया गया है जिन लोगों का रिटायरमेन्ट, तीन लोग इसमें हैं जिनका 31-12, 31-12, 31-12-2007 को ही रिटायरमेन्ट हो गया और जनवरी के महीने में उनका सेवा विस्तार हो गया। अगर नियमों के अन्तर्गत हो और अगर ऐसे ही होता हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर नियमों के विरुद्ध है कि 25 दिन के बाद यह पुनर्नियोजन नहीं है, पुनर्नियोजन होता तब भी एक बात समझ में आती यह सेवा विस्तार है और यह तो ऐसे शख्स हैं माननीय राधेश्याम शर्मा जी इनको दिखवा लीजिए आप कि यह फार्मेसी में तैनात हैं और इनके पास फार्मेसी की बेसिक क्वालीफिकेशन ही नहीं है न यह बीफार्मा हैं न यह एमफार्मा हैं। यह एम0एस0सी0 हैं और पी0एच0डी0 हैं। यह कागज मेरे पास है, मैं आपको भिजवा देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में फर्मासिस्टों के, टेक्नीशियन के, नर्सेज के और फोर्थ क्लास इम्प्लाई के जो मैंने कहा कि मानक के अनुसार नहीं है उनके भर्ती में कहीं लोक सेवा आयोग नहीं आता है बीच में। वह आपके स्तर से है वह आपके स्तर से भर्ती की जा सकती है उसके बारे में कुछ नहीं आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स को जैसा कि डा0 आर0एम0डी0 अग्रवाल ने कहा यह सदन नियम बनाये। स्वास्थ्य शिक्षा नियमावली में परिवर्तन कर दीजिए और उसमें चयन करने का काम करें। मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी है, नये मेडिकल कालेज खोले ठीक है, लेकिन जो मेडिकल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालेज में शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के बारे में कोई भी उत्तर आपके द्वारा नहीं दिया गया और माननीय निषाद जी ने जो कहा था कि एक महिला जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है।

[समय 9 बजकर 20 मिनट]

और उसकी न एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है, न पोस्टमार्टम हो रहा है, सम्भवतः किसी अधिकारी ने नोट किया होगा। जरा इसको दिखवा लीजिये। चूंकि बी0पी0एल0 कार्ड वाले में कोई बात नहीं हुयी है, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है और उसे सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 के विवेक पर छोड़ दिया गया है, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,25,66,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,17,99,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,99,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,12,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,12,65,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,14,83,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री विनोद सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,72,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना था कि चूंकि बजट भाषण है प्रस्तावना है, इसे मैं पूरे सदन के सामने रखूं या कटौती प्रस्ताव आने के बाद अपना उत्तर भाषण रखूं।

सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य-

हां पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(विपक्ष के मा0 सदस्यों की असहमति होने पर)

श्री विनोद सिंह-

उत्तर प्रदेश के पर्यटन सम्भनाओं से मा0 सदस्य भलीभांति परिचित हैं और मा0 सदस्यों ने पर्यटन उद्योग के प्रति अपनी गहरी दिलचस्पी व्यक्त की है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पहले से ही भारत के प्रमुख पर्यटक जनपदों में से एक है। देश में और प्रदेश में 11 करोड़ 61 हजार भारतीय सैलानी तथा 14 लाख 61 हजार विदेशी पर्यटक आये थे। यह अनुमानित है कि हर चौथा विदेशी पर्यटक जो भारत आता है वह उत्तर प्रदेश अवश्य आता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पहले से ही पर्यटन की अच्छी संभावनायें विद्यमान हैं। इसे और सुदृढ़ और विकसित करने की जरूरत है। पर्यटन की प्रदेश के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है यह भी कहा जाता है कि पर्यटन में प्रत्येक रुपये का निवेश सात रुपये की आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं इस उद्योग से प्रदेश के आर्थिक विकास में क्या हासिल किया जा सकता है। पर्यटन से न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलती है बल्कि बड़े पैमाने पर कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप अवगत हैं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के ताजमहल को विश्व के सात आश्चर्यों में सम्मिलित किया गया, जो हम सबके लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है। मैं इस सर्वेक्षण की वैधानिकता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखता हूं। लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें विधि से नहीं विश्वास से

प्रमाणित होती हैं। इस सर्वेक्षण ने पूरे विश्व में ताजमहल की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचा दिया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न की है। हमारे लिए यह एक मौका है जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस सर्वेक्षण से उत्पन्न उत्सुकता आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। अब से 2012 तक उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहला मील का पत्थर ताज का विश्व के सात चमत्कारों में आना, दूसरा वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें बड़ी संख्या में सैलानी भारत आयेंगे। यह उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं जब हम बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपने प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से 2012 में महाकुम्भ का आयोजन होगा, जिसमें सैकड़ों लोग इस पवित्र भूमि पर आयेंगे। हमें अधिक से अधिक फायदा उठाने का प्रयास करना होगा और उसके लिए अभी से नियोजित ढंग से दीर्घकालीन तैयारी करनी होगी। हम इस दृष्टि से प्रदेश की कतिपय सम्भावनाओं को विकसित करेंगे।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं रही है।

श्री विनोद सिंह-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह हर सदस्य का अधिकार है कि वह अपनी बात को पढ़ करके या सुना करके सदन के माध्यम से प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचायें। इसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में देखा था कि हमारे वरिष्ठ मंत्री ने भी इसी तरह से अपने बजट भाषण को पढ़ा है। बजट भाषण तैयार होता है, उसे पढ़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को आजाद हुये 60 वर्ष हो गये, आज तक सिर्फ दो बार पर्यटन नीति बनी हैं (प्रतिपक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा टोकाटोकी करने पर) विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि बड़े धैर्य से मैं आपकी बात सुनता हूं और अनुरोध है कि व्यवधान न उत्पन्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 60 वर्षों में सिर्फ पर्यटन नीति दो बार बनी है, एक बार 1994 में और दूसरी बार 1998 में। उत्तराखण्ड अलग हो गया, वही पर्यटन नीति जो 10 वर्ष पूर्व बनी थी, वही आज तक चल रही है। इसी विभाग में बहन कु0 मायावती जी के शासन में आने पर सदन में जब कुछ सदस्यों ने आशंका जाहिर की थी कि पर्यटन में धन का अभाव है तो उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि धन का अभाव नहीं होने दिया जायेगा। मान्यवर, पर्यटन नीति अब तक बन गयी होती, प्रक्रिया में है। चूंकि मैं चाहता था कि यह पर्यटन नीति आम सहमति के आधार पर बने इसलिये आज मैं सभी सम्मानित सदस्यों सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के मा0 सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि अपना सुझाव लिखित रूप से दें और बजट सत्र के बाद पर्यटन में जिसकी रुचि है उनको आमंत्रित करूंगा, सुझाव लूंगा और उनका समावेश करूंगा। एक आग्रह फिर कर दूं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने एक बात कह दी है घुमाने की तो एक आग्रह कर दूं। 11 मई, 2007 को इस प्रदेश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और हम इधर आ गये, आप उधर चले गये। अब आपके

लिये दो ही स्थान बचा है, एक सदन और दूसरा पर्यटन स्थल। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई और सम्पूर्ण सदन के माननीय सदस्य हंसने लगे) इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें विवाद न रखें और इस बजट को पासकर दें। जो निवेदन मैं बाद में करने वाला था उसको अभी कर रहा हूं (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयी) और बराबर बीच में करता रहूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। मै निवेदन कर रहा हूं कि वाद-विवाद न करें, इसमें आप अपने सुझाव हमें दें, सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव दें, उसका स्वागत होगा और पर्यटन नीति में उसका समावेश किया जायेगा। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, पर्यटन के लिये माननीय सदस्यों को ले जाने के लिये कोई तिथि तय कर दीजिये।

श्री विनोद सिंह-

आज हमारे वरिष्ठ मंत्री जी के यहां दावत है, जितने लोग यहां हैं, मैं समझता हूं कि उन सभी का समावेश हो जायेगा। तो आज ही मैं निमंत्रण दे रहा हूं लेकिन शर्त यह है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव रखें।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस पर एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूं।

ऐ अंदलीब मिलकर करें अहोजारियां।

तू पुकारे हाय गम मैं पुकारूं हाय दिल।

जब पर्यटन नीति बनाकर उसमें समावेश किया गया तो मुझे नहीं मालूम कि दिल के जोर से बात की गई। जो यह कहा जा रहा है कि जल्दी खत्म करें तो मान्यवर, मैं पूरी बात करूंगा। अभी ताज के बारे में मंत्री जी ने कहा हमारे लिये खुशी की बात है कि ताज उस सर्वे में आ गया वह जहां कभी नहीं था वह सात अजूबों में नहीं था। अब यह पहले अजूबे में आ गया है। यह प्रक्रिया उस समय शुरू हुई थी जब मैं मंत्री था और बाद में आपकी सरकार के समय में उसका इनाम मिला। ताज महल का जिक्र है कि दुनियां की सबसे खूबसूरत इमारत आपके प्रदेश में है। अफसोस की बात है कि जब वह एनाउंस हुआ था तो पर्यटन विभाग का कोई आदमी मय मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ईनाम लेने तक नहीं गये यह तो आपकी संवेदनहीनता हैं जो ताजमहल के बारे में है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ आगरा ही नहीं उत्तर प्रदेश में बनारस जो लेटेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ड दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित नगरी है। जो तब भी थी जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाये थे और सिद्धार्थ ने जो अपना पहला सम्बोधन दिया वह सारनाथ में बनारस के थ्रू आये थे। तीन-चार हजार वर्ष पुरानी नगरी है आपके पास। उसके घाट दुनियां के मानूमेंट में माने जाते हैं। उनका हिस्टोरिकल महत्व है। दुनियां में बुद्ध को मानने वाले बहुत से देश आज हो गये हैं जब से बुद्धिजम बाहर गया है हिन्दुस्तान से निकलकर चाहे वह लंका हो, चाहे वह बैंकाक हो, चाहे वह जापान हो, कोरिया हो वहां जो भी चीजें हैं वह सब आर्टीफिसियल है आदमी की बनाई हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सारी वह चीजें हैं जहां बुद्ध रहे सारनाथ जहां पहली बार आपने सम्बोधन दिया, गया, लुम्बिनी को छोड़कर गया बिहार में है और लुम्बिनी नेपाल में है बाकी सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बावजूद हम क्या कर पा रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। टूरिज्म एक सोच है आप चाहें तो दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दें मगर यह अकेली चीज है जिसमें यहां मेम्बरान बैठे हैं। जितने सदस्य यहां बैठे हैं वह अपनी-अपनी कान्स्टीटुयेंसी में, शहरों में पर्यटन का इस्तेमाल कर रहे हैं पर्यटन के लिये। दुनिया में बिजली आयेगी तो सबके लिये आयेगी, सड़क बनेगी तो सब जगह के लिये बनेगी मगर यह अकेली चीज है जो जहां आपका विभाग चाहे आपके यहां जो जो चीजें हैं उसके लिये है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो ताजमहल है। आपको मालूम है मंत्री जी, आपको मालूम है जो आप सब लोग यहां बैठे हैं कि 45 करोड़ रुपये अकेले एक साल में यह अकेला मान्यूमेंट है जो कमाता है। उसमें से 35 करोड़ दे दिया जाता है आगरा डेवलेपमेंट एथारिटी को। कभी किसी ने सोचा है कि इस पैसे से कितना आगरा में ताजमहल का फायदा होता है और वह किसी योजना में चला जाता है। छोटी बात नहीं है। आपको यह भी सोचना चाहिये था कि 35 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया था आगरा और बनारस के लिये। वह आया कि नहीं आया ? आया तो लगा कि नहीं लगा, इसके बारे में कोई बात माननीय मंत्री जी ने नहीं कही है और न बजट भाषण में उसकी कोई चर्चा ही है। आप आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा कैसे देंगे ? आपने जिक्र किया कि दो बार इन 60 सालों के अन्दर पर्यटन पालिसी बनी। हो सकता है, मगर वह तो 60 साल में एक ही बार बनी जो कि 2/3 साल पहले बनी थी कि जो टूरिज्म पालिसी है उत्तर प्रदेश की वह तो कभी बनी ही नहीं। वह तो हमने बनवाई थी 60 साल में एक ही बार बनी थी जिसका बकायदा डिमारकेट किया था कि आप 2010 जिसका जिक्र आपने किया है कि 2010 में कामनवेल्थ बनायें यहां जब कामनवेल्थ यहां हिन्दुस्तान में आयेगी तो आपको जरूरत है उस वक्त उत्तर प्रदेश का शेयर बनता है 10 हजार रहने के कमरों की व्यवस्था करना। 10 हजार कमरे आपको देने हैं रहने के लिये। उसके लिये टूरिज्म पालिसी के तहत एक होटल पालिसी बनी जो आज भी मौजूद है और डिमारकेशन किया गया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कैबिनेट के थ्रू हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दी और पास हो गई । बकायदा दो तीन बार बनी वह और केबिनेट के थ्रू पास होकर आई।

आज आपके पास क्या स्थिति है ? 2010 तो आने वाला है। आपने कितने होटल डिमारकेट किये ? कितने थ्री स्टार, कितने फोर स्टार, कितने फाइव स्टार। कितने मोटल्स किये। क्योंकि अब आपको जरूरत है।

दिल्ली के अन्दर अगर कामनवेल्थ होना है तो यू0 पी0 का बहुत बड़ा योगदान उसके अन्दर रहना है। नोएडा करीब है, गाजियाबाद करीब है, ग्रेटर नोएडा करीब है। वैसे तो यह पूरी पालिसी पूरे प्रदेश के लिये बनी थी। मगर फिलहाल इसके लिये इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि वह है कि नहीं है, हमने कुछ किया है कि नहीं किया है, हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे ? एक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसलिये कह रहा हूं कि मेरे बैठे हुये लोग मुझसे सहमत इस बारे में करेंगे कि महाभारत का जिक्र किया, सुना होगा मगर किसी ने इन साठ साल में सरकारें कोई भी आई हों बहुत से नारे लगाकर वह यहां से गये मगर महाभारत सर्किट किसी ने नहीं बनाया वह हम ही लोगों ने बनाया पिछली बार। महाभारत सर्किट अलग से भारत सरकार ने जिसे अपना योगदान दे दिया है, अपनी मंजूरी दे दी है और 5 करोड़ रुपया उसके अंदर भेज भी दिया तो मान्यवर, पूछे आपसे कि महाभारत सर्किट शुरू कहां से होना है। वह आना कहां से है ? लक्ष्यगृह कहां है, जिसके बारे में जिक्र है। हस्तिनापुर का वह कौन सा महल है, जो उसके अंदर है जो 5 करोड़ के तहत प्रोग्राम बन कर आया है। वह लक्ष्य गृह कहां है, गढ़मुक्तेश्वर में क्या होना था। यह सारी-सारी चीजें बकायदा 60 साल में पहली बार जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है उससे पहले भी किसी ने महाभारत सर्किट के बारे में जिक्र नहीं किया। बकायदा महाभारत सर्किट का जिक्र हम लोगों ने किया और आया और अप्रूव हुआ और भारत सरकार ने माना और भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया इसके अन्दर दिया। जो अभी मौजूद है और लगा भी नहीं है पूरी तरह से, यह भी बता दूं आपको आप जानकारी करें कब लगेगा कैसे-कैसे लगेगा।

जब इस प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तराखण्ड बन गया। तब एक दिक्कत आई और एक सोच बनी कि हरिद्वार की तर्ज पर कोई चीज बनाई जाये। गढ़मुक्तेश्वर के उस स्थान में, जिस तरह से हर की पौड़ी है, घंटाघर आदि है वह जैसे बना उसके लिये भारत सरकार ने पैसा दिया, उसमें हरिद्वार की तरह प्लेटफार्म बन चुका है लेकिन आगे एक्सटेंशन के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है। वह महत्वपूर्ण योजना थी उसके बारे में कोई जिक्र बजट में नहीं किया गया है। बुद्धेश्वर की, जे0बी0आई0सी0 ने पर्यटन विभाग को बुद्धेश्वर के लिये 680 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव किया था जो भारत सरकार से स्वीकृत होकर यहां आना था। सरकारें खत्म हो गई हम इधर आकर बैठ गये मगर अब उसका क्या होगा 680 करोड़ देना और 30 साल के अन्दर री पेमेन्ट की बात थी इतना अच्छा जो जे0बी0आई0सी0 दे रहा था उसका हुआ क्या ? उसके अन्दर पूरा सर्किट आपका जो गोरखपुर की जो राजभर ताल परियोजना उसके अन्दर यह पूरा सर्किट इसमें आ रहा था। यह कहां बनी ? इसके बारे में बजट में आपने कोई जिक्र नहीं किया है कि यह आ गई है तो कहां है, कहां बनी अगर मिल गई है तो कब से काम शुरू होगा। काम शुरू होगा तो जितने प्रोग्राम

हैं सड़कें चौड़ी होना है जो और रहने की सुविधायें होनी हैं वह कब करेंगे। इसका कोई जिक्र नहीं किया। पालिसी कब बनेगी यह कुछ नहीं बताया। मान्यवर, ब्रजभूमि कृष्ण जी की भूमि है और बरसाना से लेकर वृन्दावन की जितनी भी परिक्रमायें हैं चाहें वह राधाकुण्ड हो, चाहे, कुसुम सरोवर हो हम लोगों ने इसकी सफाई के लिये तीन करोड़ रुपया दिया था अब उसका क्या हुआ वह पूरा कम्पलीट हुआ या नहीं हुआ आपके यहां बरसाना की होली जो अपने आप में अलग चीज है। यह होली से 20 दिन पहले होती है होलिका दहन नहीं होता है। कृष्ण जी और राधाजी की रासलीला मान्यवर, होती है। दुनिया भर के लोग आते हैं उसको देखने के लिये। उसके लिये आप क्या कर रहे हैं इसका जिक्र है ही नहीं।

मान्यवर, मैं एक तो यह जो आपका परिव्यय है 2003-04 में, यह 40 करोड़ है और 17 करोड़ इसमें व्यय हुआ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2004-05 में जब हम लोग थे तो 41 करोड़ हुआ। 2005-06 में 50 करोड़ हुआ, 2006 के अन्दर मान्यवर, 63 करोड़ हुआ, जब आप बैठे हैं तो वह 30 करोड़ हुआ।

(कई मा0 सदस्य-समाप्त करें।) अब आप बैठे हैं तो 30 करोड़ है। तो अब आपने बताया कि हम 68 करोड़ का आपने बजट दिया है पिछली बार यह बजट 80 करोड़ का था। और यह भी कहा है कि हम पर्यटन को बढ़ाने का काम करेंगे, बहन जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि हम पैसे की किल्लत नहीं होने देंगे। मान्यवर, हम कहने को तो बहुत कह सकते हैं, आपने 68 करोड़ दिया है, जो आप बता रहे हैं, इसमें कम से कम 80-90 करोड़ तो देते। मान्यवर, भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय पैसा देता है। जो योजनायें आपके द्वारा जाती है, उसके तहत स्वीकार करके जो प्लान होता है, उसके लिये पैसा भी देता है और प्लान स्वीकार भी करता है, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है कि इन 8-9 महीनों में कोई योजना भारत सरकार को भेजा है या नहीं या आगे भेजने जा रहे हैं या नहीं, यदि भेजने नहीं जा रहे हैं तो इस 68 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं एक बात और बता दूं, मंत्री जी के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2002-03 से पहले आगरा के अन्दर पर्यटक रहता था, वहां पर फाइव स्टार होटल थे लेकिन दिल्ली से इतना जोर था कि वर्ष 2004 के बाद जो वृद्धि हुई है, वह 160 फीसदी हुई है। आज आपके यहां समर सीजन में भी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी आगरा के अन्दर रहने की जगह नहीं है, यह उपलब्धि टूरिज्म डिपार्टमेन्ट की है। आपको बता दूं कि पर्यटन एक अकेले ऐसी इण्डस्ट्री है जो डाइरेक्ट और इन-डाइरेक्ट लोगों को नौकरी देता है, इम्प्लायमेंट देता है। मान्यवर, दुनिया के अन्दर 3-4 ऐसे मुल्क हैं, जिनका पूरा रहन-सहन सिर्फ टूरिज्म से चल रहा है, यदि टूरिज्म को चलाना चाहें तो। मान्यवर, मथुरा की बात है, हमने मथुरा को उसकी जो विशेषता थी, उसको हम नहीं कर पाये, उसको करना पड़ेगा। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि कृष्ण जी के साथ हम लोगों ने इन्साफ नहीं किया। जो कुछ भी काम हैं, चाहे मथुरा में हो या दिल्ली में हो, स्कान ने किया है, जो

एक विदेशी संस्था है, उसने किया। तो अब हमें उसको भी देखना पड़ेगा। मान्यवर, एक सूफी सर्किट हुआ करता था। इसी प्रकार मान्यवर, आपके बजट में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उत्तरांचल बनने के बाद जिम कार्बेट उधर चला गया, अब दुधवा नेशनल पार्क ही बचा है, मान्यवर, एक भाग जो जिम कार्बेट के बाहर है, जहां जिम कार्बेट बनाने का प्रस्ताव था। और वह है या नहीं मैं नहीं जानता। और मान्यवर, जो दुधवा नेशनल पार्क है वह हर तरह से अगर आप देखें तो वह जिम कार्बेट से बड़ी जगह है अगर आप उसका तरीके से इस्तेमाल करें तो सबसे बड़ी बात कि वहां पर एक तो फ्रेश वाटर डालफिन मिलती है। डालफिन एक मछली होती है। जिसको देखने के लिये लोग दुनिया भर में जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं और दूसरा गाजी रंग का गेबाब। गाजी रंग का गेबाब जो असम में है वह सिर्फ दुधवा के अंदर गेंडा है हिन्दुस्तान के अंदर और कहीं नहीं है और शेर तो है ही। मान्यवर, जो जर्मनी और आस्ट्रेलिया के पर्यटक आते हैं वह सिर्फ ताज महल देखने जरूर आते हैं लेकिन उनकी रुचि वाइल्ड लाइफ एडवेंचर में ज्यादा होती है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरह की चीज मौजूद है। चाहे आप धार्मिक ले लें, चाहे आप सूफी सर्किट के बारे में जिक्र कर लें। मैं सूफी सर्किट के बारे में जिक्र कर दूं कि अजमेर शरीफ सब जाते हैं हिन्दू भी जाते हैं, तो हमने प्रस्ताव रखा था कि बदायूं, लखनऊ, बाराबंकी, देवाशरीफ और उसके बाद फतेहपुर सीकरी और उसके बाद वह सब जो यहां आते हैं वह यहां घूमकर फिर अजमेर शरीफ चले जायें। यह सूफी सर्किट का बाकायदा रूट है। यह रूट मौजूद है। यह रूट बाकायदा प्रस्ताव कर रखा है। उस पालिसी के अंदर जिसका जिक्र आपने नहीं किया है तो यह सारी चीजें मान्यवर, यहां मौजूद हैं। अब दो चीजें रह गयीं। जो नेशनल एयरपोर्ट है। इन 60 साल में 30 साल के अंदर यह मुद्दा रहा है कि आगरा के अंदर एयरपोर्ट होना चाहिए।

नलकूप एवं लघु डाल नहर राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, कौकब साहब जो बोल रहे हैं, वह जिस दल के नेता हैं उनके दल के सदस्य उनको सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका आशय है कि इनका दल ही उनकी बात से सहमत नहीं है।

डा0 अजय तोमर-

हम हैं।

श्री कौकब हमीद-

देखिये ऐसा है मैं कटौती रख रहा हूं जल्दी कर रहा हूं। जब प्रस्ताव में कुछ नहीं आया तो सदन में बैठा हुआ आदमी ख्वामाखां तो बात नहीं करेगा। जब पर्यटन की बात है तो पता तो चल जाये कि पर्यटन है क्या। क्योंकि वहां से तो कुछ आया नहीं। वह तो जब आएगा जब पालिसी बनेगी और पालिसी जब बनेगी तब बनेगी। तो मान्यवर, 30 साल से यह मुद्दा रहा है कि आगरा के अंदर एक एयरपोर्ट होना चाहिए। जो वहां एयरपोर्ट है वह डिफेंस का एयरपोर्ट है और वहां शाम

5.00 बजे के बाद आप न फ्लाइट ला सकते हैं और न ले जा सकते हैं तो एक प्रस्ताव आया था हम लोगों के पास आया था और यह सोचा गया था कि आगरा और मथुरा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाये जिससे आगरा और मथुरा दोनों का फायदा हो। अब यह जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है मेरी राय यह है कि इस पर दोबारा सोच लें कि जेवर में किसी का ने भला नहीं होने जा रहा। वह इतनी दूर बन जाएगा कि बुलन्दशहर की बात होगी, किसी और की बात होगी। लेकिन एयरपोर्ट से जो फायदा आगरा को हो सकता है और जो मथुरा को हो सकता है। अगर वह बीच में बन जाये तो अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि जो प्रस्ताव हमने रखे हैं उन्हें माननीय मंत्री जी संशोधित कर लें।

ठाकुर सूरजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अभी हमने मौका कहां आपको दिया।

(व्यवधान के मध्य)

* ठाकुर सूरजपाल सिंह-

मान्यवर, पर्यटन नीति के बारे में बातें करते हैं तो हमारी बहन मायावती जी ने ताज कारीडोर की स्थापना की थी। जो सामने बैठे हुए हमारे बी0जे0पी0 के साथियों ने इसमें किया वह यह कि ताज कारीडोर मामले में हमारी बहनजी को फंसाने का काम किया। लेकिन हमारी बहन जी ने सरकार को ठुकराने का काम किया था। हमारी सरकार पर्यटन के लिए कटिबद्ध है। आगरा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, भारत वर्ष के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए जाना जाता है। आगरा ताजमहल के रूप में जाना जाता है।

(विपक्ष और सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तोमर जी, आपके नेता बोल चुके हैं अब आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री विनोद सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसमें जो सुझाव दिये गये हैं उसके लिए मैं आभारी रहूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य अनूप गुप्ता जी को दो मिनट के लिए बोलने दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बोल चुके हैं अब फिर यह सदस्य बोल रहे हैं। [x x x]

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस पर्यटन विभाग की किताब में लिखा हुआ कि पचास हजार पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण करने हेतु जहां आते हों, प्रदेश सरकार जिला योजना के अन्तर्गत विकास के लिए ऐसे स्थानों का चयन करेगी। पर्यटकों को प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के माध्यम से मेले, महोत्सवों का आयोजन करवाना है। पर्यटन के उद्देश्य से नई नीति बनाई जा रही है लेकिन उसमें हमारे नैमिषारण्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जहां प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लोग आते हैं जहां पर मां ललिता देवी, चक्र तीर्थ, देवदेवेश्वर, व्यास गद्दी आदि अनेक धार्मिक स्थल है जिनका विकास किया जाना पर्यटन की दृष्टि से उचित है। नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग द्वारा हाईमास्क लाइट लगवाई गई लेकिन उसका ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है जिससे लाइट नहीं जलती है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि नैमिष्य को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का काम करें व सीतापुर से नैमिषारण्य तक हाटमिक्स से रोड बनवाई जाये। सरकार ने मेले के सम्बन्ध में भी लिखा है, लेकिन मिश्रिख में चारासीकोसी होली परिक्रमा मेला उत्तर भारत का मशहूर मेला है, यहां के लिए कोई बात इस बजट में नहीं कही गई हैं। यह धार्मिक मेला है जो लगभग एक माह चलता है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो हर एक होली में होता है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एवं सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के प्रयास में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री विनोद सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कौकब हमीद साहब से निवेदन करूंगा, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि पर्यटन विभाग सुझावों का विभाग है और जितने सुझाव आपने दिये हैं, उन सबका स्वागत है, इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौकब साहब आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप प्रश्न रख दें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राजेन्द्र जी, आपसे और अन्य माननीय सदस्यों से आग्रह है, कृपया शान्त रहें। जिन माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिला है वह लिखकर दे दें, उसे कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा। अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा करके एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,72,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री राम सागर अकेला की जनपद बलरामपुर में गालिबपुर से चमरूपुर मार्ग का पिच निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री सुधीर कुमार की जनपद उन्नाव के सफीपुर में सरकारी गोदाम से खाद्य सामग्री की हो रही कालाबाजारी के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद आजमगढ़ के ग्राम सम्मोपुर के डॉ0 मु0 तारीक को गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पांचवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में खन्डेय पेय योजना एवं सभी पेयजल योजनाओं के ठप होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठवीं सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर में वन विभाग की कीमती लकड़ियों के अवैध रूप

नोट :-(लिखित भाषण के लिए देखिये आगे नत्थी 'घ' पृष्ठ संख्या 274-275 पर)

से हो रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के 01 अक्टूबर, 1989 से 28 जनवरी, 2004 के मध्य अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा स्थित दतौली शुगर मिल, बजाज शुगर मिल एवं बभनान शुगर मिल द्वारा प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में सिम्भावली शुगर मिल के जहरीले पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की इलाहाबाद स्थित मुहल्ला गढ़ीकला, लीडर रोड पर खाली नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के ग्राम तारगांव में पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

श्री अ[illegible] कुमार गुप्ता, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री मदन भैया व श्री अशोक कंसल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम बिशुन, डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 राजेन्द्र सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री [illegible] प्रसाद गर्ग, श्री [illegible] सिंह, श्री निर्मल कुमार वर्मा, श्री शम्भू चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री बैजनाथ दुबे, श्री संजय कपूर, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राम प्रसाद कुशवाहा।

जनपद सिद्धार्थनगर व बस्ती के सीमावर्ती पुलिस चौकियों को संतकबीर नगर में किये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल कलाम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री अब्दुल कलाम।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लाल जी वर्मा-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद सन्तकबीर नगर के थाना धर्मसिंहवा पुलिस चौकी साथा, थाना खेसरहा व पुलिस चौकी कांटे, थाना मुण्डेरवा का पुलिस अधिकार क्षेत्र सिद्धार्थ

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर व बस्ती जनपद में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में तत्काल कार्यवाही कराते हुए वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय से जनपद सन्तकबीर नगर के थाना धर्मसिंहवा, थाना खेसरहा एवं थाना मुण्डेरवा का सीमांकन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त सम्बन्ध में अधिसूचनायें तैयार कर विधायी विभाग को विधीक्षित करने हेतु भेजी गयी थी। विधायी विभाग की कतिपय पृच्छाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर से सूचनायें मांगी गयी थीं जो प्राप्त नहीं हुई हैं। सूचनायें प्राप्त होने के पश्चात् अधिसूचनायें विधीक्षित करने हेतु विधायी विभाग को पत्रावली पुनः संदर्भित की जायेगी। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।]

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीली, गोहाल्ड एवं राठ में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में चौधरी धूराम लोधी की नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

महिला कल्याण विभाग में क्राफ्ट प्रशिक्षकों की नियुक्ति आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से न करके एन0सी0ओ0 द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र मोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11, 12 स्थगित हैं।

राज्य सरकार के विश्व विद्यालयें एवं महाविद्यालयों में प्राध्यापक के पद पर भर्ती हेतु अनुसूचित जाति के स्नातक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 सदस्य द्वारा [नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई थी कि अनुसूचित जाति के जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्राध्यापक पात्रता परीक्षा ''नेट'' उत्तीर्ण कर लिया है किन्तु पूर्व की परीक्षाओं में साधनहीनता, धनाभाव तथा शैक्षिक वातावरण आदि के अभावों के कारण स्नातक स्तर पर 40-45 प्रतिशत के मध्य अंक प्राप्त कर सके हैं। जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में प्राध्यापक पद पर भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (उत्तम शैक्षिक अभिलेख) 50 प्रतिशत के बराबर नहीं है, फलस्वरूप ऐसे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी प्राध्यापक पद की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण होते हुए भी प्राध्यापक पद के चयन से बाधित हो जाते है। इस स्थिति से निपटने के लिए तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी दिलाने के लिए क्या ऐसे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी परीक्षा के समय न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता (उत्तम शैक्षिक अभिलेख) में 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत तक की छूट पाने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिन अभ्यर्थियों को नेट उत्तीर्ण घोषित करता है ऐसे सभी अभ्यर्थी स्नातक/परास्नातक स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य/पात्र घोषित ।। जाते हैं अर्थात आयोग के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों में विषय की गहरी जानकारी, मूल अवधारणाओं की समक्ष, प्रभावी सम्प्रेषण क्षमता आदि अध्यापन के सभी मूलभूत गुण मौजूद होते हैं। इसलिए वह प्राध्यापक पद के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों से न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (उत्तम शैक्षिक अभिलेख) की मांग करने का क्या औचित्य है। यदि उत्तम शैक्षिक अभिलेख ही प्राध्यापक पद पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं आधार हैं, तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने का औचित्य क्या है और क्यों ?

उक्त अभाव एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी दिलाने के लिए प्रध्यापक पद के भर्ती के समय न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (उत्तम शैक्षिक अभिलेख) जो सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित है में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45 प्रतिशत निर्धारित करने पर क्या सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ? साथ ही साथ वर्तमान में पी0एच0डी0/नेट धारित उम्मीदवारों को उत्तम शैक्षिक अभिलेख में 5 प्रतिशत की दी जा रही छूट को भी यथावत बनाये रखने पर विचार करेगी।

इस सम्बन्ध में सूच्च है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-14/26 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की प्राध्यापकों को न्यूनतम् अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियम के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके अतिरिक्त न्यूनतम शैक्षिक स्तर को निर्धारित करने हेतु अन्य केन्द्रीय साविधिक निकायों, भारतीय विधि परिषद्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् आदि द्वारा भी न्यूनतम अर्हतायें विहित की जाती हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हताओं के पूरक के रूप में होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रवक्ताओं की न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि में 55 प्रतिशत अंको के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित किया है। इसके साथ ही एक अनिवार्य अर्हता यह भी है कि अभ्यर्थी के पास उत्तम शैक्षिक अभिलेख भी होने चाहिए। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2003 द्वारा न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर स्नातक स्तर पर प्राध्यापकों (प्रवक्ता) की भर्ती हेतु शासनादेश दिनांक 12-07-2006 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नेट/स्लेट एवं पी0एच0डी0 धारक अभ्यर्थियो को सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

उच्च शिक्षा में सुधार लाने एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियुक्त होने वाले प्रवक्ताओं की स्नातक स्तर पर नियुक्ति में उक्त शासनादेश दिनांक 12-07-2006 में निर्धारित उत्तम शैक्षिक अभिलेख में निर्धारित प्राप्तांकों में और गिरावट कर देने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रवक्ताओं की स्नातक स्तर पर नियुक्ति में उत्तम शैक्षिक अभिलेख में निर्धारित प्राप्ताकों में कमी किये जाने का औचित्य नहीं है।]

जनपद (कुशीनगर) में खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध मे श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[श्री शम्भू चौधरी द्वारा दिनांक 27-02-2008 को नियम-51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी कि जनपद कुशीनगर के सभी खरवार जाति के व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करना पड़ रहा है, जबकि खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के तमाम शासनादेश भी जारी हुए हैं किन्तु अब अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा खरवार जाति के लोगों को (कमकर) बताकर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा हैं। सूचना में मा0 सदस्य द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि "यादव को अहिर का" चौहान को लोनिया का, कन्नौजिया को धोबी का, सोनकर को खटीक का, रविदास को चमार का, दुषाद का प्रमाण-पत्र दिया जाना उचित है तो कमकर नाम से सम्बोधित किये जानें वाले को खरवार का प्रमाण-पत्र दिया जाना क्यों अनुचित है। सूचना में यह भी उल्लेख किया गया हैं कि कमकर खरवार जाति का पर्यायवाची नाम है जो पूर्वान्चल के ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण आयुक्त एवं समाज कल्याण मंत्री के पत्र भी जारी हुए हैं। अतः मा0 सदस्य द्वारा खरवार जाति के व्यक्तियों को सरलतापूर्वक अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु जिलाधिकारी कुशीनगर को पत्र निर्गत किये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि अनुसूचित जाति की सूची विषयक शासनादेश संख्या-1432/26-3-86-11(वि0स0)/66, दिनांक 10 जुलाई, 1986 में "खरवार" (वनवासी को छोड़कर) जाति को क्रमांक-46 पर रखा गया है। वर्ष 1896 में प्रकाशित विलियम कुक द्वारा लिखे साहित्य "दि ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आफ दि नार्थ वेस्टर्न इण्डिया" के वाल्यूम-3 के पृष्ठ संख्या-237 से 252 के मध्य "खरवार" जाति का उल्लेख किया गया है, जिसमें "खरवार" जाति की उपजाति, गोत्र या पर्यायवाची के रूप में "कमकर" का कहीं उल्लेख नहीं है "कमकर" को एक अलग जाति के रूप में पृष्ठ संख्या-122 एवं 123 में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पश्चिमी बंगाल का हवाला देते हुए "कमकर" को "कहार" के टाइटिल रूप में उल्लेख है। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या-92 से 104 के मध्य "कहार" जाति से सम्बन्धित विवरण के पृष्ठ-94 में "कमकर" को "कहार" जाति की उपजाति के रूप में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 1872 में प्रकाशित एम0ए0शेरिंग द्वारा रचित पुस्तक "हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट ऐज रिप्रजेन्टेड इन बनारस" भाग-1 के पृष्ठ संख्या-383-85 में "खरवार" या "खैरवार" जाति का विवरण है परन्तु इसमें "कमकर" का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर "कमकर" को उ0प्र0 की अनुसूचित जाति की सूची में अंकित "खरवार" जाति की उपजाति नहीं कहा जा सकता।

शासनादेश सं0-1554/26-3-2000-3(23)/78, दिनांक 9 जून, 2000 एवं शासनादेश सं0-4688/26-3-2001-3(23)/78, दिनांक 27-12-2001 द्वारा "खरवार" जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी कुशीनगर के पत्र सं0-1816/रा0 सहा0-2007, दिनांक 12-11-2007 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद कुशीनगर में "खरवार" जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।]

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

..... [नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया है कि तहसील मिलक जनपद-रामपुर में कोई डिग्री कालेज नहीं है। मा0 सदस्य ने यह भी उल्लेख किया है कि जनपद-रामपुर के विधान सभा क्षेत्र विलासपुर की मिलक बहुत बड़ी तहसील है और यहां पर उच्च शिक्षा का किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है तथा क्षेत्र में दलित बच्चों की आबादी लगभग 40 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की आवश्यकता है। मा0 सदस्य ने इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर वक्तव्य की मांग की है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जनपद-रामपुर में निम्नलिखित 03 राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं :-

1-राजकीय रजा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर।

2- राजकीय महिला, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर।

3- राजकीय महाविद्यालय विलासपुर, रामपुर।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में निम्नलिखित 02 अशासकीय स्ववित्त पोषित महाविद्यालय भी संचालित हैं।

1-रामरतन सिंह मेमोरियल डिग्री कालेज, जाहिदपुर, शाहबाद, रामपुर।

2-महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल पिपली नायक स्वार, रामपुर।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के जिन जनपदों में कोई भी राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने तथा असेवित क्षेत्र में निजी प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति है। अतः शासन की कठिन अर्थोपाय स्थिति के दृष्टिगत जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-मऊ स्थित टौंस नदी पर बने पुल का टोल-टैक्स समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

.....[मा0 विधायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जनपद-मऊ के विधान सभा क्षेत्र 203, मोहम्मदाबाद गोहना में टोन्स नदी पर बने पुल का उद्घाटन दिनांक 08 अगस्त, 1978 में हुआ था और तब से अब तक लगातार टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि टैक्स पूरा हो गया है। टैक्स माफी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मऊ द्वारा शासन को पत्र भी भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक उक्त पुल को टैक्स फ्री नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी।

2-मा0 विधायक द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद-मऊ में मोहम्मदाबाद-घोसी मार्ग के किमी0-02 में टोन्स नदी पर निर्मित पुल पर वर्ष 1978 से पथकर वसूली की जा रही थी। शासनादेश सं0-1064/23-2-2004-92-89, दिनांक 31 मार्च, 2004 में दिये गये प्राविधान के अनुसार पुल के निर्माण की कुल लागत, ब्याज तथा अनुरक्षण व्यय की वसूली पूर्ण होने के उपरान्त उक्त पुल को अधिसूचना संख्या-364/23-2-2008-58(3)/2007, दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा पथकर वसूली से मुक्त कर दिया गया है।]

जनपद-बदायूं के सहसवान में विद्युत ट्रांन्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री डी0पी0 यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, विद्युत मांग....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लाल जी वर्मा-

..... [के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे, तहसील स्तरीय नगरों को 15 घण्टे, जनपद स्तरीय नगरों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराया जाना आदेशित है, परन्तु राज्य क्षेत्र में स्थापित विद्युत गृहों एवं केन्द्रीय सेक्टर से विद्युत उपलब्धता में कमी एवं स्थानीय वितरण प्रणाली में उत्पन्न व्यवधानों के कारण विद्युत प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपातकालीन विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि सहसवान में 37.5/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (2×3 एम0वी0ए0) की आपूर्ति 66/37.5 के0वी0 उझानी उपकेन्द्र (2×7.5 एम0वी0ए0) से की जाती है, जहां पर 7.5 एम0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक क्षतिग्रस्त पड़ा है। उझानी उपकेन्द्र से ही 37.5/11 के0वी0 असरासी उपकेन्द्र (2×3 एम0वी0ए0) को भी आपूर्ति की जाती है। उझानी उपकेन्द्र पर स्थापित एक 7.5 एम0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने के कारण 66/37.5 के0वी0 उझानी उपकेन्द्र पर दो ग्रुपों में विद्युत आपूर्ति का प्राविधान किया गया है ताकि सहसवान तथा असरासी उपकेन्द्रों को उपलब्धता के अनुसार विद्युत आपूर्ति करायी जा सके।

सहसवान क्षेत्र में दिनांक 27-02-2008 तक 63 के0वी0ए0 का एक परिवर्तक एवं 25 के0वी0 के 4 परिवर्तक तथा बिसौली क्षेत्र में 63 के0वी0ए0 के 3 परिवर्तक तथा 25 के0वी0 के 6 परिवर्तक क्षतिग्रस्त हैं जिसे बदलने की प्रक्रिया चल रही है।

जनपद शाहजहांपुर के 66/37.5 के0वी0 उपकेन्द्र पुवायां से 12.5 एम0वी0ए0 क्षमता का एक परिवर्तक विभव परिवर्तन के कारण निकाला गया था जिसे 66/37.5 के0वी0 उपकेन्द्र उसांवा (2×7.5 एम0वी0ए0) पर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर भी एक 7.5 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक क्षतिग्रस्त पड़ा था। सहसवान में उक्त परिवर्तक को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उझानी विद्युत उपकेन्द्र पर क्षतिग्रस्त 7.5 एम0वी0ए0 क्षमता वाले परिवर्तक की मरम्मत कराने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं, अप्रचलित विभव (66/37.5 के0वी0) होने के कारण इस प्रकार के परिवर्तक की उपलब्धता में कठिनाई आ रही है।]

महिला कल्याण निगम द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 विधायक द्वारा ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

..... [दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ के महाप्रबन्धक द्वारा शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्वर्ण जयन्ती, शहरी रोजगार योजना की उप योजना स्वरोजगार प्रशिक्षण के करोड़ों के कार्य गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) से कराये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वर्ण जयन्ती, शहरी रोजगार योजना का संचालन नगरीय विकास अभिकरण, (सूडा) द्वारा किया जाता है। सूडा द्वारा यह कार्य उ0 प्र0, महिला कल्याण निगम लिमिटेड को कार्यकारी संस्था के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षण करने हेतु दिया गया है। इस योजना में महिलाओं को 3 माह का रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम (योजना) मूल रूप से डूडा का है। कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण डूडा के परियोजना अधिकारी की देख-रेख में किया जाता है।

उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम की स्थापना के मूल उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारस्परिक एवं गैर पारस्परिक विधाओं में प्रशिक्षण दिलाकर उनके कौशल में वृद्धि करते हुए सर्वांगीण विकास करना है। पत्र में उल्लिखित शासनादेश संख्या-1890/69-11-2000-1(एस0जे0/97), दिनांक 22-8-01 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश सूडा से जारी हुआ है तथा निगम से सम्बन्धित नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक : 3 मार्च, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0-47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

उत्तर प्रदेश पुलिस/पी0ए0सी0/वायरलेस में हुई भर्तियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में आई0पी0एस0 तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	बैच	प्रकरण	निलम्बन की तिथि	निलम्बन से बहाली की तिथि	आरोप पत्र देने की तिथि	जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री वी0 के0 भल्ला	आई0पी0एस0 आर0आर-74	रेडियो मुख्यालय, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी भर्ती रेडियो मुख्यालय, सहायक परिचालक भर्ती रेडियो मुख्यालय, कार्यशाला कर्मचारी भर्ती	30-09-2007	24-11-2007	05-12-2007	14-1-2008
2	श्री के0 के0 सक्सेना	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-84	रेडियो मुख्यालय, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी भर्ती, रेडियो मुख्यालय, सहायक परिचालक भर्ती रेडियो मुख्यालय, कार्यशाला कर्मचारी भर्ती	30-09-2007	24-11-2007	08-12-2007	14-1-2008

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
3	श्री ए0डी0 मिश्रा	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-85	एटा/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 अप्रैल, 2006	30-9-2007	24-11-2007	7-12-2007	14-1-2008
4	श्री छविनाथ सिंह	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-85	बदायूं/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 जुलाई, 2005 बरेली/पी0ए0सी0/जुलाई, 2006 बरेली/तृतीय भर्ती/ना0पु0/ सितम्बर, 2006	11-9-2007	24-11-2007	6-12-2007	14-1-2008
5	श्री वी0 के0 अग्रवाल	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-86	झांसी/तृतीय भर्ती/ना0पु0 सितम्बर, 2006	30-9-2007	24-11-2007	8-12-2007	14-1-2008
6	श्री आर0 एन0 यादव	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-86	वाराणसी/तृतीय भर्ती/ना0पु0 सितम्बर, 2006 गाजीपुर/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 अप्रैल, 2006 बलिया/पी0ए0सी0 भर्ती/ना0पु0 जुलाई, 2006	11-9-2007	24-11-2007	8-12-2007	14-1-2008
7	श्री मुकुल गोयल	आई0पी0एस0 आर0आर0-87	मैनपुरी/तृतीय भर्ती/ना0पु0 सितम्बर, 2006	निलम्बित नहीं	निलम्बित नहीं	8-12-2007	14-1-2008

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	श्री अखिलेश मेहरोत्रा	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-88	एटा/पी0ए0सी0/सितम्बर, 2006 इटावा/तृतीय भर्ती//ना0पु0 सितम्बर, 2006 फतेहपुर/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 अप्रैल, 2006	11-9-2007	24-11-2007	8-12-2007	14-1-2008
9	श्री मलखान सिंह यादव	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-89	गोण्डा/ना0पु0 अप्रैल, 2006	30-9-2007	24-11-2007	8-12-2007	14-1-2008
10	श्री रामेन्द्र विक्रम सिंह	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-89	मुरादाबाद/तृतीय भर्ती/ना0पु0 सितम्बर, 2006 मुरादाबाद/द्वितीय भर्ती/ना0पु0/अप्रैल, 2006 मुरादाबाद/पी0ए0सी0/मई, 2006	18-9-2007	24-11-2007	6-12-2007	14-1-2008
11	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-89	गाजियाबाद/तृतीय भर्ती/ना0पु0 सितम्बर, 2006 गाजियाबाद/पी0ए0सी0/जुलाई, 2006 झांसी/द्वितीय भर्ती/ना0पु0/अप्रैल, 2006	11-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
12	श्री बी0 एम0 त्रिपाठी	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-89	कन्नौज/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 अप्रैल, 2006 28 पी0ए0सी0 भर्ती इटावा/जुलाई, 2006	11-9-2007	24-11-2007	7-12-2007	14-1-2008
13	डा0 अशोक कुमार	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-89	सीतापुर/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	18-9-2007	24-11-2007	6-12-2007	14-1-2008
14	श्री एस0 के0 माथुर	आई0पी0एस0 आर0आर-90	सोनभद्र/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 अप्रैल, 2006 एटा/तृतीय भर्ती/ना0पु0/सितम्बर, 2006 सोनभद्र/पी0ए0सी0/जुलाई, 2006	11-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008
15	श्री दलजीत सिंह चौधरी	आई0पी0एस0 आर0आर0-90	कानपुर देहात/द्वितीय भर्ती/ना0पु0/अप्रैल, 2006 कानपुर देहात/पी0ए0सी0 भर्ती जुलाई, 2006 इटावा/प्रथम भर्ती/ना0पु0/फरवरी, 2005	निलम्बित नहीं	निलम्बित नहीं	8-12-2007	14-1-2008

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16	श्री बी0बी0 बख्शी	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-90	गोरखपुर/पी0ए0सी0/जुलाई, 2006 गोरखपुर/तृतीय भर्ती/ना0पु0/सितम्बर, 2006 गोरखपुर/द्वितीय भर्ती/ना0पु0/अप्रैल, 2006	11-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008
17	श्री प्रभात कुमार	आई0पी0एस0 आर0आर0-91	बुलन्दशहर/द्वितीय भर्ती/ना0पु0 अप्रैल, 2006	18-9-2007	24-11-2007	6-12-2007	14-1-2008
18	श्री बी0पी0 जोगदण्ड	आई0पी0एस0 आर0आर0-91	झांसी/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	11-9-2007	24-11-2007	6-12-2007	14-1-2008
19	श्री मुकेश शुक्ला	आई0पी0एस0 एस0पी0एस0-92	गाजीपुर/प्रथम भर्ती/ना0पु0/फरवरी, 2005	11-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008
20	श्री एस0 के0 गुप्ता	आई0पी0एस0 आर0आर0-93	इलाहाबाद/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	18-9-2007	24-11-2007	6-12-2007	14-1-2008
21	श्री विजय सिंह मीना	आई0पी0एस0 आर0आर0-96	एटा/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	18-9-2007	24-11-2007	7-12-2007	14-1-2008
22	डा0 जी0 के0 गोस्वामी	आई0पी0एस0 आर0आर0-97	मुरादाबाद/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	30-9-2007	24-11-2007	8-12-2007	14-1-2008
23	श्री बी0 आर0 मीणा	आई0पी0एस0 आर0आर0-97	गाजीपुर/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	18-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008
24	श्री के0 सत्यनारायण	आई0पी0एस0 आर0आर0-98	मैनपुरी/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	11-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
25	श्री नीलाब्जा चौधरी	आई0पी0एस0 आर0आर0-2000	गोण्डा/प्रथम भर्ती/ना0पु0 फरवरी, 2005	18-9-2007	24-11-2007	5-12-2007	14-1-2008
26	श्री राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी	राज्य रेडियो शाखा सेवा	रेडियो मुख्यालय कार्यशाला कर्मचारी भर्ती, 2006	30-9-2007	29-11-2007	17-12-2007	17-12-2007
27	श्री राम शंकर द्विवेदी	राज्य रेडियो शाखा सेवा	रेडियो मुख्यालय कार्यशाला कर्मचारी भर्ती, 2006	30-9-2007	29-11-2007	17-12-2007	17-12-2007
28	श्री अनिल कुमार	राज्य रेडियो शाखा सेवा	रेडियो मुख्यालय/सहायक परिचालक भर्ती, 2006	19-10-2007	29-11-2007	17-12-2007	17-12-2007

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0-50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित श्री राम बिशुन आजाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-50 का संलग्नक-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में समग्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में चयनित ग्रामों में नाली एवं खड़न्जा हेतु ग्राम्य निधि में भेजी गयी धनराशि का विवरण

वर्ष 2003-04

क्रमांक	समग्र ग्राम का नाम	धनराशि (रु0 में)
1	2	3
1	चटकनवा	1,14,400.00
2	परसा उदयकर	1,14,400.00
3	कम्बरपुर	1,14,400.00
4	परसापुर धनवा	2,04,400.00
5	सुमेरपुर	1,14,400.00
6	गढ़ी	2,94,400.00
7	दुर्गापुर	2,04,400.00
8	नरायनपुर ग्रन्ट	1,70,400.00
9	करदा	1,14,400.00
10	गनेसरपुर	1,14,400.00
	कुल योग :	15,60,000.00

वर्ष 2004-05

1	कटहर बुटहनी	शून्य
2	तामापार मिश्रौलिया	शून्य
3	अमघटी	शून्य
4	कुंजलपुर	शून्य
5	मऊ बरदही	शून्य
6	गढ़ी	1,60,000.00
7	इंटैला बुजुर्ग	शून्य
8	उल्लहा	शून्य
9	उजागरपुर	शून्य
10	सोनबरसा	शून्य
11	डल्लापुर	शून्य
	कुल योग :	1,60,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-118 का उत्तर पीछे पृष्ट 83 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-118 का संलग्नक-

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत धनांक	स्वीकृत अधिकारी का नाम	ठेकेदार का नाम
1	भेड़ियागढ़ में मुकेश के घर के पास खड़न्जा निर्माण	25-04-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	श्री डी0एल0 जायसवाल
2	भेड़ियागढ़ में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पूरब सोलिंग	10-06-04	1.00	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	श्री डी0एल0 जायसवाल
3	वार्ड-18 एल0सी0 भारती के घर के सामने खड़न्जा	10-07-04	0.98	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	श्री डी0एल0 जायसवाल
4	शाहपुर टीकल सिंह से राजेश तक नाली/सोलिंग	14-06-04	0.99	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	श्री जीतेन्द्र सिंह
5	वार्ड-49, महादेवपुरम में सोलिंग का कार्य	18-05-04	0.99	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	श्री जीतेन्द्र सिंह
6	शाहपुर आ0वि0 कालोनी सप्लाई आफिस के पीछे नाली निर्माण	07-04-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	श्री जीतेन्द्र सिंह
7	वार्ड-49, अशोक सिंह के पास सीसी रोड तथा नाली	14-05-04	0.99	श्री ओंकार नाथ	श्री जीतेन्द्र सिंह
8	विष्णुपुरम् में गौतम के मकान से अवधेश उपाध्याय के मकान तक नाली/सोलिंग	14-06-04	0.80	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	श्री जीतेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत धनांक	स्वीकृत अधिकारी का नाम	ठेकेदार का नाम
9	शाहपुर धर्मपुर तिराहे से संजय प्रोविजन स्टोर एवं दुर्गा मन्दिर तक नाली निर्माण	1-05-04	0.97	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	श्री जीतेन्द्र सिंह
10	मु0 रसूलपुर वार्ड-9 मेडिकल स्टोर से अतहर के मकान तक नाली/सोलिंग	12-04-04	0.48	श्री ओंकार नाथ	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
11	वार्ड-35 सिंघलपुर मस्जिद के सामने सोलिंग/नाली	1-06-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
12	वार्ड-35 सिधारीपुर भगवानदास गुप्ता के सामने सोलिंग/नाली	6-06-04	0.97	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
13	वार्ड-35 सिधारीपुर राम प्रकाश गुप्ता से पूर्णवासी तक नाली/सोलिंग	6-06-04	0.99	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
14	वार्ड-35 सिधारीपुर में अताउल्लाह से बरकत अली तक नाली/सोलिंग	6-06-04	0.99	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
15	वार्ड-55 बिछिया सुनैना सिंह के घर के समीप खड़न्जा/नाली	9-06-04	0.91	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	अनुराग कुमार पाल
16	वार्ड-55 बिछिया प्रिन्स मौर्य के समीप रोड कार्य	9-06-04	1.00	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	अनुराग कुमार पाल
17	वार्ड-7 मोतीपोखरा हरिजन बस्ती दुर्गा मन्दिर से वेद प्रकाश शर्मा तक नाला निर्माण	1-06-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	श्री श्याम नारायण पाण्डे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत धनांक	स्वीकृत अधिकारी का नाम	ठेकेदार का नाम
18	राप्तीनगर अम्बेडकर स्कूल से बाइबिल पुस्तकालय से होकर मुख्य मार्ग तक नाली सीसी रोड का निर्माण	1-06-04	0.96	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	अनुराग कुमार पाल
19	नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का0 में डिवाइडर मरम्मत एवं सफेदी	26-05-04	0.18	श्री ओंकार नाथ	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
20	रसूलपुर वार्ड-9 फातिमा महिला विद्यालय के पास सोलिंग	06-06-04	0.92	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
21	वार्ड नं0-35 सिधारीपुर निरंकारी भवन के पास सोलिंग	1-08-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
22	वार्ड-9 रसूलपुर अजय नगर में श्री रामसूरत शर्मा से नब्बू शाह तक सोलिंग/नाली	12-04-04	0.86	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	मे0 सूर्यवंशी कान्स0
23	शाहपुर में उज्ञ ओ0एन0श्री के मकान के पास सोलिंग	21-04-04	0.48	श्री ओंकार नाथ	श्री जीतेन्द्र सिंह
24	गोलघर मार्केट सौन्दर्यीकरण के उद्घाटन कार्य	01-06-04	0.25	श्री ओंकार नाथ	मे0 गंगोत्री कान्स0
25	घासीकटरा वार्ड-24 में श्री बाबा से मुख्तार तक सड़क खड़न्जा	28-04-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	मो0 अशरफ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत धनांक	स्वीकृत अधिकारी का नाम	ठेकेदार का नाम
26	लोक सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत मण्डी समिति में अस्थाई शौचालय मूत्रालय	21-04-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	युधिष्ठर सिंह
27	वार्ड-33 अंधियारीबाग में संतोष गौतम के मकान के पास आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप पुलिया	26-05-04	0.31	श्री ओंकार नाथ	विजय प्रताप
28	वार्ड-15 शक्तिनगर पश्चिम में नाली निर्माण	26-05-04	1.00	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	विजय कुमार राय
29	बैजनाथ से जयहिन्द तथा विश्वनाथ तक खड़न्जा	06-06-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	श्री बसन्त
30	वार्ड-33 अंधियारीबाग सदरी यादव के निकट खड़न्जा कार्य	06-06-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	श्री चन्द्रभान सिंह
31	वार्ड-51 नरसिंहपुर में श्री लल्लू से जयहिन्द तक सड़क	06-06-04	0.99	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	इमामुद्दीन सिद्दीकी
32	वार्ड-50 कल्यानपुर के रेनु सिन्हा के निकट सीसी रोड	06-06-04	0.48	श्री ओंकार नाथ	श्री जावेद हुसैन
33	वार्ड-50 बुलाकीपुर में पप्पू के समीप खड़न्जा	06-06-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	श्री जावेद हुसैन
34	वार्ड-36 दीवान बाजार, मुख्य सड़क पर शिव मंदिर के पास आर0सी0सी0 कल्वर्ट	06-06-04	0.47	श्री ओंकार नाथ	मे0 अवध इ0प्रा0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत धनांक	स्वीकृत अधिकारी का नाम	ठेकेदार का नाम
35	बसारतपुर पूर्वी चतुर्वेदी हास्पिटल के पास पुलिया निर्माण कार्य	06-06-04	0.30	श्री ओंकार नाथ	मे0 अक्षय ट्रेडर्स
36	वार्ड-42 मुख्य सड़क से राहुल राणा तक सोलिंग	06-06-04	0.48	श्री ओंकार नाथ	त्रिपाठी इ0प्रा0
37	वार्ड-42 मोहद्दीपुर में सीसी रोड, नाली	06-06-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	त्रिपाठी इ0प्रा0
38	श्री जोगी से अब्दुल मजीद तक नाली व सड़क	06-06-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	आर0 वी0 सिंह
39	वार्ड-49 हरेराम से साधू तक सोलिंग नाली	06-06-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	चन्द्रकान्त श्री0
40	वार्ड-49 समट के मकान से रामसूरत तक सोलिंग	27-05-04	0.98	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	वासदेव कान्स0
41	घासीकटरा में ग्रीन लांस स्कूल तक सड़क सुधार	27-05-04	0.48	श्री ओंकार नाथ	दीपक कुमार सिंह
42	शाहपुर में विष्णुपुरम् में एस0 लाल से नरेन्द्र तक गिट्टी एवं सोलिंग	27-05-04	0.91	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	जितेन्द्र सिंह
43	बसंतपुर चौक से राजघाट चुंगी तक रोड कटिंग	17-09-03	1.84	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	विजय शंकर यादव
44	वार्ड-42 मोहद्दीपुर में अनिल सिंह के मकान तक नाली सोलिंग	09-06-04	0.95	श्री ओंकार नाथ एवं मा0 महापौर	अनिल कुमार शाही

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत तिथि	स्वीकृत धनांक	स्वीकृत अधिकारी का नाम	ठेकेदार का नाम
45	वार्ड-19 हुमायूंपुर में मकबूल एवं शादि की गली में खड़न्जा	29-06-04	0.48	श्री ओंकार नाथ	अबुल कासिम
46	वार्ड-55 श्री लालचन्द्र सिंह के घर के पास खड़न्जा	05-06-04	0.49	श्री ओंकार नाथ	कमल किशोर
47	हुमायूंपुर उत्तरी इकबाल अहमद के घर से खड़न्जा	20-05-04	0.50	श्री ओंकार नाथ	अबुल कासिम
48	वार्ड-25 भेड़ियाढ़ में के0के0 श्री0 के पास सीसी रोड	25-05-04	0.99	श्री ओंकार नाथ	डी0डी0ई0प्रा0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पूर्व पृष्ठ संख्या 251 पर)

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार पर्यटन विभाग की अनुदान पर दिनांक 03 मार्च, 2008 को समयाभाव के कारण जिन मा0 सदस्यों ने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्यटन विभाग पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखने की सहमति दी उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में पर्यटन विभाग को यह सुझाव देता हूं कि जनपद-बदायूं में छोटे सरकार (छोटी जियारत) बड़े सरकार (बड़ी जियारत) तथा सागर ताल पर मजारें हैं जहां देशभर के लाखों पर्यटक प्रतिदिन आते-जाते रहते हैं किन्तु इन सभी दरगाहों पर यात्रियों (जायरीनों) के रुकने के गेस्ट हाउस व होटल नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इन दरगाहों पर गेस्ट हाउस एवं होटल बदायूं में बनवाये जायें तथा वहां पर बढ़िया सड़कें बनवाई जायं ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। वहां हजारों एकड़ में फैली हुई सैकड़ों मजारे हैं जैसे-बांके मियां उस्ताद पीर, बन्नो बुआ, डाक्टर साहब, कम्पाउडर साहब, पंचपीर, मक्कापीर बाबा की मजारे हैं। उनको जोड़ने वाले रास्तों को पक्का किया जाय तथा जनपद लखीमपुर खीरी में मथना मजार को जाने वाले तीन कि0मी0 के रास्ते को पक्का किया जाय क्योंकि इस मजार पर हजारों पर्यटक आते-जाते रहते हैं।

इसी प्रकार जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम-अमृतापुर में मजार पर सैकड़ों पर्यटक रोज आते हैं, जहां पर एक भी गेस्ट हाउस नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां बढ़िया रैन बसेरा बनाया जाय।

इसी प्रकार जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील-धौरहरा के अन्तर्गत लीलंवनाथ का मन्दिर है तथा पक्का ताल है उसके सौन्दर्यीकरण के लिए धन की व्यवस्था की जाय।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। मान्यवर, पर्यटन का प्रदेश में अपना स्थान है। जैसे मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जे0के0 मन्दिर, आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद संगम, बनारस, श्रावस्ती जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। लेकिन मेरे जिले लखीमपुर खीरी में तथा मेरी विधान सभा में प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क जिसको टाईगर प्रोजेक्ट का दर्जा प्राप्त है। इस पार्क में पर्यटकों के आने के बाद कोई सुविधा नहीं, वहां रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। खाने-पीने के लिए भी कैण्टीन की कोई व्यवस्था नहीं है तथा सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। मान्यवर, बिजली आती नहीं जिससे वहां आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। जो एक दफा चला आता है इन सब सुविधा के न होने से पर्यटक दुबारा नहीं जाता जिससे दिन प्रतिदिन पर्यटकों की कमी के कारण प्रदेश में पार्क की शाख दिन प्रतिदिन गिर रही है। मान्यवर, वर्ष 2007-08 में बजट में प्रोविजन 250.08 लाख का किया गया था। यह पैसा वन विभाग को दिया गया। लेकिन वन विभाग द्वारा मात्र 95.84 लाख ही

खर्च किया गया। इससे जाहिर होता है कि पार्क के अधिकारी पार्क के लिए कितना गम्भीर हैं। इसी तरह करतनिया घाट वन्य जीव विहार जहां पर मगरमच्छ पाये जाते हैं। जिस पर सरकार ने 2007-08 में मात्र 84 लाख रुपये का प्रोविजन किया, यह पैसा भी वन विभाग को दिया गया जिस पर मात्र 24.81 लाख रुपया ही खर्च किया गया साथ ही मेरे क्षेत्र खैरीगढ़ में किला की मजार है जिस पर प्रति एक वर्ष कई लाख व्यक्ति मेले में जाते हैं। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में मात्र 4.50 लाख रुपये का प्रोविजन किया गया है जो बहुत कम है, इसकी राशि बढ़ाई जाय जिससे वहां जाने वालों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। इसी तरह देवकली तीर्थ स्थल खीरी का भी सौन्दर्यीकरण कराया जाये। इसी तरह मथना की मजार की व्यवस्था के लिए 4.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। अतः मैं कौकब साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 70 विधान सभा (117)-28-7-2008-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।